दस्तक देते रहेंगे

संपादन

डॉ. शिप्रा मिश्र

DJMIES

डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान

दस्तक देते रहेंगे

दस्तक देते रहेंगे

(डॉ. जगन्नाथ मिश्र के सदनों में दिये कुछ चुने हुए भाषण)

संपादन

डॉ. शिप्रा मिश्र

संकलन

डॉ. संजीव मिश्र

डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान

पटना, बिहार

दस्तक देते रहेंगे

(डॉ. जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री द्वारा
वर्ष1968 से 2000 तक विभिन्न सदनों में दिये गये कुछ चुने हुए भाषण)

पेपरबैक

प्रथम संस्करण-2020
भारत

प्रकाशक-डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान
वीणाकुंज, 113/70 बी, लालबहादुर शास्त्री नगर,
पटना-800023
फोन– 0612-2280721

संपादन- डॉ. शिप्रा मिश्र
संकलन-डॉ. संजीव मिश्र

आवरण चित्र- श्री राजेश श्रीवास्तव

© डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान
इस पुस्तक के किसी अंश का प्रकाशन संपादक एवं प्रकाशक की
पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है

ISBN– 978-81-934570-3-0

मूल्य- 300 रुपये

पुस्तक की मूल्य-राशि बैंक में भी भेजी जा सकती है, जिसका विवरण निम्नांकित है-
Canara Bank, Exhibition Road, Patna-800001, IFSC– CNRB0002004
Account No. 2004101005998, Account Name– Bihar Institute of Economic Studies

इस पुस्तक से प्राप्त सम्पूर्ण आय डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान
कोरोना-संकट से प्रभावित लोगों या उनके समूहों के पुनर्वास पर व्यय करेगा।

मुद्रक- गुप्ता बुक बाइंडिंग हाऊस, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली

यादों में विराट् व्यक्तित्व

बाबूजी के बारे में लिखना मेरे लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए सागर को गागर में समेटने जैसा प्रयास है। मेरे लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है। गहरे भावनात्मक सम्बन्धों को शब्दों में बाँधना कठिन उपक्रम तो होता ही है। बाबूजी से 24 फरवरी,1988 को मुझे आशीर्वाद मिला। इसी दिन मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। कुछ दिनों बाद ही बाबूजी राज्य सभा सदस्य बने। अगले साल वे बिहार के तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बने।

बाबूजी एक गंभीर अर्थशास्त्री थे, परन्तु उनके प्राण लोककल्याण में बसते थे। स्वाभाविक है उनकी व्यस्तता बहुत थी। सबके लिए हर समय उपलब्ध रहते थे। परन्तु, परिवार में भी वे उतने ही सहज और सहृदय रहते थे। लोकजीवन की परेशानियों, चिन्ताओं और संघर्षों को वे घर नहीं लाते थे और न ही वे किसी और पर उसे प्रकट होने देते थे। हाँ, घर में हों या घर के बाहर हों, उनके लिए सबसे पसंदीदा विषय था राज्य के विकास की दशा और दिशा पर विचार-विनिमय करना। बाबूजी जनता के बीच डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते थे। इस नाम में गरिमा भी थी और प्यार भी था।

बाबूजी वर्ष1968 से 1972 तक बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे। वर्ष1972 से 1988 तक और फिर वर्ष1990 से 1994 तक बिहार विधान सभा के सदस्य थे। वर्ष1988 से 1990 एवं वर्ष1994 से 2000 तक राज्यसभा के सदस्य रहे।

बाबूजी को पुस्तकों से बहुत प्रेम था। उन्हें जब भी सरकारी कामकाज और लोकजीवन की जिम्मेदारियों से थोड़ा भी अवकाश मिलता, अपने पुस्तकालय में पुस्तकों के बीच खोए रहते।

वे एक गंभीर लेखक थे। देश-राज्य और जनता के प्रासंगिक सरोकारों पर तथ्य एवं तर्क ये युक्त लेखन करते थे। उनकी दर्जनों पुस्तकों और अनगिनत आलेखों में इसे गंभीरता से महसूस किया जा सकता है। निधन से ठीक पहले वे इस पुस्तक पर मंथन कर रहे थे, परन्तु दुर्भाग्यवश यह काम अधूरा रह गया था। मैंने बाबूजी से गुरुमंत्र की दीक्षा ली थी। वे मेरे धर्मगुरु एवं मार्गदर्शक भी थे। उसी दिव्य प्रेरणा से हमने इस अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प किया और वह आज पुस्तकाकार में आप सबके सामने है।

आप देखेंगे कि जो बाबूजी का व्यक्तित्व था, वही उनकी वक्तृता में प्रकट हुआ है। वे जनता के बीच में रहते थे, जनता की भाषा बोलते थे। आपको इस पुस्तक में संगृहीत उनके उद्बोधनों में वही साफगोई

मिलेगी। वे मैथिली, संस्कृत, हिन्दी और अँगरेजी भाषाओं पर तो पकड़ रखते ही थे, उर्दू भाषा से भी उनका ख़ास लगाव था। उर्दू भाषा के विकास के लिए उन्होंने जितना किया, शायद ही आधुनिक भारत में किसी और ने उतना किया हो। उनकी भाषा में बोलचाल का पुट था, इस पुस्तक में भी आपको वही पढ़ने को मिलेगा। बाबूजी जनता से संवाद बहुत सहज रखते थे और उसे सबसे महत्त्वपूर्ण भी मानते थे। इसीलिए, उनसे मिलने वाला व्यक्ति जिस भाषा को बोलने वाला होता, उससे वे उसकी भाषा में ही बात करते। वे भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका- सभी बोलियों-भाषाओं में निपुण रूप से संवाद कर सकते थे। एक और महत्त्वपूर्ण बात कि बाबूजी कोई आधारहीन बात नहीं करते थे। वे हमेशा ताजा आँकड़ों के साथ तैयार रहते थे। आप देखेंगे कि उन्होंने हर विषय पर अपने विचारों को आँकड़ों से ही पुष्ट करने का प्रयास किया है।

इस संग्रह में संकलित बाबूजी के उद्बोधन एक तरह से बिहार के विकास की यात्रा की कथा कहते हैं, जिसके सबसे महत्त्वपूर्ण सूत्रधार और सहचर वे स्वयं थे।

यह पुस्तक ऐसे समय में आ रही है, जब पूरा देश ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व नवनिर्माण की चुनौतियों के लिए अपने को तैयार कर रहा है। आज बाबूजी होते, तो निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते। आज सबसे अधिक चुनौती उनके समक्ष है, जो विकास के हाशिए पर हैं। बाबूजी ने दलितों-शोषितों और उपेक्षितों के उत्थान के लिए कई क्रान्तिकारी कदम उठाए थे, जिसकी चर्चा आज भी गाँव-गाँव में होती है। उनकी उसी भावना का समादर करते हुए हमने बड़ी विनम्रता से यह निर्णय किया है कि इस पुस्तक के विक्रय से प्राप्त सारी आय कोरोना-संकट से प्रभावित लोगों अथवा समूहों पर व्यय की जाएगी।

इस संग्रह को प्रकाशित करने में बाबूजी को चाहनेवाले अनगिनत लोगों ने योगदान किया है। मैं सब के प्रति अपना और डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान का आभार प्रकट करती हूँ। उस विराट व्यक्तित्व को एक बार पुनः विनम्र नमन।

त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पयामि।

24 जून, 2020

डॉ. शिप्रा मिश्र

वीणाकुंज, 113/70बी,
लालबहादुर शास्त्री नगर, पटना
vjdjmies@gmail.com

भूमिका

यह पुस्तक आप सभी के प्रिय डॉक्टर मिश्र के कुछ भाषणों का संकलन है। ये भाषण उनके जनप्रतिनिधि-रूप में दिए गए उद्बोधन हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दों पर हैं। इन भाषणों की काल-सीमा भी विस्तृत है- लगभग साढ़े तीन दशकों में फैली हुई। परन्तु, ये हैं आज भी उतने ही प्रासंगिक। ये समकालीन राजनीति को समझने में भी बहुत सहायक हैं।

ये भाषण डॉ. मिश्र के बहुआयामी व्यक्तित्व को परिलक्षित करते हैं। इन भाषणों में आपको एक आदर्श जनप्रतिनिधि की उदारता, एक कुशल प्रशासक की दक्षता, एक अर्थशास्त्री की दूरदर्शिता, एक शिक्षाविद् की स्पष्टवादिता, एक चिंतक की गंभीरता और एक सहज मानवहृदय की उत्कंठा- सब देखने को मिलेगी।

उनके दूरदर्शी अर्थशास्त्री रूप का एक उदाहरण देखिए। हमारी संसद् में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) एक्ट वर्ष 2003 में पारित हुआ, लेकिन डॉ.मिश्र ने विधान परिषद् के सदस्य के रूप में वर्ष 1968 में ही उसकी तरफ स्पष्ट संकेत किया था:

'संविधान में जो निहित धारा है उसमें सीमा-बंधन की व्यवस्था है कि राज्यों की जो आय हो उसके दस गुने या पन्द्रह गुने तक ऋण ले सकते हैं। अगर इसको बाँध दिया जाए, तो केन्द्रीय वित्तीय प्रणाली की वजह से जो मुद्रा-स्फीति होती है, वह न होगी।---------ऋण लेने के लिए एक नेशनल डेवलपमेंट कांउसिल का गठन किया जाय और इस काम को उसी को सौंप दिया जाय और वही केन्द्र और राज्यों को ऋण लेने का निर्णय करे और तब केन्द्र या राज्यों को दे। इससे अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।'

-चुनौतियाँ, 19 जून,1968

उनके जनप्रतिनिधि-रूप की उदारता और प्रशासकीय दक्षता का उदाहरण है उनके द्वारा किए भूमि सुधार के लिए उठाए गए साहसिक कदम। लाखों परिवार आज भी डॉक्टर साहब के उस ऐतिहासिक निर्णय का आभार मानते हैं। उन्होने कहा था-

'हम समाज में नया परिवर्त्तन करना चाहते हैं। भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं। अब उनको कोई भी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है।'

-नया परिवर्तन, 12 जुलाई, 1976

उन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पर एक नई राजनीति की शुरुआत की, जिसमें लोकहित दलगत राजनीति से कहीं ऊपर था। बिहार की उन्नति के लिए वेहमेशा दलों की सीमा से उठकर सोचते थे । उनका यह विश्वास था:

'मैंने बिहार की समस्याओं को दलों की सीमा में नहीं बाँधा है। बिहार की उन्नति में हमारी कोई राजनीति नहीं हो सकती है। केन्द्र की उपेक्षा होगी, तो उसके विरुद्ध हमारी आवाज उठेगी।-------आपसी कलुष और भेदभाव भुलाकर बिहार की तकदीर सँवारने के लिए कंधों से कंधा मिलाकर जुट जायें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह होगी।'

अनुभव और सुझाव, 23 मार्च,1994

उनका अर्थशास्त्री मन हमेशा बिहार के बेहतर कल की योजना बनाने में लगा रहता था। उदारवाद पर वो बिहार को एक समर्थ प्रतियोगी बनाना चाहते थे:

'बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से सोचना पड़ेगा। यह जो उदार आर्थिक नीति के तहत निवेश हो रहा है, इसे बिहार में भेजिये। जो उद्योग बन रहे हैं, उन्हें भेजिये अन्यथा, एक बड़ी खाई बनेगी जो देश के लिए खतरे का संकेत होगी।-------आज जहाँ दुनिया में प्रतियोगिता मूलक अर्थतंत्र उपस्थित है, वहाँ भारत को भी उस प्रतियोगिता में खरा उतरने के लिये पूरी तैयारी करनी होगी। आपको कामयाबी तभी मिलेगी, जब अपने अर्थतंत्र को इस ढाँचे पर चलायेंगे।'

वित्तीय प्रबंध-कुशलता,18 अगस्त,1994

अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में डॉक्टर साहब को कई गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उनमें सबसे चुनौती भरा था- चारा घोटाला। सत्तालोलुप राजनीतिक में सच्चाई और तर्क की जगह कमजोर हो गई। उन्होंने बड़ी गंभीरता से अपनी बातें रखीं, लेकिन अफ़सोस की बात है कि उनकी बातों को किसी ने सुना ही नहीं:

'बिहार के कोषागारों से राजनेता, ठेकेदार और अफसर के तालमेल से रुपये निकाले जा रहे हैं। यह गंभीर मामला है। बजट पर ये कोई जवाब नही दे रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं, वह कोई मायने नहीं रखता है।------ आपका विवरण हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप पूरा विवरण कल सदन में पेश कीजिए और पूरी जानकारी दीजिए। 1200 करोड़ रुपये के घपले का सवाल है, इसलिए पूरी जानकारी दीजिए। सदन की पूरी कमिटी बनाइये, जाँच कमिटी बनाइये। दोनों सदन की कमिटी बनाइये ताकि सारे घपले की जाँच हो। जनता दल पूरा पैसा खा गया है।'

कोषागारों से अवैध निकासी, 8 जुलाई, 1993

डॉक्टर साहब गाँवों के उत्थान के लिए हमेशा चिन्तनशील रहते थे। वे गाँव के स्वावलम्बन पर बल देते थे। वे गाँवों की शहरों पर आश्रितता कम से कम करना चाहते थे। उनका मानना था कि गाँवों के उत्थान के लिए उद्योगीकरण आवश्यक है:

'हमारा राज्य ग्रामीण मूलक राज्य है, वही इसके जीवन का आधार है। इसे उठाने के लिए आवश्यक है कि हर गांव, प्रखंड और जिले में औद्योगीकरण करने की व्यवस्था करें और ऐसा लगे कि सचमुच हम ग्रामीण जनता में आमूल परिवर्त्तन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्त्तन करना चाहते हैं।'

हरितक्रांति और औद्योगिकरण, 4 दिसम्बर,1970

डॉ. मिश्र मूलतः और अंततः एक शिक्षाविद् थे। उनका राजनीति में प्रवेश भी शिक्षा-जगत् के प्रतिनिधि के तौर पर ही हुआ था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व में शिक्षा-जगत् में सुधार के लिए अनेक उपाय किए। वे शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने पर भी बहुत बल देते थे। उन्होंने कहा था-

'शिक्षा की जो व्यवस्था आज है, वह दोषपूर्ण है, रोजगारी नहीं है। आज देश में शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की शिक्षा रोजगारमूलक हो। प्रशिक्षित होकर जो लोग निकलें वे सही दिशा में, सही काम पर लगें।'

रोजगार की समस्या, 14 मार्च,1970

डॉक्टर साहब को'मीरे उर्दू' का ख़िताब मिला था। उन्होंने उर्दू भाषा को मिल्लत की भाषा माना। वे भाषाविद् थे और जानते थे कि उर्दू ने भारतीय भाषाओं के विकास में कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे उर्दू को साम्प्रदायिक राजनीति से दूर रखकर उसका समुचित विकास चाहते थे। उन्होंने उर्दू के वाजिब हक़ के लिए कठिन लड़ाई लड़ी थी। जब बिहार में उसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, तब उन्होंने अपनी भावना कुछ इस तरह प्रकट की थी-

'किसी भाषा से उर्दू का टकराव नहीं है और न होता ही है। किसी भी भाषा का दूसरी किसी भाषा से टकराव होता भी नहीं है। जब किसी भाषा का किसी भाषा से टकराव होता है, तो वह दूषित मनोभावना से प्रेरित होने या किये जाने की वजह से ही होता है। उसे राजनीतिक स्वरूप दिये जाने के कारण ही होता है।'

राजभाषा उर्दू, 19 दिसम्बर,1980

राजनीति में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिद्धांतों की बलि नहीं देनी चाहिए । उनका चिंतक स्वरूप उन्हें हमेशा मानवता के मूल सिद्धान्तों को किस अन्य सिद्धान्त पर वरीयता देता था। वे सत्ता की राजनीति नहीं करते थे, वे लोकहित की राजनीति करते थे। उनका मानना था:

'चुनाव हारे या जीते, किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव जीतना, हारना कोई महत्व का विषय नही है। महत्वपूर्ण विषय होता है पोलिटिकल कमीटमेंट ऑफ सर्टेन आइडियालॉजी एण्ड प्रिसिंपुल। कुछ सिद्धांतों की प्रतिबद्धता पोलिटिकल पार्टी के जीवन-मरण का सवाल होता है। चुनाव जीतना हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है।'

मीरे उर्दू, 16 दिसम्बर,1980

डॉ. मिश्र सरल हृदय थे और जनभावना को बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे कि जनमत से ही जनतंत्र बनता है। जनमत की उपेक्षा किसी भी क़ीमत पर नहीं होनी चाहिए। और, अपनी इस भावना पर अमल करते हुए उन्होंने बेहिचक अपनी भूलों का सुधार भी किया। ऐसे उदाहरण पेश करनेवाले राजनेता अब बहुत कम मिलते हैं। ऐसे ही एक मौके पर जब उन्होंने प्रेस से सम्बद्ध एक अधिनियम को वापस लिया था, तब एक लंबा वक्तव्य दिया था-

'.....इसलिए अगर प्रेस में यह भावना हो जाय कि एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपीनियन ढंग से नहीं हो सकती है तो यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। इस डेमोक्रसी को हमने बहुत कुर्बानी देकर पाया है। इसलिए अगर यह भावना बन जाय कि डेमोक्रेसी अनियंत्रित हो सकती है या डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है और फ्री बिल ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकती है, अगर यह भ्रम बन जाय तो हमें रिसपोंड करना चाहिए और हम समझते हैं हमको पब्लिक ओपीनियन का विरोध नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार के लिए यह जरूरी भी है कि वो जनमत के साथ चले .....। हम यह महसूस करते हैं कि अपने डेमोक्रेसी की यह बहुत बड़ी विशेषता है और इसके कारण डेमोक्रेसी मजबूत होती जा रही है और डेमोक्रेसी की जड़ नीचे पाताल में जा रही है और कोई भी इस डेमोक्रेसी की जड़ को हिला नहीं सकता है क्योंकि इस देश में स्ट्रांग पब्लिक ओपीनियन है और पब्लिक ओपीनियन रि-एक्ट करती है। .....इसलिए अगर प्रेस में यह भावना हो जाय कि एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपीनियन ढंग से नहीं हो सकती है, तो यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है और इस डेमोक्रसी को बहुत कुर्बानी देकर पाया है। इसलिए अगर यह भावना बन जाय कि डेमोक्रेसी अनियंत्रित हो सकती है या डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है और फ्री बिल ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकती है, अगर यह भ्रम बन जाय तो हमें रिसपोंस करना चाहिए और हम समझते हैं हमको पब्लिक ओपीनियन का विरोध नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार के लिए यह जरूरी भी है कि वो जनमत के साथ चले.....हम एक उदाहरण पेश करेंगे कि दोनों सदनों ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया था राष्ट्रपति के यहाँ जो आरक्षित था सहमति के लिये इस अवस्था में हमने उसको वापस लेकर एक परिपाटी भी बनाई और लोकतंत्र की रक्षा भी की। पब्लिक ओपिनियन का हमने रेस्पेक्ट किया।'

प्रेस के संबंध में भूल सुधार, 27 जुलाई, 1983

डॉ. मिश्र जब पहली बार विधान परिषद् में चुनकर आये थे, वे किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। मुज़फ्फरपुर स्नातक क्षेत्र से उनकी जीत, उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता की जीत थी। वे झंझारपुर से विधान सभा के पाँच बार सदस्य रहे। वर्ष 1988 एवं 1996 में वे राज्यसभा के भी दो बार सदस्य रहे। सदनों के सदस्य रहते हुए वे मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता भी रहे और भारत सरकार में मंत्री भी रहे। सदन के पटलों पर वर्ष 1968 से 2000 तक उन्होंने जो भी कहा, वे उस समय के बिहार और देश की राजनीति की अमूल्य धरोहर है। ये अपने समय के ज्वलंत विषयों को प्रकट करते थे। उनके भाषण एक प्रखर चिंतक के स्वतंत्र विचारों को भी प्रदर्शित करते हैं।

राजनीति में राजनीतिक लाभ की चिंता न करके सच्चाई की राह पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उनमें भी ऐसे नेता और भी कम हैं, जो सच्चाई का साथ देने के लिए सिद्धान्त की राजनीति करें,चाहे उससे अपना नुकसान ही क्यों न हो!चाहे बिहार के आर्थिक हितों की रक्षा की बात हो या बिहार के विभाजन की बात हो या फिर भूमि-सुधार की, डॉ. मिश्र एक प्रगतिशील सोच लेकर आगे बढ़ते रहे.....अंजाम की परवाह किये बिना।

इस संग्रह के भाषण अपने मूल स्वरूप में ही हैं। बोलचाल की भाषा में। इनमें भाषा की संश्लिष्टता पर बल नहीं है, उदेश्यों में ईमानदारी और विचारों में स्पष्टता पर बल अवश्य है। हाँ, उन भाषणों की पठनीयता और उपादेयता को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने संपादकीय दायित्व का निर्वाह अवश्य किया है। संभव है, ऐसा करने में में कुछ त्रुटियाँ रह गई हों। आपके सुझावों से उन्हें अगले संस्करण में दूर कर दिया जाएगा।

डॉ. मिश्र अपने स्वर्गवास से पहले 23 पुस्तकें लिख चुके थे। यह पुस्तक उनकी 24वीं पुस्तक होती। हर वर्ष 24 जून को अपने संस्थान बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में वह किसी सामयिक विषय पर चर्चा करते थे।

आज वे अपनी भौतिक काया में हमारे बीच नहीं है, परन्तु उनके विचार हमारा सतत मार्गदर्शन करते रहेंगे। लोकतंत्र में विधायिका लोक-कल्याण का सबसे पवित्र और सबसे प्रभावी मंच मानी जाती है। उसी मंच से हुए उनके महत्त्वपूर्ण भाषणों का यह संग्रह अब आप सबके समक्ष है। लोककल्याण से जुड़े विषयों पर उनके ये भाषण लोकतंत्र को सशक्त बनाने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संग्रह समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी साबित होगा।

-संपादक

अनुक्रम

यादों में विराट् व्यक्तित्व

भूमिका

भाषण

सपने जो तब देखे 17

चुनौतियाँ 21

विकास कैसा हो 34

नया परिवर्तन 46

प्राथमिकताएँ 62

विश्वास और उपलब्धियाँ 64

अनुभव और सुझाव 76

वित्तीय प्रबंध-कुशलता 98

नीति कैसी हो 110

कोषागारों से अवैध निकासी 122

हरित क्रांति और उद्योगीकरण 124

रोजगार की समस्या 127

20 सूत्री कार्यक्रम 131

राजभाषा उर्दू 139

मीरे उर्दू 146

प्रेस के संबंध में भूल-सुधार 155

मद्य-निषेध 162

क्रीमी लेयर 169

दल-बदल नियम पर चर्चा 173

राजनीतिक राग-द्वेष 192

शिक्षकों के लिए हो एक कल्याण कोष 195

शिक्षकों की हड़ताल 198

शिक्षा की शोचनीय स्थिति 200

विश्वविद्यालयों में सुधार 205

विश्वविद्यालयों में आरक्षण 210

छोटानागपुर और संथाल परगना की समस्याएँ 216

नलकूप बेकार रहने से कृषि कार्य में हानि 224

परिशिष्ट

डॉ. जगन्नाथ मिश्र: एक संघर्षशील योद्धा 227

डॉ. जगन्नाथ मिश्र द्वारा लिखित-संपादित पुस्तक 236

डॉ. जगन्नाथ मिश्र वर्ष 1968 से 2000 तक विभिन्न सदनों के सदस्य रहे- संघीय विधायिका में भी और राज्य की विधायिका में भी। कभी सिर्फ एक सदस्य के रूप में, कभी मुख्यमंत्री के रूप में, कभी विपक्ष के नेता के रूप में या कभी केन्द्रीय मंत्री के रूप में। उनके जनप्रतिनिधि रूप के बहुव्यापी आयाम में लोकतंत्र पूरी तरह से परिलक्षित हो जाता है।

अपने बत्तीस साल के सदनों के सफर में उन्होंने विभिन्न विषयों पर सदनों में अपने विचार रखे। इन विचारों में उनके चिंतन की गहराई, एक शिक्षक की सूझबूझ, एक अर्थशास्त्री का पैनापन, लोककल्याण के लिए सचेष्टता और दलितों-वंचितों के अधिकारों के लिए समर्पण- सब झलकता है।

उनके व्यक्तित्व की सबसे ख़ास बात थी उनके विचारों का बेबाकीपन। सच से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। भले ही उसकी वजह से उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी हो...एक बार नहीं, कई बार, बार-बार। फिर भी न लोग उनके दिल से कभी दूर हुए और न वे जनमानस से कभी अलग हो सके।

चलिए, उनकी विचार-यात्रा से दो-चार होते हैं, समाज और देश को बेहतर बनाने के लिए।

सपने जो तब देखे

(बिहार विधान परिषद्-14 मार्च, 1971)

(1) यह बात सर्वस्वीकृत है कि बिहार आर्थिक प्रगति में धीमा रहा है तथा इसकी प्रशासनिक व्यवस्था निर्बल सिद्ध हुई है। इसलिए, राज्य के सर्वांगीण विकास तथा प्रशासनिक ढाँचे को अधिक कारगर बनाने तथा प्राप्त साधनों का वैज्ञानिक रूप में उपयोग करने के निमित्त विकास योजनाओं का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा और परिवर्त्तित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के लिए अलग-अलग स्वायत्त विकास परिषद् की स्थापना की जायेगी।

(2) पिछले 10 वर्षो में विकास योजनाओं तथा लोक-कल्याण सबंधी कार्यक्रमों पर जो व्यय हुआ है उसकी उच्चस्तरीय जाँच की जाएगी और व्यय और भौतिक प्राप्ति मे क्या अनुपात रहा है, उसका विश्लेषण किया जायेगा और विश्लेषण के आधार पर राज्य सरकार अपनी व्यय नीति में संशोधन करेगी।

(3) राज्य सरकार एक विशिष्ट अध्ययन दल के द्वारा यह जानने की चेष्टा करें कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की प्राथमिकता किस क्रम में रखी जा सकती है और समस्या की अनिवार्यता और प्राथमिकता, साथ ही प्राप्त साधनों के बीच कैसे सामंजस्य रखा जा सकता है जिससे कम-से-कम समय में सामान्य समस्याओं का समाधान अधिक वैज्ञानिक रूप में किया जा सके।

(4) राज्य सरकार से सबंधित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लोक सभा सदस्य तथा सभी विधान सभा क्षेत्रों के विधायक विकास समिति के सदस्य के रूप में रहेंगे तथा लोक-सभा सदस्य संयोजन का काम करेंगे। उस विकास समिति को यह अधिकार दिया जायेगा कि उस क्षेत्र की सामान्य समस्याओं का लेखा-जोखा करके प्राथमिकता के रूप में योजनाओं को निश्चित कर क्षेत्रीय विकास परिषद् के समक्ष कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत करे। विकास परिषद् का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक विधान-सभा क्षेत्र की सभी सामान्य समस्याओं का समाधान कर विकास की नींव मजबूत करे। 6 वर्ष में एक लोक सभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी विधान-सभा क्षेत्रों की स्थिति में यह परिवर्त्तन अवश्य हो जाय कि लोग यह अनुभव करें कि वास्तविक रूप में जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी सामान्य

समस्याओं का निराकरण हुआ है।

(5) पढ़े-लिखे युवकों के बीच व्याप्त बेरोजगारी तथा असंतोष को दूर करने के लिए सरकार राज्य के सभी जिलों के मुख्यालयों में कुछ ऐसे उपबंधों की स्थापना करने जा रही है, जिसमें कम-से-कम 1000 लोगों को रोजगार दिया जा सके। सरकार शीघ्र ही सम्भावनाओं की जाँच करवा रही है और निश्चित योजना प्रस्तुत की जायेगी।

(6) बेरोजगारी समस्या का सही अध्ययन हो, रोजगार सम्भावनाओं की जाँच हो, शिक्षा व्यवस्था रोजगारमूलक हो तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार तथा व्यक्तिगत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार संभावनाओं को देखने आदि को एक स्वायत्त संस्था रोजगार निगम की स्थापना की जायेगी।

(7) दरभंगा जिला के मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, मधेपुरा फुलपरास, लोकहा तथा लौकहा थाने की प्रत्येक पंचायत में राज्य सरकार द्वारा कम-से-कम 5 राजकीय नलकूपों की व्यवस्था की जायेगी जिससे असिंचित भूमि की सिंचाई हो सके।

(8) दरभंगा जिले के मधुबनी अनुमंडल में यातायात आवागमन आदि की जो व्यवस्था है उसमें किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है, यह योजना बनायेगी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को पक्की सड़क से सम्बद्ध कराया जा सके।

(9) राज्य सरकार मधुबनी स्थित रामकृष्ण महाविद्यालय को बिहार विश्वविद्यालय का अंगीभूत महाविद्यालय घोषित करे। साथ ही जगदीशनन्दन महाविद्यालय, मधुबनी, जनता महाविद्यालय, झंझारपुर, राजनारायण कॉलेज पंडोल तथा महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह महाविद्यालय, सरिसवपाही को घाटे पूर्त्ति महाविद्यालयों के रूप में परिवर्तित किया जाये।

(10) चन्द्रमुखी भोला महाविद्यालय, घोघरडीहा तथा चेमस महतो जोगी जनता महाविद्यालय, खरौना के सम्यक विकास के लिये सरकार तत्काल ही दे।

(11) दरभंगा जिला के मधुबनी अनुमंडल के मधुबनी-झंझारपुर राजनगर, मधेपुरा, फुलपरास तथा लौकहा, लोकही थाना में स्थित सभी प्राथमिक, मध्य तथा माध्यमिक विद्यालयों तथा संस्कृत पाठशालाओं और मदरसों के भवन निर्माण तथा वर्तमान भवन में सुधार लाने के लिए सरकार संतोषजनक भवन अनुदान प्रदान करेगी।

(12) राज्य सरकार मधुबनी में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा औद्योगिक बस्ती का निर्माण करे जिससे स्थानीय युवकों को रोजगार देने की व्यवस्था की जा सके।

(13) राज्य सरकार व्यवस्था करे कि झंझारपुर से पश्चिम कमला बलान में पुल का निर्माण शीघ्र हो

जाय। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत दरभंगा -फारबिसगंज सड़क निर्माण में इस पुल को प्राथमिकता दिलाने की सरकार चेष्टा करे।

(14) सरकार द्वारा नियुक्त मिथिला विश्वविद्यालय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को बिहार सरकार ने स्वीकृत कर लिया है और दरभंगा, सहरसा तथा पूर्णिया जिला के लिए एक अलग मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना दरभंगा में की जाये।

(15) मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाय।

(16) बिहार लोक सेवा आयोग में मैथिली को एक अलग विषय के रूप में स्वीकृत किया जाये।

(17) उर्दू, मैथिली, बंगला, भोजपुरी, संस्कृत आदि भाषाओं के विषय और विस्तार के लिए अलग निर्देशालय की स्थापना की जायेगी और उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहन देने की समुचित व्यवस्था की जाये।

(18) संस्कृत पाठशाला, मदरसा आदि में कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनमान तथा अन्य विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतनमान में जो विषमता रखी जा रही है सरकार उसे समाप्त करे और इन शिक्षकों को समय पर वेतन मिले इसका उत्तरदायित्व भी सरकार अपने ऊपर ले।

(19) माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जो वेतनमान संशोधित हुआ है और जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, इन शिक्षकों को सभी प्रकार का बकाया माध्यमिक परिषद् के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा।

(20) माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ सरकार का जो समझौता हुआ है उस समझौता के अन्तर्गत जितने उपलब्ध हैं, उन्हें निश्चित रूप से कार्यान्वित करवाये।

(21) सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ जो समझौता हुआ है, उसके अन्तर्गत सभी महाविद्यालयों को सरकारी अंश निश्चित रूप में मिल जाय।

(22) सभी प्रकार के महाविद्यालयों में गैर-शिक्षक कर्मचारियों का वेतनमान एक समान हो और विश्वविद्यालय यह व्यवस्था करे कि इन गैर शिक्षक कर्मचारियों को वही सुविधा और वेतनमान दिया जाये जो सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है।

(23) राजपत्रित कर्मचारियों के बीच में जो विषमता है उसका अंत किया जाय और भारतीय प्रशासनिक सेवा के समान ही बिहार प्रशासनिक सेवा की सृष्टि की जाय और वेतनमान 450रु से 850रु और 850 रु से 1,600रु तक का रखा जाय।

(24) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करनेवाले छोटे-छोटे कर्मचारियों जैसे चौकीदार, दफादार, पंचायत सेवक जनसेवक, भूमि सुधार कर्मचारी आदि के वेतनमान में समुचित संशोधन किया जायेगा, जिससे उनलोगों को भी अन्य कर्मचारियों जैसी सुविधा दी जा सके।

(25) भारत सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले 4 जूट मिलो में एक जूट मिल की स्थापना सहरसा जिले के बीरपुर में की जाय।

(26) बिहार सरकार सहरसा जिला के बीरपुर में एक राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठान की भी स्थापना करे जिससे युवकों को रोजगार दिया जा सके।

(27) बिहार सरकार ने शीघ्र ही पूर्णिया कॉलेज, सहरसा कॉलेज, गोयनका कॉलेज, सीतामढ़ी, डी.ए.भी. कॉलेज, सिवान, राजनारायण कॉलेज, हाजीपुर, जगदम कॉलेज, छपरा, महारानी जानकी कुमर कॉलेज बेतिया को अंगीभूत कॉलेज बनाये ।

(28) सरकार आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक शिक्षा तथा औषधालय का विकास और विस्तार करे।

(29) सरकार अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन में छात्रों को हिस्सा दे, साथ ही सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की प्रजातांत्रिक छात्र परिषद् की भी स्थापना करे।

(30) राज्य सरकार द्वारा जिन उद्योगों, बिजली परिषद् राज्य यातायात निगम आदि का जो संचालन हो रहा है, उसे अधिक आर्थिक सिद्धांतों पर व्यवस्थित करने के लिए सरकार शीघ्र उच्चस्तरीय विशिष्ट समिति के माध्यम से इन संस्थाओं में सुधार लाने की चेष्टा करे।

चुनौतियाँ

(बिहार विधान परिषद्-19 जून, 1968)

लम्बे अरसे से बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार की कमजोरियों के चलते बिहार का मामला सही रूप में योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के पास नहीं रखा जाता है। घाटे का बजट तो केवल बिहार ही में नहीं है। यह भारतवर्ष के प्रायः सभी राज्यों में घाटे का बजट चल रहा है। सिर्फ दो चार राज्य, पंजाब, कश्मीर, मध्य प्रदेश अपवाद हैं, जहाँ बहुत कम मात्रा में सरप्लस बजट दिखाया गया है।

1968-69 में ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी राज्य-सरकार का बजट घाटे में रहा है। इसका क्या मायने है? हमको देखना है कि मौलिक गलती कहाँ है? उस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आखिर घाटे का बजट क्यों होता है? राज्य में क्या कमी है कि घाटे का बजट होता है? जब इसका विश्लेषण हम करते हैं तो हमारा ध्यान संविधान के उपबंधों की ओर खिंच जाता है। संविधान की धारा 268 से 272 तक व्यवस्था की गयी है कि केन्द्रीय आय स्रोतों में राज्य को भी हिस्सा दिया जायेगा। जिस वक्त संविधान बन रहा था उस समय यह अनुमान नहीं किया गया था कि एक योजना आयोग भी होगा। यह नहीं सोचा गया था कि आने वाले दिनों में योजना के तरीके से इस देश का निर्माण होने वाला है। जितने रिजिड आय के स्रोत हैं वे राज्य-सरकार को दिये गए हैं और जितने लचीले आय के स्रोत हैं वे सब केन्द्र पर छोड़े गए हैं। संविधान में एक वित्त आयोग की व्यवस्था हो गयी है। वित्त आयोग का यह कर्त्तव्य है कि हर पाँच वर्ष पर राज्य की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करे और सिफारिश करे कि वित्त के वितरण में क्या सुधार किया जाय। यह आयोग अल्प आयु का होता है। यह पाँच वर्षों में एक बार बैठता है। इसलिये आने वाले दिनों में राज्य की क्या आवश्यकता है इसको सही मायने में आँका नहीं जा सकता है।

चतुर्थ वित्त आयोग ने जो वित्त की सिफारिश की थी उससे अधिक भार हर राज्य को महंगाई भत्ता देने के फलस्वरूप वहन करना पड़ा। जो महंगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है उसी दर पर राज्य के कर्मचारियों को भी देना होगा। यह बात चतुर्थ वित्त आयोग के सामने आयी थी। इस महंगाई भत्ता के चलते राज्य को बहुत बड़ा वित्तीय भार वहन करना पड़ा। वित्त आयोग आने वाले पाँच वर्षो

के वित्त का सही लेखा-जोखा नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वित्त आयोग को संविधान में क्या यह जवाबदेही दी गयी है कि राज्य के विकास-कार्य के लिये क्या सहायता दी जाय? संविधान की धारा 275 के अन्तर्गत केन्द्र के योजनामूलक व्यय को मद्दे नजर रखते हुए राज्य को क्या अनुदान दिया जाय? संविधान में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि केन्द्र की मूलक योजना और अमूलक योजना के व्यय पर विचार करते हुए अपना प्रतिवेदन देना चाहिए।

योजना आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था का गठन संविधान के अन्तर्गत नहीं हुआ है। लेकिन वित्त आयोग का गठन संविधान के अन्तर्गत किया जाता है। वित्त आयोग को प्रथम स्थान दिया गया है, जबकि योजना आयोग को अधिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि वित्त आयोग उतनी क्षमता प्राप्त संस्था नहीं मानी जाती है। संविधान के अन्तर्गत जिस संस्था का गठन होता है, उसको कम अधिकार मिले हैं, जबकि संविधान के बाहर जिस संस्था का गठन है, उसे अधिक अधिकार मिलते हैं। लेकिन सरकार का इन पहलुओं की ओर कोई ध्यान नहीं जाता है यदि इस ओर हम समुचित ध्यान नहीं देंगे तो राज्य की वित्तीय स्थिति में हम अधिक सुधार की आशा नहीं कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करूँगा कि वह केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकार एक ज्ञापन दे, आवाज उठावे और उससे यह कहे कि वित्तीय आयोग को पाँच वर्ष के लिए नहीं गठित करके उसे एक स्थायी संस्था बनावे तथा वह राज्यों तथा केन्द्र की आय के स्रोतों का बराबर अध्ययन कर यह देखे कि राज्यों तथा केन्द्र के आय के जो स्रोत हैं, उनमें कैसे सुधार हो सकता है।

योजना में सुधार

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योजना आयोग यह निर्देश देता है कि इस प्रकार योजना बनाई जाय। लेकिन जब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक की अवधि की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें हमें असफलता ही प्राप्त हुई है। योजना आयोग द्वारा बराबर निर्देश और उपदेश देने मात्र से ही हमारी वित्तीय स्थिति में कदापि सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें कुछ मौलिक सुधार करने की नितांत आवश्यकता है, ताकि राज्य-सरकार अपने साधनों और आय के स्रोतों का समुचित विकास कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि वित्त आयोग को एक संवैधानिक और स्थायी संस्था बनाया जाय और उसे राज्य तथा केन्द्र की वित्तीय स्थिति के विकास की ओर ध्यान देना चहिये। तृतीय वित्त आयोग ने भी ऐसा ही प्रश्न उठाया था। उसने यह कहा था कि वित्तीय आयोग जिस स्थिति में काम करता है, उसमें वह बहुत ज्यादा क्षमता और ईमानदारी के साथ काम नहीं कर सकता है। उसे जितना अधिकार दिया गया है, उससे वह सही रूप में इन परिस्थितियों की सम्यक् रूप से जाँच नहीं कर सकता है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि वित्त आयोग को एक स्थायी संस्था बनाना बहुत ही आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि विगत पंचवर्षीय योजनाओं में यह देखा गया है कि संविधान में इसके सम्बन्ध मे जो उपबंध किये गए हैं, वे इसके लिये उपयुक्त नहीं कहे जा सकते हैं। राज्य-सरकार जिन कठिनाइयों में रहती है, वे (उपबंध) इसके लिये उपयुक्त नहीं कहे जा सकते हैं। राज्य-सरकार जिन कठिनाइयों में रहती है, उनका निराकरण इन उपबंधों के द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्यों तथा केन्द्र के वित्तीय साधनों पर विचार किया जाय। संविधान की धारा 263 में इसकी व्यवस्था की गई है कि समय आने पर केन्द्रीय सरकार एक ऐसे वित्त आयोग का गठन कर सकती है जो केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय स्रोतों की जाँच कर उनकी स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दे सकती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि अब यह समय आ गया है कि एक उच्च-स्तरीय शक्ति-सम्पन्न वित्त आयोग का गठन संविधान की धारा 263 के अन्तर्गत किया जाय, जो इस बात की जाँच करे कि क्या कारण है कि राज्य की वित्तीय स्थिति में अपेक्षित ढंग से सुधार नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि जो अतिरिक्त आय प्राप्त करने का सुझाव योजना आयोग ने राज्य-सरकार को दिया था, उसका कार्यान्वयन नहीं हो सका है, वह ये भी देखे कि राज्य किन उपायों से अपनी आय को और अधिक बढ़ाने की व्यवस्था कर सकता है, ये तमाम कार्य इस आयोग को सुपुर्द किये जाने चाहिए। संविधान में इसके लिए व्यवस्था की गई है। यदि इसके लिए संविधान में कुछ संशोधन भी करने की आवश्यकता हो तो वैसा करने के लिए भी हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हमारा संविधान एक फ्लेक्सिबल संविधान है इसका अर्थ यह होता है कि समय के अनुरूप उसको ढाला जाय और समय के अनुरूप वह चले।

राष्ट्र की सेवा अच्छे ढंग से और सुचारु रूप से हो सके, इसलिए यह आवश्यक है कि जो आयकर राज्यों में संविधान के अनुसार बाँटने की व्यवस्था है वह अपर्याप्त है। आयकर को कम्पनी कर से हटा दिया गया। इससे आयकर का क्षेत्र सीमित हो गया। संविधान की धारा 274 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी विधेयक या संशोधन जिसमें टैक्स या ड्यूटी में कमी-बेशी करनी हो और जिसमें राज्यों का संबंध हो उसको लागू करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लागू किया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति लिये केन्द्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्यों के हित की रक्षा राष्ट्रपति कर सकते हैं जैसी संविधान में व्यवस्था है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् जो निर्णय करती है उसी पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है।

1959 मे आयकर को कम्पनी कर और 1961 में रेलवे फ्रेट की आय कर से हटा दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति ली गयी। इसलिये सवाल यह है कि संविधान की धारा 274 के अन्तर्गत जो

सुविधाएँ राज्य सरकार को दी गयी हैं उसके लिये केन्द्र सरकार को चाहिए कि मंत्रिपरिषद् के निर्णय लेने के पहले राज्य सरकार से प्रत्यक्ष रूप से पूछ ले कि उसकी स्वीकृति इसमें है या नहीं। केवल राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों की हित की रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिये संविधान में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता है। संशोधन करने के पूर्व एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होना चाहिए जो इन बातों पर विचार करेगा कि संविधान में क्या क्या संशोधन किया जा सकता है? संविधान में जो उपबंध है उसको बदलने से राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारी जा सकती है। संविधान की धारा 275 के अंतर्गत भी राज्य सरकार को केन्द्र से अनुदान मिलता है और संविधान की धारा 282 के अन्तर्गत भी राज्य सरकार को सहायता मिलती है। लेकिन ये सब धाराएँ राज्य की वित्तीय व्यवस्था के लिये उपयुक्त नहीं हैं। इन सब धाराओं को बदलना होगा। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

राज्य और केन्द्र में मतभेद

आये दिन राज्य और केन्द्र में मतभेद की शिकायत मिलती रहती है। वर्तमान सरकार ने यह कहा है कि केन्द्र सरकार से अपेक्षित रूप से जो सहायता मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। लेकिन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 82 करोड़ की सहायता केन्द्र से मिली है। भारत सरकार से सहायता मिलनी चाहिए क्योंकि राज्य में मतभेद क्यों है? वह इसलिये है कि राज्य और केन्द्र के बीच स्थायी रूप से संपर्क रखने के लिये कोई संस्था नहीं है। राज्य और केन्द्र के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर समस्याओं पर विचार करें और ऐसा निर्णय लें कि राज्य और केन्द्र के बीच में कोई मतभेद न रहे। राज्य सरकार केन्द्र से सहायता की माँग करती है तो केन्द्र सरकार कहती है कि खर्च कम करो और खर्च का साधन खुद जुटाओ। आर्थिक सहयोग की पद्धति पर ही संघीय प्रणाली काम करती है लेकिन केन्द्र सरकार अपने को बड़ा मानती है और राज्य सरकार को नीच की दृष्टि से देखती है। ऐसी व्यवस्था हो कि राज्य सरकार भी केन्द्रीय सरकार की वित्तीय व्यवस्था को देखे, उसके आय-व्यय की जाँच करे, सुधार करने की कोई चीज हो तो उसमें भी सलाह दें। इसी तरह केन्द्र भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को देखे, उसकी जाँच करे, स्थिति को सुधारने में सलाह दें। इसलिये केन्द्र तथा राज्य को मिलाकर एक वित्तीय परिषद् बनायी जाय। उस परिषद् में केन्द्र के भी सदस्य हो और राज्य के भी सदस्य रहें। उस परिषद् का मुख्य कार्य यह होगा कि वह बराबर आपस में सम्पर्क बनाये रखे, एक दूसरे की कठिनाई को जाने, एक दूसरे की बात को समझे और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले।

ऐसी बातें उठती रहती हैं कि सभी साधनों का एकत्रीकरण हो। संविधान में राज्य पूर्णतः स्वायत्त है। केवल केन्द्र सभी राज्यों में समानता रखने के लिये है। केन्द्र से राज्यों को जो आवश्यकता है उसे समान रूप से बाँटा नहीं जाता है। इनकी माँगें केन्द्र में अस्वीकृत हो जाती हैं। योजनाओं के लिये पैसे

नहीं मिलते हैं। लेकिन मद्रास, गुजरात आदि जो राज्य हैं उन्हें योजनाओं के लिये काफी पैसे दिये जाते हैं। उनकी माँगें केन्द्र में अस्वीकृत नहीं होती हैं। उनके अन्य राज्यों से ज्यादा हिस्सा मिलता है।

धारा 282 के अनुसार सभी अनुदान राज्यों को दिया जाता है। मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार के पास यह प्रस्ताव रखे कि धारा 282 के अन्तर्गत राज्यों की योजनाओं के लिये सहायता दी जाय। केन्द्र को सभी राज्यों के बराबर अनुदान देना है। लेकिन राज्यों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। 282 धारा के अनुसार जो अनुदान दिया जाता है वह मिस्लेनीयस एक्सपेन्डीचर की तरह है। दूसरी बात है कि 282 धारा के आधार पर जो अनुदान दिया जाता है उस पर शर्तें लगा दी जाती हैं। ये शर्तें नहीं रहनी चाहिए। राज्य अपने आप स्वायत्त हैं। केन्द्र को बिना शर्त का अनुदान देना है। इसलिये हमें केन्द्रीय सरकार के पास बहुत-सी बातें रखनी हैं। धारा 282 जो संविधान की है उसका जायज अर्थ नहीं लगाया जा रहा है। कभी-कभी इस धारा के अन्तर्गत सहायता दी जाती है।

मेरा कहना है कि जो सहायता दी जाए वह धारा 275 के अन्तर्गत दी जाय और वह पूर्णरूप से वित्तीय आयोग की सिफारिश पर मिले। गैर सरकारी संस्थाओं को जो सहायता दी जाती है वह योजना स्वीकार करे या नहीं करे।

योजना आयोग सुपर कैबिनेट की तरह काम कर रही है। डेमोक्रेसी में यह उचित चीज नहीं है। प्रजातंत्र में लेजिस्लेचरों की सुप्रीमेसी होनी चाहिए न कि योजना आयोग की। योजना आयोग द्वारा राजसत्ता का इस्तेमाल किया जाना वाजिब नहीं है।

ऋण लेने की व्यवस्था

एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ और वह है ऋण लेने या देने की व्यवस्था। केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारें ऋण लेती हैं और राज्यों को ऋण दिया जाता है। राज्यों को ऋण उठाने का भी अधिकार है और केन्द्र को भी ऋण उठाने का अधिकार है। इसकी वजह से राज्यों में ओवर ड्राफ्ट की प्रवृत्ति बहुत जोर पकड़ती जा रही है। धारा 292 और 293 के अन्तर्गत ऋण उठाने की व्यवस्था है। इस धारा में लिखा गया है कि पार्लियामेंट को ऋण की अधिकतम सीमा रखने का अधिकार है कि केन्द्रीय सरकार कितना ऋण ले सकती है। उसी तरह से विधान मंडलों को अधिकार है कि सीमा बांध दें कि राज्य सरकारें कितना ऋण ले सकती हैं। लेकिन 1950 के बाद एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया जब विधान मंडलों के सामने यह सवाल रखा गया हो।

यह अहम मसला है। इस प्रश्न पर पब्लिक एकाउंट्स कमिटी ने ध्यान दिया है और उसने अपने प्रतिवेदन में इसकी चर्चा की है। उसमें कहा गया है कि तमाम पश्चिमी राष्ट्रों में यह व्यवस्था है कि किस

हद तक सरकार ऋण ले सकती है। इसलिए भारत में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में जो निहित धारा है उसमें सीमा बंधन की व्यवस्था है कि राज्यों की जो आय हो उसके दस गुने या पन्द्रह गुने तक ऋण ले सकते हैं। अगर इसको बांध दिया जाए तो केन्द्रीय वित्तीय प्रणाली की वजह से जो मुद्रा-स्फीति होती है वह न होगी। इसी के चलते राज्यों में ओवर ड्राफ्ट होता है और लापरवाही से खर्च किया जाता है, इन सब पर रुकावट आ जायेगी। ऐडिमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिटी ने भी इस पर विचार किया है और अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार से और राज्य सरकारों से यह अधिकार हटा दिया जाए और इसके लिए एक पॉलिसी बनायी जाए जिसके अन्तर्गत ऋण उठाया जा सके।

ऋण उठाने के लिए एक नेशनल डेवलपमेंट कांउसिल का गठन किया जाए और इस काम को उसी को सौंप दिया जाए और वही केन्द्र और राज्यों को ऋण उठाने का निर्णय करे और तब केन्द्र या राज्यों को दे। इससे अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति पर रुकावट पैदा हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि राज्यों को एड देने में केन्द्रीय सरकार की पद्धति यह रही है कि रिजर्व बैंक से सलाह लेकर स्वीकृति देती है। लेकिन कुछ राज्यों के लिए तो कड़ी शर्तें रखी जाती हैं और कुछ राज्यों के लिए आसान शर्तें। यह भी देखा जाता है कि किसी राज्य की वित्तीय स्थिति चाहे जैसी भी हो अगर वह कमजोर राज्य है तो उसे कम दिया जाता है और जो मजबूत राज्य है उसको अधिक दिया जाता है। व्यवस्था तो यह होनी चाहिए कि संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति को सामने रखकर काम किया जाए। यह दो तरह की नीति रखनी उचित नहीं है। हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए कि राष्ट्र के कामों में समान रूप से काम करे। इस बात पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। इसलिए वित्तीय कमिशन के सामने इन सारी बातों को राज्य सरकार को रखना चाहिए।

आजकल लगान माफी के सवाल को सरकार ने जोरों पर उठाया है। कहना है कि अनइकोनॉमिक होल्डिंग पर से लगान माफ कर देना चाहिए। लेकिन एक डेवेलोपिंग स्टेट में यह बात मेल नहीं खाती है। विकास के कामों में जो नीचे का वर्ग है उसे भी खर्च करना चाहिए। इसलिए यह तर्क कि 7 एकड़ तक लगान माफी कर दी जायेगी, सही नहीं है। ऐसा करने से करीब-करीब तीन करोड़ 80 लाख रुपये की आप लगान माफी कर देंगे।

इसके अलावा बड़े-बड़े ज़मींदारों ने अपनी-अपनी ज़मीन को 6-7 एकड़ में बाँट दिया है। इसकी तह में जाने पर पूरी बात बताई जा सकती है लेकिन अभी इसका मौका नहीं है। इससे मालूम होगा कि फायदा बड़े ही लोगों को होगा, छोटे लोगों को नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि लगान लगता ही कितना है? एक एकड़ पर तीन रुपये 4 आना लगता है। एक आदमी को इतनी रकम देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

किसानों का संगठन हो

किसानों का संगठन नहीं है, किसी ने लगान माफी की आवाज नहीं उठायी है। यू.पी. की दूसरी स्थिति है। बिहार की ऐसी स्थिति नहीं है कि लगान को माफ कर दिया जाए। मद्रास में भी लगान माफ करने का प्रस्ताव किया गया था। चुनाव के समय घोषणा की गई थी। जाँच करायी गयी और बाद में उसे स्थगित कर देना पड़ा, क्योंकि जाँच कमिटी ने यह सोचा कि लगान माफ करने से 13 करोड़ की आमदनी खत्म हो जायेगी और पंचायत को जो 4 करोड़ रुपये दिये जाते थे वे भी देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर सरकार को 17 करोड़ रुपये का घाटा हो जायेगा इसलिए उन्होंने इसको स्थगित कर दिया। यह एक ऐसा मामला है जिसका हल्के ढंग से निर्णय करना ठीक नहीं है। राज्य की स्थिति खराब है। इसलिए इन बातों पर किसी एक्सपर्ट से राय ले लेने के बाद ही निर्णय होना चाहिए।

अभी हाल में जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक जाँच हुई थी जिसकी राय थी कि भूमि लगान का उन्मूलन नहीं बल्कि सुधार आवश्यक है। उन्मूलन की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कर भार पड़ता है। इसका विस्तार होना चाहिए। 7 एकड़ से अधिक ज़मीन वाले लोगों पर बढ़ा दिया जाए और जिनको 7 एकड़ से कम ज़मीन है उन पर कम रखा जाए। कृषि के उत्पादन में किसी तरह विस्तार होना चाहिए। जिन्हें अधिक लाभ मिल रहा है उन्हें अवश्य ही अधिक देना चाहिए। 7 एकड़ से कम ज़मीन वाले लोगों में आपको स्थिरता रखनी चाहिए। अगर आप राजनीतिक दृष्टि से कीजियेगा तो राज्य के हित में नहीं होगा उसमें राज्य का अहित होता है। फन्डामेन्टल चीज है कि कृषि योजना में इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। हमारा मन तो यह कहता है कि कृषि में जो असफलता मिली है वह प्रशासनिक असफलता है।

दूसरी बात है कि कृषि के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। तब प्रान्तीय लक्ष्य और जिला लक्ष्य होता है। सम्पूर्ण बिहार की एक स्थिति नहीं हो सकती है। बिहार में 17 जिले हैं। सभी जिलों में भिन्न-भिन्न स्थिति है।

आज की जैसी परिस्थिति में अगर कोई ठोस योजना हमारे सामने होती और एक योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश सही अर्थो में करते तो इस तरह की कठिनाई हमारे सामने उपस्थित नहीं होती। इस बात की अगर कोई पक्की योजना बना ली जाती कि इस तरह की ज़मीन में कितने एकड़ में धान की खेती करनी है और कितनी एकड़ ज़मीन में तमाम दूसरी चीजों की खेती करनी है तो यह कठिनाई आज हमारे सामने नहीं आती।

हमारी कोई वास्तविक योजना होनी चाहिए, ऐसी योजना होनी चाहिए जो एकदम शुद्ध हो। जब तक योजना शुद्ध नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी, तब तक लोग कृषि की ओर पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं

होंगे। आज हम पाते हैं कि होता यह है कि जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उसके अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ पाता है और हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आज अहम सवाल उत्पादन बढ़ाने का हमारे समक्ष है। हमें अपने लिए एक स्वतः चालित योजना बनानी चाहिए थी। स्वतः चालित योजना की पहली शर्त यह है कि कृषि को प्राथमिकता मिले और कृषि के क्षेत्र में हमें सफलता मिले। आज हम देखते हैं कि अधिक मात्रा में अन्न का आयात विदेशों से हमारे देश में होता है। इस स्थिति में परिवर्त्तन तभी हो सकता है जब हमारी योजना वास्तविक हो। बहुत तरह की बातें आज इस तरह की होती है जिन पर किसी तरह का नियंत्रण ही नहीं है और जिनके सम्बन्ध में हमारी किसी तरह की राय ही नहीं ली जाती है। ब्लॉक लेबल से लेकर एग्रीकल्चर एस.डी.ओ. या उससे भी ऊपर हम कोई बात रखते हैं कोई उचित सुझाव रखते हैं तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इस तरह की परिस्थिति में हम सुधार और परिवर्त्तन की किस तरह की आशा कर सकते हैं?

कृषि-योजना अव्यवहारिक ढंग से बनी है जिसकी वजह से कृषि के सम्बन्ध में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी प्राप्ति नहीं होती है। कृषि के क्षेत्र में बराबर जो हमारी असफलताएँ रही हैं, वे इस बात की ओर संकेत करती है कि इस प्रश्न पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तथा कृषि प्रणाली में मौलिक परिवर्तन करना चाहिए। योजना आयोग से जो राष्ट्र के स्तर पर लक्ष्य निर्धारित की जाती है, उसके बदले हमें स्थानीय लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। गाँवों की योजनाओं के आधार पर प्रखण्ड की योजना, प्रखण्ड की योजनाओं के आधार पर जिले की योजना, जिलों की योजनाओं के आधार पर राज्य की योजना और राज्यों की योजनाओं के आधार पर राष्ट्र की योजना बनाई जानी चाहिए। लेकिन अभी जो प्रणाली है कि राष्ट्रीय आधार पर ही योजनाएँ बनाई जाती हैं, वे मेरे विचार से सर्वथा अव्यवहारिक होती है और उनसे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती है। यदि हमें कृषि की उन्नति करनी है और कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि कृषकों का एक संगठन बनाया जाए। यह देखा जाता है कि कृषकों का अपना कोई संगठन नहीं होता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय-विस्तार सेवा प्रखण्ड और सामुदायिक विकास योजनाओं के अनुसार संगठित रूप से सघन कृषि की कल्पना की गई थी। लेकिन ये योजनाएँ सर्वथा असफल रही है और उनके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर किसानों का न तो कोई संगठन ही बल सका है और न किसान लोग संगठित होकर सरकार की ओर से जो सुविधाएँ उन्हें दी जाती हैं, उनका उपयोग ही वे कर पाते हैं। हमारे किसान आज छितराये हुए हैं, वे इधर-उधर फैले हुए हैं इसलिए यह आवश्यक है कि उनका एक संगठन बनाया जाए, क्योंकि किसी भी योजना की सफलता संगठन पर ही निर्भर करती है। इसके बिना हमारे समाजवाद का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकता है। अमेरिका तथा ब्रिटेन में भी एग्रिकल्चर

प्रोड्यूस को बेचने के लिए मजदूरो और उत्पादकों का एक संगठन होता है और उनके बीच मे सहयोग भी होता है। इसी प्रकार अन्य देशों में भी सहकारिता ढंग की संस्थाएँ बनी हुई है, जो कृषि उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचवाने की व्यवस्था करती है। लेकिन हमारे देश में इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए कोई संस्था नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि कृषि के लिए कोई संगठित व्यवस्था की जाए, जिसके माध्यम से वे सुविधा की वस्तुओं का समुचित उपयोग कर सकें।

भूमि सुधार

बटाईदारी का प्रश्न हमारे भूतपूर्व संविद सरकार के सामने भी था और वर्तमान सरकार के सामने भी यह प्रश्न विचाराधीन है। किन्तु मेरे विचार से यह प्रश्न उत्पादनमूलक नहीं है। विकासशील देशों की भूमि व्यवस्था उत्पादनमूलक होनी चाहिए और इसी बात को ध्यान में रखकर ही ऐसे देशों की भूमि सुधार की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। बटाईदारी के कारण आज हमारे राज्य की कृषि-व्यवस्था कितनी अस्त-व्यस्त और अस्थिर हो गई, इसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमारी योजनाओं में इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि किस प्रकार हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं और इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर हमें अपनी भूमि समस्याओं का भी समाधान करना होगा। इसके बाद ही सामाजिक न्याय की बात आती है।

विदेशी सहायता का अधिकतम भाग हमे औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन के कामों के कामों में खर्च करना चाहिए और तभी हम विकासशील और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। अभी तो हमें भूमि सुधार जैसे जटिलतम समस्या पर ध्यान देना चाहिए। बटाईदारी का हमारे कृषि के उत्पादन पर बहुत ही खराब असर पड़ता है। यदि आप बटाईदारी की भूमि पर उनका हक दिलवाते हैं तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि उस ज़मीन पर खेती करने के लिये और आवश्यक साधनों, जैसे बीज, खाद तथा बरसात में उनके भोजन आदि के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी? यदि सरकार बटाईदारों के लिए आवश्यक साधन जुटा सकती है, तभी उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बटाईदार लोग खेती का काम कर सकें। बटाईदारी के कारण ज़मीन के मालिक लोग उदासीन हो गए हैं तथा इसका प्रत्यक्ष असर उत्पादन पर पड़ा है। एक ओर हमारे सरकार की कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की योजना है, तो दूसरी ओर बटाईदारी कानून के चलते कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल ही अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसान और बटाईदारों के बीच अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति है। इस संबंध में सरकार की जो नीति है, उसके कारण हमारे कृषि उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है और कृषि के उत्पादन में ह्रास होता जा रहा है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हमारी भूमि सुधार व्यवस्था उत्पादनमूलक होनी चाहिए।

उद्योग

सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसकी आय बढ़े और पैसे की बचत हो। इसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा। इसी संदर्भ मे मैं सरकार का ध्यान राज्य के उद्योगों की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं सरकार को यह बतला देना चाहता हूँ कि सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों तरह के औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति बिगड़ी हुई है। यह मैं मानता हूँ कि जमशेदपुर में एक बहुत बड़ा स्टील कारखाना है और बिहार राज्य द्वारा संचालित एक-दो कारखाने को छोड़कर जितने भी उद्योग हैं वे कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हमारे राज्य में वित्त की समस्या है और जो वित्तीय सहायता वित्तीय संस्था से मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। वित्तीय संस्थाओं जैसे फिनांनशियल कारपोरेशन, स्मौल-स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन हैं। इन सभी एजेंसियों के द्वारा जो सहायता उद्योग को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। सम्पूर्ण देश में पूँजी का अभाव है और खासकर बिहार-राज्य में तो और अभाव है। बचत के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार स्टेट फाइनेनशियल कॉरपोरेशन बचत को बढ़ा सकती थी और समुचित ढंग से नियोजन में दे सकती थी। लेकिन यह व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसके लिए आवश्यक यह है कि ऐसी संस्थाएँ स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बननी चाहिए और इसके माध्यम से उद्योगों को रुपये दिये जाएँ। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि बिहार इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना पटना में हो। इसकी सिफारिश बैंकिग इनक्वारी कमिटी ने की थी कि केन्द्रीय सरकार को हर राज्य में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करनी चाहिए। यदि बिहार में उद्योगीकरण का सही रूप देना चाहते हैं तो बचत की परिपाटी होनी चाहिए और उस बचत को इंडस्ट्रीज में इनवेस्ट करना चाहिए। जिस एजेंसी के माध्यम से इंडस्ट्रीज को रुपये मिलना चाहिए वह बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ही हो सकता है। इस बैंक की स्थापना शीघ्रताशीघ्र होनी चाहिए। इस बैंक को काम करने के लिये प्रारंभ में 10 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की जाए। सरकार बढ़े पैमाने पर रुपये न दे बल्कि छोटे पैमाने पर ही रुपये दे।

शिक्षा

अब मैं शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूँ और खासकर विश्वविद्यालय की शिक्षा के विषय में। शिक्षा के विषय में इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपना विचार व्यक्त किया है और शिक्षा की खामियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। आज जो विश्वविद्यालय की स्थिति है वह बहुत ही खराब है। इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। संविद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसके जरिये विश्वविद्यालय में सरकार आमूल परिवर्तन करना चाहती है और यह अध्यादेश यूनिवर्सिटी कमिशन के प्रतिवेदन के आधार पर ही जारी किया गया था। लेकिन प्रतिवेदन में और कई सुझाव

सरकार को दिये गए थे जैसे शिक्षा के प्रशासन में सुधार, विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का संबंध, शिक्षकों का आवास की कठिनाई, विद्यार्थियों में अनुशासनहींनता। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जो अध्यादेश जारी की गयी थी वह भी बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं रहा। इसका क्रीटीसीज्म पब्लिक में बहुत रहा।

विश्वविद्यालय के नियम में संशोधन किया जाए। यह संशोधन जरूरी है। संशोधन के बिना विश्वविद्यालय को शिक्षा में उन्नति नहीं हो सकेगी और न समान परिस्थिति वापस आ सकती है। इसलिये संशोधन किया जाए। वर्तमान नियम के अनुसार अगले वर्ष विश्वविद्यालय का चुनाव होने वाला है। इसलिये इसका संशोधन करने से सब व्यर्थ जाएगा। अभीतक वर्तमान नियम के अनुसार चांसलर ही विश्वविद्यालय के वाईस-चांसलर को चुनते हैं। वे किसी को भी वाइस-चांसलर के पद के लिये चुन सकते हैं। सही पद्धति अभी तक कायम है। लेकिन मेरा सुझाव है कि वाइस-चांसलर के चुनाव का अख्तियार विश्वविद्यालय को दिया जाए। इसके चुनाव के लिए एक परिषद् या सभा गठित की जाए। परिषद् किसी कर्मठ व्यक्ति को चुने। परिषद् की राय से एक नाम चांसलर के पास भेजा जाए। यदि परिषद् के सदस्यों में मतान्तर हो तो तीन नाम वाइस-चांसलर के पद के लिये भेजे। उन तीन नामों में से ही चांसलर किसी एक को वाइस-चांसलर के पद पर नियुक्त करके भेजे। चांसलर जब किसी को वाइस-चांसलर बनाकर भेजते हैं तो उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब वाइस-चांसलर परिषद् के रिकोमेंडेसन के आधार पर चांसलर द्वारा नियुक्त किये जाएँगे तो उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा। वे जिस तरह से काम करना चाहेंगे उस तरह से कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है। इसमें वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में प्रोविजन है। इसके लिये एक परिषद् या सभा बनायी जाए। परिषद् या सभा के सदस्यों का चुनाव अनुबंधित स्नातकों द्वारा होता है। यह पद्धति बड़ी जटिल है और आगे और भी जटिल हो जायेगी। प्रति वर्ष हजारों-हजार स्नातक विश्वविद्यालय से निकलते हैं और एक वर्ष के बाद अनुबंधित हो जाते हैं और चुनाव में भाग लेने लगते हैं। इसके लिये मेरा विचार है कि स्नातक होने के दस वर्ष बाद उनकी अनुबंधित होने का समय रखा जाए। इसकी फ़ीस दस रुपये रखी गयी है उसको 30 रुपये या 50 रुपये कर दी जाए। इससे विश्वविद्यालय को आमदनी भी होगी और जिनकी सच्ची दिलचस्पी होगी वही 50 रुपये देकर अनुबंधित होंगे। अभी केवल बहुमत से चुनाव होता है जिसमें सभी वर्गो के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। विश्वविद्यालय की जाँच समिति ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है जिससे मैं भी सहमत हूँ। इससे सभी वर्गो के लोगों का प्रतिनिधित्व हो जायेगा। दूसरी बात स्टेच्यूटरी ग्रांट की है। इस ग्रांट के देने की प्रणाली दोषपूर्ण है। 1960 में अधिनियम बनाया गया और उसी समय जो गान्ट निश्चित की गयी वही आज तक मिल रही है। उसके बाद से विश्वविद्यालयों का

खर्च बढ़ता गया मगर ग्रांट उतनी ही रह गयी। अंगीभूत कॉलेज पहले पटना विश्वविद्यालय में एक था लेकिन उसके बाद से बहुत-से हो गए हैं लेकिन ग्रांट उतनी ही रह गयी है। तीन लाख जो ग्रांट थी वही है हालाँकि आज इस मद मे खर्च 7 लाख हो गया है। इसलिये इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

मैं शिक्षको की समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शिक्षकों का जो वेतनमान स्वीकृत हुआ है वह लागू नहीं है। अंगीभूत कॉलेजों के लिये दो सिद्धांत निश्चित किये गए हैं। वरीयता के सिद्धांत पर वेतन देने का निश्चय किया गया था और उसको मान भी लिया गया। लेकिन इससे पुराने शिक्षकों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। दूसरी बात शिक्षकों के कल्याण की है। शिक्षकों के लिये चिकित्सा-व्यवस्था नहीं है। पटना विश्वविद्यालय में कुछ है लेकिन अन्य जगहों मे कुछ भी नहीं है। सारे समाज के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार पर है हमारी सिफारिश है कि हेल्थ सर्विस आरंभ की जाए। शिक्षक वर्ग आसानी से अपनी तनख्वाह का कुछ रुपये दे सकता है और कुछ रुपये सरकार दे सकती है। यह आवश्यक है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देख-रेख की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी शिक्षकों के कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। आज अगर किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाए या वह बीमार होकर बेकार हो जाए तो उसके पालन-पोषण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षा की कापी देखने में जो रकम दी जाती है उसका कुछ हिस्सा काट कर रख लिया जाए और कुछ रकम यूनिवर्सिटी अपनी ओर से मिलाकर जमा कर दे। जब किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाए या वह बेकार हो जाए तो उस रकम से उसकी सहायता की जाए।

अब संस्कृत-शिक्षा के संबंध में कुछ कहना है। सरकार ने कहा था कि यह संभव नहीं है कि सभी शिक्षकों का वेतन एक समान कर दिया जाए। 1950 के बाद और शिक्षकों के वेतनमान मे तो सुधार हुआ है लेकिन संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान में कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार का ध्यान उधर जाना चाहिए था, यह सरकार का उत्तरदायित्व था कि इधर ध्यान देती। संस्कृत की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, वह प्राचीन काल की शिक्षा पर आधारित है जिसपर यहाँ की भाषाओं की बुनियाद है। कहा जाता है इसमें काम करने के घंटे कम हैं इसलिये वेतनमान कम है। यह कोई तर्क नहीं है। इसी तरह मदरसों में काम करनेवालों का भी हाल है। इसी तरह आयुर्वेदिक की भी बात है। कहा जाता है कि एलोपैथिक चिकित्सा ज्यादा अच्छा है। मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो साधन एलोपैथिक को दिया जाता है अगर वही साधन इसको भी दिया जाए तो वह सफलता प्राप्त होगी जो ऐलोपैथिक के बारे मे कही जाती है।

1954 में एक बेरोजगारी समिति बनी थी जिसने 1960 से अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। न जाने सदन

में वह रिपोर्ट पेश हुई थी या नहीं? लेकिन उस समिति ने स्पेसिफिक ढंग से बेरोजगारी दूर करने की बातें बताई थी। जैसे बताया गया था कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से जो लोग निकलते हैं उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई का सिलसिला है उसके जरिये बेकारी बढ़ती जा रही है। पठन-पाठन का रवैया कौन बदलेगा? सरकार कभी कहती है कि तीनवर्षीय कोर्स हो, कभी कुछ कहती है। पद्धति ठीक नहीं है, तो आखिर इसको बदलेगा कौन? एक स्थिरता या निश्चितता सरकार को ही करना है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हर जगह सुधार हुआ है लेकिन बिहार सरकार उसी लीक पर चल रही हैं। ऐसा लगता है कि सरकार में की दूरदर्शिता ही नहीं है।

कांग्रेस 20-25 वर्ष रही, वही रवैया रहा। उसके बाद दूसरी सरकार आयी, वहीं रवैया रहा। किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ। सभी पार्टी सरकार में आने के बाद कहते थे कि परिवर्त्तन लाएँगे लेकिन कुछ भी परिवर्त्तन नहीं हो सका। समाजवाद को आप जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं वह उतना ही पीछे चला गया। हर जगह स्थिति बिगड़ी हुई है। अगर आप चाहत हैं कि नक्शा बदले, बिहार औद्योगिक नक्शे पर आये तो कोई ऐसी नीति आप रखे जिससे लोगों में यह विश्वास हो सके कि सरकार इसकों करना चाहती है।

विकास कैसा हो

(बिहार विधान परिषद्-15 दिसम्बर 1976)

जो आर्थिक विकास के कार्यक्रम पिछले महीनों में चले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राप्तियां हुई हैं और राज्य स्तर पर उन प्राप्तियों में जो हमारा हिस्सा रहा है वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हम एक विकास कार्य को आगे बढ़ाते रहे हैं। इससे लोगों में काफी विश्वास आया है और आत्मबल बढ़ा है।

हम निरंतर वित्तीय कठिनाई से गुजरते रहे हैं। राजस्व की प्राप्ति में कठिनाई होती रही है। चौथी योजना तक यह बिहार राज्य निश्चित साधन मुहैया करने में असमर्थ रहा है जिसके फलस्वरूप बिहार राज्य की पाँचवीं योजना छोटी होती रही। राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत विनियोग होता है उनका 32 प्रतिशत कम विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य की योजना में होता रहा और यही बड़ा कारण है कि राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आमदनी की 32 प्रतिशत कम आमदनी हमारे राज्य की जनता की है।

चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में जो हमारी वार्षिक योजना कार्यान्वित हुई उसी आधार पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई और वह 169 करोड़ की थी, लेकिन साधन के अभाव में यह कार्यक्रम दृढ़ता से नहीं चलाने के कारण 169 करोड़ की जगह पर 152 करोड़ की योजना प्रथम वर्ष में कार्यान्वित कर सके, लेकिन दूसरे वर्ष में 189 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई और बाद में गंडक योजना के लिये 5 करोड़ रुपये, स्वर्णरेखा योजना के लिये 2 करोड़ का विशेष प्रावधान और 1976 में बाढ़ से क्षति की पूर्त्ति के लिये यानी पुनर्निमाण के लिये प्लान एक्शन के रूप में 9 करोड़ 75 लाख रुपयों की प्राप्ति हुई। इस तरह कुल मिलाकर 208 करोड़ रुपयों का 1975-76 की दो वार्षिक योजना में भी पूरी की गयी। वहाँ पहले हम आवंटित राशि का व्यय नहीं कर सकते थे वहाँ 1975-76 में योजना आयोग ने हमसे अपेक्षा की थी कि 25 करोड़ रुपये की प्राप्ति की जाए, परन्तु उसके बदले में हमने 32 करोड़ रुपयों की प्राप्ति की और समय पर राजस्व की वसूली की और उसमें 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह ठीक है कि पुराने ऋण की वसूली में हमने कुछ सख्ती की, लेकिन इसके अलावे कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं था। 1975-76 की समाप्ति पर जहाँ इस राज्य का ओवरड्राफ्ट 104 करोड़ का था उसको घटा कर 83 करोड़ लाने में हमने सफलता प्राप्त की।

1975-76 के हमारे कार्यों में केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग को प्रभावित किया कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर जो दायित्व है तथा जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यो को हम करते हैं और इसी कारण तृतीय वर्ष में एक बड़ी योजना स्वीकृत हुई। प्रारम्भिक दो वर्षों में हम अधिक व्यय नहीं कर सके। पिछले जुलाई महीना में योजना आयोग ने हमारे सामने बात रखी कि 1,267 करोड़ की योजना नहीं चलायी जा सकती है और उसमें उन्होंने कटौति भी की। उसके लिये उन्हांने दो कारण बतलाये। पहली बात तो यह है कि हमें जो आवंटन मिले हैं उनका इस्तेमाल बिजली, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कृषि आदि के कार्यक्रमों में अधिक व्यय करके किया जाए, भले ही कुछ दूसरे मदों में कुछ कटौती की जाए। किन्तु, योजना आयोग ने हमें यह निदेश दिया है कि सम्पूर्ण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो 1,267 करोड़ हमने की थी उसमें कटौती करके उसको 1,167 करोड़ रुपये की योजना बनायी जाए। मैंने अपनी कठिनाई योजना आयोग तथा प्रधान मंत्री के सामने रखी। राष्ट्रीय स्तर पर इन राज्यों की तुलना में पहले से ही बिहार राज्य की योजना छोटी थी। हमारी भौगोलिक स्थिति, आबादी तथा राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए अन्य राज्यों की तुलना में हमारी योजना छोटी ही थी। आप यह जानते हैं कि हमारा आर्थिक साधन बहुत ही सीमित है और हम अपने आंतरिक साधनों द्वारा इन योजनाओं का खर्च पूरा करने में असमर्थ हैं। इसलिये हमारी जो प्रस्तावित योजनाएँ हैं, उनमें कटौती नहीं की जाए। अभी हमने योजना आयोग के समक्ष जो योजनाएँ रखी हैं, उनमें 1,267 करोड़ रुपयों में से केन्द्र से 709 करोड़ रुपयों की राशि हमें अपने हिस्से के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। यदि राजस्व की प्राप्ति में राज्य सरकार के हिस्से के बदले में 1975-76 तथा 1976-77 वित्तीय वर्ष की राशि को लिया जाए तो इसमें हमें 703 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे तो जो हमारी 1,267 करोड़ की राशि की योजना है, वह इसके साथ मिलने पर उक्त राशि में आगे बढ़ जायेगी तो फिर हमारी योजनाओं में कटौती क्यों होती? चौथी योजना में जो लोन निगोशियेशन का रेट रखा गया था उसका भी ऐवरेज कर दिया गया है। इससे आर्थिक दृष्टि से हमसे उन्नत राज्यों को ही अधिक लाभ होगा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में जिन योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी थी और चूँकि उसमें बिहार राज्य की सीमा बहुत ही कम थी,ऐसी स्थिति में बिहार जैसे पिछड़े राज्य का लोन निगोशियेशन की सीमा को अन्य उन्नत राज्यों की तुलना में कम रखा गया तो यह बड़ा ही अनफेयर होगा। इन राज्यों ने इसका इस्तेमाल कर अधिक लाभ उठाया है। उड़ीसा, आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जो हमारी ही कोटि में आते हैं, उन्हें इन्टीच्यूशनल फिनांसिंग का बहुत लाभ मिला है, किन्तु हमें इनका लाभ नहीं मिला। हमारे राज्य में इन योजनाओं के अन्तर्गत जो पैसे जमा किये गए हैं, उनका उचित लाभ हमारे राज्य को प्राप्त नहीं हो सका है। किन्तु, अन्य राज्यों ने इनका पूरा लाभ उठाया है। इसके कारण हमारा मार्जिनल विकास नहीं हुआ है। यह बात सही नहीं है

कि हमने बिहार की ओर से इन्स्टीच्यूशनल फंडिंग की योजना नहीं रखी है। सिंचाई, औद्योगिक विकास, कृषि आदि के सम्बन्ध में हमने अनेक योजनाएँ उनके सामने रखी हैं। किन्तु, उनमें से कई योजनाएँ स्वीकृत नहीं हो सकीं। जो स्वीकृत हुईं उनके सम्बन्ध में हमने यह आश्वासन दिया था कि इस तरह की योजनाओं के लिए हम वित्तीय संस्थाओं से पैसे लेंगे। यह बात सही है कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों ने इस राज्य में काफी शाखाएँ खोली हैं और उन्होंने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा लगाये हैं, लोगों को तरह-तरह के कर्ज दिये हैं। उनके पहले रवैयों में भी परिवर्त्तन हुआ है। पहले जिन लोगों को इन बैंकों से पैसा मिलना मुश्किल था, उनको भी इन बैंकों से ऋण प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इन बैंकों के डिपोजिट तथा क्रेडिट रेशियों में भी अंतर आया है। फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में इस अनुपात में बहुत अन्तर है। इन्होंने डिपोजिट की तुलना में इस राज्य में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है।

इस तरह 51-52 प्रतिशत होता है। अगर 500 या 600 करोड़ राष्ट्रीयकृत बैंकों में बिहार की जनता का जमा है तो उसके लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये ही व्यवसाय में लगते हैं, शेष रुपये दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। इसलिए हमलोग इस प्रयास में हैं कि हमारे यहाँ फाइनेन्सर आये, जिससे कि बिहार राज्य के आर्थिक विकास की उन्नति हो सके।

एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारा आर्थिक आधार कमजोर है। इसलिए हम डायरेक्ट टैक्सेसन करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन साथ ही मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि हमारे राज्य में कर-वंचना होती है, कुछ लूप-होल्स हैं जिनके चलते टैक्सों की चोरी होती है। इस चोरी को रोकना बहुत आवश्यक है और हम इसको रोकने के लिए काफी सख्ती कर रहे हैं। हमारा राजस्व भी बढ़ा है। मैं यह भी मानता हूँ कि कॉमर्शियल टैक्सेज में खामियां हैं। पहले 65 करोड़ रुपयों की वसूली होती थी, लेकिन 1975 में उसकी वसूली बढ़कर 110 करोड़ रुपये की हो गयी है और इस वर्ष 125 से लेकर 130 करोड़ रुपये वसूल करने का लक्ष्य रखा गया है। कॉमर्शियल टैक्सेज को रि-आर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है कि इसे रि-आर्गेनाइज होने पर 200 करोड़ रुपयों का राजस्व बिहार राज्य को प्राप्त हो सकेगा। बाकि टैक्सों का स्कोप ज्यादा नहीं है। इस राज्य के लोगों पर अन्य राज्यों की तुलना में बाकी टैक्सों का भार कम है। हमारे यहाँ आर्थिक व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि बड़े-बड़े उद्योग धंधों की स्थापना नहीं होती है और न ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना होती है।

विकास

हमें आर्थिक विकास करना है। इसके लिए राजस्व की प्राप्ति भी जरूरी है। इसे बढ़ाने के लिए दो-तीन उपाय हो सकते हैं। एक तो यह है कि टैक्सों के बकाये रुपये की वसूली सख्ती से होनी चाहिए। प्रायः

40 करोड़ रुपये टैक्सों के बकाया है। इसके अलावे 60 करोड़ टैक्सेज लोन का बकाया है। इस तरह 100 करोड़ रुपये टैक्स का बिहार की जनता के यहाँ बकाया है। इसलिए हमने कहा है कि टैक्सों की जो चोरी होती है उसको सख्ती से रोककर राजस्व की प्राप्ति की जानी चाहिए। दूसरा यह है कि जो बकाये हैं उनकी सख्ती से वसूली होनी चाहिए। इस तरह हम राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावे हमने लैण्ड रेवेन्यू पर सरचार्ज कर, बिजली के टैरिफ आदि में वृद्धि, राजस्व प्राप्ति के लिए की है। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में भू-राजस्व की वसूली या जो सरकारी ऋण लिये गए हैं उनकी वसूली सख्ती से मैं करना चाहता हूँ। इस तरह राजस्व की वृद्धि हो सकती है।

अगले दो वर्ष आर्थिक विकास के क्रम में बहुत ही निर्णायक होंगें, क्योंकि छठी योजना में बहुत से निर्माण-कार्य शुरू हो रहे हैं। अगले दो वर्षो में कौन-कौन से कार्य विकास के लिए हम कर सकेंगे, इसके लिए दिशा निर्देशित करना होगा। अगले दो वर्षो में हम बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं। इससे छठी योजनाओं में हमारा हिस्सा अधिक होगा। इसलिए हमने कहा है कि हमें अधिक राजस्व बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। इसके अतिरिक्त राज्य के खनिज पदार्थों से रॉयल्टी के रूप में सरकार को राजस्व प्राप्त है। इस स्रोत से भी राजस्व बढ़ाना होगा।

1948-49 में कोयले की रॉयल्टी तय की गयी थी। आज उस वक्त से कोयले का दाम कई गुणा बढ़ा है। उसकी रॉयल्टी बढ़नी चाहिए। हमने केन्द्र की सरकार के पास इस प्रश्न को रखा कि आप हमारे यहाँ के प्राकृतिक साधन से जो आमदनी प्राप्त करते हैं उसमें हमें अधिक हिस्सा दें। केन्द्र से हमें उस आमदनी का अधिक अंश मिले। केन्द्र के लिए यह विचारणीय विषय हो गया है। रॉयल्टी पैटर्न में संशोधन होना चाहिए। बात यह है कि केन्द्र से तो सारे राज्यों की नीति निर्धारित होती है। सिर्फ बिहार के लिए तो नहीं करेगा। लेकिन मैंने बातें रख दी हैं। दूसरी चीज आयरन ओर में भी रॉयल्टी बढ़ाने की बात की है। तीसरी चीज कि हम वित्तीय संस्थाओं से विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने जा रहे हैं।

हमने वाटर डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया। अब तक राज्य में लगभग तीन हजार ट्यूबवेल्स थे जो 1953 से अधूरी अवस्था में थे। इसके अलावे किसी-किसी में नाला नहीं बन सका था। किसी में बिजली की लाइन नहीं मिल पायी थी। अनेक कारणों से अधूरा था। 1972-73 के प्रोग्राम में भी 1,100 ट्यूबवेल लगाने का प्रोग्राम था। वह भी सारा अधूरा पड़ा हुआ था। बात इसमें यह थी कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। केन्द्र की सरकार ने भी केवल 500 ट्यूबवेल लगाने का खर्चा दिया था। 500 ट्यूबवेल के बदले 1,100 ट्यूबवेल लगना शुरू हो गया। नतीजा हुआ कि सभी अधूरी अवस्था में रह गए। मैंने वित्तीय संस्थानों के उक्त ट्यूबवेल को पूरा कराने का निर्णय लिया। नतीजा

हुआ कि सारे ट्यूबवेल का कार्य पूरा कराने का निर्णय लिया। नतीजा हुआ कि सारे ट्यूबवेल का कार्य पूरा हो गया, केवल 27 ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण होना रह गया है। मैंने फिर दूसरी योजना शुरू की है जिसके माध्यम से 1,500 नये ट्यूबवेल लगाने की योजना है। चूँकि जहाँ नदी-घाटी योजना से सिंचाई नहीं हो सकती है उस क्षेत्र के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था की जा रही है। चूँकि काफी समय के बाद भी तथा काफी इन्वेस्टमेंट के बाद भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकी है। किसानों की बचैनी को देखते हुए तथा जल्दी से सहायता पहुँचाने के लिए मैंने इस योजना को चालू किया है। जिन भागों में नदी से सिंचाई की सुविधा नहीं हो सकती है उन भागों में ये ट्यूबवेल लगें। यह लिफ्ट इरीगेशन की योजना उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के पहाड़ी इलाकों में चालू की जायेगी। छोटानागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाये जाएँगे। आपको यह भी बतला देना चाहता हूँ कि स्टेट ट्यूबवेल की जो 1,000 की स्वीकृति थी उनमें 845 ट्यूबवेल लग चुके हैं। पहले उक्त कार्य को जून, 1977 तक कार्यान्वित कर देना था, लेकिन प्रशासन की सख्ती करने से ये कार्य पहले ही हो रहे हैं।

एक दूसरी योजना सोन कमाण्ड एरिया के किनारे वाली ज़मीन के लिए ट्यूबवेल लगाने की बनी है। जिससे किनारे की ज़मीन की सिंचाई होगी। इसके लिए 1,600 स्टेट ट्यूबवेल लगाने का कार्य अगले अप्रैल से कार्यान्वित किया जायेगा। इसके अलावे 1,500 स्टेट ट्यूबवेल लगाने की अलग योजना है। इस पर 9 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

पिछले एक साल से हमारे इन्स्टीच्यूट के फाइनान्स में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जून, 1972 से लेकर जुलाई, 1975 तक बैंकों से बेरोजगारों को 90 लाख रुपये दिये गए हैं, लेकिन पिछले 17 महीनें में ही उद्योगियों को 13 हजार लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 11 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए। इससे 19,000 लोगों को जो विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग चलाना चाहते हैं, बस चलाना चाहते हैं, मोटे कपड़ों की दुकान चलाना चाहते हैं आदि को फायदा होगा। ज्वायन्ट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इन सारे उद्योगों के लिए बैंकिंग डेवलपमेंट कमिटी ने 35 करोड़ रुपये देने का प्रावधान दिया है। इन बैंकों के सामने हमने 300 करोड़ रुपयों की योजना प्रस्तुत की है। उनसे यह कहा गया है कि जो हमारे पुराने उद्योग हैं उनका उद्योगीकरण होना चाहिए। जैसे पेपर के उद्योग, सिमेंट के उद्योग, चीनी के उद्योग जो बहुत पहले से ही चल रहे हैं और अभी उनकी आर्थिक हालत खराब हो गयी है। उसके उद्योगीकरण की आवश्यकता है। जो पुराने उद्योग लाइसेंस प्राप्त हैं उनको सुन्दर ढंग से चलाने के लिए तथा उद्योगीकरण करने के लिए पैसे चाहिए। मैंने कहा है कि आप इन उद्योगों को एडभांस करने की व्यवस्था करिये। दूसरे राज्यों में ऐसे उद्योगों के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। पिछले सितम्बर महीने में इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इस पर कार्रवाई हो रही है।

मैंने प्रधान मंत्री से बातें की हैं, वित्त मंत्री से भी बातें की हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएँ हैं उन संस्थाओं में फाइनान्स देना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जिन राज्यों में इनभेस्ट हुआ है उन्हीं राज्यों में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मैंने उनसे मौलिक बात उठायी कि हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर व्यवसाय की प्रगति बहुत कम है। अगर हमारे राज्य में इन्भेस्ट नहीं किया जायेगा तो हमारे राज्य के उद्योग बहुत कमजोर हो जाएँगे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। इसी आधार को मानकर नीति निर्धारित करें और हमारे राज्य को प्रमुखता दें। मैंने उनसे कहा है कि अगर सारी संस्था को आप सम्मिलित नहीं कर सकते हैं तो जो पुरानी संस्था है, जो बन्द की स्थिति में है। उनको आप फाइनान्स करें, ताकि वह संस्था ठीक से चले।

आज जो हमारा आर्थिक पक्ष है, आर्थिक सफलताएँ हैं, जो समस्याएँ हैं और जो प्राप्तियां हैं वे अत्यन्त उत्साहवर्द्धक हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और जनता का भी मनोबल बढ़ता है। हम निश्चित रूप से आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। सोन प्रणाली के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, त्रिवेणी केनाल के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, गंडक योजना वाटर लौगिंग की समस्या है, कोशी योजना में वाटर लौगिंग की समस्या है। हम इन योजनाओं को प्राथमिकता देना चाहते हैं, इसका कार्यक्रम बना रहे हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गयी है और उसको हम भारत सरकार के सामने भेज रहे हैं। संथाल परगना और छोटानागपुर के लिए हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है। पिछले दिनों, काफी दिनों से लम्बित स्वर्णरेखा हाईडल मल्टीपरपस प्रोजेक्ट के लिए समझौत करने की हमने कोशिश की है। ईस्ट रिजनल काउंसिल ने इसकी स्वीकृति कर दी है। बिहार और उड़ीसा के ट्राइबल एरिया को लाभ होगा स्वर्णरेखा रिभर भैली प्रोजेक्ट से। लेकिन 1965 के पहले फॉलो-आप-एक्शन नहीं हुआ है।

हमने सिंचाई के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया है कि बिगर एरिया में स्वीकृत किया जाए जो ट्राईबेल एरिया सैकड़ो साल से पिछड़ा हुआ है। पुराने भू-भाग गंडक, सोन आदि के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं किया गया है। पाँचवीं योजना में केवल ट्राइबल वाले भू-भाग के लिए योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। चूँकि बंगाल और उड़ीसा का भी इसमें हिस्सा होता है और उन राज्यों की स्वीकृति पाये बगैरहम किसी योजना को नहीं चला सकते हैं, इसलिए उड़ीसा से समझौता भी हुआ है। इन योजनाओं के लिए मार्च के पहले रुपये आवंटन किया गया है। इस तरह हम ट्राईबल एरिया में साढ़े छह लाख एकड़ ज़मीन के लिए सिंचाई की सुविधा दे सकेंगे। दूसरी बात इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई का काम इस योजना से कर सके हैं। बाढ़ से सुरक्षा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को हम दे सके हैं। जमशेदपुर और आदित्यपुर में इन्डस्ट्री का विस्तार कर सके हैं, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई कर सके हैं। इससे 5-6 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व के रूप में वसूल होंगे। इन जगहों में हम वाटर सप्लाई कर सके

हैं। बहुत जल्द उम्मीद है, हो जाएगा। तिलैया से हम गिरीडीह की सिंचाई की व्यवस्था कर सकेंगे। उत्तर कोयल हाईडल प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर हम जनवरी में उसका शिलान्यास करना चाहते हैं। इससे गया, नवादा पलामू और औरंगाबाद में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

ट्राइबल एरिया के लिए हमने बहुत-सी योजनाएँ बनायी हैं। इतनी योजनाएँ इन इलाकों के लिए पहले कभी नहीं बनी थीं। कल तिवारीजी ने राँची की सिंचाई की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा की थी। बिहार में 26 प्रतिशत या 22 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन छोटानागपुर के लिए केवल 4 प्रतिशत ही सिंचाई का अंश रहता है। यहाँ सचमुच सिंचाई की बहुत कम व्यवस्था है। सिंचाई के लिए लिफ्ट एरिगेशन स्कीम बनाया गया है। लिफ्ट एरिगेशन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई है। मंत्रिमंडल के कल की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि लिफ्ट एरिगेशन के कार्यक्रम को फाईनेन्सिंग इन्सटीच्यूशन के जरिए चलायें। लेकिन बैंक इकोनॉमिक रेट निर्धारित करते हैं उस रेट में और जो व्यावहारिक रेट है उसमें बहुत बड़ी खाई पड़ जाती है। अगर 32 से 35 रुपये प्रति एकड़ इनभेस्टमेंट होगा तो उससे 100 रुपये प्रति एकड़ का लाभ होगा। अतः हमलोगों ने यह निर्णय लिया कि इस स्कीम को चालू करने में यदि 50 से 60 रुपये प्रति एकड़ सबसिडाइज भी करना पड़े तो यह करना आवश्यक एवं आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद है। अतः ट्राइबल एरिया में लिफ्ट एरिगेशन स्कीम को सबसिडाइज करने का निर्णय इसीलिये लिया गया कि किसानों को इसमें कम पैसा देना पड़ेगा और वे आसानी से इसको ले सकें और ये बातें मैंने पहले भी कही थीं। एरिगेशन सबंधी जो हमारा दृष्टिकोण है उसे बदला जा रहा है। जो भी योजना हमारी है 100 करोड़ की थी 150 करोड़ की, उन सबको कार्यान्वित करना होगा। 150 करोड़ रुपयों की हमारी स्वर्णरेखा योजना है। इनमें जितना टोटल इनभेस्टमेंट होगा इससे प्रोफिट भी काफी अधिक होगा। अतः यह तय किया गया है कि जो योजना पहले से है 3 महीना, 6 महीना से, इन सब को पूरा किया जाए। इससे किसान अपना प्रोडक्शन बढ़ायेंगे। यदि इनवेस्टमेंट और जो प्रोडक्शन में वृद्धि होगी उनका इकोनामिक्स निकाल कर देखा जाएगा तो प्रोफिट बहुत अधिक मिलेगा।

नया एनैलिसिस

एक नया एनैलिसिस हमलोगों ने निकाला है और सभी विभागों को इसके संबंध में निदेश भेज दिया गया है। इसके लाभ को छोटे पीरियड में नहीं बल्कि दीर्घकालीन पीरियड को लेकर देखा जाएगा तो लाभ काफी दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से देखा जाए कि कोसी प्रोजेक्ट में हमलोगों ने 112 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और उससे जो लाभ हुआ है, उसका इकोनामिक्स निकाला जाए तो करीब प्रति एकड़ 100 रुपयों का फायदा होता होगा। अब मंत्रिपरिषद् ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार हो गयी थी, उसको ग्रांट देने में कठिनाई हो रही थी, इसमें वित्त विभाग को जैसा कि पहले से प्रोसिजियोर चला आ रहा है, उसे देखना पड़ता है कि इसमें इनभेस्टमेंट

होगा तो क्या लाभ होगा। अब यह स्वीकृत हो चुका है। अब इसको फिनान्स करने में कोई कठिनाई नहीं है। इन स्कीमों को चालू कर दिया गया है। इस तरह के करीब 70-80 प्रोजेक्ट रिपोर्ट और तैयार हैं, उसको वित्त के लिये गारंटी मिलने में कठिनाई हो रही थी, इन सब को अब जल्द से जल्द पूरा करना है। संथाल परगना के लिये लिफ्ट इरिगेशन की बहुत अधिक संभावना है। पिछले वर्ष 20 स्कीमें वहाँ के लिये आयीं और उन्हें चालू किया गया। संथाल परगना के लिये हमें 100 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम देना चाहिए था। इन सबको हम वार्षिक योजना में समावेश करने जा रहे हैं। एक-डेढ़ लाख की योजना है। 2-3 माह में चालू की जायेगी। इन्हीं विकास की बातों को आपके सामने रखना था।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्य किया गया है वह बहुत ही संतोषप्रद रहा है। 52 हजार रिटर्न मांगा गया जिसमें 44 हजार का आया है, इसमें 32 हजार का निष्पादन किया गया है, 12 हजार के लिये प्रक्रिया हो रही है। और हम यह कहना चाहते हैं कि अगले मार्च महीने तक इस कार्यक्रम को अंतिम रूप से हम चलाना चाहते हैं और हम आपका सहयोग चाहते हैं कि आप देखें कि जो 32 हजार केसेज का निष्पादन हुआ है वह क्या सही निष्पादन हुआ है? क्या सही रूप में उनसे ज़मीन निकालने की संभावना है? क्या जिन लोगों ने सरकार को ज़मीन दी है उन्होंने सही रूप में ज़मीन दी है या निष्पादन के क्रम में कोई गड़बड़ी की गयी है? हमने राज्य सरकार को और स्थानीय पदाधिकारियों को यह अधिकार दिया है यह शक्ति दी है कि जिन मामलों का निष्पादन हो गया है उन्हें नये सिरे से पुनः देखा जा सकता है। इसलिये आप अपने-अपने क्षेत्र में देखें कि जो निष्पादन हुआ है उनमें क्या ऐसी संभावना है कि जिन लोगों को छूट मिल गयी है, उन्हें क्या सही छूट मिली है-क्या उनसे ज़मीन नहीं निकल सकती या जिन लोगों के केसेज का निष्पादन हो चुका है उनमें नीचे के ऑफिसरों के साथ गोल-माल करके छूट ले ली है? इन बातों की जानकारी हमारे पास आनी चाहिए। मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि इन बातों की जानकारी नागरिकों से या आप से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, या सेक्रेट भी जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी कि सही रूप में लोगों ने अपनी ज़मीन दी है या नहीं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम कानून को अमली रूप देना चाहते हैं और दे रहे हैं। 40 हजार लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल किया है और उनके अलावे कुछ लोग बच रहे हैं। यह देखना है कि उनके पास फाजिल ज़मीन है और इन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं- इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकें।

ज़मीन का वितरण

तीसरी बात मैं ज़मीन के वितरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि एक लाख एकड़ ज़मीन बाँट दी

गयी है। एकाध केसेज में शिकायतें हो सकती हैं। हम अब इसका बड़ा सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम चला रहे हैं तो उसमें एकाध, इक्का-दुक्का गलती हो सकती है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निरंतर निदेश आते रहे हैं कि इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करना है। हम मानते हैं कि इससे कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन यह बात सच है कि हमारे कानून के भय से लोग ज़मीन देते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी भी पैदा करने की कोशिश होती है। यह देखना चाहिए कि जहाँ ज़मीन मिली है, जिन्होने ज़मीन दी है उसे बाँटने के बाद बेदखल तो नहीं करते हैं। हमने अपनी पार्टी के विधायकों से भी आग्रह किया है कि उनका ध्यान उस ओर रहना चाहिए कि कहीं कोई बेदखल तो नहीं होता है। हम यह विधायकों की भी जिम्मेदारी मानते हैं, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के पीछे कोई राजनीतिक दल का सृजन नहीं कर सके हैं, इसके लिये पोलिटीकल सपोर्ट पैदा नहीं कर सके हैं और जब तक ऐसा नहीं होगा वे प्राप्तियां स्थायी नहीं हो सकतीं। इसलिये मैं कहता हूँ कि गांवों में इस कार्यक्रम का प्रसार होना चाहिए, लोगों के बीच में जाकर संगठन बनाना चाहिए। हमने कहा है कि विधायकों को चाहिए कि गाँवों में 10-20 आदमियों का एक संगठन कर दें जो देखें कि किन गरीबों की ज़मीन दे रहे हैं उनसे कोई छीनता तो नहीं है और अगर ऐसी बात हो तो उसकी शिकायत लेकर हमारे पास आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर गाँव में इसी तरह का संगठन बन जाए ताकि गरीबों को मालूम पड़े कि उनके पीछे 10-20 आदमी हैं जो यदि ज़मीन से बेदखल होते हैं तो जाकर खड़े हो जाते हैं और ऐसी शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक दो शिकायतें हमारे पास आयी थीं, पूर्णिया जिले से, भोजपुर जिले से और लोगों पर हमने कार्रवाई की। हम जब पैदा करना चाहते हैं कि हम गरीब लोगों को ज़मीन देते हैं उससे कोई बेदखल करता है तो यह सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा और हम इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में पोलिटीकल सपोर्ट होना चाहिए और हम इसमें सहयोग चाहते हैं आपका।

उसी तरह खेतिहर मजदूरों की मजदूरी का व्यापक कार्यक्रम है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले अक्तूबर महीने में श्रम मंत्रियों का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसमें बिहार ने जो कार्यक्रम रखा था उससे अच्छा किसी सरकार ने नहीं रखा। हमने एक सेपरेट डायरेक्टर की व्यवस्था की है,एक असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट की नियुक्ति जिला स्तर पर और दो ब्लाकों में एक सर्किल इन्सपेक्टर, वेलफेयर ऑफिसर आदि की व्यवस्था की है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी दिलाने की जिम्मेदारी दी है और इस तरह एक प्रशासनिक ढाँचा तैयार कर दिया है। इसके अलावे जो कार्रवाई की है वह है कि 55 हजार मामलों में शिकायतें आयीं जिनमें से 38 हजार मामलों का निष्पादन हुआ। 47 हजार मामले ऐसे आये जिनमें शिकायत थी कम पेमेंट की, उनमें दस लाख रुपये का भुगतान हुआ है और इस तरह के काफी मामले हमारे पास आ रहे हैं जिनके निष्पादन की हमने कोशिश की है।

न्यूनतम मजदूरी

सारे राज्य में न्यूनतम मजदूरी का कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन जरूरत है इस बात की, कि मजदूरों का कोई संगठन हो। अभी तक मजदूर संगठित नहीं हैं, उनका कोई संगठन तैयार नहीं हो पाया है और न वे इतने कन्सस ही हैं कि अपनी बातों को हमसे कह सकें और न उसके पीछे कोई राजनीतिक दल का जोर है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी उनके पास लोग जा रहे हैं, अन्य दलों के लोग भी उनके पीछे हैं और मजदूरों का अपना भी संगठन तैयार हो रहा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन मजदूरों को संगठित किया जाए। जो बड़े-बड़े भूधारी लोग है ऐसे लोगों को समझाना है कि वे इस परिवर्तन को समझें। इस आवश्यकता को समझें कि सरकार ने जो निर्णय लिया है उनको करना हैं विधान सभा, विधान परिषद्, राज्य सभा तथा लोक-सभा के सदस्य अगर यह निर्णय लें कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इसके लिए पोलीटीकल सपोर्ट क्रियेट करना है और इस कार्यक्रम को चलाना है तो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आजतक हमें इसके लिए जो गाँव में पोलिटीकल सपोर्ट क्रियेट करना चाहिए था वह हम नहीं कर सके हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को चलाना अत्यन्त कठिन है। हमारे यहाँ 61 लाख एग्रीकल्चरल लेवर्स हैं। ऐसे लोगों को तत्काल इस कार्यक्रम का लाभ मिल जाए, यह नहीं हो सकता है। हम और आप डिटरमींड होकर इस कार्यक्रम को चलाने के लिए गाँव में जायें तो इस कार्यक्रम को हम चला सकते हैं।

को-आपरेटिव का पुनर्गठन

को-आपरेटिव का हम पुनर्गठन करना चाहते हैं। को-आपरेटिव संगठन बहुत कमजोर रहा है। पीछे के वर्षो में हम केवल आलोचना करते आ रहे हैं, शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए इफेक्टिव स्टेप्स होना चाहिए, जो इफेक्टिभ मेजर्स हमें लेना चाहिए वह हमने नहीं लिया है। हमारे स्टेट का क्रेडिट रिक्वायरमेंट 175 करोड़ का है। अगले दस वर्षो में यह और बढ़ने वाला है। 200 करोड़ तक होने वाला है। इसके अलावे प्लानिंग कमीशन को क्रेडिट ऐसेसमेंट करने के लिए कहा गया है। उसने सारे देश का क्रेडिट ऐसेसमेंट किया। उसने पूरे देश के लिए 175 करोड़ का क्रेडिट कन्जम्पशन ऐसेसमेंट किया है जिसमें 36 करोड़ का हमारा है। उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि इतने बड़े एग्रीकल्चर क्रेडिट कन्जम्पशन की प्राप्ति कैसे हो? इसकी हमें पूर्त्ति करनी है। उसके लिए हम को-आपरेटिव संस्थाएँ बना रहे हैं। इस स्टेट की को-आपरेटिव संस्थाएँ नन-भायवुल रही हैं और आर्थिक रूप से मजबूत रही हैं। यहाँ पर जो क्रेडिट एक्सपैंशन करते रहे हैं उसका रेट बहुत कम रहा है। पूर्वांचल राज्य में भी यह कम रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में, जहाँ की जनसंख्या कम है, वहाँ भी 150/200 तथा 250 करोड़ का को-आपरेटिव सेक्टर का फाइनेन्सिंग होता है। हमारे

राज्य में 3 करोड़, 10 करोड़ तथा 15 करोड़ का खरीफ में तथा रबी में फाइनेन्सिंग होता रहा है। बिहार में रबी के लिए जहाँ 175 करोड़ का फाइनेन्सिंग है वहाँ हम 20 से 30 करोड़ का फाइनेन्सिंग करने जा रहे है। हमने इसका विस्तार किया है। 1974-75 में 4 करोड़ रुपये हमने रबी में बाँटा, 1975-76 में 10 करोड़ रुपये बाँटा और इस साल 20 करोड़ रुपये बाँट रहे हैं। 1974-75 में रिजर्व बैंक ने बिहार में 15 सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों को इलीजिबुल करार कर दिया था जिससे फाइनेन्सिंग फेसिलिटीज में दिक्कत थी। लेकिन अब प्रसन्नता की बात है कि हमने स्टेट रिकोभरी को इतना टाइट किया है कि वह रिकोभरी कुछ जगहों से अधिक बढ़ी है और इस तरह से 28 में से 27 सेन्ट्रल के को-आपरेटिव बैंक इस योग्य हो गए हैं कि वे फाइनेंन्सिंग कर सकते हैं और अब ये बैंक 10 करोड़ के बदले 20 करोड़ का फाइनेंन्सिंग कर रहे हैं, रबी में। लेकिन इससे काम नहीं चल सकता है। राज्य के गरीब लोगों की आवश्यकता की पूर्त्ति हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि नये सिरे से हम को-आपरेटिव सोसायटी का संगठन करना चाहते हैं। हम बहुत-सी प्राइमेरी को-आपरेटिव संस्थाओं को भंग कर रहे हैं।

हम सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के चुनाव को रूकवाना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। एक नये सिरे से को-आपरेटिव का संगठन करना चाहते हैं। जहाँ अभी साढ़े-सोलह लाख प्राइमरी को-आपरेटिव सोसाइटीज बना रहे हैं जिससे हम समाज के हर परिवार के एक-एक व्यक्ति को सदस्य बना सकें_ जिससे कि कुल रिप्रजेन्टेशन मिल सके। को-आपरेटिव स्ट्रक्चर के लिए इन्भायरमेंट तैयार हो सके।

मनी लेडिंग पर रोक

हमने मनी लेडिंग पर रोक लगा दी है। किस तरह से ग्रामीण साहुकार गरीबों का शोषण कर रहे थे उनपर हमने रोक लगा दी है। अब प्रश्न उठता है कि उनको कर्ज कहाँ से मिलेगा? इसका भी हमने हल निकाल लिया है। अभी तक हमने हरिजन-आदिवासियों में 1 लाख एकड़ ज़मीन बाँटी है। ऐसे लोगों को कहाँ से हमलोग ज़मीन दे सकते हैं जो बराबर महाजन से कर्ज लेते हैं। उन्हें ज़मीन देने के बाद भी वे महाजन को दे देंगे। हमने मेम्बरसीप के लिए यह किया है कि जितने कृषि मजदूर हैं उनको अनिवार्य रूप से सदस्य बनाने का प्रावधान किया है, जिनकी संस्था राज्य भर में 18 लाख है। उनका शेयर केपिटल सरकार देने के लिए तैयार हैं। जिन हरिजनों और आदिवासियों के जिम्मे 2-5 एकड़ ज़मीन है उनका शेयर कैपिटल सरकार देगी। अन्य गरीब वर्ग के लोगों के लिए जिनके जिम्मे 2-5 (अढ़ाई) एकड़ ज़मीन है उनका शेयर कैपिटल और मेम्बरशिप सरकार देगी, लेकिन बाद में उसकी रिकोभरी करेगी। इसी तरह के जिन हरिजन-आदिवासियों के जिम्मे 5 एकड़ ज़मीन है उनका शेयर कैपिटल और मेम्बरशिप का रुपये सरकार देगी, लेकिन बाद में उसे वसूल कर लेगी। 35 हजार फैमलीज हैं जिनके

पास 3-5 एकड़ तक ज़मीन है। सरकार उनका भार वहन करेगी। स्टेट को-आपरेटिव बैकिंग से पिछले साल से इस साल अधिक ऋण मिलेगा। 3-5 करोड़ देने जा रहे हैं शेयर पूँजी के रूप में। इस तरह से को -आपरेटिव बैंक को इतने रुपये सरकार के द्वारा इस साल मिल जाएँगे। हम इसमें मास इन्भायरमेंट करना चाहते हैं। पोलिटिकल लोगों का सहयोग चाहते हैं जिससे यह कार्यक्रम पूरा हो सके।

को-आपरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी हमलोगों ने विचार किया है। रुरल बैंकिग की स्थापना की गयी है। 4 बैंक इस प्रकार के खोले गए हैं। लेकिन हमलोग 6 बैंक खोलना चाहते थे। कमर्शियल बैंक आयोग के अध्यक्ष से हमलोगों ने बात की है। हमलोग 5 हजार यूनिट का एक्सपैन्शन ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहते हैं। तीन तरह की संस्थाएँ हैं- कंज्यूमर्स को-आपरेटिव बैंक द्वारा, फाइनेंसिंग रुरल बैंक और कमर्शियल बैंक द्वारा। हम चाहते हैं कि कम-से-कम प्रत्येक संस्था 100 इकाई ग्रामीण इलाकों में खोलें। हमारा रुरल रिक्वायरमेंट्स 75 करोड़ का है।

हम ग्रामीण वातावरण में आमूल परिवर्त्तन करना चाहते हैं। इसी के माध्यम से हमें कामयाबी मिल सकती है। इसमें हम कैसे कामयाबी हासिल करते हैं यह इसी पर निर्भर है कि हम कितनी जल्दी से इसको करते हैं। वे लोग पुरानी बातों को बदलें, हिंसा का त्याग करें और देश के रचनात्मक काम में सहयोग दें।

नया परिवर्तन

(बिहार विधान सभा-22 जुलाई 1976)

यदि हम पिछले वर्षों को देखें, 1952-53 के प्रारम्भिक समय को लें, तो हम देखेंगे कि उन सभी वर्षों से 1976-77 की योजना पर अधिक व्यय करने जा रहे हैं। राज्य के स्तर पर भी उन वर्षो से अधिक व्यय करने जा रहे हैं। राज्य के स्तर पर भी उन वर्षों से अधिक व्यय करने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति से पता चल जाता है कि हम आज साहस से, विश्वास से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके हैं। आज बिहार की स्थिति क्या है उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं और पीछे के वर्ष में भी 174 करोड़ की आवंटित राशि में हम 152 करोड़ ही व्यय कर सके थे। इसी तरह और पीछे के वर्षो का इतिहास है। केन्द्रीय सरकार की यह शंका थी जब योजना के क्रम में वार्ता के लिये हम गए थे तो उन्होंने ये बातें कही थीं कि केन्द्रीय सहायता क्यों चाहते हैं, बाढ़ से हुई क्षतिपूर्त्ति के लिये? आपको तो जो 189 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है उसे ही व्यय नहीं कर सकेंगे। हमने उन्हें आश्वासन दिया था और कहा था कि बिहार बदल रहा है, बिहार की जनता ने और सरकार ने संकल्प लिया है कि हम वर्तमान स्थिति को बदलेंगे, हम काम कर रहे हैं और आवंटित राशि का व्यय करेंगे, इस भरोसे आवंटन दीजिये और उसके बाद उन्होंने स्वीकृति दे दी। इसका असर भारत सरकार पर हुआ है, योजना आयोग पर हुआ है। 1976-77 वर्ष के लिये राज्य सरकार ने 279.42 करोड़ की योजना केन्द्रीय सरकार के सामने रखी, लेकिन योजना आयोग ने उसे 242 करोड़ 4 लाख की योजना स्वीकृत की। साधन की जो स्थिति है उसको सामने रखते हुए योजना आयोग ने इससे अधिक की योजना को स्वीकृत नहीं किया और वे संतुष्ट नहीं हो पाये लेकिन हमने उनके सामने तर्क रखा कि जो हमारी उपलब्धि है उसे देखा जाए। केन्द्रीय सरकार की ओर से हमें कहा गया था कि 1975-76 साल में 275 करोड़ से अधिक की राशि आंतरिक साधन से मुहैया की जानी चाहिए और हमने इस दिशा में जो कदम उठा लिया है उसी माध्यम से हम 275 करोड़ की उपलब्धि कर देने वाले हैं। हमने इस बात को सामने रखा कि हमारा कार्यक्रम जिस रूप में चल रहा है हम उससे पीछे नहीं जा सकते। हां यह जरूर है कि महाराष्ट्र की तरह या गुजरात की तरह हम अपने सीमित आंतरिक साधन को बहुत बढ़ा नहीं सकते, हमारी जनता गरीब है जो इससे अधिक बोझ उठा नहीं सकती और यदि हमारा विश्लेषण इस आधार पर किया जायेगा कि हमने पीछे के वर्षों में क्या किया है तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे लेकिन जो हमारी योजना है उसमें

हम पूर्णतया व्यय करेगे इसका विश्वास दिलाते हैं।

इन बातों का असर हुआ और उन्हें 37 करोड़ की एक पूरक योजना भी समर्पित की गयी है। हमने कहा कि हम व्यय करेंगे और पीछे के वर्षों के आधार पर जो शक किया जा रहा है उसे दूर किया जाए, तो जो आंतरिक साधन हमने मुहैया किया उसकी भी चर्चा सरकार की उपलब्धियों में की जानी चाहिए। इस बात की चर्चा मैंने अपने बजट-भाषण में भी की है कि कैसे पीछे के वर्षो में हम ओवर ड्राफ्ट्स से गुजरते रहे हैं, जो बढ़ते-बढ़ते 104 करोड़ का हो गया। यह कोई एक साल का नहीं है,बल्कि पीछे के वर्षो का जोड़ कर हुआ है और जिसके लिये हमें केन्द्रीय सरकार से, रिजर्व बैंक से चेतावनी दी गयी थी कि आपका भुगतान बन्द कर दिया जायेगा। हमने उनके सामने ये बातें रखी थीं, प्राईम मिनिस्टर के सामने भी रखी थीं कि यह एक वर्ष का नहीं है-कई वर्षों का है और इसके चलते यदि भुगतान रोक दिया जाएगा तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। इस संदर्भ में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि निरंतर तो यही बात हुयी है कि आप अपना बजट ही साल ओवर ड्राफ्ट से समाप्त करते हैं। और अगर यही हालत रही तो निरंतर देश के दूसरे हिस्से से काट कर बिहार को राशि नहीं दी जा सकती है और अगर भविष्य में हम अपने पर भरोसा नहीं करेंगे तो आगे सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमने कहा था कि हमें मौका दीजिये, हमें भरोसा है बिहार की जनता पर कि हम अपनी मेहनत से अपनी कमियों को दूर करेंगे।

आंतरिक साधन

हमने आंतरिक साधन मुहैया किया है जिसका असर योजना पर पड़ा है और इसके साथ-साथ जो हमारी वर्तमान आय के स्रोत हैं उनके विभिन्न मदों से हमने क्या उपलब्धि की है, इसी को देखेंगे तो आप संतुष्ट होंगे कि पिछले एक वर्ष में बिहार के प्रशासन ने क्या कार्य किया है। भू-राजस्व में 1974-75 में हमारी आय 12.04 करोड़ से बढ़कर 1975-76 में 23.64 करोड़ हो गयी है। उसी प्रकार वाणिज्य-कर में 1974-75 की तुलना में 85.24 करोड़ से बढ़कर 110.60 करोड़ हो गया है। उत्पाद में 22-16 करोड़ से बढ़कर 26.66 करोड़ 1975-76 में हो गया है। रजिस्ट्रेशन में 1974-75 में 5.33 करोड़ से बढ़कर 1975-76 में 5.85 करोड़, मोटर व्हेकिल टैक्स में 1974-75 में 6.02 करोड़ से बढ़कर 1975-76 में 7.06 करोड़, केन सेस में 1.45 करोड़ से बढ़कर 1975-76 में 2.18 करोड़। नन टैक्स रेभेन्यू में माईन्स से 1974-75 में 9.17 करोड़ से बढ़कर 15.41 करोड़ 1975-76 में हुई है। जंगल से 10.98 से बढ़कर 1975-76 में 12.04 करोड़, सिंचाई से 1974-75 में 3.93 करोड़ से बढ़कर 1975-76 में 7.01 करोड़। उसी प्रकार लोन रिकभरी में 1974-75 में 3.66 करोड़ से बढ़कर 1975-76 में 8.42 करोड़। उसी प्रकार अल्प बचत में भी तरक्की हुई है। 1974-75 में 29.76 करोड़

की जगह 1975-76 में 64.03 करोड़ हुए हैं। इस तरह से 189 करोड़ के बदले 282 करोड़ की वसूली आपके प्रशासन ने की।

भू-राजस्व

बिहार राज्य के सभी भागों में एक सी मालगुजारी नहीं है इस सिलसिले में भू-राजस्व का समीकरण होना चाहिए। बहुत सारे कारणों से यह यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बात होनी चाहिए कि आपको आठ करोड़ भू-राजस्व की फाजिल प्राप्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से हमें सरचार्ज लगाना पड़ा। और हमने सरचार्ज लगाया। पाँच एकड़ से कम वालों को हमने छोड़ दिया था और इरीगेटेड और नन-इरीगेटेड दोनों का भेद करते हुए हमने सरचार्ज लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि विद्युत् बोर्ड के कार्यों में परिवर्त्तन होना चाहिए। कई एक राज्यों में बिजली बोर्ड के कार्यों में संशोधन हुआ है लेकिन बिहार में नहीं हुआ है। हमने बिहार में भी इसमें संशोधन किया है उन्होंने 6 करोड़ प्राप्ति करने की बात कही। हमने चार करोड़ का प्रावधान किया। फॉरेस्ट में साढ़े चार करोड़ फॉजिल देना था वह भी हमने कर दिया। वित्त मंत्री के सामने हमने यह बात रखी कि आपने कहा था कि 25 करोड़ रुपये आंतरिक साधन से जुटायें। सभी माननीय सदस्यों ने कहा था कि 25 करोड़ की वसूली करने के लिए जो कदम उठाया है उससे 47 करोड़ फॉजिल आने वाले हैं। इसलिए हमने कहा कि यह बात मानिये कि आज का बिहार वह बिहार नहीं है। इस आधार पर हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम साधन नहीं जुटाते हैं, यह बात आज की परिस्थिति में सही नहीं है।

जहाँ तक हमारे पिछड़ेपन का सवाल है, उस संबंध में मैं कहूँगा कि योजना सीमा के अंदर में कई काम हो रहे हैं लेकिन हमारे राज्य में वित्तीय संस्थान से संबंधित पैसे का विनियोग नहीं हुआ। अगर दूसरे राज्यों के विकास कार्यो की समीक्षा करेंगे तो यह बात स्पष्ट होगी कि उन राज्यों में किस पैमाने पर वित्तीय संस्थानों के पैसे का विनियोग हुआ। लेकिन हमने इस बात को सामने रखा है कि जो हमारे यहाँ के बैंक हैं उनकी जमा राशि में 4 प्रतिशत बिहार की जनता जमा करती है लेकिन वे हमारे यहाँ विनियोग करते हैं 2 प्रतिशत। एक ओर केन्द्रीय सरकार से सहायता कम मिलती है, हमें साधनों का मुहैया कम करते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ जो वित्तीय संस्थान हैं वे हमारे यहाँ अधिक विनियोग न करके हमारा जो जमा है उसका पचास प्रतिशत दूसरी जगहों में विनियोग करते हैं। बिहार का आर्थिक ढाँचा कैसे बदल सकता है यह बात हमने रखी। प्रधानमंत्री पर भी इसका असर पड़ा। बिहार में वित्तीय संस्थानों का पैसा लगाने के लिए वाणिज्य के दृष्टिकोण से भायबुल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स बनाये गए हैं, यह बात भी उन्हें कही।

वित्तीय संस्थाएँ

पिछले वर्षो में हमने वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेकर काम नहीं लिया। हमारी योजना बनती थी उसी के अन्दर हम काम करते थे। जैसे 242 करोड़ की हमारी योजना बनी लेकिन इसके अलावे हमें वित्तीय संस्थाओं से जो पैसे मिलने चाहिए उससे हम वंचित रहे। हमको मौका नहीं मिला कि हम वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेकर राज्य का विकास कर सकें। हमने पिछले साल इसके लिए निगम बनाया इसी उद्देश्य से कि निगम के मार्फत हम वित्तीय संस्थाओं से पैसे ले सकें इसके लिए हमने लघु सिंचाई विभाग के अन्दर एक निगम की स्थापना की। हमने यह महसूस किया कि ज्यादे से ज्यादे मात्र में हम किसानों को पानी दे सकें। इसलिए मैंने राजकीय नलकूप की योजना बनाई कि हम उसे पूरा करेंगे। 1,353 राजकीय नलकूप अधूरे रहे। किसी में बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, किसी में नाला नहीं बना। हमने काफी सोचा और एक योजना बनायी। अधूरे नलकूपों को पूरा करने के लिए हम 13 करोड़ की राशि वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करेंगे और उससे अधूरे नलकूपों को पूरा करेंगे और दूसरे 1,500 राजकीय नलकूप लगायेंगे। हमारी बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं लेकिन उससे तत्काल फायदा नहीं पहुँच पायेगा। सिंचाई की क्षमता का हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सिंचाई की कितनी आवश्यकता है यह कहने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द हम किस तरह से किसानों को पानी दे सकें इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया कि हम 3,000 नलकूप लगायेंगे। दूसरी बात कि 1,500 नलकूपों को 30 जून, 1976 तक हम पूरा कर देंगे। हमने 750 नलकूप लगाये। 25 करोड़ की एक दूसरी इकोनॉमी प्रोजेक्ट हमने बनायी कि वित्तीय संस्थाओं से हम इतना रुपये लेंगे, इसकी स्वीकृति हमने करा ली। बैंक के मार्फत अब रुपये निकालना शुरू हो गया है। इससे हमें बहुत लाभ है। दूसरी बात यह है कि हमने राज्य में जहाँ पहाड़ी ज़मीन है वहाँ के लिए उद्गम निगम की स्थापना की है। इससे हजारीबाग, पलामू, गया जहाँ अधिकतर सुखाड़ रहता है वहाँ पर लाभ होगा। इसके लिए लघु सिंचाई विभाग के द्वारा 442 करोड़ का कार्यक्रम बनाया गया है। इससे जितनी छोटी-छोटी लघु सिंचाई विभाग की योजनाएँ हैं उन्हें सरकार लेगी। सरकार के द्वारा दावा नहीं किया गया इसलिए सिंचाई के लिये एक निगम बनाया गया।

लेकिन सरकार के द्वारा उन योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका। इसलिये मैंने यह सोचा कि एक निगम बनाया जाए और उसके लिये 25 करोड़ रुपये की एक योजना का कार्यक्रम अंतिम रूप में बनाया गया। हम चाहते हैं कि राज्य के सिंचाई क्षेत्रों का विकास हो और इसीलिये मैं एक बार केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के पास गया और उनके सामने इन सारी बातों को रखा। हमने छोटानागपुर और संथाल परगना के विकास के लिये, उन क्षेत्रों की सिंचाई में विकास के लिये 25 करोड़ की एक योजना बनायी है और इस कार्यक्रम को आप से स्वीकृत कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम रुपये इसके लिये दे सकते हैं, आप कार्यक्रम बनाकर भेजें।

उसी तरह से एक कार्यक्रम और बनाया गया है। हम किसानों को एक लाख निजी नलकूप देना चाहते हैं। इसके लिये कृषि विभाग को भी मैंने कहा है। इसके लिये काफी पैसे की जरूरत होगी जिसके लिये वित्तीय संस्थानों से पैसे लेने की भी हमने कोशिश की है और भारत में एक इंडस्ट्रियल डेभलपमेंट बैंक आफ इंडिया है जिसके मार्फत उद्योगों के विकास हेतु राज्यों को पैसे मिलते हैं। बहुत से राज्यों को इसके मार्फत पैसे मिले भी हैं, साधन नहीं है। हम सारे बिहार का उद्योगीकरण चाहते हैं और साथ-ही-साथ हम यह भी चाहते हैं कि उक्त बैंक से ही नहीं, बल्कि दूसरी वित्तीय संस्थाओं से भी मदद मिले। हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल डेभलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे राज्यों को सहायता देती है उनके उद्योगीकरण में। हमने यह भी निवेदन किया कि हम अपनी योजनाएँ बनायेंगे । हमने योजनाएँ बनायी हैं, ज्वायन्ट सेक्टर कायम किये हैं और 20 प्रोजेक्ट भी तैयार किये हैं और उनकी रिपोर्ट बनाने और हमारे जो छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं उन्हें भी योजनाएँ बनाने के लिये कहा और तीन सौ करोड़ रुपयों की लागत से एक प्रोजेक्ट बनाया गया और उसे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजा है।

इस संबंध में मैं एक बात और कह देना चाहूँगा कि उक्त बैंक के चेयरमैन एक बार बिहार आये थे तो मैंने उनके समक्ष इन सारी बातों को रखा था कि आपने सहायता देने का क्या आधार रखा है? तो उन्होंने बताया था कि पीछे के वर्षो में किस राज्य की क्या इन्वेस्टमेंट है उसी के आधार पर आगे के वर्षो के लिये सहायता दी जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पीछे के वर्षो में इन्वेस्टमेंट के आधार पर यह किया जाता है। यह उनकी पॉलेसी है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिन राज्यों में उद्योग -धंधे अधिक हैं, और यदि वे ऐसे राज्यों में पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा ठीक से चलता है। मैंने कहा कि इससे तो जहाँ उद्योग अधिक स्थापित हैं उनका और विकास होगा, विस्तार होगा। लेकिन जो राज्य विकसित नहीं हैं, जहाँ कम उद्योग धंधे स्थापित हैं उनकी कठिनाइयाँ दूर नहीं होंगी। उसके लिये हमने उनसे निवेदन किया। साथ-ही-साथ प्रधानमंत्री से और सुब्रह्मण्यम साहब से भी बैंक की जो नीति है वह उसमें परिवर्त्तन लायें और जो आधार अभी पीछे के वर्ष में इन्वेस्टमेंट का है वह नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा पैसे का उचित उपयोग नहीं होगा।

दूसरी ओर हमने यह भी कहा कि हमारे राज्य के लिये पटने में बैंक का एक ब्रान्च होना चाहिए, बैंक अपना ब्रान्च पटने में खोले क्योंकि हरेक कार्य के लिये बम्बई कारस्पोन्डेन्स करना पड़ता है और इसमें काफी समय लगता है। साथ-ही काफी असुविधा का सामना भी करना पड़ता है और हर कार्य के लिये हमारे लिये बम्बई जाना सम्भव नहीं हो पाता है। मैंने उनसे निवेदन किया था कि यदि बैंक की एक शाखा हमारे यहाँ खुल जायेगी तो हम अपनी योजनाओं को जल्दी चला सकते हैं और तब उन्होंने बैंक की एक शाखा खोलने की स्वीकृति दी।

सिंचाई

कुछ माननीय सदस्यों ने कमांड एरिया की बातें की है तो मैं कहना चाहूँगा कि हमने चार कमांड एरिया स्थापित किये हैं गंडक, कोसी, सोन और कोयल। इन कमान्ड क्षेत्रों को कायम करके मैंने कोशिश की है कि अच्छी प्रकार से खेती की जाए और इसके लिये किसानों को साधन मुहैया किया जाए क्योंकि अच्छी खेती के लिये किसानों को वित्तीय साधन की अति आवश्यकता होगी। इसके लिये वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेकर किसानों की मदद की जाए एक कमान्ड एरिया का विकास हो यह हमने निश्चय किया है और प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करके दी है। 10 हजार गंडक के लिये, 10 हजार कोसी के लिये और 10 हजार सोन के लिये। यह उनकी तरफ से आयी है।

मैंने निवेदन किया है कि इन मदों में जो रुपये व्यय होगा वह हमारे कमांड एरिया को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपको इसकी स्वीकृति मिल जायेगी। मैंने यह भी निवेदन किया है इससे 60 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई की संभावना बढ़ने वाली है। यह हम इसलिये चाहते हैं कि बिहार में ऐसा संगठन बने, कृषि विभाग के अंतर्गत बने लेकिन हमारे यहाँ प्रशिक्षित लोग नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा -आप एक्सपर्ट भेजिये ताकि उनकी मदद से यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित बना सकें। इसके लिये 10 लाख का प्रोजेक्ट बनायेंगे। इस दस साल की योजना से आधुनिक सिंचाई प्रणाली ला देंगे। यह व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इसके लिये हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम जो बना उसके अन्तर्गत जो सफलता मिली है वह प्रशंसनीय है। 20 सूत्री कार्यक्रम भारत के इतिहास में एक ऐसा कार्यक्रम है जो सारे भविष्य की संभावनाओं और आंकक्षाओं को पूरा करता है। इसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग में कुछ आशा बंधी है, उनके जीने की पद्धति में परिवर्त्तन हो रहा है। इसलिये निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आगे चलना चाहिए। आज की जो उपलब्धि है वह इसी कार्यक्रम की उपलब्धि है। इस कार्यक्रम के विभिन्न मत हैं लेकिन उसमें दो कार्यक्रम बहुत जरूरी है। एक हदबंदी और दूसरा खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना। हम आर्थिक और सामाजिक परिवर्त्तन लाना चाहते हैं। भूमि सुधार कर हम उनको जल्द से जल्द करना चाहते हैं। बराबर चर्चा होती रही कि हदबंदी कानून 1962 में बना। यह ठीक है कि पिछले वर्षो में जो प्रगति हुई वह निराशाजनक है लेकिन यह हमारा दृढ़ निश्चय है कि यह बात होनी चाहिए और जितने भूमिहीन हैं उनको ज़मीन मिले।

बिहार के प्रशासन की आप आलोचना करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ उसकी जो उपलब्धियाँ हैं उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। उसमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि इसी प्रशासन ने आपकी योजनाओं को कार्यान्वित किया है। इस राज्य का राजस्व करीब सौ करोड़ तक पहुँचाया है। डेढ़ लाख

एकड़ ज़मीन अर्जित की गयी है। भूमिहीनों के बीच में करीब 77 हजार एकड़ ज़मीन बाँटी गयी है। इसके अलावा गैरमजरूआ ज़मीन भी बाँटी गयी है। गत साल बाढ़ की वजह से 25 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ा। उत्तर बिहार में बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत दी गयी। बाढ़ के चलते हमारा प्रशासन अस्त-व्यस्त हो गया था।

हदबंदी कानून

हदबंदी कानून में संशोधन किया गया है। उसी को सदन में कल यहाँ पारित किया गया है और संबधित मंत्री ने इस पर प्रकाश डाला था। हमने संशोधन इसीलिये किया कि हम जल्दी से जल्दी हदबंदी कानून को लागू करना चाहते हैं और सरकार की यह इच्छा है कि भूमि सुधार के कामों में एक निश्चितता की स्थिति होनी चाहिए। एक निश्चित स्थिति बन जानी चाहिए और किसानों को यह मालूम हो जाना चाहिए कि हम अंतिम रूप से क्या करना चाहते हैं। हमने अपील के समय को घटाया है और साथ-साथ यह प्रावधान किया है कि यह घोषणा कर दें कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे यहाँ 37 हजार रिटर्न दाखिल हुये थे जिनमें 12 हजार रिटर्नो पर कार्रवाई की है और 21 हजार रिटर्न डी.सी.एल.आर. या उनके समकक्ष पदाधिकारियों ने निष्पादित कर दिया है और इस 12 हजार में लगभग 5-6 हजार केसेज में जो ज़मीन प्राप्त हुई और है उसे हम बाँटने जा रहे हैं। 21 हजार मामलों का निष्पादन हो चुका है।

बहुत सारे मामले हमारे सामने आये और बहुत शिकायतें मिलीं कि ऐसे अनेक मामलों में जिनमें ज़मीन निकल सकती थी उनका निष्पादन नहीं किया गया जिनपर हम पुनर्विचार करना चाहते हैं और ऐसे मामले पुनः जिला पदाधिकारियों के सामने खुल सकें इसका प्रावधान किया है जिससे अन्तिम रूप से भूमि सुधार कानून कार्यान्वित किया जा सके। सदस्यों ने इस बात की शंका भू-धारियों के संबंध में व्यक्त की थी कि यह स्वेच्छा से ज़मीन देने से हमारे अधिनियमों की कोई प्रक्रिया रूकने वाली नहीं है और न हम किसी स्तर पर किसी भू-धारी के साथ ढिलाई या मरौअत करने वाले हैं, न उन्हें छोड़ने वाले हैं लेकिन जो वातावरण अभी बन गया है उससे एक बात का असर यह हुआ है कि सभी भू-धारी यह महसूस कर रहे हैं कि सरकार निश्चित रूप से उनकी ज़मीन लेने वाली है। इस वातावरण की वजह से लोग चाहते हैं कि मामले का निष्पादन जल्द से जल्द हो जाए चूँकि कानून के कार्यान्वयन में समय लग रहा है। सेक्शन 11 के बाद जिले में जो प्रावधान रहा है उसकी वजह से काफी समय लगता है। ज़मीन जल्द से जल्द बाँट दी जाए इसीलिये इस तरह का प्रावधान कानून में किया गया है। जिन मामलों का सत्यापन हो जाता है उनमें हम ज़मीन जल्दी बाँट सकते हैं।

कुछ शिकायतें तो मेरे सामने आती हैं लेकिन 2-4 शिकायतों के आधार पर हमारी सम्पूर्ण उपलब्धि

को नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता है और जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें यह है कि हम 30 सितम्बर तक 3 लाख एकड़ ज़मीन प्राप्त करना चाहते हैं जिनमें से डेढ़ लाख एकड़ ज़मीन बाँटना चाहते हैं। बरसात की वजह से कुछ कठिनाइयाँ होंगी लेकिन हमने निर्णय ले लिया है कि हम इस काम को करना चाहते हैं। साथ-साथ यह भी निर्णय ले लिया है कि जिन जिलों में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे यदि वहाँ के जिलाधिकारी प्राप्त करते हैं तो हम उन्हें इनसेंटिभ देना चाहते हैं, हम उन्हें बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन साथ-साथ यह भी निर्णय लिया है कि जिन जिलों में 50 प्रतिशत से कम की उपलब्धि हो वहाँ के जिलाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों को दंडित भी करना चाहते हैं और साथ-साथ सरकार की अप्रसन्नता की उन्हें सूचना देना चाहते हैं, साथ ही साथ सचिवालय स्तर के पदाधिकारियों के लिये भी हमने इस तरह के निर्णय कर रखे हैं। हमारे कार्यक्रमों में भूमि सुधार का पहला स्थान है और दूसरे कामों की अपेक्षा ज्यादा महत्व है।

दूसरे कार्यक्रमों के संबंध में जो विधेयक हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं । एक बात स्पष्ट है कि हम भू-धारियों को कम से कम ज़मीन देना चाहते हैं जो पहले के नियमों के अनुपालन से ज्यादा रह गया था। यदि इन नियमों का अनुपालन हम सख्ती के साथ नहीं करेंगे या उनके खामियों को दूर नहीं करेंगे तो हम अधिक लोगों को ज़मीन नहीं दे पायेंगे क्योंकि पुराने कानून में हमने कई एक छूट दे रखी थी जैसे कि सिलींग एरिया के अन्दर बटाईदारी का अधिकार होता है तो ऐसी ज़मीन देने का क्या मायने रह जायेगा? इस तरह के केसेज मे कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसी ज़मीन यदि हरिजनों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर आवंटित करेंगे तो उन्हें उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। इन्हीं उद्देश्यों से कानूनों में आवश्यक संशोधन किये गए हैं।

जब हमारे साम्यवादी दल के साथी शासन में थे, अपनी मंशा रहते हुये भी इसे लागू नहीं कर पाये थे। अभी हम भी देखते हैं कि उनके पक्के इरादे के बावजूद वे नहीं कर पाये। हमारी इस कार्यान्विति पर वे भी संतुष्ट हैं, उन्होंने भी सहमति दी है। अगर बटाईदारी का हक सारी ज़मीन पर दें तो यह सीलिंग के लिमिट तक देना पड़ेगा। इस प्रकार भूमि सुधार का काम कोई मानी नहीं रख सकेगा। इसलिये समाज के सबसे गिरे तबके को, जिसमें हरिजन आदिवासी या बैकवार्ड ऐनेक्चर 1 हैं और जो बटाईदारी में सबसे कम ज़मीन पाते हैं, उन्हें हमें देना है। तो ऐसे लोग जिन्हें हम देना चाहते हैं उन्हें नहीं मिलकर दूसरों को मिलती है। तो 21.1 एकड़ तक की छूट ही काफी है। जहाँ हरिजन आदिवासियों को 60-70 डिसमिल ही तक लोग बटाई देते हैं, वहाँ ज्यादा देने की सोचें तो म.खौल के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिये सोच-विचार कर हम यह संशोधन असेम्बली में लाये।

खेतिहर मजदूर

खेतिहर मजदूरों को फायदा देने की बात जो है वह काफी कठिन है। वे संगठित नहीं हैं, चेतना का उनमें अभी भी अभाव है। ऐसे लोगों को हक दिलाना किसी भी शासन के लिये कम कठिन नहीं है। केवल हमारे निर्णय लेने, अखबारों में निकाल देने या प्रखंड स्तरों पर अधिकारियों को भेज देने से ही यह काम पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिये राज्य स्तर पर व्यापक रूप से आंदोलन चलाना पड़ेगा। पिछले सालों में जो भी सरकार में आये वे कार्यक्रम को लागू नहीं कर सके हालाँकि कानून पहले से ही मौजूद था। पिछले सालों में 500 से लेकर 1,000 तक ही मामले दर्ज हो सके, ज्यादा नहीं। लेकिन, इस साल 22,000 मामले दर्ज और निष्पादित हुये। इस बार कई हजार टन अन्न और कुछ लाख रुपये भी दिलाये गए। तब भी हमें यह नहीं लगता है कि काम काफी हो चुका है। अभी काफी व्यापक रूप से इसे चलाना है। मुंगेरी बाबू की अध्यक्षता में एक समिति खेतिहर मजदूरों के लिये बनायी गयी है। वे जगह-जगह जा रहे हैं और खेतिहर मजदूरों में चेतना ला रहे हैं। लेकिन, एक बात जरूर है कि मालिक ओर मजदूरों में विभेद कराकर हम मजदूरों को लाभ नहीं पहुँचा सकते हैं। हमारे कांग्रेस के सदस्य भी कहते हैं कि इस कानून की कार्यान्विति समझौते के द्वारा होनी चाहिए। हम कानून को पूरे जोर के साथ लागू करेंगे, यह हमारा निश्चय है। लेकिन, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि हर समय तो सरकार वहाँ नहीं रहेगी। हमारे वहाँ से आने के बाद गांवों में मजदूरों की हालत फिर क्या हो जाएगी, यह भी सोचना पड़ेगा। इसलिये इस कानून की कार्यान्विति के रास्ते के कारण उन्हें भविष्य में भी कष्ट न हो, यह हमें देखना पड़ेगा। इसलिये अच्छा होगा कि हमलोग मिलकर इन मामलों का निष्पादन कर दें।

हमने तय किया है कि हर दो ब्लॉक में एक अफसर रहे। 587 ब्लॉकों में देने का हमारा लक्ष्य है। 286 लेबर इन्सपेक्टर हमने इस काम के लिये दिये हैं। दूसरे भी प्रकार के कर्मचारियों को टे"निंग देकर इसमें बहाल कर दिया है लेकिन जैसा हमने कहा कि एक व्यापक ढंग से चलाने के लिये सारी बातें करनी होंगी। इसमें काफी उपलब्धियाँ हुई हैं। इस साल बासगीत पर्चा दिया गया है। बहुत जिले से सूचना आयी कि यह काम पूरा हो गया है। लेकिन सभी जगह नहीं हुआ है। जिस गाँव में भ्रमण के सिलसिले में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कार्यक्रम हुआ है या नहीं। यह नहीं कि यहाँ नहीं हुआ और वहाँ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। किसको मिला और किसको नहीं मिला, कहाँ बेदखल हुआ, तो क्यों हुआ? ये सारी बातें देखते हैं। 54 हजार लोगों को गृह-स्थल देने के लिए योजना भारत सरकार की ओर से दी गयी लेकिन दुर्भाग्यवश यह कार्यक्रम चला नहीं। 6 हजार लोगों को गृह-स्थल दिया गया। ऐसे लोग जिनको न घर है और न वासगीत ज़मीन है ऐसे लोगों को ज़मीन देना चाहते हैं। सरकार के पास ज़मीन है तो उसमें उनलोगों को बसा देना चाहते हैं। अगर सरकार के पास ज़मीन नहीं है तो खरीद करके ज़मीन देना चाहते हैं। 54 हजार लोगों को हम दे देना चाहते हैं। जहाँ 6 हजार लोगों को दिया, इस वर्ष 12 हजार लोगों को दिया। इसको हम पूरा कर देना चाहते हैं। हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर रहते हैं न बंधुआ को

स्वतंत्र करने की बात हुई। उनके नया जीवन के लिए एक कार्यक्रम भारत सरकार के पास भेजा गया।

बेरोजगारी

आज बेरोजगारी की समस्या है, यह व्यापक समस्या है। यह राज्य की समस्या है, राज्य की ही नहीं राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्र की समस्या ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। सौ मिलीयन लोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेकार हैं। हमारे यहाँ डेढ़ लाख पढ़े-लिखे नौजवान बेकार हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। इसका समाधान ढूंढ़ना होगा। जून, 1972 से जून,1975 तक दो हजार दो सौ लोगों को रोजगार दिया गया है। इसमें भारत सरकार ने 22 लाख रुपये खर्च किये। बैंक की तरफ से 32 लाख रुपये लगाये गए। एक साल के भीतर 13 हजार 800 सौ नौजवानों को रोजगार दिया गया। जहाँ बैंक ने तीन साल में 32 लाख रुपये दिये थे वहाँ दस करोड़ रुपये दिये गए हैं। मीनी बसेज के रूट के लिए कुछ हल्का कर दिया है। माननीय सदस्य चौधरी जी ने इसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 40 किलोमीटर तक प्राइवेट बसेज चलती है। हमने निर्णय लिया कि जहाँ पहले 20 किलोमीटर तक राजकीय बसें चलती थी वहाँ अब प्राईवेट बसें चलेंगी। जब मेरे सामने बैंकों से इन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने और मीनी बसें चलाने के लिए पैसे दिलाने की बात आयी तो यह देखा गया कि जबतक उनको भुगतान करने की कैपेसिटी नहीं होगी तो वे भुगतान कैसे करेंगे? तो निर्णय लिया गया कि 10 किलो मीटर तक ही ये मीनी बसें चलेंगी। हमारे यहाँ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार है। उनसे कहा गया है कि सभी मार्गो पर कम से कम बसों की संख्या दुगुनी कर दी जाए और इससे भी ज्यादा दे सकते हैं तो दीजिए। बिहार सरकार ने इसके अधिनियम में संशोधन कर दिया। पहले यह था कि बसों पर कुछ ही लोगों का एकाधिकार था। इसे दूर करने के लिए हमने इसके अधिनियम में संशोधन कर दिया। हमने यह भी किया है कि यदि सहकारी समिति बनेगी तो उसको प्राथमिकता दें। साथ ही जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं उनको प्राथमिकता दें। पहले जो बेरोजगार की परिभाषा थी उसको बदल दिया गया। सामान्य लोगों के लिए बी.ए. और हरिजनों और आदिवासियों के लिए मैट्रिकुलेट रखा गया। बिहार में जो सहकारी समितियां बनी हैं उनकी संख्या 542 है जिसमें ढाई सौ समितियों को बैंकों से पैसा दिलाया गया है-बाकी को भी बैंक से पैसा दिलाने की कोशिश की जा रही है। एक सहकारी समिति में 6 व्यक्ति होंगे जिसमें दो हरिजन और आदिवासी होंगे। इसके द्वारा भी पढ़े-लिखे नौजवानों में रोजगार की संभावना बढ़ी है।

मोटे कपड़ों के बारे में भी चर्चा की गयी है। बिहार में मोटे कपड़े की बिक्री की व्यवस्था की गयी है। मोटे कपड़ों की बिक्री के मामले नें बिहार राज्य राज्य सभी राज्यों की तुलना में आगे है। यहाँ वैसे कपड़ों की खपत ज्यादा की गयी है। इस धंधे में करीब सात हजार नौजवान लगाये गए हैं। इस तरह से जो दूसरे रोजगार की संभावनाएँ हैं उसके लिए हम बैंकों से पैसे दिलाना चाहते हैं।

हमने यह भी किया है कि पढ़े-लिखे नौजवान बैंक से दो लाख रुपये तक कर्ज ले सकते हैं उनमें दो प्रतिशत सरकार छूट देना चाहती है। साथ ही साथ यह भी कह देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ लघु और माध्यम उद्योग का सामान है उसकी खपत होनी चाहिए। हमने यह तय कर दिया है कि लघु उद्योग की वस्तु को खरीदने में प्राथमिकता दी जाए। यदि इसमें 15 प्रतिशत मूल्य भी फर्क पड़े तो भी उसको खरीदा जाए। इसी तरह मध्यम उद्योग की वस्तु में यदि 5 प्रतिशत भी फर्क पड़े तो भी वह खरीदी जाए। हमने ऐसा कर दिया है कि उद्योग विभाग के प्रतिनिधि सभी विभागों की क्रय समिति में जायें और कहें कि जो आपकी आवश्यकता हो उसका आदेश वहीं प्राप्त कर लें। इस तरह हमारे जो उद्योग-धंधे हैं उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।

शिक्षा

माननीय सदस्य श्री वृन्दा प्रसाद राय वीरेन्द्र ने विश्वविद्यालय की चर्चा बहुत विस्तार से की और उसकी समस्याओं को रखा। जो प्राथमिक विद्यालय थे उनका हमने राष्ट्रीयकरण कर लिया। उनको सारी सुविधाएँ दी गयीं। माध्यमिक विद्यालय का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया लेकिन उनको भी सारी सुविधाएँ दी गई हैं। जो उनकी मांगे थीं उनको पूरा कर दिया गया है। इस सिलसिले में सेकेन्ड्री बोर्ड की स्थापना की गई है जिसकी उपलब्धियाँ प्रशंसनीय है। 3,600 शिक्षकों का वेतन पुनरीक्षित कर दिया गया है। जहाँ तक शिक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न है, लगभग पन्द्रह सौ नये शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गयी हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति में भी हमने हरिजनों और आदिवासियों के आरक्षण की व्यवस्था की है। यह माँग की गयी थी कि सरकारी नियुक्तियों की भांति विश्वविद्यालयों, सहकारी समितियों और स्वायत्त निगमों में भी हरिजनों और आदिवासियों की नियुक्ति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमने विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर इस बात का प्रावधान कर दिया है कि सरकारी नियुक्तियों की भांति ही विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों में हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था होगी। जो सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया है, वे सारी प्रक्रियाएँ सहकारी संस्थाओं तथा स्वायत्त निगमों में भी लागू होंगी और वहाँ भी हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था होगी। यह बात सही है कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद हम सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकेंगे, किन्तु यह बात भी सही है कि हमने बहुत-से बेरोजगारों के लिये नौकरी तथा रोजगार की व्यवस्था की है।

हरिजनों और आदिवासियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण

हरिजनों और आदिवासियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण की बड़ी समस्या थी। उसके लिए

हमने सचिवालय स्तर पर दो स्क्वायड बनाये है- एक कार्मिक विभाग का और दूसरी कल्याण विभाग का। इनके अन्तर्गत इन विभागों में उप-सचिव स्तर के जो हरिजन या आदिवासी अधिकारी होंगे, वे जगह-जगह पर जाकर यह देखेंगे कि आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार के निर्देशों का सही-सही पालन हो रहा है या नहीं। यदि इन विभागों में कोई हरिजन या आदिवासी उप-सचिव स्तर के अधिकारी नहीं होंगे तो दूसरे किसी विभाग से ऐसे अधिकारी उसमें रखे जाएँगे जो उनके हितों की देखभाल, नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में करेंगे। पहले यह कहा जाता था कि कोई भी हरिजन या आदिवासी योग्य नहीं होते हैं।

इसके अतिरिक्त हमने प्राप्तांकों के आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों की नियुक्तियों का निर्देश दे दिया है। पहले बराबर यह शिकायत होती थी कि अमुक ढंग से अन्तर्वीक्षा ली गयी और मनमाने ढंग से चयन किया गया है जिसमें अच्छे-अच्छे और योग्य उम्मीदवारों की उपेक्षा कर अपने लोगों के साथ पक्षपात किया जाता था और उनकी नियुक्ति की जाती थी। इसी शिकायत को दूर करने के लिए हमने यह निर्देश दिया है कि अब प्राप्तांकों के आधार पर ही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियाँ होंगी और अब इसके लिए कोई अन्तर्वीक्षा भी नहीं ली जाएगी। सरकार का यह निर्देश स्वायत्त निगमों एवं सहकारी संस्थाओं पर भी लागू होगा। जहाँ पर अभी नियुक्तियाँ हो रही थीं। वे रोक दी गयी हैं और वहाँ पर भी अब नये निर्देश का पालन किया जायेगा। सरकार के इस निर्देश का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इनको देखने के लिए सरकार ने श्री एम.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन कर दिया है जो सरकारी नौकरियों में हरिजनों और आदिवासियों के आरक्षण सम्बन्धी सरकारी निर्देशों के सही-सही पालन कराने में मदद देगा। वह प्राप्तांक के आधार पर नियुक्तियों की भी जाँच करेगा और जो भी विभाग या अधिकारी सरकार के उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करेगा, उनके विरुद्ध कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कहीं पर सरकार के निर्देशों की अवहेलना होती हो तो आप उसकी सूचना सरकार को दें। सरकार नौजवानों में यह विश्वास पैदा करना चाहती है कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक है और उनके समाधान की दिशा में सतत् प्रयत्नशील है।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता

इस सदन में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का भी प्रश्न उठाया गया है। हमने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता लौटाने का फैसला पहले ही कर लिया है और उस दिशा में हमने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जगह-जगह हमने स्टाफ काउंसिल और शोध के लिए डेवलपमेंट बोर्ड का भी गठन कर दिया है। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक संशोधन के बाद ही स्थाई रूप से सीनेट और सिंडीकेट का गठन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार इसी सत्र में विधान-मंडल के सामने

विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक लाने का प्रयास कर रही है। 1972 ई. से विश्वविद्यालय प्रशासन जिस रूप में चल रहा था उसको बदलने की कोशिश हमने की है। साथ-साथ विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में भी हमने बहुत सारे सुधार किये हैं। प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की अनेक समस्याएँ हैं और इनके निराकरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा बहुत-से प्रभावकारी कार्य किये गए हैं। इसका असर भी ज्यादा हुआ है। शिक्षण संस्थाओं में एक शैक्षणिक वातावरण तैयार हुआ है। अब शिक्षक मन लगाकर पढ़ाते हैं और विद्यार्थी भी मन लगाकर पढ़ते हैं। परीक्षा में अनियमितताएँ थीं वे बंद हो गयी हैं। विद्यालयों में लड़कों को जो मन लगाने की जो परिपाटी थी वह सब टूट गयी थी। अब विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे कि वहाँ सांस्कृतिक सम्मेलन होता है। प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। इस तरह आप देखेंगे कि शिक्षा पर अब काफी नियंत्रण हो गया है। मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ कि वे बहुत ही मन लगाकर हमारे कार्यक्रमों के साथ चल रहे हैं। इससे शिक्षा का स्तर काफी ऊँचा उठा है। विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर और ऊँचा उठना चाहिए। इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में माध्यमिक विद्यालयों में तथा प्रारंभिक विद्यालयों में भी हरिजनों के लिए बुक ग्रांट की व्यवस्था की गयी है। ये सारी बातें हो रही हैं।

कृषि

कृषि के क्षेत्र में सरकार ने काफी नवीन प्रावधान पिछले साल किया है और सरकार इस साल भी कर रही है। बाढ़ के बावजूद हमारी उम्मीद से ज्यादा खरीफ का उत्पादन हुआ है। कृषि विभाग ने रब्बी का कार्यक्रम बनाया था। 1974 में सवा चौदह लाख एकड़ भूमि में रब्बी की खेती हुई और 1976 में सवा बीस लाख की रब्बी की खेती हुई है। जहाँ पिछले साल किसानों ने 73 हजार टन खाद लिया था वहाँ इस साल 1 लाख 43 हजार टन का ऑफटेक हुआ है। 10 करोड़ रुपये ऋण के रूप में किसानों में वितरित किये गए हैं। राँची के बैंक को इस कार्य के लिये 7 लाख 65 हजार रुपये दिये गए जहाँ पहले पाँच करोड़ ऋण किसानों में वितरित किये गए थे वहाँ 11 करोड़ रुपये बाँटी गयी हैं। इसका असर यह हुआ है कि रब्बी की खेती काफी अच्छी हुई है। हमने इस साल एक लाख एकड़ भूमि में रब्बी की खेती का टार्जेट रखा था वहाँ उस टार्जेट से बढ़कर 1 लाख 87 हजार से अधिक भूमि में रब्बी की खेती हुई है। जहाँ पहले 53 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती होती थी वहाँ अब 11 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती होने लगी है। कृषि विभाग ने माइक्रो प्लानिंग की स्कीम तैयार की है। बिहार सरकार को भारत सरकार ने इसके लिए दाद दिया है। कृषि मंत्री, भारत सरकार ने इसकी काफी प्रशंसा की है कि बिहार की यह प्लानिंग कितनी अच्छी है। हर जिले में प्रखंड स्तर पर एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है कि वहाँ किस तरह की ज़मीन है, कहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, निजी नलकूप हैं या नहीं, बिजली है या नहीं। राज्य स्तर पर इन सब बातों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इरिगेशन की सुविधा है या नहीं या

इसके लिए दूसरे साधन हैं या नहीं हैं, इसकी सूचना हमें पहले नहीं रहती थी। 11 लाख 70 हजार एकड़ भूमि में ऐश्योर्ड इरिगेशन है। वर्षा हो या न हो, खेती होगी ही। एक लाख सतरह हजार भूमि में धान के बीज लगाये गए हैं। इस तरह धान की खेती भी अच्छी हुई है।

जनजाति की समस्या

बिहार में जनजाति की समस्या है। उनके उत्थान के लिय बहुत-सी योजना बनी है। पहले जन-जाति के उत्थान के लिये 23 करोड़ की योजना थी। अभी हाल में भारत सरकार से मिलकर 291 करोड़ की योजना बनी है। लेकिन उस 291 करोड़ में सिर्फ 27 करोड़ ही बिहार को सहायता के रूप में भारत सरकार देगी। बाकी रुपये पंचवर्षीय योजना के आवंटन के रूप में भारत सरकार देगी। मैं अदिवासियों की समस्याओं का काफी गहराई से, विस्तार से समाधान करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने राँची में रीजनल डेवलपमेंट कमीशनर की पोस्टिंग की है। मैंने उसे पूरी शक्ति देकर पदस्थापित किया है। सचिवालय की जो शक्ति थी उस शक्ति को मैंने दे दिया है ताकि उन्हें किसी चीज की स्वीकृति के लिये सचिवालय आना नहीं पड़े। सचिवालय में भी अनावश्यक विलम्ब होता था उस विलम्ब को दूर करने के लिये मैंने उन्हें सचिवालय की शक्ति प्रदान कर दी है। इसके साथ मैंने उनके अलावे डिप्टी कमीशनर तथा प्रोजेक्ट ऑफिसर को शक्ति प्रदान की है। उस क्षेत्र के काम में देरी नहीं हो इसलिये मैंने उन्हें शक्ति विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय लिया है। इसके साथ-साथ मैंने संथाल परगना में भी एक अलग प्राधिकार बनाने की स्वीकृति दी है। छोटानागपुर से उन्हें काफी कठिनाई होती थी। अभी मैं हाल ही में संथाल परगना गया था। वहाँ मैंने संथालियों में इंदिरा जी की सरकार के समर्थन की भावना को देखा। उनमें उत्साह भी देखा। मैं तो पहली बार उधर गया था। उस इलाके में एक जगह है लकड़ा पहाड़ी। वहाँ भी मैं गया था। उनलोगों में भी काफी उत्साह देखा। आम जनता में भी काफी उत्साह था। मैंने यह भी देखा कि जब लिफ्ट इरिगेशन की सिंचाई योजना से जब पानी निकलने लगा तो लोग काफी हर्षित हुए। उस इलाके में पहली बार लोगों को पानी निकालते देखे हैं। मैं इस तरह के एक हजार लिफ्ट इरिगेशन द्वारा सिंचाई की योजना संथाल परगना के लिये स्वीकृत करना चाहता हूँ। संथाल परगना के प्राधिकार का मुख्यालय दुमका में रहेगा। सारी शक्तियाँ भी उन्हें विकेन्द्रित कर दी जायेंगी।

हमारे जंगल

दूसरी बात कि जंगल कटते जा रहे हैं और नया जंगल लग नहीं रहा है इसलिये मैंने 50 हजार पेड़ लगाने कि स्वीकृति दी है। 10 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। ये पेड़ सड़क के किनारे सिंचाई के लिये बने बांध की बगल में लगाये जाएँगे। उत्तर बिहार में भी तटबंध के किनारे 50 हजार पेड़ लगाने की स्वीकृति दी है। बोदरा साहब को कहा है कि यदि आवश्यकता होगी तो और रुपये की स्वीकृति दी

जायेगी। जंगल के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती थी। सरकार न उन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान करायी है। अभी उसके लिये 12 करोड़ रुपये का प्रावधान था उसे बढ़ाकर 18 करोड़ का प्रावधान किया है।

6 करोड़ रुपये आदिवासी मजदूरों की स्कीमों के लिए देने जा रहे हैं। मैं व्यापक ढंग से इस कार्यक्रम को चलाना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्री ठाकुर बाबू ने पब्लिक अन्डरटेकिंग की बात उठायी थी। यह बात सही है कि अभी तक पब्लिक अन्डरटेकिंग पर जितना पैसा लगाया गया है, उस अनुपात में उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। इसका कारण यह रहा है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग में विशेषज्ञ, कर्त्तव्यनिष्ठ साथ-ही-साथ प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं रहे हैं। हम इसमें काफी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की सेवा उपलब्ध करने जा रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार से भी बातें हुई हैं। अगर बिहार में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं मिलेंगे तो भारत सरकार से ऐसे लोगों की सेवा ली जायेगी। प्रशिक्षण पॉलेसी के संबंध में एक परिपाटी निर्धारित करना चाहते हैं कि कैसे लोगों को इसमें रखना चाहिए। आई.ए.एस. जाएँगे तो इस पब्लिक अन्डरटेकिंग को मैंनेजमेंट कर सकेंगे या नहीं। अगर मैंनेजमैंट कर सकेंगे तो ऐसे लोगों को काफी समय तक इसमें रहने दिया जायेगा। इसके साथ-साथ ब्यूरो केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, जहाँ पर प्रशिक्षित व्यक्ति रहेंगे और इसकी शिकायतों को सुनेंगे।

श्रमिकों की समस्या

श्रमिक लोगों की समस्या है। पिछले साल से मजदूरों और मालिक का संबंध काफी अच्छा रहा है। कारखानों की हड़तालें रूकी हैं। मैं मजदूरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार राज्य के सारे मजदूरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार राज्य के सारे मजदूर बहुत शक्ति से, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। इसके चलते हमारा उत्पादन बढ़ा है। मजदूरों की हर समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए उनकी समस्याओं की हल करने के लिए सरकार की ओर से कमिटी बना दी गयी है। सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए कार्रवाई की जाती है। माननीय सदस्यों ने जिन बिन्दुओं को रखा है, सरकार उन सभी पर ध्यान रखेगी, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। इस पर कार्रवाई की जायेगी। यह आप जरूर मानेंगे कि हम काफी कठिनाई से गुजर रहे हैं। काफी समस्याएँ हमारे सामने हैं। हमारी आर्थिक स्थिति काफी पिछड़ी हुई है। पिछले साल की उपलब्धियों से हमें कुछ आत्म बल मिला है। लेकिन इन उपलब्धियों से संतोष नहीं करना है। जहाँ निराश का जीवन था, जहाँ हिंसा का जीवन था वहाँ आशा का जीवन बन रहा है। राँची के हर हिस्से के लोगों से हमें मिलने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से वहाँ पर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से लोगों की आर्थिक व्यवस्था बनने वाली है। अगर कोई इसमें रुकावट डालेगा तो उसे बर्दास्त नहीं किया जायेगा। छोटे

निरीह लोगों की हत्या होती रही है। हम अब इस हत्या को नहीं होने देना चाहते हैं।

नया परिवर्त्तन

हम समाज में नया परिवर्त्तन करना चाहते हैं। भूमिहीनों को ज़मीन देना चाहते हैं। अब उनको कोई भी ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता है। अगर कोई बेदखल करने की कोशिश करेगा तो हम उस पर डी.आई.आर. लगायेंगे। भोजपुर में तीन भूमिधारियों को हमने मीसा में ऐरेस्ट करने का आदेश दिया है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी शिकायत वे हमारे सामने रक्खें। जनसाधारण की कठिनाइयों को दूर करने का एहसास हमें है। बिहार में बढ़ती हुई कीमतों को हम कम करना चाहते हैं। कर्त्तव्यपालन की भावना हम सबको होनी चाहिए। जब हम जनता की सारी कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में कारगर कदम उठायेंगे तभी 20-सूत्री कार्यक्रम सफल होगा। जब यह कार्यक्रम सफल होगा तभी बिहार की नयी तस्वीर बन सकती है।

हमें विश्वास है कि जब हम इन सारे कार्यक्रमों को सही ढंग से कार्यान्वित करेंगे तभी बिहार की नयी तस्वीर बनेगी। अब तक सारे देश के लोग बिहार को जिस दृष्टि से देखते रहे हैं कि बिहार के लोग निकम्मे हैं, बिहार के लोग काम नहीं करते हैं वह स्थिति अब नहीं रह गयी है। बाढ़-सुरक्षा का काम हमने तेजी से किया। फरवरी माह में काम शुरू हुआ और आज समाप्त होने को है। लोगों को विश्वास नहीं था कि बिहार के इंजिनियर ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री के विशेष दूत युनुस साहब आये तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह काम इस साल हुआ है। उन्होने पूछा कि क्या यह काम इस साल हुआ है पहले का नहीं है और जब उन्हें मालूम हुआ कि इसी साल का काम है तो उन्होंने यह माना कि बिहार के इंजिनियर मुस्तेद होकर काम कर रहे हैं और ये उपलब्धिां हुई हैं। आज जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, गंगा प्रोजेक्ट आदि उनमें एस्टैब्लिशमेंट का खर्च कुछ नहीं है। उसको हम विभाग के समन्वय से चला रहे हैं।

प्राथमिकताएँ

(बिहार विधान परिषद्-जून, 1980)

मैं दो-तीन बातों की चर्चा और कर देना चाहता हूँ। हमने उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की घोषणा की थी और उसको अमली जामा देने के लिए हमने साढ़े 50 लाख रुपयों का प्रावधान किया है, जिसमें 33 लाख 50 हजार रुपये आवर्त्तक खर्च के लिए और 17 लाख रुपये अनावर्त्तक खर्च करने के लिए शामिल हैं। राजभाषा विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरों पर उर्दू का, द्वितीय राजभाषा के प्रयोग हेतु, अनुवादक सहित अन्य कर्मचारियों के पद सृजन की स्वीकृति हमने दी है। ये इकाइयाँ 250 प्रखंडां, 29 अनुमंडलों तथा 15 जिला मुख्यालयों में कार्य करेंगी, तो हमारी मंशा काम करने की है। इसलिए हमने जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक उर्दू के विकास के लिए इकाइयां बना दी हैं।

1974 के आंदोलन में विद्यार्थियों के नाम पर जिस राजनीतिक दल ने विद्यार्थियों का शोषण कर राजनीतिक लाभ उठाया, उनलोगों की हुकूमत ने 1977 से 1980 तक विद्यार्थियों के अमेनीटिज के लिए एक भी फैसला किया होता तो स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की आत्मा को शांति मिलती। सभी राजनीतिक पार्टियों ने विद्यार्थियों का राजनीतिक शोषण किया। लेकिन इस हुकूमत ने उनके मेरिट-कम -पोवर्टी छात्रवृत्ति के मद में ढाई करोड़ रुपये खर्च होते थे, लेकिन इस साल 6 करोड़ रुपये खर्च होने की व्यवस्था की है। पहले मेरिट-कम-पोवर्टी स्कॉलरशिप 30 हजार छात्रों को दी जाती थी, लेकिन उसको अब दुगूना कर 60 हजार छात्रों को दी जायेगी। गैर हरिजन और गैर-आदिवासी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 4.25 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ 75 हजार कर दी गयी है और 4,035 छात्र इससे लाभान्वित होंगे। इस साल हरेक विश्वविद्यालय को 100 विद्यार्थियों का छात्रवास बनाने के लिए बीस-बीस लाख रुपये दिये जा रहे हैं, जिससे गरीब विद्यार्थियों को लाभ होगा। हमने छात्रों को विश्वास में लेकर विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए एक छात्र कल्याण-कोष की स्थापना की है, जिसमें विद्यार्थी नेताओं एवं उपकुलपतियों की उचित प्रतिनियुक्ति होगी। आशा है कि विद्यार्थीगण एजिटेशन का मार्ग त्यागकर अपनी पढ़ाई-लिखाई की ओर ध्यान देंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के लिए मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहता हूँ पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार हुआ है और मदरसा तथा संस्कृत में 72,000 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है। चूँकि वे गरीब हैं और वे माडर्न स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमने यह फैसला लिया है। ट्रीपुल बेनिफिट योजना, सरकारी सेवकों जैसा प्रोभिडेंट फंड की सुविधा मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को भी मिलेगी और इस मद में 16 लाख रुपये खर्च किये जाएँगे। शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी सेवकों के जैसा 8रु. 40 पै. मेडिकल एलाउएन्स देने का फैसला हमने लिया है। (थपथपी)

हमने 140 कॉलेजों को अंगीभूत कॉलेज बनाया है और राज्य के सेकेन्डरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया है। 12 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करने में खर्च हुए है।

पिछले तीन वर्षों से परीक्षा में कदाचार होता था। हमने इसको खत्म कर दिया है। हमने परीक्षा भी समय पर लेने की घोषणा की है। इससे हमारे विद्यार्थी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो सकेंगे।

विश्वास और उपलब्धियाँ

(बिहार विधान परिषद्-26 मार्च, 1982)

माननीय सदस्यों ने काफी गम्भीर चर्चा काफी बिन्दुओं पर की है। उनके भाषणों के मुख्य अंशों को हमने देखा है और जो माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उन्हें भी गौर से देखा है। बहस के क्रम में जिन बिन्दुओं की चर्चा की गयी हैं उन्हें और संशोधनों को देखने से हमने यह महसूस किया है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिस वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा की है और विरोधी पार्टियों की भूमिका के ऊपर जो अपना संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया है विपक्ष की ओर से जो अपेक्षा की जाती है वह पूरी नहीं हुई है। उन्होंने इस पर चिन्ता व्यक्त की है। किस तरह से विरोधी पक्ष ने एक निराशा और हतोत्साहिता का माहौल, वातावरण बनाया है और किस तरह से लोकतंत्रीय परम्परा और मर्यादा को लोकतंत्र का नाम लेते हुए तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस सम्बन्ध में केवल दो-तीन मुख्य बिन्दुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा।

पिछले सत्र के बहिष्कार के समय जो बातें उठायी गयी थीं हमने उस समय भी ये बातें कही थीं। क्या हो रहा है इस देश और जम्हूरियत के साथ? 71 के चुनाव के बाद 72 का चुनाव, फिर 74 का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हआ था, उसके बाद विरोधी पक्ष ने जो निराशा की भावना फैलायी थी, हतोत्साह की, सारे देश के पैमाने पर छोटी-मोटी बातों को लेकर जो हिंसात्मक आन्दोलन का रूप देने की प्रक्रिया का प्रर्दशन किया था और फिर जब 1980 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी को लोक सभा के चुनाव में बहुमत मिला जिसके बाद फिर विधान सभा के चुनाव हुए और हमें बहुमत मिला फिर दो उप-चुनाव हुए और उनमें भी श्रीमती इंदिरा गाँधी की विजय हुयी है। अपने प्रदेश में 10 विधान सभा उप-चुनाव हुए जिनमें 7 कांग्रेस आई. जीती है और सिर्फ एक ही राजनीतिक विरोधी पार्टी जीत सकी है । तालमेल के बावजूद राजस्थान में जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं पूरी कांग्रेस आई. की ही जीत हुयी है। जनमत क्या है? उसका अगर अहसास नहीं करे विरोधी पक्ष के लोग और संविधान सम्मत बनी सरकार की जीत को न मानें और 1977 के चुनाव को ही सही मानें तो यह लोकतंत्रीय परम्परा नहीं मानी जा सकती है। भारत बंद के आह्वान के नाम पर, किसानों के नाम पर जब

इन विरोधी पार्टियों के तालमेल करने की बात उठती है तो हम देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या होना है। न सिद्धांत, न कार्यक्रम पर ये इकट्ठे हो रहे हैं। होने की गुंजाइश अगर होती भी है तो प्रारम्भिक अवस्था में ही नेतृत्व के लिये टक्कर प्रारम्भ हो जाता है।

हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है,यही आप नहीं जानते हैं। जानते तो यह हालत न होती। बिहार पर भी मैं आता हूँ। हम जो जवाब देंगे अपनी बुद्धि से देंगे। हम कैसे अपनी मोर्चा लेंगे यह आपसे नहीं पूछेंगे। यहाँ भी हम पहुँचने वाले हैं और फिर अभी ही मैं यह भविष्यवाणी कर देता हूँ कि जब मैं उस बिन्दु पर जवाब देने लगूंगा तो आपका पता यहाँ नहीं रहेगा। आप नहीं रहेंगे उस ओर बैठ जाएँगे। कुछ ही भले लोग बैठे रहेंगे जो पूरी बात धैर्य से सुनेंगे। अतः अभी कुछ समय धैर्य से आप बैठें और मुझे जवाब देने दें। विरोधी दल निश्चित रूप से लोकतंत्र को कुंठित करने तथा तोड़ने की सजिश की योजना में क्रमबद्ध हैं।

विरोधी दल जब सत्ता में आ जाएँ, तब लोकतंत्र ठीक है, जब न्यायपलिका इनके पक्ष में फैसला दे दें, तब लोकतंत्र ठीक है, जब चुनाव आयोग इनके मन के मुताबिक फैसला दे दे, तब लोकतंत्र ठीक है, लेकिन जब सरकारी पक्ष की ओर न्यायपालिका फैसला दे दे, तो लोकतंत्र ठीक नहीं है। जब चुनाव आयोग सरकारी पक्ष की ओर फैसला दे दे तब लोकतंत्र ठीक नहीं है। हमारी पार्टी जनता के वोट से सत्ता में आयी है। क्या उनकी नजर में नहीं आती है कि यह सरकार लोकतांत्रिक सरकार है? संविधान के प्रावधान के मुताबिक 5 साल के लिये चुनाव होता है। विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर, जो लोकतंत्र की दुहायी देते हैं उनको बीच में जन-आंदोलन नहीं छेड़ना चाहिए। 5 साल के बाद चुनाव का इंतजार करना चाहिए। हमलोग 1977 के चुनाव में हारे थे, तो कभी भी गैर-संवैधानिक तरीका नहीं अपनाया था।

लोकतंत्र में जितनी आजादी आप लोगों को आरोप लगाने का है, उतनी ही आजादी हमको उन आरोपों का जवाब देने का भी है। पिछले विधानमंडल सत्र का विरोधी दलों के द्वारा बहिष्कार किया गया। हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि सदन की गरिमा के खिलाफ है, अलोकतांत्रिक तरीका है। जनता ने हमलोगों को सदन में बैठने की जिम्मेदारी दी है। निश्चय ही जनता को सम्मान देना चाहिए और उनकी भूमिका को विश्वास के साथ निभाना चाहिए। विधान मंडल सत्र का बहिष्कार करने से ज्यादा तकलीफ हुई, विधान मंडल के कार्यवाही को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। इसलिये मेरा आरोप होगा कि संविधान के तहत की गयी कार्रवाई को जो चुनौती देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, वे विधान मंडल की प्रतिष्ठा पर आघात करते हैं। सार्वभौम सत्ता विधान मंडल में है। विधान मंडल अपनी शक्ति न्यायपालिका के चरणों में समर्पित कर दे और फिर लोकतंत्र की बात उठायी जाए, यह बात समझ में नहीं आती है।

संविधान के तहत क्या प्रावधान है, यह संविधान की धारा 212 में स्पष्ट है कि विधान मंडल की कार्यवाही न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आ नहीं सकती है। मैं संविधान की धारा 212 पढ़ देना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है-

212(1) The validity of any proceeding in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

जब अध्यादेश ने अधिनियम का रूप लिया और उस पर कार्रवाई की गयी तो न्यायपालिका में जाना मानो आपको अपने पर भरोसा नहीं है। ऐसे विषय न्यायपालिका को सुपूर्द किये जाते हैं अगर विधान मंडल इस पर निर्णय नहीं ले सकता है तो इस तरह लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका के लोग दोनों सदनों का सम्मान करते हैं और उच्च न्यायालय कहता है कि हमलोगों के दायरे से बाहर है। लेकिन आप महसूस नहीं करते हैं कि सदन की गरिमा क्या है। आप इसे न्यायपालिका के चरणों में समर्पित कर फिर लोकतंत्र की दुहाई दें यह बात समझ के बाहर है।

संविधान की धारा 176 के अन्तर्गत राज्यपाल सम्मिलित दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को सम्बोधित करने आते हैं और उसी सिलसिले में 19 मार्च को आये। लेकिन आप सबों ने देखा कि विरोधी दल की तरफ से नारे लगाये गए राज्यपाल महोदय विधान मंडल के अंग माने गए हैं संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के साथ विधान मंडल की कल्पना की गयी है वे अपने आप नहीं आते हैं। संविधान की धारा 176 के तहत आपको सम्बोधित करने आते हैं। लेकिन आप संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं। उनके खिलाफ नारा लगाते हैं, जो संविधान के प्रोटेक्टर हैं उन्हीं के खिलाफ आप नारा लगाते हैं

राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो कपटजाल बिछाया गया, जो जालसाजी की गयी विरोधी दल की तरफ से वह दोनों सदनों की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। इससे साबित होता है कि कितने नीचे स्तर तक विरोधी पक्ष के लोग जा सकते हैं। जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उन्हें इस तरह से अवमानना नहीं करना चाहिए जिस तरह से एक माननीय सदस्य ने अवमानना की है। उन्होंने एक हथकड़ी खरीदी और उसको लगा कर सदन में जो प्रर्दशन किया है, यह बहुत बड़ी अवमानना की बात है। जो सदन में नहीं होनी चाहिए थी वह हुई। इन सारी बातों से पता चलता है कि सदन की मर्यादा को आप चलाना नहीं चाहते हैं।

उपलब्धियाँ

हमारी जो उपलब्धियाँ हुयी हैं इस डेढ़ साल के भीतर में वह मैं कह देना चाहता हूँ। मैं यह बतला देना

चाहता हूँ कि 6 मार्च को इकोनोमिक टाइम्स में सारे राज्यों के बारे में संरचना प्रस्तुत की गयी थी और बिहार के बारे में भी उसमें राज्य की आर्थिक समस्याओं की चर्चा हुयी थी। लेकिन उसमें एक पैराग्राफ जो है, केवल उसी की चर्चा यहाँ कर देना चाहता हूँ-

" However it must be conceded that the Jagannath Mishra's ministry is faring somewhat better than that of the predecessors. During the three years of Janta rule the annual utilisation of the plan funds seldom crossed 86 percent mark upto December end Not only that it can take legitimate credit for wiping out the chronic affiliation of overdrafts. Thanks to better management of financial affairs, the revenue collection from different sources in Bihar increased from Rs. 229 crores in 1978-79 to Rs. 333.39 crores in 1980-81. There was further increase in 1981-82".

हमने क्या किया है। इसका एहसास करते हैं वे जो इसका विश्लेषण करते हैं, जिनके पास बुद्धि और विवेक है और जो बुद्धि, विवेक को खो दें, गंगाजी में फेंक आयें उसको कुछ नजर नहीं आता है। बिहार प्रदेश में पिछले डेढ़ साल में हमने क्या किया है, जो एक इम्पीरियल स्टडी बिहार के फाइनेंसिंग के बारे में, बिहार के परफॉर्मेंस के बारे में किया है उनके सामने में यह बात स्पष्ट होती है। हमने कहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति की कमजोरियों की भी चर्चा की है कि बिहार है पिछड़ा लेकिन जो कुछ हुआ है इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं। हमने भी सबूत पेश किया है उसी पर कह रहे थे।

राज्यपाल के अभिभाषण में दो मुद्दों की चर्चा करते हुए सारी बातों के बारे में हमने कहा है कि हमने क्या किया है और किस तरह से अपनी योजना की अधिसीमा को पूरा किया है। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा है कि 560 करोड़ की योजना पूरी की पूरी लागू करनी है। पहले साल योजना आयोग की समीक्षा के समय में हमारी योजना की सीमा एक पैसा की भी घटायी नहीं गयी है और फिर एक साथ 1982-83 की 110 करोड़ बढ़ोतरी से 670 करोड़ की योजना का निमार्ण क्या आपको संतुष्ट नहीं करता है ? जहाँ देश के दूसरे प्रदेशों को वित्तीय कठिनाइयों से जाना पड़ा वहीं हमारे प्रदेश में वित्तीय अनुशासन, वित्तीय व्यवस्था के कारण हमारी स्थिति अच्छी है इस बात को अगर आप एहसास नहीं करें तो फिर हम आपको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं।

1981-82 के बजट अनुमान से राज्य की आय 1982-83 के राज्य की समेकित निधि में 395,55 करोड़ रुपयों से बढ़ जाएगी। राज्य सरकार अपनी करों एवं करेत्तर प्राप्तियों में अच्छी व्यवस्था से शीघ्र वृद्धि लायी है उसमें भी राज्य से वित्तीय प्रशासन में भारी सुधार हुआ इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। 1982-83 के बजट में जो अनुमान रखा गया था उसमें राज्य के करों में 44.39 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और करयेत्तर प्राप्तियों में बजट अनुमान से 44.34 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। दोनों मिलाकर राज्य

सरकार ने लगभग 87 करोड़ रुपये वर्ष 1981-82 में बजट अनुमान से अधिक वसूल किये। इसी प्रकार 1982-83 के बजट अनुमान में वर्तमान वर्ष के करों से प्राप्तियों में 42.92 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी। अगर इससे आप संतुष्ट नहीं कि हमारा शासन कुछ कर रहा है तो फिर आपको कोई कैसे संतुष्ट कर सकता है? इससे हमारे वित्तीय शासन और अनुशासन की तत्परता नहीं बढ़ी है तो फिर कैसे बढ़ेगी।

670 करोड़ की योजना हमने बनायी है। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हमने 564 करोड़ का प्रावधान किया है। 564 करोड़ का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि हमारा 84 प्रतिशत जो योजना का व्यय है वह हम बीस सूत्री कार्यक्रम पर लगायेंगे। उसकी चर्चा राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में की है कि प्रधान मंत्री ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम दिया है वह काफी गतिशील और साहसिक कदम है। इस देश के अर्थ तंत्र को मजबूत करने के लिए और देश के उत्पादन को उच्च करने के लिए । हम 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से समाज का उन्नयन विकास करना चाहते हैं। समाज के कमजोर वर्ग को प्रत्यक्ष मदद करना चाहते हैं, इसके लिए 670 करोड़ की योजना बनायी है। 126 करोड़ पिछड़ी जातियों के लिए प्रावधान किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम को हमलोगों ने शुरू किया है। इनके कार्यान्वयन के लिए हमने बजट में व्यवस्था की है। इसके लिए हमने समितियों का गठन किया है जिससे समाज के उपेक्षित लोगों का कल्याण हो सके। हरिजन, आदिवासी और अल्प सख्यकों का कल्याण हो। समाज के दूसरे तबके के लोगों को तत्काल मदद पहुँचाने के लिए भी हमने कोशिश की है । हमारे राज्य में पिछले एक साल में विधि व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ। इस प्रदेश में 31 अगस्त, से 31 दिसम्बर तक एक विशेष अभियान चलाया गया जिसके अधीन 77698 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 234 स्थानों पर जनता, पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 295 व्यक्ति मारे गए और 191 व्यक्ति घायल हुए। 2034 बन्दूकें और रिवॉल्वर पकड़े गए। 82 मिनीगन फैक्टरी को पकड़ा गया और धनबाद जिले से काफी विधि व्यवस्था में सुधार हुआ हैं जिससे वहाँ पर उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई उसका रेकार्ड उत्पादन हुआ। एच.ई.सी. बी.सी.सी.एल. ने उत्पादन को बढ़ाया। यदि विधि व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो वहाँ उत्पादन में वृद्धि नहीं होती।

अगर हमारी विधि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ होता तो इन जगहों में इतना उत्पादन नहीं हुआ होता। हमने इन जगहों में विधि व्यवस्था में काफी सुधार किया है, ये हमारी उपलब्धियाँ हैं। पश्चिमी चम्पारण से मुंगेर तक जिसकी हालत पहले बहुत खराब थीं, उनकी हालत में कितनी तेजी से सुधार हुआ है यह अब कोई जाकर देखे। हमने बड़ी तेजी के साथ विधि व्यवस्था को ठीक किया है। इसके लिये हमने 150 नया थाना खोला है। 70 नये अंचल की व्यवस्था की गयी है। नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना तथा अपराध कोषांग को संगठित किया है। इससे विधि व्यवस्था में काफी सुधार आया है।

कमजोर वर्ग की सुरक्षा

हमने कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिये काफी बंदोबस्त किया है। बेलछी, विश्रामपुर, धर्मपुरा के कारनामे से इनलोगों ने काफी बदनाम किया था। मई में बेलछी कांड हुआ था और जून में चार्जसीट तामील हुई। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम उनके प्रति चिन्तित नहीं हैं, इनकी क्या व्यग्रता थी। क्या चिन्ता थी यह तो इस बात से ही स्पष्ट है कि ऐसी एक भी घटना की अदालती सुनवाई ये पूरा नहीं करवा पाये। लेकिन जब हमारी सरकार बन गई, इंदिरा गाँधी की सरकार बन गई तो ऐसे सारे मामलों की अदालती जाँच करवा कर, अदालतों में मुकादमें चलाकर विशेष अदालतों की व्यवस्था कराकर 108 आदमियों को सजा दिलायी गयी।इनमें से 98 आदमियों को कड़ी सजायें दिलवाई गयीं, दो आदमियों को मौत की सजा दिलाई गई और आठ आदमियों को छोटी-मोटी सजायें दी गयीं और इसका परिणाम हुआ कि उसके बाद मेरे समय में ऐसी कोई दुखद घटना नहीं घटी।

हरिजनों पर हो रहे जुल्मों से उनको निवारने के लिये हमने 10 विशेष थाने बनाये, 4 विशेष अदालतें हमने बनायी। इसलिये हमने कहा कि हमारी चिन्ता है, हमारी व्यग्रता है हरिजनों पर, कमजोर वर्गो पर हो रहे अत्यचारों से उनपर हो रहे जुल्मों से उनको निबारने के लिये।

हर मामला में मैंने सख्ती से कार्रवाई की है। जब-जब भी इस प्रदेश में हरिजनों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुए हमने उन्हें सख्त कदम उठाया । नक्सलाईट आंदोलनों की बात उठी तो उनके विरुद्ध भी हमने सख्ती से निबटने की कोशिश की है। गया में घटनायें हुईं, औरंगाबाद में घटनायें हुईं और जहाँ कहीं भी घटनायें हुई उनके लिये सरकार को चिन्ता रही है और जहाँ-जहाँ भी हिंसात्मक घटनायें हुई है और उनसे निबटने में जो असफल रहे हैं उनको निलंबित करते हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई भी करते हैं। जिनको हक नहीं मिला था, जहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ था वर्षो से, जहाँ पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ हमनें योजनाएँ चलायीं और योजनायें चलाकर वहाँ पर विकास का काम किया, पीने के पानी की व्यवस्था कराया, लोगों को उनका हक दिलाया और सिंचाई की व्यवस्था में भी हमने सफलता प्राप्त की और नक्सलाईट एरिया में। वहाँ पर जो हालत थी, उसमें काफी परिवर्त्तन आया है।

जितेन्द्र नारायण कमीशन की रिपोर्ट ने विरोधी दलों का असली चेहरा साफ किया है । उसके बाद जो कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है उसमें हमने यह आदेश जारी करने का फैसला किया है कि आर.एस.एस. या जमाइते इस्लामी जैसे साम्प्रदायिक संस्थाओं को किसी सरकारी या गैर-सरकारी प्रांगण में या सार्वजनिक स्थान में कोई कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे कार्यक्रम किसी शिक्षण संस्था में होती है तो उसे सरकारी सहायता का भी हक नहीं होगा। सरकार ने यह भी फैसला

किया है कि कोई सरकारी या अर्द्ध-सरकारी सेवक, कोई शिक्षक किसी रूप में आर.एस.एस. या जमाइले इस्लामी जैसे संस्थाओं की कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं ले सकता है।

जितेन्द्र नारायण कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहा गया कि मुख्यमंत्री के कमरे में हस्ताक्षरित हुआ, इससे अधिक जुडीशियरी की अवमानना और क्या हो सकती है। यह जुडीशियरी का मखौल करना है। उनके मन के मुताबिक कोई फैसला जुडीशियरी दे दे तो ठीक है लेकिन इनको इन्डिक्ट किया जायेगा कमीशन के द्वारा, इन पर यदि आरोप सत्यापित किया जायेग, तो जुडीशियल कमीशन की भर्त्सना की जायेगी। उनके मन के मुताबिक यदि फैसला हो तो सारी बात ठीक है। और न हो तो जुडीशियल कमीशन भी खराब है। और कमीशन कर्पूरी ठाकुर, राम सुन्दर दास ने बताया था, जिसमें कैलाशपति मिश्र बैठे रहें। मैंने इस कमीशन में कुछ परिवर्त्तन नहीं किया। न इसके टर्म्स ऑफ रेफेरेन्स में कोई परिवर्त्तन किया, हमने सरकारी वकील की भी नहीं बदला हमने इसमें कोई पिरवर्त्तन नहीं किया। कोई प्रतिवेदन को पढ़ा होगा तो सरकार का माने होता है गवर्नमेंट ऑफ द डे लेकिन न तो हम पर कोई आक्षेप लगाये कि हमने इसमें दखल दिया, टर्म्स ऑफ रेफरेन्स को बदल दिया, या सरकारी वकील बदल दिया या गवाह बदल दिया इसलिये हमने कोई संशोधन कमीशन की कार्रवाई के साथ नहीं किया। ऐसे निष्पक्ष कमीशन ने जब सारी तस्वीर पेश कर दी कि ये साम्प्रदायिक हैं, देश को विखंडित करना चाहते हैं, देश को, समाज को गुमराह करना चाहते हैं और देश की एकता और देश की अखंडता पर प्रहार करना चाहते हैं और जब इस बात को प्रसारित किया गया तब इनको बौखलाहट हुई।

हमने इनका असली चेहरा देश के सामने पेश कर दिया। समाज के सामने पेश किया है कि इस मूल्क को ये किस तरह तंग और तबाह करने की योजना वर्षो से बनाते रहे हैं। साम्प्रदायिक दंगों के पीछे कौन तत्व है, इसको साफ किया है। ये बराबर चिल्लाते थे कि कहाँ कोई सबूत है। जहाँ कहीं भी दंगा होता था और जिसमें इनका हाथ होता था तो चर्चा करते थे सबूत की। जितेन्द्र नारायण कमीशन ने ये सारे सबूत पेश कर दिये।

1977 मे इन लोगों ने फैसला किया था एक होने का। फिर उसके बाद इनलोगों ने फैसला किया कि चूँकि उसमें साम्प्रदायिक तत्व है, दोहरी सदस्यता है, आर.एस.एस. के लोग हैं, इसलिये आपे जनता पार्टी को तोड़ा। लेकिन मुझे परेशानी होती है जब ऐसे लोगों को फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ देखते हैं, जनता पार्टी के लोगों को उनके साथ देखते हैं।

नवम्बर में उप चुनाव के जमाने में जनता पार्टी लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस(अर्स) का तालमेल देखा तो आश्चर्य हुआ कि आप देश की जनता के साथ क्या चाहते हैं। कैसी सिद्धांत

विहीनता की बात आप करना चाहते हैं। साम्प्रदायिकता के नाम पर जनता पार्टी को आपने तोड़ा लेकिन फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों का बँटवारा किया, आपने मशरख की सीट का बँटवारा किया, सिंहेश्वर और डुमरांव की सीट का बँटवारा किया। सिद्धांतविहीन कोई कार्यक्रम जनता पसन्द नहीं करती है। चुनाव के नतीजे ने इस भावना को सम्पुष्ट किया है। इस तरह लोक दल जनता पार्टी कांग्रेस (अर्स) जब तालमेल की बात करते है तो घबड़ाहट होती है कि आप कोई वैकल्पिक कार्यक्रम देश की जनता को नहीं दे सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। इस बात का यह सबूत है कि अभी पार्टी बनी नहीं, समझौता हुआ नहीं कि झगड़ा शुरू हो गया। चरण सिंह अध्यक्ष बनेंगे, मोरारजी अध्यक्ष बनेंगे, चन्द्रशेखर अध्यक्ष बनेंगे, यह झगड़ा शुरू हो गया। आप देश प्रदेश की जनता को किसी रूप में गुमराह नहीं कर सकते हैं।

इसी तरह भ्रष्टाचार की बात बड़े जोरदार ढंग से इन्होंने की है। जब ये भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। भ्रष्टाचार की चर्चा वे क्या करेंगे जो अपने आप को पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में डुबो रखे हैं। ये सबूत की बात करते हैं। मैंने विधान सभा में घोषणा की है कि किसी के पास साक्ष्य हो तो सामने लाये मैं उसकी तुरत जाँच करा दूँगा। किन्तु भ्रष्टाचार को राजनीति का हथकंडा नहीं बनावें। भ्रष्टाचार है तो उस पर प्रहार होना चाहिए लेकिन अंधेरे में टटोलने की चेष्टा से लोकतंत्र को कलंकित नहीं कीजिये। कोई सबूत आप पेश कर दीजिये हमारे मंत्रिमंडल के बारे में हम तत्काल उसकी पूरी जाँच करा देंगे। हमने कहा प्रभात जर्दा कांड के बारे में कि 20 करोड़ का वे टर्न ओवर करने वाले थे और बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति इन्होंने टैक्स लगाया, बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति से टैक्स माफ किया और हमने उदाहरण संचिका से सदन में पढ़कर सुनाया कि सारे विभाग ने अपनी टिप्पणी में उसका विरोध किया था। सरकार ने एक फैसला लिया है कि ऐसी तमाम बातों की समीक्षा की जायेगी।

अखबारों की स्वतंत्रता

बड़े जोरदार ढंग से अखबारों की स्वतंत्रता की बात उठ रही है। तमिलनाडु की बात भी सामने है। हमने यहाँ से अध्यादेश जो निकाला है उसे देखने की बात कही है और विरोधी पक्ष वाले कहने लगे कि इन पर अध्यादेश लागू हो गया है। और श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार बहुमत में नहीं हैं लेकिन उनके खिलाफ प्रेस काउंसिल में, लोक सभा में कहाँ-कहाँ आपने क्या नहीं किया। उसमें आपकी क्या भावना थी? क्या व्यक्त हुआ उससे? तमिलनाडु में लागू हुआ है हमने कहा कि उसे मंगायेंगे और देखेंगे। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से ऐसा करता ही है। उसी सिलसिले में हमने यह किया है। अब इंडियन नेशन और आर्यावर्त्त की चर्चा हुयी। अगर कहीं से कर्मचारी ने हड़ताल शूरू की, अपनी माँगों को सरकार के समक्ष रखा, श्रममंत्री बैठे हैं हस्तक्षेप करके हमने समझौता कराया। रात में प्रतिनिधि आये,

समझौता हो गया। दूसरे दिन हड़ताल जारी हो गयी। प्रबंधकों की माँग थी कि लाठी और पुलिस से हड़तालियों को निकाल दिया जाए, ऐसा होगा नहीं। विरोधी दल यह माँग करे कि हड़तालियों को लाठी से निकाल दिया जाए? सरकार का कसूर हुआ कि उन्हें इस तरह नहीं निकाला। उसके बाद इन दोनों अखबारों ने क्या छापा सारी जनता को मालूम है। झूठी कहानियाँ और आरोप छपने लगे सरकार को विखंडित करने के लिये। विरोधी पार्टियो को मौका मिला नाम छपवाने के लिये। आपका नाम छप जाएगा इस सबंध में, लेकिन किसी अच्छे काम के लिये नहीं छपेगा। दो चार बातें सरकार के खिलाफ बोलिये और छपवा दीजिये। इसके बारे में मैं रेकार्ड में कुछ रख भी देना चाहता हूँ। 24 जनवरी का न्यूज वेभ है। जो लोग फर्जी अखबारों के द्वारा और स्वयं जाल-फरेब करके अनियमित काम करते हैं वे दूसरों को भ्रष्टाचारी कहेंगे और नैतिकता का उपदेश देंगे। कुछ लोगों का जो गुणगान छापेंगे और कुछ का नहीं हम उनकी बात सुनेंगे? अब जो हालत उनकी हुई है, वह आप सुनिये। मैं पढ़ता हूँ-

New Wave, January 24, 1982, page-3

"INDIAN NATION AND FREEDOM OF PRESS:

Our attention has been drawn to a news item published in the INDIAN NATION, Patna, on January 9th last. The item is captioned " PM urged to intervene and stop gagging up press in Bihar." the news item is in the form of report on a resolution adopted by an organisation called " the All India Journalist Union." The signatories to the resolution range from organiser Malkani to the entire staff of New Wave. On enquiry from the INDIAN NATION office we learn that this Union has its office on NEW WAVE premises.

First to our knowledge there is no such organisation as the All India Journalist's Union. Secondly no such organisation has its office on NEW WAVE premises. Thirdly, no member of the NEW WAVE staff ever signed any resolution. The whole thing is a fabrication unbecoming of a paper like the INDIAN NATION. It is regrettable that so far the INDIAN NATION has not contradicted the item nor has it taken any steps to undo the wrong it has done to a number of Journalists.

The INDIAN NATION is apparently engaged in a war of attrition with the Government of Bihar. The fact of the case are not known to us but that is besides the point. What concerns the journalist community is that freedom of the press will certainly be jeopardized if papers like "INDIAN NATION" are allowed to be its defenders. There is no room for doubt that the concerned item has been concocted in the office of the INDIAN NATION." The paper has been unfair not only to its reader but also to its staff members stationed in New Delhi. The

concerned 47 news item is supposed to have been sent by the New Delhi office of the INDIAN NATION. We learn that this too is not a fact.

The Bihar government will be fully justified in asking of the Press Council to look into this gross abuses of the freedom of the press. So will be the various organisations of editors and journalists. We are constrained to conclude that the affairs of the INDIAN NATION are far from being satisfactory since the paper is run by a trust, the government should look into its affairs and set things right. Withholding of advertisement does not hurt those who run the management. It ultimately hurts those who work on the paper and they are the journalists. The government should act in the interest of a reputed institution and the working journalists.

By its conduct the "INDIAN NATION has forfeited the right to solicit the support of journalists in its so-called fight against the government."

आप भी अखबार पढ़ते होंगे। आपने देखा होगा कि बिहार सरकार की बातें, बिहार के लोकल समाचार पत्र में क्या होता है। बिहार सरकार की घोषणा, बिहार के मंत्रिमंडल की घोषणा और उसकी उपलब्धियों को बहुत कम से कम दिखाने की कोशिश की जाती है। विज्ञापन के बारे में कहा जाता है तो उसमें हमने कोई भेद-भाव नहीं किया है। वह सारी चीजें जो चल रही थी, आज भी चल रही है। जो विज्ञापन पहले उन्हें दिया जाता था वह अभी भी दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गयी है वह जनता के सामने उजागर हो चुका है। तमिलनाडु की बात कही गयी है। हमने कहा कि वहाँ पर ऑर्डिनेन्स लागू है और वहाँ प्रेस पर पाबंदी लागू हो चुकी है। लेकिन वहाँ उसके लिये कोई हंगामा नहीं है। लेकिन बिहार में यह लागू नहीं है फिर भी तमाम हल्ला मचा हुआ है। प्रेस के प्रति हमारी कोई इलबिल नहीं है। माननीय सदस्यों ने जिन बातों की चर्चा की थी इसलिये मैंने समझा कि इसकी चर्चा कर दी जाए ताकि वह बिहार की जनता के सामने आ जाए। हम चाहते हैं कि भगवान उसके सम्पादक और मालिक को अभी भी सुबुद्धि दे। प्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठा हुआ है। आज वह श्री देवरस और अटलबिहारी की तस्वीर अखबारों में छापता है और उनका भाषण भी छापता है। तो इस तरह से वह भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर न निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है और न राष्ट्र की सेवा कर सकता है और न समाज की सेवा कर सकता है और न सरकार के प्रगतिशील कदम की रक्षा ही कर सकता है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि भगवान उसके सम्पादक को बदले की भावना से काम न करने की प्रेरणा दें। हमारा प्रेस को पूरा सहयोग है।

विज्ञापन के बारे में मैंने कह दिया है आप भी देखते होंगे कि सभी अखबारों में विज्ञापन भरा रहता है।

सरकार को बदनाम करने के लिये यह गलत आरोप लगाया जाता है। सदस्यों ने भ्रष्टाचार की चर्चा की है। इसकी जाँच के लिये एक संस्था लोकायुक्त की है माननीय सदस्य उनके सामने जा सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री को उसकी परिसीमा से अलग रखा गया था लेकिन मैंने उसमें सुधार कर दिया है और मुख्यमंत्री को भी उसके दायरे में ला दिया है। उस समय लोकपाल की व्यवस्था होती थी इसलिये गृह मंत्रालय में मुख्यमंत्री को उससे अलग रखा था। आये दिन इस बात की चर्चा होती है और साक्ष्य के अभाव में मंत्रियों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है हमने अपने भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है जो आप सभी लोगों को मालूम है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है उसकी जड़े काफी नीचे चली गयी है। केवल चर्चा करने से ही यह मिटने वाला नहीं है। इसके लिए सभी को चाहिए कि वे सरकार को सहयोग करें।

झूठे मुक़द्दमे

अभी विधान सभा और विधान परिषद् में रोज-रोज माननीय सदस्य मुझ पर किये गए मुक़द्दमे की चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वे लोग राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर ऐसी चर्चा करते हैं। यदि मेरे दिल में जरा भी खोट होता तो मैं बैंक मैंनेजर को अपने सामने जेल में नहीं भेजवाता। चूँकि उस मैंनेजर को गिरफ्तार किया गया था और जेल में बंद किया गया था इसलिये उसने हमारे खिलाफ बयान दिया है। अगर वह जेल में बंद होने के पहले कोई स्टेटमेंट देता तो उसकी कुछ कीमत हो सकती थी लेकिन गिरफ्तार होने के बाद, अभी वह जमानत पर है, कोई स्टेटमेंट देता तो वह कोई कीमत नहीं रखता है और इसमें उसकी मंशा साफ हो जाती है। फिर भी इस मामले को काफी उछालने की कोशिश की जाती है।

जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो एक दिन मैं इस मुक़द्दमा को वापस ले सकता था, लेकिन एक साल तक मैंने इस मामले की पूरी समीक्षा की और विभाग को अपने विवेक से फैसला लेने के लिए छोड़ दिया था। विभाग ने फैसला लिया कि इस मुक़द्दमे में कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए इसे उठा लिया जाए। इसमें मैंनेजर के स्टेटमेंट के अलावा कोई साक्ष्य नहीं है और न साक्ष्य रूप में कोई कागजात ही है। इस सारे मामले को हमारा राजनीतिक जीवन कुंठित करने के लिए उछाला जा रहा है। यह मामला कोर्ट में लम्बित है इसलिए मैं कोर्ट के निर्णय पर ही छोड़कर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह मुक़द्दमा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर किया गया है। इसके साथ यदि भ्रष्टाचार का साक्ष्य होता तो मैं इस जाँच का स्वागत करता। लेकिन इससे जमहूरियत और लोकतंत्र टूटेगा और उसकी छवि धूमिल होगी।

अभी टकराव की राजनीति है, विरोधी दलों द्वारा कभी भारत बंद और बिहार बंद से समाज और देश की कौन सी सेवा करना चाहते हैं। इससे वे जमहूरियत की जड़ को हिला रहे हैं और उसे और ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जनता में हमलोगों को पाँच साल के लिए चुना है इसलिए पाँच साल तक हमलोगों को शासन करने दीजिए। अगर इस तरह से लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश की गयी तो वह बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक होगी। हमने प्रदेश की आमदनी को बढ़ाया है और कृषि का उत्पादन बढ़ाया है। अभी 1982-83 के बजट में हमने काफी अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ताकि ज्यादा-से-ज्यादा बिहार का विकास हो सके।

अनुभव और सुझाव

(बिहार विधान सभा-23 मार्च, 1994)

सम्पूर्ण विपक्ष और मैं अपनी ओर से विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सदन से चन्द अपीलों के साथ और निवेदन के साथ।

जिस समय मुख्यमंत्री 17 तारीख को बजट पेश कर रहे थे और 6 महीने का लेखानुदान उन्होंने प्रस्तावित किया था, हम सबने उसका घोर विरोध किया था और हम सब सदन से बहिर्गमन कर गए थे। हम सब की भावनाओं को ध्यान में रखकर तथा लोकतांत्रिक प्रणाली एवं संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए सरकार को सदबृद्धि आयी और उन्होंने 6 महीने के बदले 4 महीने का लेखानुदान प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इनका मूल बजट 89,15,28,000 रुपये का है और यह 4 महीने का लेखानुदान 29,71,76,000 रुपये का है।

हमारे पास एक पुस्तक है- ''बिहार की पीड़ा से जुड़िये।'' यह पुस्तक बिहार की अवस्था को दर्शाता है। इस पुस्तक में हमने कुछ बातें कही हैं। अध्यक्ष जी, बड़ी भावना के साथ एक उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ:

''बिहार की यह बदनसीबी है कि इस तेज रफ्तार की राष्ट्रीय दौर में आगे बढ़ने की बजाए हम सब पीछे ही खिसक रहे हैं। बिहार पिछड़ेपन का पर्याय बन गया है और यहाँ के लोग इस पीड़ाजनक स्थिति को अपनी नियति मानकर जीने को विवश हैं। उपेक्षा, शर्मिन्दगी और गुरबत के दिन लम्बे अरसे तक भोगते रहने के बाद बिहारवासियों का यह नजरिया हो गया है कि हालात इससे भी बदतर हो सकती हैं और उन्हीं में हमें जीना है। एक समय था जब यह प्रदेश हिन्दुस्तान के नक्शे पर एक सुनहरा चमकता हिस्सा था। लेकिन आज यही प्रदेश इस मुल्क के नक्शे में बदनसीबी की कीरचों की तरह चुभा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर इस प्रांत के नागरिकों की तमाम जागरूकता के बावजूद इस प्रदेश का व्यक्तित्व भिक्षुक सा बनकर क्यों रह गया है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं।''

बिहार का दर्द

मैंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में और विरोधी दल के नेता की हैसियत से जनता दल के शासनकाल में तथा फिर सत्ता में आने के बाद बिहार के इस दर्द को उजागर करने की निरंतर चेष्टा की। इन बातों की बुनियाद 1976 से ही है जब 1976 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उन मामलों को मैंने राष्ट्रीय पटल पर रखा था। फिर 1980 से 1983 में और आज भी इन सवालों पर मैं उतना ही मुखर हूँ। अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर तथ्य व आँकड़े संकलित करके मौलिक तथ्यों को उजागर करने की चेष्टा करता हूँ। इन सबके पीछे मेरी कभी कोई राजनीतिक नीयत नहीं रही, क्योंकि इस संदर्भ में मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है कि हमारी प्राथमिकता है प्रदेश की प्रगति। मैंने जो कुछ भी समय-समय पर कहा है वे तथ्य योजना आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित हैं और यह तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना कतई नहीं है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि मेरे कुछ प्रतिद्वंद्वियों ने इसे राजनीतिक रंग देकर सदैव बिहार के हक से जुड़े इन बुनियादी सवालों को इस तर्क के संग विवादास्पद बनाने का अभियान शुरू कर दिया कि मैं केन्द्र से तनाव पैदा कर रहा हूँ। निजी तौर पर मुझसे किसी का दुराव हो, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन मुझसे प्रतिशोध लेने के चक्कर में ऐसे लोगों ने बार-बार बिहार के हित से खिलवाड़ किया।

बिहार के सवालों को प्राथमिकता दिलाऊँगा

इसलिए इस सदन से त्यागपत्र देने के बाद जब मैं जाउँगा राज्य सभा में तो मेरा पहला दायित्व और पहली जिम्मेदारी होगी यह देखना कि बिहार के तमाम सवालों को प्राथमिकता के आधार पर कैसे प्रस्तुत किया जाए और कैसे आम सहमति इन सवालों के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनायी जाए। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को हम सब ने सर्वदलीय बैठक में और विधान सभा में भी अनेक अवसरों पर आश्वासन दिया था राज्य के उत्थान और विकास के लिए। हमारा पूर्ण समर्थन और सहयोग आपके साथ रहेगा। हमें अफसोस है कि सभी दलों की आम सहमति के बावजूद मुख्यमंत्री अपनी दलीय सीमाओं से ऊपर नहीं उठ पाये और हमें विश्वास में लेकर इस प्रदेश की समस्याओं का निदान करने में कारगर नहीं हो पाये। जो हालात आज बनती जा रही हैं उनपर भी गौर करने की जरूरत है।

जब सन् 1990 के 10 मार्च को लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो एक नयी उम्मीद, नयी आशा लोगों के मन में उभरी थी। अभी इन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है। हम किसी से नहीं कहते, आपसे नहीं कहते, विश्लेषण करने के लिए नहीं कहते, हम लालू प्रसाद जी के अन्तःकरण से जानना चाहते हैं, उनके अन्तर्मन से कहना चाहते हैं कि अकेले दो घंटे अपने को कमरे में कैद करें और

फिर सोचें कि चार साल में उनके नेतृत्व को जितना जन समर्थन मिला उसके अनुरूप हमारी समस्याओं में क्या वे कोई सुधार कर पाये? लालू जी को खुद उन्हें अपने हाईकमान का समर्थन था। हम समझते हैं कि बिहार में ये बिड़ले मुख्यमंत्री हैं जिनका उत्तरदायित्व न दल के भीतर है और न दल के बाहर। काँग्रेस (आई) के समय में दल के भीतर यहाँ जितने मुख्यमंत्री हुए, उन्हें तो हाईकमान से भी अपनी कहनी पड़ती थी, उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करना पड़ता था, लालू प्रसाद जी को न हाईकमान से कोई रुकावट हुई और न यहाँ जनता दल के सदस्यों ने कोई बाधा डाली है। यह बात सही है कि इनके दल में भी इनके कार्यकलापों से असंतोष और नाराजगी है। लेकिन वह नाराजगी सार्वजनिक रूप में प्रकट नहीं हुई है। यह तथ्य है, हकीकत है कि जो चिंतनशील व्यक्ति होगा वह सोचने समझने के बाद बिहार के मामले में निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि हमारी समस्याएँ बरकरार हैं। क्या हुआ? क्या भावनाएँ फैल रही हैं हमारे सूबे में। 18 तारीख को जो रैली हुई सी.पी.आई. की, लिबरेशन फ्रंट या आई.पी.एफ. की या दूसरी रैली, जो चाहे किसी की भी रही हो, वह रैली भी एक संदेशा देकर गयी कि वे भी एक राजनीतिक जीव हैं और ऐसे अवसरों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। वह जो रैली थी, किसी बड़े नेतृत्व के प्रति आकर्षण के कारण नहीं थी। वह रैली थी बिहार में दलितों, पीड़ितों और शोषितों की।

भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनायी

बिहार में राजनीतिक दलों की सार्थकता खत्म हो रही है, उससे हमको लगता है कि सी.पी.एम., सी.पी.आई. और लेफ्ट पार्टियाँ गरीबों के बीच काम करने वाली पार्टी तो थीं किन्तु पता नहीं किन परिस्थितियों में सी.पी.आई., सी.पी.एम. की भी सार्थकता आज खत्म हो गयी है। दूसरी पार्टियों के नाम से वे जनता के बीच में कुछ कार्यक्रमों और नीतियों के आधार पर या संघर्ष के आधार पर अपने कार्यकलाप चलाती रही हैं। हमें अफसोस है कि जनता दल का गठन एक खास परिस्थिति में हुआ था और वह परिस्थिति बनी देश के स्तर पर जिसमें श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और उसी हवा के तहत आप बिहार में सत्ता में आये। आप जातीय आधार पर नहीं बल्कि जनभावना के आधार पर आये थे। काँग्रेस के विरुद्ध जो भावना बनी थी और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर जो आकर्षण हुआ था उसके जरिये आपको जनसमर्थन मिला था और विशेषकर बिहार में भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा की वजह से बनी स्थिति आपके पक्ष में गई। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के मामले में साम्प्रदायिकता फैलाने की जो कोशिश की थी उससे हवा का रूख जनता दल के पक्ष में हुआ। भारतीय जनता पार्टी से लोक सभा के चुनाव में और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के गठन में जनता दल को सहायता लेनी पड़ी।

सिद्धांतहीन समझौता के कारण विषम परिस्थिति

बिहार में जो सरकार बनी उसे बनाने के समय भी तीन चार दिनों तक स्थिति अस्पष्ट थी। आप 6

तारीख को नेता बने और हमने 6 तारीख को त्यागपत्र दे दिया। 10 तारीख को आपने शपथ ग्रहण किया जब भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को लिखकर दिया कि लालू प्रसाद को उनका समर्थन है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक समर्थन के बाद आप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद घटना क्रम बदलता गया। लेकिन यह सही है कि आपका प्रारंभ, याने जनता दल सरकार का प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन और साम्प्रदायिक ताकतों से हुआ है। धीरे-धीरे आपने उससे अपने को अलग किया है। मुझे अब यह आशंका नहीं है कि आप में धर्मनिरपेक्षता की कमी है। लेकिन आपके साथ अवसरवादिता की जो प्रवृत्ति रही है उसकी जब हम व्याख्या करते हैं तो स्पष्ट होता है कि आपको जनसंघ के साथ अपनी सरकार बनानी पड़ी थी। आपके बहुत पुराने नेता श्री अनुप लाल यादव जो सोशलिस्ट नेता रहे हैं, उनको मैं याद दिला दूँ कि श्री महामाया बाबू के नेतृत्व में संविद सरकार बनाते समय जनसंघ का समर्थन लेना पड़ा था। उसी समय से जो मनसूबा साम्प्रदायिक ताकतों का बढ़ा है उसी की वजह से आज यह हालत बनी। इसलिये इस देश की धर्मनिरपेक्षता को तथा इस देश के साम्प्रदायिक सद्भाव (कम्युनल हारमोनी) को बड़ा आघात पहुँचा है। अवसरवादिता की वजह से सत्ता में आने की जो आपकी ललक और लालसा थी उसके चलते आपने सिद्धांतहीन समझौता करने की कोशिश की जिससे देश और प्रदेश की ऐसी परिस्थिति बनी है। लगता है कि साम्प्रदायिकता हमारी पूरी धर्मनिरपेक्षता के लिये, पूरी जमहुरियत के लिये खतरा साबित हुई है।

जातिवाद बढ़ाना, काला अध्याय

राज्य में जो सरकार में आने का अवसर मिला उसी मनसूबा से आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष, तमाम सोशलिस्ट ताकतों को एक सूत्र के अंतर्गत आना पड़ेगा। हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। बिहार की स्थिति भिन्न है। ऐसी चुनौतियों का मुकाबला कैसे हो यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। विगत चार साल के अंदर मुख्यमंत्री के शासनकाल में इस राज्य का जो माहौल बना है उसे आप याद कीजिये। 1990 में क्या माहौल था और आज इस सूबे का क्या माहौल है? किसने रोका था उस माहौल में चलाने से। महोदय, जो पुराने प्रतिबद्ध (कमीटेड) समाजवादी सोशलिस्ट हैं उनकी मान्यता ऐसी है कि समाज में दो तबका होते हैं। एक गरीब का और दूसरा अमीर का तबका। हमारे देश की यह बुनियाद है और हम समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की बात कही है। वह हमारा संकल्प है और उसी की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारी मान्यता है कि जिस तरह साम्प्रदायिकता (कम्युनलिज्म) हमारे देश के लिये चुनौती है उसी तरह से जातीयता भी देश के लिये एक चुनौती है। गरीबों का हक मिलना चाहिए और सामंतवादियों को खत्म होना चाहिए। इसमें इस देशा के जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं उनके विचारों में भिन्नता नहीं हो सकती है। लेकिन

इसके बदले जातिवाद बढ़ाने का काम जो शासन ने किया है वह बिहार के राजनीतिक जीवन का काला अध्याय बन गया है। आगे आने वाले दिनों में हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे लेकिन भावी पीढ़ी आगे इसका आकलन करेगी। इस सूबे में गरीबी नहीं बढ़े, पिछड़ापन नहीं रहे इसकी कोई प्राथमिकता नहीं रही बल्कि आपकी प्राथमिकता बनी कि सत्ता में कैसे रहें और दल के लोगों को चुनाव में कैसे जितावें। आपका ध्यान इस ओर रहा कि सस्ती लोकप्रियता कैसे हासिल कर सकते हैं और एक के विरोध में दूसरे को कैसे खड़ा कर सकते हैं?

बजट की गहन समीक्षा अपेक्षित थी

हमें अफसोस है। हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा और जो कुछ हमने देखा है उससे हमें बड़ा अफसोस होता है। चार साल शासन पूरा करने के बाद जिस मनसूबे के साथ आपका बजट आना चाहिए था वह नहीं आया। जिस तरह से राज्यपाल के भाषण में बिहार की बात रखनी चाहिए थी वह नहीं रखी गयी है। बजट भाषण राज्यपाल के भाषण से भी छोटा है। हम नहीं समझते हैं कि राज्य के वित्तीय इतिहास में इतना छोटा भाषण किसी ने देखा होगा। बजट के जरिये हम बिहार को देखते हैं। वह हमारे प्रदेश का आइना होता हैं उससे पता चलता है कि बिहार किस हालत में है। संभवतः मुख्यमंत्री जी इसको देखने का आपके पास समय नहीं होता है। गहराई में जाने का समय नहीं होता है और न आपके पास मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं जो आपकी सहायता कर सकें और गहराई से देख सकें कि बजट में क्या हो रहा है, बिहार की क्या परिस्थिति बनी हुयी है? जिस वित्तीय संकट के दौर से बिहार गुजरा है और आज आप गुजर रहे हैं उसपर कई बार चर्चा हो चुकी है उसको मैं दुहराना नहीं चाहता। मैंने सदन में जितनी बातें पिछले अधिवेशन में और बैठकों में कही हैं उनका उत्तर मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ से नहीं मिला।

संशोधन प्रस्तावों का उत्तर न मिला

लोकतंत्र में क्या होता है? यह होता है कि हमारी वाणी और हमारी आवाज उठती है और प्रस्ताव आपका होता है। सत्ता आपको जनता ने दी है, इसे आप चलाएँगे। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन उनकी आवाज आपको सुननी होगी। जनता की भावनाओं को प्रकट करने का औचित्य है। यह सदन इसलिए है कि आप सत्ता पक्ष की बातों को रखें और हम विपक्ष की बातें कहें। जनता का पक्ष रखें। राज्यपाल के पहले अभिभाषण पर और इस साल के अभिभाषण पर हमारा जो धन्यवाद संबंधी संशोधन प्रस्ताव है और जो श्री रामाश्रय बाबू ने कल कहा है उनमें से किसी बिन्दु का उत्तर देना आपने उचित नहीं समझा। विधान सभा में कही गयी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सरकार अगर उन बिन्दुओं पर जबाव देना उचित नहीं समझे तो आखिर सदन की उपयोगिता क्या रह जाती है? जो

जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका क्या होगा? हम कहते हैं, आप सुनते जा रहे हैं। न विभाग पर असर पड़ता है और न आप पर असर पड़ता है। आप उसकी नोटिस लेना भी उचित नहीं समझते। यह बड़े अफसोस की बात है।

चिन्तन और कार्यशैली त्रुटिपूर्ण

सभी लोग जानते हैं कि यह दसवीं बिहार विधान सभा है और उसमें यह मेरा अंतिम भाषण है। आगे राज्य सभा में हमारा भाषण होगा। लेकिन आगे जो हमारे दल के नेता यहाँ आयेंगे वे भी अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। इसलिए आज मैं आपकी आलोचना करने की मुद्रा में नहीं हूँ। बहुत बातें कही गयी हैं कि पिछले दिसम्बर सत्र में। बड़े ही आक्रामक ढंग से मैंने तथ्यों को प्रस्तुत किया था। सारे रेकार्ड आपके सामने प्रस्तुत किए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको बिहार का कृतज्ञ होना चाहिए। आपको उसने जगह दी। लेकिन आपकी जो कार्य-शैली है, जो आपकी सोच है उसमें त्रुटियाँ हैं और बहुत कमजोरियाँ हैं जिनकी वजह से उपलब्धियाँ नहीं हो पातीं। कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। कभी आपने गंभीरता से अपने दल की ओर से सोचा है कि हालात क्या हैं? क्या आपने राय ली मंत्रियों की, खुलकर बातचीत की उनसे? एक-एक विभाग की जिम्मेदारी मंत्री की होती है। कभी आपने उनकी समीक्षा उन्हें विश्वास में लेकर की है। जैसी सूचना मिली है, विभाग के वरीय पदाधिकारी या सचिव आपके पास विषय नहीं रखते। आपके पास समय नहीं होता। उनके पास भी समय की कमी होती है। आपको रोज-बरोज हिसाब नहीं करना है। आपको तो संक्षेप में देख लेना है और नजर रखनी है। जब मुख्यमंत्री ही विलंब करने लगेंगे तो वह शासन कैसे चला सकेंगे। आपका काम है नेतृत्व देना। मंत्रियों के दैनिक कार्य को देखने का काम आपका नहीं है। महीने, दो महीने में हर विभाग का मौनिटरिंग आप कर सकते हैं। चार साल के भीतर मंत्रियों को विश्वास में लेकर मौनिटरिंग आपने नहीं किया। जो हमारा विकास कार्यक्रम है उसकी हालत क्या हो रही है। रोज देखते हैं कि वित्तीय संकट आया हुआ है। क्या कारण है कि संकट बढ़ता चला जा रहा है और क्या कारण है कि आश्वासन के बावजूद आप हमें श्वेत-पत्र नहीं दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ कमी बनी हुई है। मुख्यमंत्री सदन में दो-दो बार ऐलान करते हैं पर विभाग अमल नहीं करता। आपने कहा कि त्रुटि आ रही है काँग्रेस शासन के काल से ही। हमारी गलतियाँ हुई होंगी और आपकी भी गलतियाँ होगी। जब गलतियाँ हो गईं तो उन्हें छिपा नहीं सकते। छिपाना नहीं चाहते तो बिहार की सही तस्वीर सामने रखिए। हमें जानकारी तो होनी चाहिए जो अखबारों में आये दिन पढ़ते हैं कि वित्तीय संकट है, घोर संकट है, कोषागारों द्वारा पेमेंट करने पर रोक है। पेंशन नहीं मिलेगा, भविष्य निधि अग्रिम नहीं मिलेगा। ग्रैच्युटी नहीं मिलेगी, क्या होगा? ऑफिसर या कर्मचारी रिटायर करते हैं उन्हें पेंशन, ग्रैच्युटी, जी.पी.एफ. के लिए महीनों दौड़ना पड़ता है। ये सब क्या हो गया है? महीनों-यूनिवर्सिटी में तनख्वाह

नहीं मिलती। मदरसा और संस्कृत विद्यालयों में तनख्वाह नहीं मिलती। आज आप 29 सौ करोड़ ले रहे हैं पहली अप्रैल से खर्च करने के लिए किन्तु पहली अप्रैल से ही आपको भुगतान क्यों बंद करना पड़ता है। अप्रैल माह से ही यह बराबर ख़बर निकलती रहती है कि कोषागारों को भुगतान नहीं करने का निर्देश दे दिया गया है। पिछली बार भी यह बात छापी गई थी।

रोक के बावजूद कोषागारों से निकासी कैसे?

आपने यह बात स्पष्ट नहीं किया कि रोक के बावजूद ग्यारह सौ सैंतालिस करोड़ की निकासी पिछले मार्च महीने में हुई। इस सदन में चर्चायें हुई, अध्यक्ष को आपने कहा, मुझे आपने कहा कि संचिका को देखिये अध्यक्ष जी के कमरे में। वित्त विभाग के पदाधिकारी संचिका के साथ आये। हमने पूछा, सवाल उठाया कि क्या हुआ उन पैसों का, कैसे निकला? जब साफ-साफ मुख्यमंत्री की रोक थी तब उस रोक के बावजूद पैसा कैसे निकला इसका कारण बताकर हमें संतुष्ट कीजिये। 435 करोड़ रुपये के बारे में वे उत्तर दे पाये, 745 करोड़ रुपये का समुचित उत्तर नहीं दे पाये। उन्होंने कहा कि एक महीना लगेगा उत्तर देने में। जुलाई महीना से आज तक इंतजार करते रहे कि अध्यक्ष जी के कमरे में वे आयेंगे और हमें संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। किन्तु संभवतः उन्होंने उचित नहीं समझा कि अध्यक्ष के नेतृत्व में जिन बातों की समीक्षा की जा रही है, उनकी दुबारा नये ढंग से समीक्षा की जाए ताकि राष्ट्रीय कोष (पब्लिक मनी) का दुरुपयोग नहीं हो। यह जनता का पैसा है और आप वह पैसा खर्च कर रहे हैं। एक-एक पैसे का हिसाब आपको विधान सभा के सामने रखना है। आप गलत एस्टीमेट देते हैं। आप जिम्मेवार हैं। जगन्नाथ मिश्र सवाल नहीं करता है, कोई हमारे दल का नेता सवाल नहीं करता है, हमें जनता की ओर से संविधान में जो अधिकार है, उसके तहत हम आपसे जानकारी चाहते हैं। आप हमें जानकारी दें।

किसको ठगना चाहते हैं?

अभी समाचार छपा है कि इस साल की योजना मंजूर हुई 23 सौ करोड़ रुपये की, पुनरीक्षित होकर 12 सौ करोड़ रुपये की बनी और अभी-अभी जानकारी मिली है कि 700 करोड़ रुपये ही खर्च हो सकेंगे। आप प्लानिंग कमीशन को विश्वास में क्यों नहीं लेते हैं? उपाध्यक्ष, प्लानिंग कमीशन हमको बात रहे थे कि आखिर क्या हो गया है आपके राज्य को? प्लानिंग कमीशन के सामने आप सही तस्वीर क्यों नहीं पेश करते हैं? अभी नये वर्ष की योजना 2400 करोड़ रुपये की मंजूर की गयी। मेरी जानकारी है कि वित्त विभाग ने कहा और आपके विकास आयुक्त ने कहा कि कभी संभव नहीं है। आखिर किसको ठगना चाहते हैं? किसको धोखा देना चाहते हैं? अखबार में, रेडियो में, टी.वी. में आप यह बयान छपवायेंगे कि बिहार के लिये 2400 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हो गयी हैं। हकीकत क्या हुआ,

पिछले साल 2300 करोड़ की योजना मंजूर करने के बाद क्या हुआ? 700 करोड़ रुपये भी इनवेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, आखिर यह मजाक क्यों करते हैं बिहार के साथ। यह मजाक क्यों है योजना आयोग के साथ?

अनिवासी भारतीयों की पूँजी क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी, आज पूरे बिहार की कैपेबिलीटी (क्षमता) नीचे चली गयी है। योजना आयोग की भी धारणा हो गयी है कि बिहार सरकार की तरफ से गलत आँकड़े पेश किये जाते हैं। योजना आयोग ने कहा कि बिहार सरकार का रेकॉर्ड जो योजना आयोग को जाता है, आँकड़े जो भेजे जाते हैं उसमें तालमेल नहीं है, पैसे का सही हिसाब-किताब नहीं दे पाते हैं। रिजर्व बैंक का एकाउन्ट और प्लानिंग कमीशन को जो आँकड़ा बिहार सरकार भेजती है उसमें कोई मिलान नहीं हो पाता है। इसलिये मुख्यमंत्री जी, हमें बतायें, हम नहीं कहना चाहते हैं लेकिन यह मामला धोखाधड़ी (फ्रॉडिज्म) का बन जाता है, ठगी का बन जाता है, 420 का बन जाता है। जो आँकड़े आपके तरफ से योजना आयोग को भेजे जाते हैं उनमें आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। किसके लिए आप ऐसा करना चाहते हैं?

नई नीति हमारी जो बनी है उद्योग की, पूँजी निवेश की, आयात-निर्यात व्यापार की, वे केन्द्र सरकार की उदार नीति हैं। इस नीति का सभी राज्य सरकारें लाभ उठा रही हैं, लेकिन आप नहीं उठा रहे हैं, इस सवाल का जवाब दीजिये मुख्यमंत्री जी। दो साल से सारे अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) के पैसे भिन्न-भिन्न राज्यों के गए हैं पर यहाँ की स्थिति क्या है इसकी समीक्षा करनी चाहिए। गुजरात में एन.आर.आई. का पैसा चिमन भाई पटेल, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे (अब उनका निधन हो गया है) उन्होंने 6400 करोड़ रुपये की मंजूरी करायी थी, वहाँ के लोगों ने मंजूरी करायी थी। लेकिन यह अभागा सूबा एन.आर.आई. इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है? क्या हमारे यहाँ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपये का उद्योग नहीं लगा सकते हैं? पूरी संभावना है हमारे सूबे में, सुविधायें यहाँ है और कच्चा माल भी (रॉ मैटेरियल) है लेकिन क्यों नहीं उद्योग लगाये जा रहे हैं? हमारे सूबे में अनेक संभावनायें हैं, इसलिये उद्योग को चलने दीजिये। क्या आपने कभी सोचा है इस विषय पर? आप नहीं चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, आपके पास प्राथमिकता नहीं है। आपको सेंस ऑफ प्रायरिटी नहीं है कि पहले क्या करना है और फिर उसके बाद क्या करना है।

क्यों बंद पड़ी हैं सिंचाई योजना?

हमारा आरोप है कि आपके चार साल का समय बीत गया लेकिन आप प्राथमिकता निर्धारित नहीं कर पाये। पहले क्या किया जाए, इस राज्य के लिये किन कार्यों के लिये प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, वह

आप कुछ नहीं कर पाये। एक ही साथ सबके सब काम करना चाहें, यह कभी व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) नहीं हो सकता है और जो व्यक्ति एक साथ सभी काम करना चाहे, वह कुछ नहीं कर सकता है। यह हुआ आपके चार सालों में और आप कुछ नहीं कर पाये हैं। आर्थिक प्रगति होती है, आर्थिक संरचना से, इन्फ्रास्ट्रक्चर से। आप अपने से पूछिये, अपने उद्योग मंत्री से पूछिये, अपने ऊर्जा मंत्री से पूछिये, सिंचाई मंत्री श्री जगदानन्द जी से पूछिये कि सिंचाई की परियोजनायें एक-एक करके क्यों बंद होती चली जा रही हैं। आपकी व्यवस्था में संथाल परगना और छोटानागपुर की 25 सिंचाई परियोजनायें क्यों रद्द करनी पड़ी? क्यों बंद करना पड़ा? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ जिन स्कीमों पर खर्च हो चुके हैं, उन योजनाओं को आपने बंद कर दिया। क्या होगा इन 10 करोड़, 15 करोड़ और 25 करोड़ रुपये का जो अब तक खर्च हो चुके हैं। संथाल परगना और छोटानागपुर सिंचाई के मामले में सबसे उपेक्षित रहा है। छोटानागपुर, संथाल परगना के 4 प्रतिशत भूभाग में सिंचाई की सुविधा हम नहीं दे पाये हैं और उस इलाके में 25 सिंचाई परियोजनाओं को बंद कर दिया गया आपकी सरकार के द्वारा यह कहाँ का सामाजिक न्याय है। क्या आपने कभी इसको देखने की कोशिश की है कि इन सिंचाई योजनाओं को क्यों बंद करना पड़ा है? जगदा बाबू की कैसी व्यवस्था है कि आपकी स्कीमें नहीं चल रही हैं।

उद्योगपतियों का पलायन क्यों?

उद्योग के बगैर किसी राज्य का नक्शा नहीं बदल सकता है, उद्योग के बारे में देश की एक नीति बनी और उसके तीन साल पूरे हुये। लेकिन आप क्या करते रहे? क्या ऐसी कोई सरकार हो सकती है जिसकी उद्योग नीति तीन चार सालों में नहीं बनी हो। 1990 बीत गया, 1992 बीत गया, 1993 बीत गया, लेकिन आपके द्वारा कोई औद्योगिक नीति (इन्डस्ट्रियल पॉलिसी) नहीं बन पायी और प्रदेश के उद्यमियों को आपने विवश कर दिया यहाँ से पलायन करने के लिये। बिहार में कोई उद्योगपति अपनी पूँजी नहीं लगाना चाहता है। आपके राज्य के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। जो कमिटेड है आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। जो कैपिटल सब्सिडी उनको मिलनी चाहिए थी और जो उन्हें देय हुए तीन साल हो गए उनका भुगतान आप नहीं कर पाये। हर मुद्दे, हर मामले में जो सवाल उठाया, उसका समाधान नहीं कर पाये। इसलिये बड़े-बड़े उद्योगपति आपके यहाँ आने से कतराते हैं। वे कतराते इसलिये हैं कि आपके यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, बिजली की जो स्थिति है उसको कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं की गयी। क्या मुख्यमंत्री जी कभी आपने गौर किया बिजली बोर्ड के कार्यकलाप के बारे में? किस व्यक्ति को आपने बिजली बोर्ड का चेयरमैन बना दिया? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि बोर्ड का चेयरमैन ऐसा होगा जो प्रतिगामी होगा, विकास विरोधी होगा और हमारे उद्योगों को बंद करना चाहेगा। जो नयी बिजली टैरिफ आपने लागू की उसमें उद्यमियों को बिहार में

आने से रोक दिया।

मनमाना बिजली टैरिफ प्रगति का बाधक

आपके भाषणों से या आपके नारों से लाखों-लाख नौजवान और बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल सकती है। सरकारी नौकरी सभी को देना संभव नहीं है। किसी भी सरकार की क्षमता नहीं हो सकती है कि सभी को सरकारी नौकरी दे सके। लेकिन रोजगार देने का धंधा देने का काम जो बड़े-बड़े उद्यमियों के द्वारा होता है वह अवरूद्ध हो गया क्योंकि आपके बिजली बोर्ड के जो कार्यकलाप हैं उसकी जितनी निन्दा की जाए वह बहुत कम है। बिजली बोर्ड राज्य के लिये बोझ बन गया है। बिजली के बिना हम अपना काम नहीं चला सकते हैं। आपके राज्य में जो टैरिफ बढ़ा उसके बारे में न तो मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श हुआ और न ऊर्जा मंत्री के स्तर पर विचार किया गया लेकिन टैरिफ बढ़ा दिया गया पहले से दुगुना से भी अधिक। जहाँ उद्यमियों का 8 लाख का बिल एक माह में होता था वहाँ उसको 17 लाख रुपये देना पड़ा। आप सोचिये कि क्या कोई दुगुना दे सकता है और कहाँ से देगा? और कोई इस स्थिति में उद्योग कैसे चला सकता है? जिन गरीबों की आप चर्चा करते हैं उनकी मंहगाई बढ़ी। उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग चला सकते हैं, पश्चिम बंगाल में उद्योग चला सकते हैं लेकिइस राज्य में नहीं। इसलिये मेरा कहना है कि आपका एक-एक काम ऐसा हुआ, जिससे हमारी प्रगति धीमी पड़ गयी, कमजोर हो गयी और हम पिछड़ते चले गए।

भूमि सुधार की चर्चा नहीं

सामाजिक रूप से कमजोर तबके की बहुत चर्चा होती है, सामाजिक न्याय की चर्चा होती है, हमारी भी पूरी सहमति इसके साथ है लेकिन क्या इन्होंने कभी सोचा? मैंने देखा है बजट भाषण को, मैंने देखा है राज्यपाल के अभिभाषण को, अध्यक्ष जी इसमें कहीं भी भूमि सुधार की चर्चा नहीं है, हदबंदी की कोई चर्चा नहीं हैं, बटाईदारी की कोई चर्चा नहीं है, भूदान और सरकारी ज़मीन के बंटवारे की कोई चर्चा नहीं है। आखिर, आप सामाजिक न्याय कैसे लाना चाहते हैं? गाँव की समस्या क्या है और जो उग्रवादी आंदोलन बढ़ रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण हैं। यह जो वातावरण बना हुआ है, उसके पीछे क्या है?

मैं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ

हमारे शासन के बारे में और हमारे बारे में अनेक भ्रान्तियाँ पैदा की जाती रही हैं जबकि हमारी प्रतिबद्धता सोशलिस्ट विचार के साथ छात्र जीवन से रही हैं। हमने सोशलिस्ट मूवमेंट को बड़ी गहराई से देखा है और उस जमाने के एक-एक सोशलिस्ट नेताओं के प्रति हमारा आदर भाव रहा है।

जयप्रकाश जी के आंदोलन के साथ में जुड़ा नहीं था लेकिन मैं उनके विचार से प्रभावित रहा हूँ। जयप्रकाश जी के साथ दस सालों तक मैंने अपना विद्यार्थी जीवन बिताया है। बिहार में जब भूदान आन्दोलन चला, जब विनोबा जी घूमा करते थे तब मैं आई.ए., बी.ए. और एम.ए. में पढ़ता था, गर्मी की छूट्टी, पूजा की छूट्टी में दिन-रात उनके साथ दौरा में चला जाता था। इस दौरान जयप्रकाश बाबू से काफी ताल्लुकात हो गए और उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान होता था। इस तरह हमारा जीवन उस पृष्ठभूमि में विकसित हुआ है जो समाजवादी पृष्ठभूमि है और जो विचार-धारा गाँधी जी ने, विनोबा जी ने प्रतिपादित किया उसमें मैं प्रभावित रहा हूँ, इसलिये भूमि विवाद का स्थायी हल करने के लिए जो हदबंदी कानून 1962 में बना हमारे मुख्यमंत्री बनने से पहले, वह कानून पहले कागज में था। 1975 में पहली बार भूमि हदबंदी कानून को सख्ती से हमने लागू करने की कोशिश की और दो साल के भीतर सवा दो लाख एकड़ ज़मीन हासिल की गयी। किन्तु हमें अफसोस है कि 1980 से 1983 के बीच जो ज़मीन हासिल की गयी उसमें 70 हजार एकड़ ज़मीन आज भी विवाद में फँसा हुआ है। सेक्शन 15 और 15(ए) के तहत जो ज़मीन अधिकृत हुयी, वह बोर्ड आपॅफ़ रेवेन्यु या हाई कोर्ट में लम्बित है और उसपर रोक लगा दी गयी है। मुझे अफसोस है कि ये मामले आज तक क्यों नहीं निपटाए जा सके हैं और इन जमीनों का वितरण अभी तक क्यों नहीं हो सका?

ज़मीन बेदखली संज्ञेय अपराध

भूमि हदबंदी कानून में जो त्रुटियाँ थीं उन्हें अपने जमाने में मैंने दूर कर दिया और गरीबों को ज़मीन से बेदखल किए जाने के अपराध को मैंने संज्ञेय अपराध (कॉग्निजेबुल आफेंस) बना दिया। जो ज़मीन फर्जी थी उनके लिए कानून में संशोधन किया कि जो फर्जी ज़मीन की सूचना देगा उसको ईनाम दिया जायेगा और जिसकी ज़मीन फर्जी पकड़ी जायेगी उसपर फौजदारी मुक़द्दमा (क्रिमिनल केस) किया जायेगा। यह सब हमारे जमाने में किया गया था। अब लालू प्रसाद जी आप तो सोशलिस्ट नहीं थे लेकिन आपके बहुत से साथी श्री विनायक यादव श्री अनुपलाल यादव जो प्रतिबद्ध कमिटेड (सोशलिस्ट) रहे हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो ज़मीन अर्जित की जाती है उसको क्यों नहीं बाँटा जाता है? हमने यह सूचना बार-बार दी है कि एक लाख से अधिक भूमिहीनों को दी गयी ज़मीन से उनको बेदखल कर दिया गया। इन मामलों को दर्ज करने और उनकी ज़मीन वापस दिलाने (रिस्टोर) के लिए कोशिशें क्यों नहीं हुईं?

कल्याणकारी कानून लागू करने में शिाथिलता

इस सूबे में हमारे जमाने में एक मनीलेंडर कानून बना क्योंकि हमारे सूबे में साहूकारों का शोषण जारी था, खासकर छोटानागपुर और संथाल परगना में यह शोषण बहुत तेजी से जारी था और उसको रोकने

का काम था। आज चार साल से जनता दल शासन काल में हमने कभी अखबार में नहीं पढ़ा कि मुख्यमंत्री ने इस ऐक्ट के बारे में कोई समीक्षा की हो। संस्थाल परगना, सिंहभूम, राँची और पलामू में जो जमींदारों और बड़े भूधारी द्वारा शोषण था उसको दूर करने के लिए कानून बना, क्या उसकी समीक्षा (रिभउ) हुई, नहीं हुई। किसी ने नहीं देखा। 1947 का बना हुआ न्यूनतम मजदूरी कानून कृषि मजदूरों के लिए अमल नहीं हुआ। हमारे शासन ने उसे 1975-76 में लागू करने की कोशिश की। अलग निदेशालय (डायरेक्टोरेट) बनाया। हमें अफसोस है कि चार साल के जनता दल के शासनकाल में जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर गहराई से कभी विचार नहीं किया गया कि इस ऐक्ट में क्या कमी रह गयी। अगर कुछ किया गया है तो सरकार बतावे। आखिर यह तमाम कानून जिनका सीधा संबंध जनता से है, उनके बारे में यह सरकार क्यों इतनी उदासीन है?

आज हमारे सूबे से दस-बीस लाख मजदूर पलायन कर रहे हैं। खासकर छोटानागपुर और संथाल परगना से बड़ी संख्या में मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं। यह क्या हो रहा है? कानून बना था हमारे जमाने में कि यहाँ से कोई मजदूर बिना पंजीकरण के बाहर नहीं जायेगा। आज कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी मान्यता यह है कि जिन कानूनों का, जिन फैसलों का सीधा संबंध सामाजिक न्याय से, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से हो सकता है, वे तमाम कानून आज शिथिल हो गए हैं, यह हमारा सीधा आरोप है, यह हमारी सीधा आपत्ति है।

कोई प्रोग्राम नहीं, कोई नीति नहीं

बहुत सारे सदस्य नये हैं। हम यहाँ हों, वहाँ हों, आप यहाँ हों, वहाँ हों.... लेकिन ये कानून अपनी जगह हैं, इसी सदन के बनाए हुए सभी कानून हैं और तमाम कानून सामाजिक और आर्थिक परिवर्त्तन से संबंधित हैं, सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। केवल हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपके सचिवालय में सभी किताबें हैं उन्हें पढ़िये। सरकार आपकी है, आप आँकड़ा खुद संकलित कर लीजिए। आपके मंत्री लोग देख लेंगे उन कानूनों को, जिन-जिन कानूनों की चर्चा हमने की है कि उन कानूनों की स्थिति 15 अगस्त, 1983 को क्या थी और उसके बाद कांग्रेस शासनकाल 1990 तक और फिर 1990 के बाद आपके शासनकाल में क्या हाल रहा है। आप जनता दल के सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि यह सम्पूर्ण जनता दल की सरकार है और सभी लोग सम्मिलित रूप से जिम्मेवार हैं। लालू प्रसाद जी, आप दल के नेता की हैसियत से और सम्पूर्ण सदन के नेता की हैसियत से इसका जवाब दें। मुझे तो लगता है कि जनता दल के भीतर कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई नीति ही नहीं है।

बिहार की समस्याओं को दलों की सीमा में नहीं बाँधिए

आप सबको याद होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे विपक्ष के सम्मानित नेता हुआ करते थे। उनके

जमाने में मैं मुख्यमंत्री दो बार हुआ। संयोग था कि हम दोनों साथ हुआ करते थे। उनकी विचारधारा में तथा आपके विचार में बड़ा भारी अंतर यह है कि उनकी विचारधारा नीतियों पर, अपने कार्यक्रमों पर आधारित हुआ करती थी परंतु आप नीति एवं सिद्धांत से भिन्न हैं। इन दिनों जनता दल में संभवतः यह सब लुप्त हो रहा है, सोच का अभाव हो रहा है। कोई भी राजनीतिक दल जीवित नहीं रह सकता है अगर उसके पास निश्चित विचारधारा नहीं हो, सोच नहीं हो, उसके पास चिंतन नहीं हो। हवा में आप एक बार आ सकते हैं, रह सकते हैं, शासन कर सकते हैं, लेकिन राजनीति और सार्वजनिक जीवन में नीतियों को, मान्यताओं को, मर्यादाओं को नैतिकता से अलग कीजियेगा तो आप नहीं चल सकते हैं। मैं लालू प्रसाद से कहना चाहता हूँ कि आपने इस सूबे में क्या काम किया है। अपने सूबे में जात-पात फैलाने का काम किया है। मैं कहना चाहूँगा कि आप गरीबों को ऊपर उठाने का काम कीजिये, नफरत फैलाने का काम नहीं कीजिये। 1990 में सब ने आपको वोट दिया था इसलिये आप जीते थे। केन्द्र में आपकी पार्टी थी हम बाहर थे लेकिन आज क्या हुआ? आपने बिहार में पूरी तरह जातीयता फैलाने का काम किया है। आज के दिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपसे बड़े विचारक और चिंतक कर्पूरी ठाकुर जी थे। आपके शासन की कोई कार्मिक नीति नहीं है। क्या कोई सरकार बिना कार्मिक नीति के चल सकती है। जो शक्तियाँ मंत्रियों में निहित हैं, क्या वे उन शक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं। आज स्थिति यह है कि कमीशनर की कोई जगह खाली होती है तो वहाँ जल्दी पदस्थापन नहीं होता है तीन महीने, छह महीने तक। आप केन्द्र सरकार के खिलाफ हैं और मुझे बोलने को कहते हैं। तो सुनिये, आप जनता दल के मुख्यमंत्री हैं। क्या नये बजट पर आपने देखा है हमने खत लिखा है प्रधानमंत्री को। वह भी बता रहे हैं।

मैंने बिहार की समस्याओं को दलों की सीमा में नहीं बांधा है। बिहार की उन्नति में हमारी कोई राजनीति नहीं हो सकती है। केन्द्र की उपेक्षा होगी तो उसके विरुद्ध हमारी आवाज उठेगी। हम न्याय का पक्ष लेंगे। अभी इस बजट में बिहार के हितों के विपरीत श्री मनमोहन सिंह जी ने प्रस्ताव कर दिया। पता नहीं आपने लिखा कि नहीं हमने लिखा प्रधानमंत्री जी को। वह पत्र पढ़कर सुना देता हूँ-

''आदरणीय नरसिम्ह राव जी,

देश की आर्थिक अवस्था को सुधारने के क्रम में आपके द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। सच तो यह है कि इस देश के करोड़ों निवासी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं उनको आजादी के बाद किये गए बहुत से कार्यकलापों का कोई लाभ नहीं पहुँच रहा है। इसलिये आपकी नई नीति के तहत इन करोड़ों लोगों को जो लाभ पहुँचेगा वह सच्चे अर्थों में एक नये समाज की भूमिका होगी।

धनबाद लघु उद्योग इकाइयों के प्रतिनिधियों ने मुझसे मिलकर एक गंभीर स्थिति के बारे में बतलाया। अतः इस क्रम में उठाए जा रहे कुछ कदमों से जो स्थिति उत्पन्न होने जा रही है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। उनसे बिहार, विशेषकर दक्षिण बिहार के लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। कोयला उत्पादन से प्राप्त राजस्व बिहार सरकार की आमदनी का प्रमुख स्रोत है। बिहार में खासकर धनबाद के आस-पास हजारों उद्योग कोयले पर आधारित हैं। अतः नन-कोकिंग कोयला पर 85 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तथा कोक पर 85 प्रतिशत से 35 प्रतिशत जो कस्टम डयूटी घटायी गयी है उससे एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इन उद्योगों में लगे हजारों लोग बेकार हो जाएँगे। राज्य की आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत बंद हो जायेगा। वैसे ही बिहार राज्य जो पिछड़ा हुआ है कहीं अधिक और पिछड़ जायेगा तथा सामाजिक अशान्ति उत्पन्न होने के खतरे की संभावना बन जायेगी।

मेरा निवेदन केवल इतना है कि कस्टम डयूटी को एक साथ न घटाकर तीन वर्षों में किया जाए ताकि कोयला उद्योग तथा लघु इकाई जिससे कोक बनता है वह बंद न हो जाए।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप कृपा करके इस संबंध में उचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करेंगे।

मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि बिहार की समस्याओं के प्रति यदि आप गंभीरता से सचेत रहे तो बिहार के हितों से जुड़े मुद्दों पर हमारा समर्थन आपके साथ है। हमने चार साल में अनेक जनहित के विषयों को उठाया, परंतु आपने अनदेखी कर दी। आपको बिहार के लिये दर्द नहीं है। आपको अपनी राजनीति ही प्रिय है। आप लोगों के सामने सच्ची तस्वीर पेश नहीं करते। हमारे साथ और बिहार के साथ धोखाधड़ी और छल हुआ है।

अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू कराया

आरक्षण में हमारी प्रतिबद्धता 1976 से ही जारी है। पहले से हरिजन आदिवासियों के लिये आरक्षण सरकारी सेवाओं में था जो विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के लिये लागू नहीं था। हमारी सरकार ने लागू किया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने एक नया कानून बनाया कि हरिजन आदिवासियों के लिये आरक्षण का विस्तार करूँगा यूनिवर्सिटी में, बोर्ड और कारपोरेशन में। इस तरह बिहार में पहली बार यह कानून बना था और उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया और सारे देश में यह महसूस किया जाने लगा कि उर्दू को दूसरी राजभाषा बना देनी चाहिए। इधर युनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इससे संबंधित ऐक्ट मंगवाया और सारे देश के विश्वविद्यालयों में भेजा गया। इसके बावजूद आप आरक्षण के लिये हमारी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं।

आरक्षण परिपत्र जारी कराया

मुंगेरी लाल कमीशन की संचिका आपके पास होगी, उसको मंगाकर देखिये। मुंगेरी लाल कमीशन ने 26-12-1976 को रिपोर्ट पेश की। उस समय मैं मुख्यमंत्री था। मैंने अपने हाथ से संचिका में लिखा कि मुंगेरी लाल कमीशन की अनुशंसाओं को तत्परता से लागू करने के संबंध में कार्रवाई की जाए। नये शब्द हमने लिखे जो संचिका में आज भी होंगे। जनवरी, 1977 में लोक सभा के चुनाव की घोषणा हुई। उसके बाद लोक सभा चुनाव में कांग्रेस पराजित हो गई। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर सत्ता में आये। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। मैंने अपने दल की तरफ से आरक्षण के मामले में पूर्ण समर्थन दिया। कर्पूरी ठाकुर ने संकल्प जारी किया आरक्षण का और श्री रामसुन्दर दास जी जब आए तो उनके जमाने में भी कार्यान्वयन का सर्कुलर नहीं निकल पाया लेकिन उसके बाद जब मैं जून, 1980 में फिर आया तो मेरे शासनकाल में 26 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर आदेश दिया गया। यह काम हमारे शासनकाल में किया हुआ है।

कांग्रेस सरकार ने कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू कराया

किसी आदमी की पहचान उसकी सोच से और विचारधारा से होती है। किसी जात में जन्म लेने से नहीं होती है। उसकी सोच क्या है, उसका चिंतन क्या है और उसकी विचारधारा क्या है? वह कहाँ तक ग्रहण योग्य है। अगर हमने पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण देने की बात बतायी तो उसको स्वीकार इसलिये नहीं किया जाता है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्त्तन भी सामाजिक न्याय कहलाता है। समाजवादी सिद्धांत पर आधारित हमारी विचारधारा थी। विद्यार्थी, शिक्षक, राजनीकि कार्यकर्ता की हैसियत से, मुख्यमंत्री की हैसियत से और विपक्ष के नेता की हैसियत से मैंने सदन में जितने भाषण दिये हैं उन्हें देखने से स्पष्ट होगा कि हमने क्या किया है। जहाँ तक आरक्षण के कार्यान्वयन का सवाल है और कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को लागू करने का सवाल है वह जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने किया है।

मंडल आयोग का समर्थन

मंडल विचारधारा के बारे में दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यह मंडल विचारधारा बिहार सरकार का दायरा नहीं था। अप्रैल, 1984 में हमारी मंत्रीपरिषद् ने केन्द्र से कहा कि मंडल आयोग की अनुशंसा स्वीकार करें। यह ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति ने मंडल विचारधारा बहाल किया था। हमने भारत सरकार को यहाँ से, बिहार सरकार की मंत्रीपरिषद् के जरिये निवेदन किया था कि मंडल विचारधारा को लागू किया जाए। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोक सभा में मंडल विचारधारा को लागू करने की घोषणा की। किसी दल से हमारी बातचीत नहीं हुई। मैंने उसी दिन

आरक्षण लागू करने का स्वागत किया। रेडियो पर जब मैंने सुना तो हमारा समर्थन था जो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपा। अगस्त, 1990 को जो भाषण दिया गया था उसमें स्पष्ट कहा था कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जोड़ दें। वे सारी बातें सदन की कार्यवाही (प्रोसिडंग) में अंकित हैं। जगन्नाथ मिश्र की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो सोच और जो विचारधारा है उसमें कोई दुविधा (कंफ्रयूजन) नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था। हमारी पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय को पूर्ण समर्थन दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के अनुसार केन्द्र में आरक्षण दिया जाए केवल इतना संशोधन का सुझाव था। उच्चतम न्यायालय ने इस विचार को स्वीकार किया है।

कर्पूरी ठाकुर फार्मूला सामाजिक सामंजस्य के लिए

दल के भीतर और सार्वजनिक रूप से भी कर्पूरी ठाकुर फार्मूला की बात हमारी यही थी कि उसे लागू होना चाहिए। इस फार्मूले को मान लिया जाना चाहिए। बिहार में 1978 के बाद यह नीति सामाजिक सामंजस्य के रूप में स्थापित हुई। हमने सोचा था कि कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला मान्य हो जाएगा लेकिन उस समय नहीं माना गया। 16 नवम्बर, 1992 को उच्चतम न्यायालय ने इसे मंजूर कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में पिछड़े वर्गों को तीन भागों में बाँट दिया- क्रिमिलेयर, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय का फैसला है। उस न्यायालय ने कहा है कि बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड के बीच समान रूप में आरक्षण को बांटो और क्रिमिलेयर को वंचित (डिलीट) करो। यह उच्चतम न्यायालय की भाषा है। कर्पूरी ठाकुर ने भी यह कहा था और जो बातें हमने अगस्त, 1990 को कही उसी पर उच्चतम न्यायालय ने मुहर लगा दी। इसलिये कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारी ओर से किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान खींचूँगा कि आज भारत सरकार द्वारा मंडल विचारधारा की अनुशांसा लागू कर दी गयी है किन्तु बिहार के नौजवान उससे वंचित हो रहे हैं। मालूम है मुख्यमंत्री जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष (चेयरमैन, बैकवर्ड विचारधारा) ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सारे देश में पिछड़ी जातियों को आरक्षण केन्द्रीय सेवाओं में मिलना शुरू हो गया है पर बिहार को नहीं मिलेगा क्योंकि बिहार में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मुताबिक क्रिमिलेयर को परिभाषित नहीं किया गया है, उसे अलग नहीं दिखाया गया है। इस तरह बिहार के नौजवानों को नहीं मिलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी जो जस्टिस रामनन्दन प्रसाद, चेयरमैन, बैकवर्ड विचारधारा के हैं आप उनसे सम्पर्क कीजिए। चूँकि कानून तो कानून है। इसलिये मामला साफ है।

हरिजनों एवं अत्यंत पिछड़ों का हक छीना

बिहार का शासन किस रूप में चल रहा है उसके बारे मैं आपको बताऊँ कि हाल ही में विद्यार्थियों का

एक शिष्ट मंडल मुझसे मिला था। उनका कहना था कि अवर सेवा चयन परिषद् सबोर्डिनेट सर्विस बोर्ड ने जो अनुशंसा की थी उसमें 88 हरिजन नौजवान थे और लगभग 170 अत्यंत पिछड़ा (एक्सट्रीमली बैकवर्ड) के नाम। उसमें कुछ दारोगा के लिये था। कुछ विभिन्न विभागों के क्लर्क के लिये था। मुझे उस प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि हमलोग मुख्यमंत्री से मिलकर सारी बात बता चुके हैं। एक अन्य शिष्टमंडल अनुसूचित जाति का मिला तथा दूसरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का था। मुख्यमंत्री जी, आपने पहले शिष्टमंडल से कहा था कि अफसरों की एक कमिटी बना देते हैं। अफसरों की कमिटी बना भी दी गई और उस कमिटी ने कहा है कि 75 नौजवान, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी) के हैं उनकी बहाली की जाए। ढाई साल हो गए अभी तक वे 75 अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एक्सट्रीमली बैकवर्ड) के नौजवान जो अवर सेवा चयन परिषद् द्वारा दारोगा पद के लिए उपयुक्त पाये गए थे उन लोगों की बहाली रूकी रही। सामान्य वर्ग की बहाली पहले हो चुकी थी। ये लोग आपके पास गए हुये थे। आपने अफसरों की कमिटी बना दी। उस कमिटी ने जाकर कहा कि इनकी बहाली होनी चाहिए। ये नौजवान हमसे कल-परसों मिले थे। उस शिष्टमंडल ने बताया कि दो साल से इस कमिटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। आपके द्वारा बनाई गई कमिटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? आप इसकी जाँच करा लीजिए। 80 अनुसूचित जाति के साथ 180 बहाली होनी थी। जेनरल और बैकवर्ड की बहाली तो हो गई लेकिन 80 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं। बहाली के लिए और चूँकि अनुसूचित जाति (शिड्युल्ड क्लास) का कोई प्रभावशाली मंत्री नहीं है या कोई दबंग और मजबूत नेता इनकी बात आप तक नहीं पहुँचा पा रहा है, इसलिए इन लोगों की बहाली अभी तक नहीं हो रही है। यह बताता है कि आपके रहते हुए हरिजन संबंधी नीतियाँ कैसे लागू हो रही हैं। 100 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के इंजिनियर नियुक्ति के योग्य थे लेकिन लोक सेवा आयोग में जैसी बेईमानी और धांधली हो रही है उसके चलते उनके आरक्षित पद को दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभियंताओं ने उच्च न्यायालय में मुक़द्दमा दायर करके लोक सेवा आयोग के फैसले को रद्द करा दिया। उसके बावजूद ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नौजवान अभियंता नियुक्ति के लिए चक्कर लगा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। इनकी बहाली में आप क्यों देर लगा रहे हैं?

पचास हजार कर्मचारी छँटनीग्रस्त

आपकी कार्यशौली की बात मैं कर रहा हूँ, आपके सचिवालय की बात कह रहा हूँ, 80 हरिजन नौजवान, 100 अत्यंत पिछड़ा वर्ग इंजिनियर्स नौजवान और 75 दारोगा की बहाली के लिए घूम रहे हैं लेकिन बहाली नहीं हो रही है। 50,000 लोग छँटनीग्रस्त हुए हैं चार सालों में, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, 2,50,000 जगहें खाली हैं लेकिन बहालियाँ नहीं हो रही हैं। दरोगा की बहाली

सिपाहियों की बहाली, शिक्षकों की बहाली आपके शासनकाल में नहीं हो रही है। पिछड़ों को दीजिये, हरिजन को दीजिये उनको भी 20 हजार 25 हजार जमा करना पड़ रहा है। इसकी सूचना लीजिये। बेईमानी, धांधली, अत्याचार जो हो रहे हैं आपके शासन में, उनको रोकने की कोशिश कीजिये।

नियुक्ति में भ्रष्टाचार रोकें

अब अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सब लोग तो कहते हैं, सबके साथ मैं भी बदनाम हूँ, लोग कहते हैं कि दरोगा की बहाली में लालू प्रसाद ने 200 से 500 जगह अपने मिनिस्टर, जनता दल के एम.एल.ए. को बाँट दिया है, विपक्ष के नेता का हिस्सा नहीं होगा क्या? आज जो विभिन्न बहालियाँ होने वाली हैं, जो नौकरी देने वाले हैं वह आप ईमानदारी से कीजिये, पिछड़ों के लिए कीजिये, योग्य उम्मीदवारों के लिए कीजिये, रिजर्व लोगों के लिए कीजिये, बेईमानी, पैरवी, रिश्वत और भ्रष्टाचार से बहाली नहीं कीजिये नहीं तो इन नौजवानों की जमात आपको भस्म कर देगी और ध्वस्त कर देगी आपके शासन को।

अच्छी पढ़ाई होगी तभी आरक्षण का लाभः

हाल ही में, इस सूबे में शिक्षकों के बारे में आरक्षण लागू किया गया। भारत सरकार ने भी लागू कर दिया। किन्तु बिहार के नौजवानों को केन्द्रीय सेवाओं में नौकरी मिलने की मंशा तब तक पूरी नहीं हो सकेगी जब तक उनकी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। यदि उनको योग्यता नहीं होगी तो पिछड़े तबके के लिए आरक्षित स्थान तमिलनाडु को चला जायेगा, आन्ध्र में चला जायेगा। बिहार के पिछड़े वर्गों के लोगों को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से होने वाली नियुक्तियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी यदि वे योग्यता से पढ़ाई नहीं करेंगे। इसलिये शिक्षा, जो क्षत-विक्षत हो गयी है उसे संभालिये। बिहार के भविष्य को बचाइये। आपने जो नीति अपनायी है शिक्षकों के संबंध में, उससे बिहार की शिक्षा में बहुत गिरावट आयी है।

योग्य शिक्षक बहाल हों

पिछड़े वर्ग, हरिजन और आदिवासी में भी योग्य हैं, सभी जातियों में योग्य से योग्य हैं। अन्य सेवाओं में आप कुछ भी करें, सरकारी सेवा में आप चाहे जो कुछ भी करें लेकिन विश्वविद्यालय सेवा में योग्यता की अवहेलना मत कीजिये। आपके बेटा-बेटी को पढ़ाने वाले योग्य होने चाहिए, पिछड़े हों, आदिवासी हों या हरिजन हों, पढ़ाने वाले योग्य होने चाहिए। यू.जी.सी. ने जो योग्यता का मानदंड निर्धारित किया है उसके विरुद्ध आप मत जाइये क्योंकि अगर शिक्षक योग्य नहीं होंगे तो पढ़ाई का स्तर गिरेगा। आप ऐसा कोई काम मत कीजिये जिससे कि पढ़ाई के स्तर में गिरावट आये। आपने

यू.जी.सी. की सिफारिशों को तोड़ने का काम किया है इससे बिहार का भविष्य खत्म हो जायेगा। आप विश्वविद्यालय को मर्यादा दीजिये, वित्त दीजिये, विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति दीजिये, विश्वविद्यालय को पुस्तकालय दीजिये और शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाइये। मदरसा के बारे में और उर्दू शिक्षक के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं। आप पैसा देते हैं पर एक साल तक भुगतान क्यों रोक देते हैं, वेतन, उपादान और भविष्य निधि की सुविधा मदरसा शिक्षकों को और उर्दू शिक्षकों को क्यों नहीं देते हैं? उर्दू शिक्षकों की बहाली हाई स्कूल में क्यों नहीं होती है? हमने अपने जमाने में फैसला किया था कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में उर्दू शिक्षक देंगे। दो-दो हजार शिक्षकों की बहाली हमने शुरू की, दो साल बहाली हुई पर वह बंद कर दी गई। आप उर्दू का नाम लेते हैं और उर्दू शिक्षकों का नाम लेते हैं तो उर्दू शिक्षकों की बहाली दो-दो हजार कीजिये, प्राइमरी स्कूल में उर्दू शिक्षक दीजिये, हाई स्कूल में उर्दू शिक्षक दीजिये। आज पाँच लाख बच्चों का सवाल है उन हाई स्कूलों में जो स्थापना की स्वीकृति प्राप्त किये हुये हैं। उनको आप मंजूरी नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मंजूरी दीजिये।

मदरसा, संस्कृत आदि शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी मानें

वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कीजिये और शिक्षकों को वेतन सरकारी खजाना से दीजिये। मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी की तरह सहूलियत दीजिये, कांग्रेस के जमाने में किये हुये फैसले को लागू कीजिये, यह बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बात, दुर्भावना और भेदभाव को खत्म कीजिये।

विपक्ष की बातें भी मानें

कैसा परिवर्तन हो गया है। कांग्रेस के जमाने में चाहे सत्ता पक्ष के या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, वे मंत्रिमंडल के सदस्य से व्यक्तिगत सम्पर्क किया करते थे। उस समय कोई दुर्भावना नहीं थी, उस समय विपक्ष के सदस्य खुले दिल से मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या को सलटाया करते थे। लेकिन आज विपक्ष के लोग आपके मंत्री के पास नहीं जाते हैं। उनकी बात नहीं सुनी जाती है। उनके निर्वाचन क्षेत्र के साथ जिस ढंग से बातचीत होती है उससे भेदभाव झलकता है। उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बात आपने चलाने की कोशिश की है, यह नहीं होनी चाहिए। माननीय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, जब उनके पास टेलीफोन जाता था, चाहे वे किसी भी दल के माननीय सदस्य क्यों न हों। सभी की बात सुना करते थे और समस्या का निदान निकालते थे। यही लोकतंत्र की मर्यादा है। लेकिन आज विपक्ष की बातें अनसुनी की जाती हैं, आपके मंत्रिमंडल के साथी हमारे साथी की कोई बात नहीं सुनते हैं जबकि वह भी जनता के प्रतिनिधि हैं और चुनकर आये हैं। कर्पूरी ठाकुर जी और आप चुनाव लड़ते थे। हम लोग इतनी परंपरा रखे हुए थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई असंगत काम नहीं करते थे।

आप सार्वजनिक जीवन में कटुता को खत्म करिये। व्यक्तिगत जीवन में राजनीति को समाप्त करिये। राजनीतिक मतभेद समाप्त करिये। हम लोगों ने परंपरा बनायी थी, कांग्रेस ने बिहार में परंपरा बनायी थी। कर्पूरी ठाकुर जी या आपके निर्वाचन क्षेत्र में हम सबने किसी तरह का अनुचित व्यवधान पैदा नहीं किया और हम लोगों की मंशा रही कि कर्पूरी जी रहेंगे तो विधान सभा की गरिमा रहेगी। हम लोगों की एक मान्यता हुआ करती है। आपने क्या बना दिया बिहार को। लालू प्रसाद जी आप 1977 में चुनाव लड़ रहे थे, 1980 में चुनाव लड़ रहे थे जब मैं मुख्यमंत्री था। आपके निर्वाचन क्षेत्र में हम लोग कभी नहीं जाया करते थे। लेकिन आपने क्या किया वह मैं कहना चाहता हूँ। आपने सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को नीचे ले जाने का काम किया है। अपनी ओर झांकिये। मुख्यमंत्री सारे सूबे का मुख्यमंत्री होता है। वह किसी पार्टी का नहीं होता है। वह किसी जाति का नहीं होता है। आप इस संकीर्णता से ऊपर उठिये। आप संकीर्णता में फंस गए हैं। दलीय संकीर्णता और जातीय संकीर्णता में फंसकर आप काम करते हैं। मैं तो अब राज्य सभा जा रहा हूँ लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ। आपको एक उपदेश देकर जा रहा हूँ। आप सीमा से बाहर अपनी राजनीति को कभी नहीं ले जाइये। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करिये। जो किया सो किया अब आगे नहीं करियेगा।

व्यक्तिगत विद्वेष राजनीति में न लायें

मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बाद दूसरे विपक्ष के नेता आयेंगे और हमारे दल का नेतृत्व करेंगे। हमारे साथ व्यक्तिगत जीवन में आपके साथ सम्पर्क था। हम मुख्यमंत्री थे और आप विपक्ष में थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध था। हम लोगों का व्यक्तिगत जीवन अच्छा था लेकिन आपने जिस तरह की दुर्भावना से, दुराग्रह से राजनीति करने की कोशिश की आपने जो किया सो किया अब आगे ऐसा नहीं करियेगा। इसके लिए मैं आपसे दो ही बातें कहना चाहता हूँ। हम लोग विधान सभा और विधान सभा के बाहर आपकी नीतियों का, आपकी सरकार की विफलताओं का दबंगता से विरोध करते रहे हैं। कभी हमारी तरफ से कोई कमजोरी नहीं रही आपके खिलाफ आवाज उठाने में किन्तु व्यक्तिगत स्तर पर नहीं उतरे। पर आपने क्या किया। आपके अन्तःकरण से हम पूछना चाहते हैं कि मधुबनी के चुनाव में आपने मुद्दा बना लिया, जगन्नाथ मिश्र जीतेगा तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा, मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देना होगा इत्यादि। आपने क्या किया? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया एक विपक्ष के नेता को पराजित करने के लिए। ऐसा काम आगे नहीं करियेगा। दूसरे के साथ नहीं करियेगा।

मुख्यमंत्री जी, आपका हमने सख्त विरोध किया। विधान सभा और विधान सभा के बाहर आपका सख्त विरोध किया। इसके लिए आपने हमारे परिवार के खिलाफ भूमि हदबंदी कानून के अंतर्गत

हदबंदी से संबंधित मामलों को फिर से खुलवाया। हमने उच्च न्यायालय से उसको रद्द करवाया। यह मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, इस सूबे में एक नहीं सैकड़ों, हजारों प्राइवेट इन्सटीच्यूशन चल रहे हैं उनपर आपकी नजर नहीं गई। आपकी नजर कहाँ गयी? जगन्नाथ मिश्र के साथ एक इन्स्टीच्यूशन था एल.एन. मिश्र इन्सटीच्यूट, पटना और मुज़फ्फरपुर में जिसका आपने अधिग्रहण कर लिया। आज तक आपने एक गड़बड़ी नहीं निकाली। कोई शिाकायत नहीं की। राजनीतिक दुर्भावना और प्रतिशोध में जो काम किया उसको आगे बंद करिये। सबों को जीने दीजिये, रहने दीजिये। आप अपनी नीति को बदलिये और संकीर्णता में जो गिरते जा रहे हैं उससे अपने को ऊपर उठाइये और पूरे बिहार में ब्राह्मणों को, चूँकि जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण हैं, उनको परेशान करियेगा, यह कहाँ तक उचित है?

अनेक पुलिस गोली काण्ड चिंता की बात

मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस सूबे में पुलिस गोली-कांड निहायत चिंता की बात हो गयी है। एक सार्वजनिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस-कांड सूबे में बढ़ रहा है। इन चार सालों में 320 पुलिस गोली-कांड हुए हैं, जिनमें 224 लोग मारे गए हैं और 1988 राउण्ड गोलियां चली हैं। यह सी.आई.डी. की रिपोर्ट है। मेरे पास उनकी फोटो प्रति है। हरिजनों पर अत्याचार 171 हुए हैं जिनमें 91 हरिजनों की हत्यायें हुई हैं और बलात्कार की घटना 27 हुई हैं। जातीय संघर्ष 688 हुए हैं जिनमें 492 व्यक्तियों की हत्या हुयी है और भूमि विवाद 995 हुए हैं जिनमें 527 लोग मारे गए हैं। आपने जातीय भेदभाव करके पारस्परिक विरोध को बढ़ाया है, आपसी विद्वेष फैलाकर जातीय संघर्ष उत्पन्न किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे अत्याचारों को रोक सकना सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया है। उनकी सामूहिक हत्यायें होती गयीं और सरकार देखती रही। गरीबों और असहायों पर पुलिस की गोलियां चलीं और निर्दोष लोग मारे गए। आपके प्रशासन द्वारा ऊँची जाति के लोगों, खासकर ब्राह्मणों को हैरान-परेशान किया जा रहा है। आपको मुझसे बैर हो सकता है किन्तु सारे ब्राह्मण समुदाय ने आपका क्या बिगाड़ा है। अतः मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसी स्थिति नहीं बनायें कि बिहार के इन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग के समक्ष जाना पड़े।

मेरा आपसे आग्रह होगा कि इन विषयों पर विचार करने के लिए आप सर्वदलीय बैठक बुलाइये। आज बिहार जल रहा है। उन्माद बढ़ रहा है। उग्रवाद बढ़ रहा है। इसको रोकिये। बिहार को जलने से बचाइये। बिहार की सुरक्षा करिये। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे आग्रह करता हूँ। मैं 1972 से लगातार इस माननीय सदन का सदस्य रहा हूँ। 4 साल तक मैं विधान परिषद् का सदस्य भी था। इस सदन में

साधारण सदस्य की हैसियत से, मंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की हैसियत से कार्य करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। दोनों पक्षों में कार्य करने का अनुभव मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहाँ से यहाँ तक, यानी उस पक्ष से लेकर इस पक्ष तक काम करने का विभिन्न प्रकार का अनुभव और अनुभूति मुझे हुई है जो मेरे लिए अनमोल धरोहर हैं। मेरी भावना बिहार की जनता के साथ रही है और इस सदन के साथ रही है। मेरा मानना है कि मैं कहीं भी रहूँ, किसी पद पर रहूँ या ना रहूँ, जनता की सेवा और उनके बीच काम करते रहने से बिहार के जन-जीवन में मैंने अपनी पहचान बनाई है। आज मैं सदन के माध्यम से आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके समर्थन से, उनके सहयोग से हर अवसर पर जो काम करने का मौका मुझे मिला, वह आगे भी मेरा पथ आलोकित करेगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि अभी तक मेरे समक्ष जो उच्च आदर्श रहे हैं और मेरे मन में बिहार के प्रति जो भावनाएँ रही हैं उन्हें अपनी धरोहर बनाकर रखूँगा और पूरी ईमानदारी एवं दृढ़ता से देश के स्तर पर सेवा में तत्पर रहूँगा।

मैं अपनी भावना व्यक्त करते हुए इस सदन के प्रति पूरा सम्मान और आदर व्यक्त करता हूँ। सदन की जो गौरवमयी परंपरा रही है उस परंपरा में हमें भी शामिल होने का अवसर मिला इसके लिए मैं आभार मानता हूँ। बिहार की जनता के सहयोग से और समर्थन से आप सबके बीच पिछले चार वर्ष जो बीते वे मेरे जीवन के स्मरणीय अध्याय रहेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि हम सबने बिहार की तरक्की और विकास के लिए मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी हमारी यही भावना बनी रहेगी।

अंत में सदन से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आपसी कलुष और भेदभाव भुलाकर बिहार की तकदीर संवारने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर जुट जायें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह होगी।

वित्तीय प्रबंध-कुशलता

(राज्यसभा-18 अगस्त 1994)

जिस पृष्ठभूमि में वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, संभवतः उसका मूल्यांकन कुछ दल ठीक से नहीं कर पाए कि किन मजबूरियों में, किन कठिनाइयों में प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी ने पदभार ग्रहण किया था और श्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे।

उस समय वित्तीय आवश्यकताएँ थी, विसंगतियां थी, त्रुटियाँ थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख समाप्त हो गयी थी और विदेशी मुद्राकोष में हमारी निधि एक मिलियन डॉलर तक पहुँच गयी थी और विकास की दर एक प्रतिशत के आसपास पहुँची थी। नेतृत्व की आवश्यकता थी और वह नेतृत्व नरसिंह राव जी ने डॉ- मनमोहन सिंह जी के मार्फत इस देश की वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय प्रशासन को दिया है। वर्ष 1991-92 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, वह वैसे संकट से देश को उबारने वाला बजट था, जो उस स्थिति का मुकाबला कर सकता था। कोशिश थी कि तमाम विसंगतियों को हटाया जाए और राष्ट्र को विकास के रास्ते पर प्रस्तुत किया जाए। उसमें कामयाबी हासिल हुई। उस बजट को हमने आँका और तब 1992-93 को बजट प्रस्तुत हुआ एवं उपलब्धियाँ हुई। विदेशी मुद्राकोष में, राष्ट्रीय उत्पादन में, महंगाई की बढ़ोत्तरी में कमी लाने में, हर स्तर पर सफलताएँ मिली। इसी वजह से अगले वर्ष में विलीन प्रशासन के संबंध में कर प्रणाली में संशोधन, उसके आधुनिकीकरण आदि प्रस्तावों के साथ बजट लाया गया। तीसरे साल के बजट प्रस्तावों को आंके तो ये बातें साफ नजर आती है। इससे सुधार प्रारंभ हुये। करों के सरलीकरण, करों के ढाँचे और उसकी दरों में परिवर्तन की रूपरेखा बनी। प्रशासन में मुस्तैदी लाने और करों से प्राप्तियों में विस्तार जैसी हर मद् में उपलब्धियाँ हुई। जो आँकड़े मिले, वे संतुष्ट करते है इन उपलब्धियों के बारे में।

चौथा बजट प्रस्तुत करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह जी के छह सूत्री आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा की थी। इसके अंतर्गत है, वित्तीय सुधार से आधुनिक वित्तीय ढाँचा इस देश में प्रस्तुत किया जाए। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख, हमारी क्रेडिबिलिटी का विस्तार हो, बढ़ोत्तरी हो। तीसरा उद्योगीकरण, औद्योगिक पूँजी निवेश की संभावनाएँ बढ़े और इससे हमारा आर्थिक ढाँचा प्रेरणादायक

हो, प्रेरणा देने वाला हो। चौथा यह कि जो फिसकल डेफिसिट है पिछले सालों में, उसको 1994-95 में कम किया जाए। इसके साथ ही जो मूल बात बताई गयी थी, वह यह कि भारत की विकास नीति को एक नई दिशा दें जिससे एक विस्तार और आधुनिक व्यवस्था लाई जाए और गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए पहले जो योजनाएँ है, उन योजनाओं के अतिरिक्त नई योजनाएँ, व्यवस्था प्रोजेक्ट स्कीम इन क्षेत्रों के लिए बनाई जाए जो प्रभावकारी हो।

आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों से हमारी बैंकिग प्रणाली जो, काफी कठिनाई में थी, परेशानी में थी, उस बैंकिग प्रणाली में एक नई आशा का संचार हुआ। इसके लिये कई कमिटीयाँ बनाई गयी राष्ट्रीयकृत बैंको की अवस्था जाँचने के लिये। उनसे जो प्राप्तियाँ हुई उनसे ऐसा लगा कि हमारी बैंकिग प्रणाली पुनः सही रास्ते पर आ जाएगी।

अभी 'स्कैम' के मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी की जो अनुशंसाएँ हुई है, उस पर बड़ी तत्परता से वित्त मंत्रालय ने अपने ढाँचे में, अपनी कर प्रणाली में और संयुक्त संसदीय समिति ने समस्या की पहचान की है। उसे दुरूस्त करने के लिए हाल में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हिदायते जारी की है। देश के बैंको और अंतर्राष्ट्रीय बैंको के लिए दी गई इन हिदायतों से आशा बधती है कि हमारी जो आर्थिक प्राप्तियां हो रही है, जो आर्थिक प्रगति हो रही है, वे हमारी बैंकिंग प्रणाली के जरिये परिलक्षित होगी। हमारा ढाँचा काफी मजबूत होगा और वित्तीय इतिहास में जो नई प्रणाली लाई जा रही है प्रत्यक्ष कर के ढाँचे के सरलीकरण की, वह करदाताओं के आधार के क्षेत्र को इस तरह विकसित करेगी कि समुचित प्रशासन से या निगरानी से जिससे हम अधिक उपल्धियां प्राप्त कर सकेंगे। हमारा अब तक का ढाँचा अव्यवहारिक था और ऐसा समझा जाता था कि कर की ऊँची दरों से ही संसाधन एकत्रित हो सकते हैं। लेकिन, जो नये सुधार मनमोहन सिंह जी लाये है, उनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि केवल ऊँचे कर की दरों से ही प्राप्तियां नहीं होती है। जैसा कर की दरों में जो कटौती की गई है एवं आय-कर में जो कर की सीमा का विस्तार किया गया है। उत्पाद कर में, कंपनी कर में और फिर कस्टम ड्यूटी में जो परिवर्तन संशोधन किये गए हैं और उसे जिस ढंग से रेसनलाइज किया गया है, जैसा समन्वय स्थापित किया गया है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व की प्राप्तियों पर हुआ है।

यदि हम आँकड़े देखे तो पता लगता है कि 1994-95 के जून तक कॉरपोरेशन टैक्स में 1500 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हुई है जो पिछले जून, 1993 की तुलना में 283 प्रतिशत अधिक है। उसी तरह आय कर के जो जून तक के आँकड़े उपलब्ध है, उनके मुताबिक 1458 करोड़ की प्राप्तियां हुई है जो पिछले जून की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है, और अन्य करो में भी 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारा फिसकल डेफिसिट जो 7 प्रतिशत था उसे 6 प्रतिशत पर लाने में सरकार कामयाब हुई है। हमें इस बात

का अनुमान है कि बजट में जैसे प्रावधान किये गए है उनसे अधिक घाटा नहीं होगा और उसे हम घटा सकेंगे। लेकिन, जो चलैया समिति की अनुशंसाएँ थी कर प्रणाली में सुधार लाने की और उसी आधार पर जो विभिन्न प्रस्ताव आये हैं बजट के माध्यम से और जो चर्चाएँ की है हमारे वित्त मंत्री ने, उससे ऐसा लगता है कि एक आम सहमति कर प्रणाली के संबंध में इस देश में बनेगी। पुराने कर वसूलों के बारे में हमारे जो अनुभव है, उनसे भी लगता है कि बड़ी ऊँची दर और बहुत नीची दर से कोई देश प्राप्तियाँ नहीं कर सकता इसलिए ऐसी कर की दरें मध्यम हो और उनमें ऐसा लचीलापन हो जिससे कि हम प्राप्तियां भी कर सके और लोगों पर भार भी अधिक न पड़े जिससे हमारी कर प्रणाली प्रगतिशील हो। ऐसा नहीं कि कर से कालाधन बनाने की प्रवृति को बढ़ावा मिले। जो पहली कर प्रणाली थी वह इतनी ऊँची दर वाली थी और उसके प्रशासन के तंत्र ऐसे थे कि कालाधन बनाने के लिये लोग मजबूर हुआ करते थे। इस संबंध में चलैया कमिटी की अनुशंसाओं के आधार पर वित्त मंत्री ने जो नीति बनाई है, उससे लगता है कि उस कर संरचना द्वारा कर दाता अपनी इच्छा से कालाधन बनाने में रुकावट लायेंगे।

कर-प्रशासन को दुरूस्त किया जाए

हमारा आर्थिक ढाँचा हमारी कर-प्रणाली के तर्कों पर आधारित होनी चाहिए। लोग उसे तर्कों से स्वीकार कर ले कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि कर-प्रणाली में, आर्थिक ढाँचे में स्थायित्व हो। यह नहीं कि हमने आज जो एक ढाँचा लागू किया है, दूसरे साल हम उसमें शीघ्र ही हेरफेर ला दे। स्थिरता की एक मूल अवधारणा हमारी कर-प्रणाली के पीछे हो, यह बहुत आवश्यक है और इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं। इससे राजस्व की प्राप्तियां भी अधिक होती है जो इस साल की प्राप्तियों ने हमें दर्शाया है। यह भी दर्शाया है कि अगर ढाँचे को व्यावहारिक बनाया जाए, प्रशासन-तंत्र को चुस्त-दुरूस्त किया जाए, निगरानी तंत्र के ढाँचे को मजबूत किया जाए तो यह बातें हो सकती हैं।

एक और गंभीर बात यह है कि करों के बकाये में वृद्धि होती जा रही है। इस बकाये की मात्र में कमी होना भी बहुत आवश्यक है। सरकार के स्तर से प्रकाशित आँकड़े जो समाचार पत्रों में हमने देखे है, उनसे पता लगता है कि इस समय 45,929 मामले लंबित है और इन लोगों के ऊपर 6747 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें वह रकम सम्मिलित नहीं है जो कोर्ट के आर्डर से रूका हुआ है। वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी पिछले बजट के समय कि वे एक राष्ट्रीय कर-अधिकरण नियुक्त करेंगे। चूँकि, जो मामले साधारण रूप से चल रहे हैं, उनमें बहुत लंबा समय लगता है। उनका जिस तरह से निष्पादन होता है और उनके निष्पादन में सरकार को जिस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, उन्हें देखते हुये हम

चाहते हैं कि कर-प्रशासन को दुरूस्त और सही करने के लिए ये बातें की जानी चाहिए।

एक और त्रुटि यह है कि इनका कर-प्रशासन और इनकी अंकेक्षण शाखा में मामले इतने उलझते रहते हैं कि उसके चलते बकायों की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि प्रशासन के स्तर पर जो कर लगाने के लिये जिम्मेदार है और जो ऑडिट करते हैं, दोनों में समन्वय स्थापित हो क्योंकि, पिछले बकायों के निष्पादन में काफी लंबा समय लग जाता है। अगर अलग से कोई राष्ट्रीय कर-अधिकरण बन जाए तो हो सकता है कि उसमें तेजी आये। लेकिन हमें देखना चाहिए कि बकायों की संख्या बढ़ने न पाये, उससे जो कर प्रशासन है उसे भय होता है कि अगर उन्होंने ज्यादा रखा तो ऑडिट की तरफ से आब्जेक्शन होता है। एक बात और है कि कई लोग आयकर रिर्टन दाखिल करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। यह मामला भी काफी गंभीर है। उनसे पूछा जाए कि कितने करदाता है? क्या उन लोगों का शुमार भी आप इसमें करते हैं जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है? तो क्या यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी पहचान हो कि कौन आपके करदाता है और उनकों सही रूप में आँका जाए। यह भी इनकम-टैक्स प्रशासन का एक आवश्यक अंग मालूम पड़ता है, इसलिए इसपर भी विचार होना चाहिए।

जो बातें इस समय हुई है वे अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुये हुई है। आज दुनिया की क्या परिस्थिति हो गई है। इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियाँ, गाँधीजी का दर्शन आज भी उपयोगी है लेकिन पूर्ण रूप से उन नीतियों पर कायम रहते हुए भी जो लचीलापन आज की दुनिया में अपेक्षित है, अगर हम अपनी कर-प्रणाली में वह लचिलापन रखते हैं तो दुनिया के साथ हम अपने को जोड़ सकते हैं। जैसे 'गैट' की चर्चा यहाँ और कई बार सदन के बाहर भी हुई है। हमारे विरोधी दलों को लगता है कि भारत ही ऐसा मुल्क है जो 'गैट' का साझेदार बन रहा है, हस्ताक्षर करनेवाला है। अगर देश अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष या अंतरराष्ट्रीय बैंक के दबाव में है तो क्या दुनिया के सभी देश जिन्होंने 'गैट' समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, ऐसे दबावों में है? क्या वजह है कि चीन भी सम्मिलित होना चाहता है? क्या वजह है कि रूस भी सम्मिलित होना चाहता है? दुनिया के 124 मुल्क जिन्होंने इसे स्वीकार किया है क्या उनमें से किसी ने अपनी नीतियों के साथ समझौता किया? दुनिया के सारे मुल्क अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में हैं तो क्या अकेले भारत अपने को अलग रख कर दुनिया के सामने टिक सकता है, खड़ा हो सकता है? इसलिये हमें केवल आलोचना के लिये नहीं बल्कि, दुनिया की आज की बनावट का अहसास रखना चाहिए।

सार्वजनिक प्रतिष्ठान

बड़ी चर्चाएँ होती है कि अंतरराष्ट्रीय कम्पनियों को बड़ी छूट दी जा रही है। क्या चीन को अपने देखा?

चीन की तुलना में हमारे देश में तो अंतरराष्ट्रीय कम्पनियाँ और अंतरराष्ट्रीय पूँजी-निवेश कम आकर्षित होकर आ रहा है। आज जिन लोगों को शंकाएँ हैं, उनसे हम बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी 1948 की औद्योगिक नीति एवं 1946 की औद्योगिक नीति बनायी थी। उन दोनों नीतियों में उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की थी। उन्होंने उन क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित किया था जहाँ समान ढंग से निजी पूँजी आकर्षित नहीं हो सकी थी, जिन उद्योगों में किसी दूसरे साधन से पूँजी आ नहीं सकती थी। उन क्षेत्रों में राज्य की हिस्सेदारी आवश्यक हो गई थी। प्रश्नकाल में चतुरानन मिश्र जी कह रहे थे कि क्यों सार्वजनिक प्रतिष्ठान जो हमारे उपभोग के लिये है, जो प्रतिष्ठान हमारी सेवाओं के लिये है और समाज के कुछ वर्गों के लिये है, उन प्रतिष्ठानों का घाटा हम सार्वजनिक राजस्व से करें और उसके बदले में अपने विकास के कार्यक्रमों में, गरीबों के कामों में कटौती करें। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपेक्षा रखी थी कि इसके माध्यम से पूँजी निर्माण करेंगे और राज्य के प्रतिष्ठिानों की बचत से हम आर्थिक क्षमता का विस्तार करेंगे। किन्तु, आज की परिस्थिति में जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान कमजोर पड़ गए है, रुग्ण पड़ गए है, घाटे में चलने लगे है और उनका पोषण हम सार्वजनिक कोष से लगातार करते जा रहे हैं। क्या राष्ट्र आज की परिस्थिति में यह बर्दास्त कर सकता है?

देश की आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही है, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। हम सामाजिक न्याय वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ विकास की हिस्सेदारी नहीं मिली, वहाँ उनके पास हिस्सेदारी पहुँचाना चाहते हैं। हम गरीबी उन्मूलन करना चाहते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। जो बेरोजगारी की तादाद है, उस तादाद को घटाना चाहते हैं। पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिये प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल और इस साल विशेष योजनाओं की घोषणाएँ भी की है। क्या ऐसी स्कीमों के लिये जो निर्धारित धन राशि हो सकती है, वह धन राशि निरंतर घाटे में चल रहे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में लगायी जाएँ।

वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थिति में इन बुनियादी बातों पर खुले मन से विचार करना चाहिए, केवल सिद्धांत रूप में नहीं। मैं प्रारम्भ से समाजवादी विचारधारा का रहा हूँ और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का बड़ा पक्षधर रहा हूँ। जिस समय मैं बिहार का मुख्यमंत्री था, उस जमाने में भी और विद्यार्थी रहते समय भी मैं सार्वजनिक प्रतिष्ठान का पक्षधर रहा हूँ। लेकिन, जिस परिस्थिति में आज हमारा राष्ट्र आ गया है, क्या हम ऐसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को चला सकते हैं? आज बिहार में जैसी आर्थिक विपन्नता है, जैसा आर्थिक संकट है, वह अगर सालाना अपने कोष का 50 करोड़ रुपये, इन प्रतिष्ठानों के घाटे में लगाता है तो बिहार की क्या स्थिति होगी? बिहार के मुख्यमंत्री ने बार-बार इस बात की चर्चा की कि ऐसे रुग्ण प्रतिष्ठिानों को बंद करें लेकिन, दबावों के कारण कर नहीं पाते हैं। हम लोगों को आश्वासन उन्होंने दिया

कि यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चल सकती कि जनता के पैसे को कुछ कारपोरेशनों के घाटे में लगाएँ और विकास के कार्यों को रोकें यह जरूरी नहीं है लेकिन, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए।

मैं प्रधानमंत्री को शाबासी देता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत की, बड़ा साहस किया है। इस नीति का निर्माण करके हो सकता है कि कुछ सिद्धांत वाले लोगों को बुरा लगता हो, मुझे भी प्रारंभ में बुरा लगता था कि सारे प्रतिष्ठानों की मान्यता खत्म हो रही है जबकि जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 'डामिनेन्ट रोल' 'कमांडिग हाईट' आज उनको देखे कि आज की परिस्थिति में क्या हम उसे निभा पा रहे हैं? कर पा रहे है? इसलिये इन नीतियों पर विचार करना वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है। इसलिये प्रधानमंत्री ने और डॉ- मनमोहन सिंह ने भारत की आर्थिक नीतियों को एक नया स्वरूप दिया है, एक नया ढाँचा दिया है। लेकिन, हमारी जरूर कुछ शिकायतें भी है नई आर्थिक एवं उदारवादी नीति पर। उनका प्रभाव जो पिछड़े राज्य हैं, उन पर पड़ रहा है। यह विचारणीय मुद्दा है ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रण दिया जा रहा है। वे आ रहे हैं। एन.आर.आई. का इनवेस्टमेंट आ रहा है लेकिन हमारे जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होगा? पिछली सरकार की नीति थी जिसके तहत देश के कुछ जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया गया था। उनके लिए पूँजी सहायता देने का कार्यक्रम बनाया गया था और हमारे प्रदेश बिहार के 15 जिलों को योजना आयोग में पिछड़ा घोषित किया गया था। उनके लिए अलग से कैपिटल सब्सिडीज देने का प्रवधान था और जो अनुदान दी जाती थी उनमें शर्ते होती थी इन पिछड़े जिलों को प्राथमिकता देने की। अब चूँकि भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है इसलिए क्या कोई उद्योपति आयेगा इन राज्यो से जो औद्योगिक रुप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है? अगर नहीं आयेगा तो हमारे जैसे प्रदेश का क्या होगा?

वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अभी सोंचे । उदार आर्थिक नीति का प्रभाव सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये अच्छा हो सकता है। महाराष्ट्र के लिए गुजरात के लिए आंध्र के लिए अच्छा हो सकता है, हुआ भी अच्छा है। मैं गुजरात गया था उनको 60 हजार करोड़ के इनभेस्टमेंट का एग्रीमेंट मिल चुका था। महाराष्ट्र में 40 हजार करोड़ का इनभेस्टमेंट और हो रहा है जो अभी सभी राज्यों से ऊँचा ही है। सारी नई पूँजी उन्हीं राज्यों में जाएँगे तो हमारे जैसे प्रदेश और उन प्रदेशों के बीच जो खाई बनेगी यह कैसे पाटी जाएगी? यह बड़ा विचारणीय मुद्दा बनता है।

एन.आर.आई. जो अप्रवासी भारतीय पूँजी लगा रहे है जैसा कि अभी तीन साल से भारत सरकार की नीति है, वे हमारे प्रदेश में नहीं आये। बाहर की कम्पनियाँ पूँजी लगाने के लिए आकर्षित है पर जाना नहीं चाहते। हमारी शिकायत है बिहार प्रदेश के बारे में 51-52 में जब योजना प्रारंभ हुई थी तो बिहार में राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय में 28 परसेंट की खाई थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं,

छठी, सातवीं और आठवी योजना के बाद यह खाई बढ़कर 42 प्रतिशत है। हम कहाँ जा रहे हैं? इसलिये भारत सरकार की आर्थिक नीति बनाते समय इस गंभीर मुद्दे पर विचार करना पड़ेगा कि, भारत की प्रगति में सभी राज्यों का भाग होना चाहिए। यह भी देखना होगा कि आपकी नीति का प्रभाव कुछ राज्यों तक ही सीमित न रह जाए जैसा कि इस समय हो रहा है।

बिहार के चन्द बुनियादी सवाल

कुछ लोगों को चिन्ता बनी हुयी है कि दस साल, बीस साल, पच्चीस साल के बाद भी इस देश के विभिन्न राज्यों के बीच इतनी लम्बी खाई कैसे बनी हुई है? ऐसा लगता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश उस देश के हिस्से नहीं है जिस देश में महाराष्ट्र और गुजरात है। हमें इस बात से इंकार नहीं करना चाहिए कि आगे केवल साम्प्रदायिक तत्वों से देश की एकता और अखंडता को खतरा है। आर्थिक विपन्नता से आर्थिक विषमता से इस देश की एकता और अखंडता को खतरा है, संकट है, इस संभावना से कोई इंकार नहीं कर सकता है। इसलिए इस समय जो परिस्थितियाँ बन रही है, परिस्थितियों की गहराई में जाना पड़ेगा कि सभी राज्यों को आप कैसे एक साथ ले चल सकते है, चला सकते हैं और समस्याओं के सामाधान का रास्ता निकाल सकते हैं?

बिहार प्रदेश के कुछ बुनियादी सवालात है, उन पर भी हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारा आर्थिक ढाँचा कमजोर है। वहाँ चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या दूसरी सरकार हो, करो (टैक्स) से धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। खनिज सम्पदा हमारे पास है। सभी सरकारों ने, चाहे जिस किसी की भी सरकार रही हो अपने स्वामित्व (रॉयल्टी) निर्धारण के लिए भारत सरकार के पास बार-बार दरख्वास्ते लगायी कि उसे मूल्य पर आधारित किया जाए। किसी दिन भारत सरकार की मर्जी से कोयले की कीमत बढ़ जाती है और बढी़ हुयी कीमत का कोई लाभ जो प्रोडयूसिंग स्टेट है, उसको नहीं मिलता है। बिहार में जहाँ कर-संसाधन प्राप्त करने में कठिनाई है तो हमारे पास जो प्राकृतिक साधन हैं उन साधनों से अगर हम धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो बिहार जैसे स्टेट के लिए क्या उपाय किये जाए? इसलिये हम इस बात की माँग करते हैं कि कोल के बारे में रॉयल्टी निर्धारित किया जाए, जो राष्ट्रीयकरण के पहले मूल्यों के साथ जुड़ा था। कोयले के बारे में 'सेस' अवैध होने से एक नयी कठिनाई बिहार में हो गयी है। 1989 में उच्चतम न्यायालय से उसे असंवैधानिक करार दिया 'सेस' के समाप्त होने से सूबे को छह सौ से साढ़े छह सौ करोड़ प्रति वर्ष घाटा हो रहा है। क्या भारत सरकार उस घाटे को पाटने के लिए विचार नहीं करेंगी? जो रॉयल्टी आप देते है, उस रॉयल्टी को मूल्य आधारित कर दीजिये और फिर 'सेस' और रॉयल्टी दोनों से जो आमदनी होती है उसके लिए सिद्धांत बना दीजिये जिससे कि सरकार की आमदनी पूरी हो सके।

बिहार सूबे की दूसरी समस्या है 'कन्साइनमेंट टैक्स' की। बिहार का तमाम सामान चाहे वह बोकारो से हो, एच.ई.सी. से हो, टेल्को से हो, यह हस्तान्तरित होता है दूसरे राज्यों में, जहाँ इसकी आवश्यकता होती है इसके चलते राज्य 'सेल्स टैक्स' वंचित होता है। इस मामले पर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। 1980-81 में राष्ट्रीय विकास परिषद् में बिहार की ओर से हमने सवाल उठाया था, संवैधानिक अड़चन थी, संवैधानिक संशोधन भी हुआ, पार्लियामेंट में बिल भी पेश हुआ लेकिन, आज कानून नहीं बना। इससे कुछ नहीं तो बिहार जैसे सूबे को प्रतिवर्ष 300 करोड़ से भी ज्यादा घाटा हो रहा है, कन्साइनमेंट टैक्स न मिलने की वजह से। आखिर बिहार का विकास कैसे होगा? भारत सरकार इसे विशेष सहायता दे।

राष्ट्रीयकृत बैंक का राष्ट्रीय औसत 60 प्रतिशत क्रेडिट-डिपाजिट है। कुछ राज्यों में, जैसे आन्ध्र, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सौ प्रतिशत है और बिहार में 37-38 प्रतिशत के बीच दौड़ता है और ज्यादा कोशिश करें तो 39-40 प्रतिशत हो सकती है। आखिर जो पैसा बिहार के लोग जमा करते हैं वह पैसा भी बिहार में निवेश नहीं होता है और जो औद्योगिक बैंक है, इन बैंको की सहायता भी बिहार में एक परसेंट या दो परसेंट राष्ट्रीय निवेश के अनुपात में होता है। तो फिर बिहार जैसे प्रदेश को उठाने का काम कौन करेगा? कैसे करेगा? यह एक प्रश्न है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

हम बिहार की सरकार की हालत के बारे में कहना चाहते हैं कि हाल में कंम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) ने देखा कि बिहार के 50 कोषागारों में जून, 91 के बाद अकाउंट तक अप-टू-डेट नहीं है। उन्होंने स्वयं राज्यपाल से कहा कि देश के किसी राज्य में ऐसी अनमियता नहीं देखी, जैसी अनियमितता हमने बिहार में देखी है। मालूम ही नहीं होता कि व्यय या प्राप्ति का कोई हिसाब रखा जाता है भी या नहीं। रिजर्व बैंक के पास जो आँकड़े है, योजना आयोग के पास जो आकड़े हैं दोनों मेल नहीं खाते। इससे बिहार के मामले में अनुशासनहींनता और वित्तीय कुव्यवस्था का पूरा मामला बनता है।

बिहार में इस समय गैर योजना व्यय से इतनी बढ़ोत्तरी हुई है कि भारत सरकार से जितना अनुदान दिया जा रहा है उन अनुदानों से कोई काम नहीं हो रहा है। जवाहर रोजगार योजना के पैसों से कोई काम नहीं हो रहा है। यह धारणा है कि राज्य स्वायतत्ता पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए लेकिन, जो धन भारत सरकार से दिया जाता है उस पैसे का हिसाब किताब तो होना चाहिए। ट्राइबल उप योजना हरिजन अंगीभूत योजना के लिए इन चार वर्षों में 129 करोड़ रुपये दिये गए है। लेकिन, रुपये का कोई हिसाब

किताब नहीं मिलता। भारत सरकार से विशेष सहायता दी जाती है योजना के तहत उससे कुछ भी बनता नहीं है। इसका फल यह हो रहा है कि वहाँ कर्मचारियों की तनखाह एवं जो सेवा निवृत हो रहे हैं उनको पेंशन और प्रोविडेट फंड तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। एक विचित्र स्थिति बनी हुई है।

संविधान के अनुच्छेद 360 में प्रावधान है कि जहाँ वित्तीय अराजकता हो, वित्तीय अनुशासनहींनता हो, प्रशासन मान्य सिद्धांतों पर चलता न हो, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत भारत सरकार को अपनी शक्तियों से इस वित्तीय संकट से उबारने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यपालिका को ऐसे संकटो से बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार को तत्काल इन तमाम वित्तीय हालत की जाँच करवानी चाहिए जिससे बिहार को बचाया जा सकता है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जब बिहार गए थे और बिहार के उन इलाकों को देखा था तो देखने के बाद उन्होंने 14 जून 89 को बिहार को एक पैकेज दिया था और इस बात की अपेक्षा की थी कि अगली पंचवर्षीय योजना में उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। क्योंकि, बिहार का पुराना पिछड़ापन और बिहार के साथ पीछे के दिनों में इंसाफ नहीं हुआ इसलिए उसको हासिल करने के लिये इन स्कीमों को स्वीकार किया जाएगा ऐसी हमें आशा थी। लेकिन अफसोस है कि उसको उनके बाद की सरकार ने मंजूरी नहीं दी। भारत सरकार ने सूचना दी कि बिहार सरकार ने सम्भवतः उसकी सपोर्टिंग स्कीमें नहीं भेजी है, जबकि बिहार सरकार ने एसेंबली में कहा कि उसने सारी स्कीमें बनाकर भेज दी थी। तो ऐसी अवस्था में मैं सरकार से चाहूँगा कि वह स्पष्ट करे कि आखिर राजीव गाँधी के पैकेज का क्या हुआ? क्या वह बिहार सरकार की वजह से रूका हुआ है? क्या बिहार सरकार ने उसको नहीं भेजा है या भारत सरकार मंजूर नहीं कर रही है? यह तत्कालीन प्रधानमंत्री का कमिटमेंट था, वायदा था और गाँधी मैदान की आम सभा में उन्होंने इसकी घोषणा की थी।

दरभंगा-फारबिसगंज क्षेत्र के बीच अधूरी पड़ी लेटरल रोड जो कि चीन की लड़ाई के जमाने में शुरू हुई थी, उसे आवश्यक इसलिये समझा गया था क्योंकि, बिहार से असम को जो सड़क जाती है वही यह सड़क है। इसलिए दूसरी सड़क को बनाने का भी फैसला हुआ था और ये सड़कें बहुत दूर तक बन भी गयी है। यह अधूरी सड़क पूरी की जाएगी, ऐसा राजीव गाँधी ने कहा था। अभी तक प्रधानमंत्री मंत्रालय और सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। मुज़फ्फरपुर-नरकटियागंज की बड़ी लाइन का काम शुरू हुआ है लेकिन डेहरी-ऑन-सोन-बंजारी-पिपराडीह-यदुनाथपुर और भवनाथपुर के बीच ब्रॉड गेज लाइन बनाने का था वह 252 करोड़ रुपये की स्कीम थी, यह होना चाहिए और इसको बनना

चाहिए। कटिहार और पूर्णिया के बीच ब्रॉड गेज रेडियल की लागत 28 करोड़ रुपये मानी गई थी, इसको राजीव गाँधी ने मंजूर किया था। दरभंगा और फारबीसगंज के बीच ब्रॉड गेज रेलवे रेडियल सम्पर्क नौ जिले यथा पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण और गोपालगंज में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है ही नहीं, उसे बनाया जाये। यह जो स्कीमें हैं बिहार के जन-जीवन के साथ इतनी महत्वपूर्ण स्कीमें हैं कि इनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, इनको पूरा किया जाना चाहिए।

गंगा नदी पर सड़क पुल भागलपुर में विश्व बैंक की सहायता से बन रहा है। उसके सम्बन्ध में हमारी शिकायत है कि विश्व बैंक की सहायता से भागलपुर का पुल जो बन जाना चाहिए था वह अब तक प्रारम्भिक अवस्था में ही है। भारत सरकार को इसे देखना चाहिए कि क्यों यह सारा काम रूका हुआ है। इसी तरह पटना में गंगा पर रेलवे पुल बनाने की बात काफी दिनों से ही है और उसे भी राजीव गाँधी द्वारा ही मंजूर किया गया था। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए इस रेलवे पुल की बहुत जरूरत है। नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1500 करोड़ से बनाने का था, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है कि यह योजना आखिर कहाँ पड़ी हुई है। बरौनी तेल शोधक एवं पेट्रो-रसायन कम्प्लेक्स का विस्तार, इसके लिये 258 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राजीव गाँधी ने किया था और प्रधानमंत्री सचिवालय में इसको वर्क-आउट किया गया था। लेकिन उसके बावजूद इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हमारे ये स्कीमें कहाँ पड़ी हुई हैं। सिन्थेटिक फिलामेंट धागे की परियोजना पर भी 200 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था। लघु स्टील कारखाना जो कच्चा माल (पिग आयरन) कम्प्लेक्स के बदले बनेगा सिंहभूम के चिरिया में जहाँ आयरन बहुत बड़ी मात्र में उपलब्ध है, बनाने का फैसला राजीव गाँधी ने मंजूर किया था। असम में जो इसका काउन्टरपार्ट था वह चालू हो गया है पर दरभंगा में कोई प्रगति नहीं हुई। कोई कारण नहीं दिखता कि ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। रोहतास उद्योगों को पुनः जीवित किया जाए।

बाढ़ पूरे बिहार की समस्या है। हर साल बाढ़ से वहाँ बहुत क्षति होती है। राजीव गाँधी ने कहा था कि हम 320 करोड़ रुपये से एक विकास परियोजना बनायेंगे और बाढ़ के लिये विशेष टेक्नॉलॉजी मिशन होगा जो सारी नदियों का सर्वेक्षण करने के बाद सुझाव देगा कि क्या कर सकते हैं। बाढ़ के कारण बिहार में जो हम 9 महीने, 10 महीने में बनाते हैं, उसे ढ़ाई-तीन महीने में गंवा देते हैं। इसलिये बाढ़ की समस्या का समाधान विस्तार में होना बड़ा ही आवश्यक है और इसके लिए राजीव गाँधी जी ने प्रोग्राम दिया था।

एच-बी-जे- पाइप लाइन औरैया से दक्षिणी-पश्चिमी बिहार में पहुँचनी थी, उसकी ओर भी आपको

ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी 600 करोड़ रुपये आँका गया था। वित्त राज्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं अतः वे देखें कि जो स्कीमें प्रस्तावित थीं और जिनपर प्रधानमंत्री सचिवालय में कार्य हो चुका था, वे तमाम स्कीमें कहाँ पड़ी हुई है? वे अपने जवाब में स्पष्ट करें जिससे बिहार के लोगों को हम कह सकें कि केन्द्र सरकार क्या कर सकती है। बिहार में एक तेल शोधक कारखाना बरौनी में है जिसकी शोधन क्षमता बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रस्ताव था। इसी तरह बोकारो का विस्तार करने का भी प्रस्ताव था। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इन दिनों बिहार में कोई केन्द्रीय प्रतिष्ठान स्थापित नहीं हो रहा है। बिहार में एक प्रतिष्ठान एच-ई-सी-राँची का है उसके बारे में अखबारों में आप सब पढ़ते होंगे कि उसकी स्थापना में 1400 करोड़ रुपये की लागत आई थी। यह हमारा आधारभूत उद्योग है पर बिल्कुल उपेक्षित है। आज यह कारखाने बन्द होने के कगार पर है। क्योंकि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को सेल द्वारा जो आर्डर मिलने चाहिए, वह आर्डर दूसरे को दिये जा रहे हैं। अभी हाल ही में साढ़े सात सौ करोड़ के आर्डर मिलने चाहिए थे इसलिए कि हमारा एच-ई-सी- का कारखाना बन्द न होने पाये। मुज़फ्फरपुर में आई-डी-पी-एल- का दवा का कारखाना बन्द हो चुका है, चालू हुआ, फिर बन्द हो गया। सिन्दरी का फर्टिलाईजर का कारखाना बन्द होने के कगार पर खड़ा है। बिहार में कोई नया पूँजी निवेश नहीं हो रहा है। जो हमारे पुराने उद्योग थे, वो रुग्ण हैं । एच-ई-सी- रुग्ण नहीं है । एच-ई-सी- में कुछ लॉस था जिसे पाटा जा सकता है, यदि उसे सेल का आर्डर मिल जाए। एच-ई-सी- के कारखाने में मजदूरों और कामगारों की छंटनी की संभावना है। वहाँ के मजदूरों ने आपस में बैठकर घाटे को पाटने की कोशिश की है। लेकिन जो उद्योग इतनी अधिक पूँजी के साथ खड़ा किया गया और जो जवाहरलाल जी का बनाया हुआ था, जिसने हमारे देश के मूल उद्योगों को बनाने की भूमिका अदा की है, इस उद्योग को रुग्ण नहीं होने दिया जाना चाहिए, बन्द नहीं होने दिया जाए।

बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से सोचना पड़ेगा। यह जो उदार आर्थिक नीति के तहत निवेश हो रहा है, इसे बिहार में भेजिये। जो उद्योग बन रहे हैं, उन्हें भेजिये अन्यथा, एक बड़ी खाई बनेगी जो देश के लिए खतरे का संकेत होगी।

सारी तब्दीलियां लायी गई, सारा उदारीकरण लाया गया, लेकिन मूल बात को कभी आप भूलिये नहीं। यह देश गरीब लोगों का देश है और यहाँ श्रम की अधिकता है इसलिये श्रम शक्ति जो हमारा बड़ा संसाधन है उसकी कीमत पर अगर आप कुछ करेंगे तो देश में आगे बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सारा आधुनिकीकरण और विस्तार होना चाहिए, लेकिन जो हमारी समतामूलक समाज बनाने की परिकल्पना है और गैरबराबरी को खत्म करने का हमारा जो कार्यक्रम है और जो हमारी बुनियाद है इस देश को मजबूत अर्थतंत्र देने की, उनपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हम इस देश के दुखी, गरीब लोगों के हकों के प्रति उदासीनता सहन नहीं कर सकते, बर्दास्त नहीं कर सकते।

देश के गरीबों पर बल देना चाहिए, गैर-बराबरी खत्म करने पर बल देना चाहिए। इस देश के संसाधन एवं श्रमशक्ति का सही उपयोग होना चाहिए। ऐसा करने पर ही यह जो नीतियाँ बनी है वे सफल हो सकेंगी।

एक चेतावनी जरूर इस सरकार को देना चाहता हूँ कि तीन साल में आपने जो कुछ अर्जित किया है अपनी नीतियों के सहारे उनमें यदि कमजोरी आयी, यदि हम पीछे की ओर झुके तो फिर देश के सामने बड़ा मुश्किल समय उत्पन्न होगा। इसलिये आज जहाँ दुनिया में प्रतियोगिता मूलक अर्थतंत्र उपस्थित है वहाँ भारत को भी उस प्रतियोगिता में खरा उतरने के लिये पूरी तैयारी करनी होगी। आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब अपने अर्थतंत्र को इस ढाँचे पर चलायेंगे।

नीति कैसी हो

(बिहार विधान सभा - 20 जुलाई, 1983)

मंडल आयोग की अनुशंसा पर गृह मंत्री की बैठक में मैंने बिहार सरकार की ओर से समर्थन दिया था और उसी समर्थन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् ने मंजूर किया। मैंने नेता विरोधी पक्ष की ओर से आरक्षण का समर्थन किया था। हमारी पार्टी में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इस मुद्दे पर । मैंने पिछले दिन भी कहा था कि मैंने आरक्षण के सिद्धांत को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, कार्यान्वयन के लिये स्वीकार किया है। इसलिये अप्रोप्रियट मशीनरी बनाने के लिए हमने कोशिश भी की है। हमने इस संबंध में समुचित और सख्त निदेश जारी किया है, जिससे इस कार्य को करने में सुविधा हो। प्रशासन में जो पदाधिकारी है वे अपनी जिम्मेदारी की एहसास करें, क्योंकि सरकार इसकी अवहेलना और उपेक्षा बिल्कुल बर्दास्त नहीं कर सकती है।

पिछले दिन 825 डॉक्टरों की बहाली हुई है और हमारे हरिजन-आदिवासी सदस्य को मालूम है कि इन लोगों की जितनी जगह पीछे बाकी थी, उम्मीदवार नहीं रहने के कारण नहीं दी गयी थी । इस बार उम्मीदवार हुए तो जो पहले सिद्धांत था, उसके मुताबिक सभी को देना संभव नहीं हो पा रहा था। मैंने संचिका पर आदेश दिया कि कुछ समय तक हरिजन और आदिवासी की जगह पर दूसरे लोग काम कर सकते हैं तो दूसरे लोगों के जगह पर हरिजन-आदिवासी को काम करने दिया जाए। इसलिए शत-प्रतिशत हरिजन-आदिवासी जितने डाक्टर थे, उनकी बहाली का फैसला हमने कर दिया। इससे हमारी मंशा का पता चलता है। एम.डी. और एम.एस. में हरिजन-आदिवासी का रिजर्वेशन नहीं था, कर्पूरी जी एवं राम सुन्दर दास जी के राज्य में, लेकिन हमारी हुकूमत नें इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था करायी। उसी तरह मेडिकल के एडमिशन में जो मिनिमम मार्क प्रेसक्राईब्ड है, उसके मुताबिक हरिजन-आदिवासी इसमें नहीं आ पाते थे और उनकी जगह खाली रह जाती थी, हमारी सरकार ने इनके लिये क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन किया। भले ही इंडियन मेडिकल काउंसिल हमसे इसके लिये नाराज हो लेकिन हमने उनके हित के लिए ऐसा किया।

बिहार के आंतरिक संसाधन पर चर्चा

बिहार को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये स्थिति अन्य राज्यों की भी है और उसके साथ

देखना चाहिए। आंतरिक साधन सिर्फ बिहार ही नहीं जुटा पा रहा है, ऐसी बात नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों की भी स्थिति वही है। अगर तीन साल का फिगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि सभी साधन जुटाने में ह्रास हूआ है। 1977-78, 78-79 और 79-80 तक 143 करोड़ 84 लाख का ह्रास हुआ था, सरेन्डर हुआ था। हमारे तीन साल के कार्यकाल में 1980-81, 81-82 और 82-83 में 24-87 करोड़ का ह्रास हुआ है। जनता पार्टी के तीन साल में प्लानमनी में सरेन्डर हुआ उससे कम राशि हमारे तीन साल के शासन में हुआ है। लेकिन यह प्रसन्नता की बात नहीं है कि पैसा खर्च नहीं कर पाये और सरेन्डर कर दें। अद्यतन स्थिति है कि जिन राज्यों की छठी योजना के लिये रिर्सोसेज का लक्ष्य निर्धारित हुआ था उसमें गिरावट काफी आयी है। भारत सरकार और योजना आयोग इसके लिये चिन्तित है। मुख्य मंत्रियों के साथ, योजना आयोग के साथ विचार विमर्श हुआ कि सभी जगह रिर्सोसेज का किस तरह ह्रास हुआ है। एडिशनल रिर्सोसेज इकट्ठा करने का लक्ष्य 600 करोड़ का था और हमने जो कदम उठाया है उसमें 1,094 करोड़ आंतरिक साधन इकट्ठा करने की योजना है उसके बाद भी आंतरिक साधन में ह्रास होने की संभावना है। आन्ध्र प्रदेश रिर्सोसेज के ख्याल से, इकनोमिक डेवलपमेंट के ख्याल से, परकैपिटा इनकम के ख्याल से और परकैपिटा इन्वेस्टमेंट के ख्याल से बहुत ऊँचा रहा है। वहाँ भी योजना में 346 करोड़ दो लाख कह कटौती की संभावना है। बिहार में 682 करोड़ 6 लाख, गुजरात में 70 करोड़ 4 लाख, हरियाणा में 197 करोड़, कर्नाटक में 15 करोड़, केरल में 245 करोड़, मध्य प्रदेश में 241 करोड़ 8 लाख की कटौती होने की संभावना है। महाराष्ट्र, जो सबसे मजबूत राज्य है और जिसकी वार्षिक योजना 5,200 करोड़ की थी उसको भी 216 करोड़ की कटौती करनी पड़ी है। उड़ीसा में 124 करोड़ पंजाब में 306 करोड़ तमिलनाडु में 52 करोड़ 5 लाख और उत्तर प्रदेश में 875 करोड़ 3 लाख ओर वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा 1,309 करोड़ की कटौती की संभावना है। यह स्थिति है सारे देश की। इसलिये योजना आयोग चिंतित है, सारे प्रदेश में इतना ह्रास हुआ है, इसलिये छठी योजना में जो देश के पैमाने पर स्थित है और प्राइस राइज के हिसाब से देखा जाएगा तो छठी योजना में वन फोर्थ रिर्सोसेज घटने वाला है। इसलिये बिहार को आइसोलेशन में आँका जाना सही नहीं है, अन्य प्रदेशो की स्थिति ऐसी ही है।

प्लान के संबध में कुछ बातें कहना चाहूँगा। इसके संबंध में मेरे पास लंबा नोट है। यह बात सही है कि 397 करोड़, 64 लाख रुपये प्लान और नन-प्लान में सरेन्डर हुआ है। सरेन्डर का अर्थ यह नहीं है कि पैसा खर्च ही नहीं हुआ। पैसा इसलिये सरेन्डर हुआ कि पैसा को हमलोगों ने दुरुपयोग हाने नहीं दिया। हमलोगों ने मार्च के महीने में भुगतान के संबंध में एक निर्देश दिया था। इस साल हमने इकोनॉमी ड्राइव चलाने के तहत वैसे समानो के खरीदने पर रोक लगाया। बड़े-बड़े मशीन, बड़ी-बड़ी चीजें जो खरीदी जाती थी, हमलोगों ने उसके खरीद पर रोक लगा रखी है। हमने नन-प्लान में जो आचश्यक

खर्च हो उसी पर खर्च कारने को कहा था। बाकी खर्च नहीं करने को कहा गया। और उसपर रोक लगायी गयी थी। पहले होता यह था कि 31 मार्च को जो चेक इशु होते थे, उसका भुगतान अगले तीन महीना तक होता रहता था। लेकिन इस साल हमने फैसला किया कि 31 मार्च तक जो चेक कटेगा उसका भुगतान 31 मार्च को ही होगा। पूर्व की परिपाटी को हमने समाप्त कर दिया।

हमने वित्तीय अंकुश लगाया। पैसा केवल खर्च करने के लिये नहीं होता है बल्कि, फिजिकल एचीवमेंट भी होना चाहिए। आप जानते हैं कि मार्च महीना 'मार्च लूट' के नाम से मशहूर था। यह हमारे जमाने से नहीं बल्कि, तीस-बत्तीस सालो से यह परिपाटी चली आ रही थी। फरवरी माह में बिल बनना शुरू होता था और मार्च के अंतिम सप्ताह में भुगतान करने की परिपाटी चली आ रही थी। हमारी सरकार ने इसपर नियंत्रण रखने का फैसला लिया है और आगे इसे और सशक्त करने वाले हैं जिससे कि पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। अभी तो ए.जी. से एक्चूअल स्थिति की रिर्पोट नहीं आयी है। लेकिन जो टेन्टेटिव फिगर सभी विभागो से प्राप्त हुए हैं उसी आधार पर यह बातें कह रहे हैं। प्लान में 20 करोड़ की कटौती संभावित है, 610 करोड़ का प्लान था और जो रिर्पोट है उसमें 590 करोड़ रुपये खर्च की सूची है हालाँकि अभी बहुत सूचनाएँ अप्राप्त है।

इस साल चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण हुआ है, जिसको पहले होना चाहिए था। उसका भी फिगर 76 करोड़, 67 लाख रुपये का है, जो यहाँ के सरकारी कर्मचारियों द्वारा निकाला गया है। इसके अलावे कई कमजोरियाँ है। सेल्स टैक्स ओर नन रेवेन्यू में गिरावट महसूस किया गया है, जो सरकार के लिये परेशानी का कारण है। इस साल जो रेवेन्यू से मिलना चाहिए 35 करोड़, 91 लाख रुपये वह नहीं मिला है और उसमें गिरावट हुआ है। इसके अलावे भारत सरकार से एक्साइज रेवेन्यू जिसमें हमारा भी हिस्सा होता है, वह रकम भारत सरकार को पूरी नहीं मिल पायी जिससे हमको 14 करोड़, 80 लाख रुपये की गिरावट हुआ है। इसके साथ ही प्रोविडेन्ट फंड और ग्रुप इंस्योरेंश में हमारा अनुमान था कि 34 करोड़ रुपये आयेगा लेकिन उसमें भी हमारा फाल हुआ है। इसके अलावे जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ। उसमें रिलीफ के मद में हमको 9 करोड़, 94 लाख रुपये खर्च करना पड़ा है। साथ ही हमारे प्रशासनिक कारण भी इस गिरावट के लिये उत्तरदायी हैं। वर्क्स डिपार्टमेंट को जो एलाटमेंट होता है उससे वें पफ़ाजिल खर्च करते हैं जिससे की आंवटित राशि से भी अधिक खर्च बढ़ जाता है। इसलिये इस साल इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने यह कदम उठाया है फिर भी वर्क्स डिपार्टमेंट ने बीस करोड़ विथड्रा कर लिया। इन सब मामलो में कार्रवाई किया है और हमारी थोड़ी परेशानी बढ़ी है।

गैर योजना मद में पिछले तीन साल में विस्तार हुआ है और सबसे अधिक विस्तार हुआ है शिक्षा विभाग में। जहाँ 1980-81 में 204 करोड़, 65 लाख रुपये था वह 1983-84 में 415 करोड़, 65

लाख रुपये हो गया है और 1982-83 में 411 करोड़, 51 लाख रुपये था। ये सब खर्चे अनिवार्य शिक्षा के विस्तार के लिये हुआ है। हमने हाई स्कूलो का राष्ट्रीयकाण किया, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन की विसंगतियों को दूर किया, सरकारी स्तर पर वेतन देने का फैसला किया, जहाँ मदरसा पर सिर्फ 7 करोड़ खर्चा होता था वहाँ उस पर आज 60 करोड़ रुपये खर्चा होगा। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजों को अंगीभूत किया, हमने 139 कॉलेजों को एक साथ अंगीभूत किया, संस्कृत महाविद्यालयों को एक साथ अंगीभूत किया। उसी तरह शिक्षा में विस्तार और शिक्षकों के वर्षो-वर्षो से लम्बित वेतन का भुगतान कराया। पिछली बार हमने फैसला किया था कि लेक्चरर को रीडर में प्रोमोशन देने का, लेक्चरर 13 या 15 साल में रीडर बन जाएँगे। शिक्षा के क्षेत्र काफी विस्तार हुआ। सामाजिक पेंशन में खर्चा बढ़ा है वह 83 करोड़ रुपये हो गयाह है। यह जायज खर्चा है। चूँकि समाज के दबे, गिरे हुए लोगों के लिए हमने फैसला किया है। फिर बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने का कार्यक्रम मंजूर किया और उसमें 11 करोड़, 32 लाख रुपये दिया।

श्रम विभाग में हमने फैसला किया कि प्रत्येक प्रखंड में एक श्रम निरीक्षक रहेंगे और प्रत्येक प्रखंड में एक इम्पलायमेंट ऑफिसर की जगह बनाकर सेपेरेट लेबर वींग बनाया। हमने तीन जगह में चंडीगढ़, दिल्ली और कलकत्ता में श्रम ऑफिसर बहाल करने का फैसला किया, जो वहाँ रहने वाले हमारे लेबर को देखेंगे। पंजाब और हरियाणा के लिए चण्डीगढ़ में, दिल्ली के लिए दिल्ली में और पश्चिम बंगाल के लिए कलकत्ता में लेबर ऑफिसर रखा है जो हमारे लेबर की देखभाल करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में हमें लेबर ऑफिसर रखने की अनुमति नहीं दिया। हम तो कलकत्ता में रहने वाले लेबर की हालत देखना चाहते थे, परन्तु पंजाब ओर हरियाणा की सरकार चुप बैठी हुई है। बिहार के लेबर बहुत संख्या में कलकत्ता, पंजाब और हरियाणा में जाते हैं। लेबर डिपार्टमेंट में हमने एक स्कार्ट बनाया है जो गुजरात के राजकोट में जाकर बंधुआ मजदूरों को देखते हैं। राजकोट से हमारे ऑफिसर 126 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करा कर बिहार ले आये हैं।

स्वास्थ्य विभाग की गैर योजना मद में जहाँ 34 करोड़ की राशि थी, वह बढ़कर 53 करोड़ हो गया है। फिर उसको आप देंखे कि सूद के भुगतान पर और पेंशन पर जो राशि 1980-81 में थी वह बढ़कर 107 करोड़ से बढ़कर 127 करोड़ की हो गयी। पेंशन पर पहले 10 करोड़ 27 लाख था, वह बढ़कर 53 करोड़ हो गया। उसी तरह पुलिस पर जिसकी चर्चा हमेशा होती है कि बजट बढ़ाया जाए, वह 1980-81 में 64 करोड़ 49 लाख रुपये थी, वह राशि बढ़कर 99 करोड़ 3 लाख रुपये हो गयी। उसी तरह अन्यान्य विभगों में भी बढ़ोत्तरी हुई। इस तरह जनकल्याण के लिये सरकार को खर्चा करना पड़ा है।

एक विशेष बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वह यह कि कलकत्ता, मद्रास और बोम्बे में बन्दरगाह होने के कारण जो वस्तुएँ बिहार इम्पोर्ट करता है उन सारे वस्तुओं पर उन प्रदेशों में इम्पोर्ट होने के पहले सेल्स टैक्स लगता है और सेल्स टैक्स लगने के बाद ही वे चीजें हमारे पास पहुँचती है इसलिये मद्रास, बम्बइ (महाराष्ट्र), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) और तमिलनाडु और जो दूसरे सीमावर्त्ती राज्य हैं उनको नफा होता है। उनके सेल्स टैक्स की आमदनी अधिक हो जाती है और वे वस्तुएँ हमारे प्रदेशों में आती है।

यह बात सोचने की है कि हमारे प्रदेश का खनिज पदार्थ, हमारे प्रदेश के लौह, हमारे प्रदेश के बोकारो की चीजें, टिस्को और टेल्को की चीजें जो दूसरे प्रदेश में जाती है, वह 'कनसाइनमेंट' कहलाती है, ये चीजें यहाँ नहीं बिक रही है, ये चीजे बिकेगी बम्बइ और अहमदाबाद में और हम सेल्स टैक्स से वंचित हो गए और उन प्रदेशों को लाभ मिल गया। इस तरह से यह डबल घाटा बिहार को भुगतना पड़ता है। जो इम्पोर्टेड माल है उन पर बम्बई एवं गुजरात की आमदनी ज्यादा हो जायेगी और हम उससे वंचित हो जाते हैं, इसप्रकार हमे भारी नुकसान हो जाता है। उसी तरह से दूसरी बात देखने की है कि भारत सरकार हमारे रिसोर्सेज को आंकने की कोशिश करती है। हमारे यहाँ सेल्स टैक्स रेट बहुत ही ऊँचा है राष्ट्रीय स्तर के तुलना में। उसके बावजूद चूँकि हमारे यहाँ कॉमर्सियल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड नहीं है इसलिये हमारे ऊपर बहुत ही लिमिटेशन हैं। लेकिन उसी के साथ इनकम टैक्स की कठिनाई हो जाती है, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ हैं उनके मुख्यालय यहाँ से बाहर हैं। सेवेन्थ फायनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि इनकम टैक्स का 85 प्रतिशत राज्यों में बाँटा जायेगा जिसमें 90 प्रतिशत जनसंख्या पर और 10 प्रतिशत वहाँ पर किये गए कलेक्शन के बेसिस पर बाँटा जायेगा।

अब हमको कलेक्शन कहाँ से होगा? चूँकि हमारे सूबे के सभी कारखाने का मुख्यालय बिहार से बाहर है। इसलिए इस मामले में भी बिहार को भारी नुकसान होता है। हमारे स्टेट के कारखाने के मुख्यालय बाहर रहने के कारण 10 प्रतिशत कलेक्शन बेसिस पर जो हमारे राज्य को हिस्सा मिलना चाहिए था उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिये बिहार सरकार के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि यहाँ जितने कल-कारखाने हैं उनके मुख्यालय बिहार में ही स्थापित किये जाएँ। बिहार सरकार की ओर से हम उनपर दबाव देना चाहते हैं कि एक साल के अन्दर में ही इन सब कारखानों के मुख्यालय बिहार में लाये जाएँ ताकि बिहार को और नुकसान न हो और बिहार की आमदनी बेसुमार हो सके। इस बात को हम काफी दृढ़ता से, मजबूती से लेना चाहते हैं।

खनिज पदार्थ का 40 प्रतिशत भारत को बिहार देता है लेकिन देश भर के जो रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन

होता है उसका 14 प्रतिशत ही बिहार को मिलता है। कोयला का दाम 1971 से जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से हमारी रॉयल्टी नहीं बढ़ी क्योंकि वो टन के आधार पर आधारित है। 850 करोड़ रुपये का हम कोयला उत्पादन करते हैं और उसका रॉयल्टी हमको 35 करोड़ मिला करता था। हमने बहुत जोर देकर भारत सरकार को कहा है कि रॉयल्टी का दर निर्धारित किया जाए और इसको मूल्य (प्राइस) से जोड़िये। अभी हाल में इस्टर्न जोनल काउंसिल का जो मिटींग गंगटोक में हुई थी तो उसमें भी हमने यह बातें उठायी थी कि हमारे लिये यह बहुत ही आवश्यक है। हमारे लिए अस्तित्व (एग्जिसटेंश) का सवाल है। चूँकि हम जो योजना का आकार बनाते हैं वह छोटा है। पिछले दिनों हमने छठी योजना का आकार 3,225 करोड़ का बनाया। लेकिन हमारी यह योजना 6 हजार करोड़ की कैसे होगी, चूँकि हमारे रिसोर्सेज बढ़ाने का कोई दूसरा बेसिस नहीं है, चूँकि मिनरल्स पर जो हम रॉयल्टी चाहते है वह मिल नहीं पाता है। इसलिये बड़ी कमजोरी और बहुत बड़ा गैप इसके साथ बैठा हुआ है जिसको पाटना चाहते हैं। हमने वित्त मंत्री से निवेदन किया है, प्रधानमंत्री से भी कहा है कि इस बिन्दू पर विचार करें।

भारत सरकार खरीदार है और वही रॉयल्टी भी निर्धारित करता है, अर्थात जो उपयोग करता है वही रॉयल्टी निर्धारित करे, यह बात ठीक नहीं जंचता है। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि रॉयल्टी निर्धारित करने का काम या तो प्लानिंग कमीशन को दें या कोई कमीशन बना दें। दूसरी बात यह है कि चार साल पर रॉयल्टी का रिभीजन करने का नियम में प्रावधान है। लेकिन रॉयल्टी का रिभीजन समय पर नहीं होता है। इसके लिये नियम होना चाहिए कि जिस डेट से रिभीजन हो उसी डेट से एरियर मिल सके। लेकिन ऐसा नियम नहीं है। यूरेनियम, अभ्रक आदि का रिभीजन हो चूका है। लेकिन बाकि चीजों का अभी रिभीजन नहीं हुआ है। इसके चलते हमें कठिनाई होती है। इन सारी बातों को अगर डिटेल में देखने की कोशिश की जानी चाहिए। हम इन बातों को भारत सरकार के सामने लाना चाहते हैं। सबको मालूम है कि इल्लिगल माइनिंग की शिकायत होती है। लगभग 80 अनुपयोगी(अबन्डेड) कोयले की खान हमारे यहाँ है। हमने भारत सरकार से कहा है कि अगर भारत सरकार के लिये कोयले का खान अनइकोनोमिक है तो उसको चलाने के लिये हम तैयार है और इस बात के लिये हम सुप्रीम कोर्ट भी गए है और माँग कर रहे हैं कि इन खानों को हम चलायेंगे। इससे इस सूबे के लाखो-लाख मजदूरों को रोजगार दे सकेंगे।

डी.भी.सी. के बारे में बिजली संकट की आये दिन चर्चा हुआ करती है। तत्कालीन सिंचाई एवं बिजली मंत्री स्व. रामचरित्र सिंह जब इस सदन में थे तो सम्भवतः 1947 -1948 में सदन में आश्वासन दिया था, प्रस्ताव लाया था। डी.भी.सी. के बारे में कहा गया था कि इसके बनाने में 62 हजार एकड़ ज़मीन जलमग्न हुई थी और पश्चिम बंगाल का केवल 3,000 एकड़ ज़मीन जलमग्न हुई थी। लगभग दो सौ गाँव जलमग्न हुए थे बिहार के। लेकिन पश्चिम बंगाल का एक भी गाँव जलमग्न नहीं हुआ था। बिहार

की लगभग एक लाख आबादी विस्थापित हुई और आश्वासन दिया गया था कि सिंचाई और बाढ़ की सुरक्षा पश्चिम बंगाल में होगी और बिहार को प्राथमिकता मिलेगी। 1968 ई. तक यह था कि 65 प्रतिशत जेनेरेशन केपेसिटी बिहार को मिलेगी। लेकिन धीरे-धीरे उससे ह्रास हो रहा है। पश्चिम बंगाल का रवैया बिहार के साथ ठीक नहीं है। हमने भारत सरकार के सामने बातें लाने की कोशिश की है, उन्हें यह दोनो बातें कही है। भागलपुर, सुल्तानगंज, हजारीबाग, पलामू, धनबाद घना एरिया में पड़ता है, जहाँ कठिनाई है। डी.भी.सी. से जितनी बिजली मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि जो आश्वासन बिहार को दिया गया है, उसका अनुपालन होना चाहिए। डी.भी.सी. की ओर से कहा जाता है कि कोयला खान, बोकारो के कारखाने रेलवे के लिये बिजली देना पड़ता है। यह बात पश्चिम बंगाल के साथ नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में इन कामों के अलावे हमसे ज्यादा बिजली मिल रही है। हमने कहा कि बिजली भी उन्हीं को मिले, सिंचाई भी उन्हीं को मिले, बाढ़ सुरक्षा उन्हीं को मिले और सारा नुकसान बिहार को हो, यह गलत है।

तत्कालीन बिजली मंत्री ने सदन में स्पेशिफिक आश्वासन दिया था कि 'दी हेडक्वार्टस ऑफ दी कॉरपोरेशन मस्ट बी हियर इन बिहार'- बिहार में मुख्यालय रहना चाहिए। उस समय से बिहार की यह भावना थी कि मैथन में इसका मुख्यालय बनाया जाए। लेकिन मैथन, बिहार में मुख्यालय आज तक नहीं बना और डी.भी.सी. का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में होने के कारण पश्चिम बंगाल का दबदबा रहा। हमने भारत सरकार से कहा है और सिद्धांततः भारत सरकार बिहार के साथ सहमत है कि बिहार में मुख्यालय हो। जो एसेम्बली डिबेट की बात है उस कंटेस्ट में फिर से इन बातों को हम उठाना चाहते हैं।

कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें पार्टी से उठकर सोचना चाहिए। इन बातों की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। उनकी सहानुभूति है और वे मदद भी कर रही हैं। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग के संबंध में पिछड़े हुए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सूबे को भारत सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। इसी कंटेक्टस में हम पेट्रोकेमिकल की बात करते हैं। छठी योजना में यह नहीं हो सका, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने ये भी बातें कही हैं कि हमारा प्रदेश कोयला के आधार पर फर्टिलाइजर फैक्ट्री, राँची और हजारीबाग में बना सकता है। हमने भारत सरकार से यह भी कहा है कि माइका फैक्ट्री की हालत खराब हो गयी है जिसके चलते उसमें काम करने वालो की हालत खराब है हालाँकि हमने उनकी हालत सुधारने के लिये वेजबोर्ड नियुक्त किया था। वेज बोर्ड ने अनुशंसा किया है और मदद करने के लिए कहा है कि माइका-बेस्ड बनाने के लिये बिहार की मदद मिलनी चाहिए। यह बिहार की उचित माँग रहा है। इसपर भी प्रधानमंत्री की सहानुभूति है कि एक डिफेंस इंडस्ट्रीज बिहार में हो।

हमने यह बात भारत सरकार से काफी जोरदार ढंग से कही है। हजारो-हजार मजदूरों की हालत खराब हो रही है, हमने वेज बोर्ड भी बहाल किया है। हमने भारत सरकार से यह भी कहा है कि एक हजार करोड़ से सेन्ट्रल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। हमने यह भी कहा कि सात करोड़ की आबादी वाले हमारे राज्य में एक डिफेंस कारखाना नहीं है। इसलिये यहाँ डिफेंस कारखाना खोलना चाहिए। इसके लिये बिहार सरकार काफी मुस्तैदी से लगी हुई है। आई.डी.बी.आई. के चेयरमैन से भी हमने फिनानसिंग करने के लिए अनुरोध किया है। हमने कहा है कि यहाँ बहुत कम फांइनेनसिंग हो रहा है। हर बात के लिये हम भारत सरकार के पास नहीं जाएँगे। आप चेयरमैन है आपको यह देखना चाहिए। जो कारखाने वर्षो से बंद है उसको चालू कराने की बात भी कही है। इसके अलावे हम तीन सूती मिल सिवान, भागलपुर और पंडौल में खड़ा करने के लिये पेशकश कर रहे हैं। फिर एक राँची और बीरपुर में भी खोलने के लिए सहायता की माँग की है।

क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए हमने काफी प्रयास किया है। चेयरमैन ने कहा कि उद्योग के मामले में बिहार भायबुल नहीं हो सकता है। उसके लिये भी हमने उन्हें सुझाव दिया है कि बिहार का पहला जेनेरेशन इस ओर बड़ी ही मुस्तैदी और तत्परता से काम कर रहा है इसलिए इसमें शिथिलता लायेंगे तो बिहार में उद्योग पनप नहीं सकता है। इसपर उन्होंने काफी सहानुभूति के साथ बातचीत की है। इसके अलावा सिंदरी में एक कारखाना खुला लेकिन तकनीकी गड़बड़ी और कच्चा माल में कुछ कमी के कारण यह चल नहीं पा रहा है। इसको हमने भारत सरकार के समक्ष रखा है। अब भारत सरकार इसे राजस्थान ले जाना चाहती है जबकि, सिन्दरी में अठारह हजार मजदूर बेकार हो जाएँगे। हमने उद्योग मंत्रालय से आग्रह किया है कि इसको यही रखा जाए और जो कमी है उसे दूर किया जाए। ललमटिया के कोयला खादान पर भी काफी चर्चा प्रधानमंत्री स्तर पर हुई है लेकिन अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है। इसके लिए हम पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम एक सुपर थरमल स्टेशन बनाने को सोंच रहे हैं छठी योजना में। इसके लिए टोकन एलोटमेंट लेना चाहते हैं। पलामू और हजारीबाग के सीमा पर 685 मिलियन टन वाले कोयला खान का भंडार मिला है, उसका उपयोग कैसे किया जाए इसपर भी विचार कर रहे हैं। कर्णपुरा में 9 हजार मिलियन टन वाला खादान का पता चला है इसके लिये भी प्रस्ताव दिया गया है। उस इलाके में भी 4 हजार मेगा वाट क्षमता का दो सुपर थर्मल पावर स्टेशन पलामू में स्थापित किया जा सकता है।

कोयला का भंडार हमारे पास है, तब सुपर थर्मल पावर स्टेशन हमारे प्रदेश में क्यों नहीं स्थापित किया जा सकता है। 1917 मीट्रीक टन लौह भंडार पड़ा हुआ है, उस आधार पर नहीं वहाँ लौह कारखाना नहीं खोलकर के विजयनगर और उड़ीसा में खोलने की बात है। सभी हमारे देश के अंग है, सभी बराबर हैं, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, वहाँ खोले, लेकिन हमारे यहाँ जो आयरण के सोर्स हैं उसके

आधार पर दूसरे जगह पर कारखाना बनें तो यह बिहार के साथ उपेक्षा होगी, इसलिये हमने मनोहरपुर में कारखाना खोलने के संबंध में 'मैटेको' से प्रोजेक्ट तैयार कराया है। इसपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम बिहार में इकोनॉमी एक्टीविटी बिहार में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बिहार की इकोनॉमी एक्टीविटी बढ़ सके एवं हम बिहार के लोगों को काफी न्याय दे सकें, इन बातों पर योगदान होने पर इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ सकती है और इस प्रदेश के लोगों को जो सुविधा देना चाहते हैं उसमें और अग्रसर होंगे।

लघु उद्योगों के बारें में विचार-विमर्श

हमारे जो इनसिलियरी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें हम गंभीरता से लेते हैं। हमारी शिकायत है कि बोकारो स्टील में 42 इनसिलियरी हैं, बी.सी.सी.एल.,धनबाद में 56 हैं, एच.ई.सी., राँची में 74 और सी.सी.एल., राँची में 67 इनसिलियरी इंडस्ट्रीज है और इन्हीं इंडस्ट्रीज के आधार पर ये इनसिलियरीज बनी थी और बिहार सरकार ने भी उन्हें सहायता पहुँचायी थी, उद्योग खड़ा किया गया। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है? सी.सी.एल., राँची जहाँ करीब साढ़े 12 करोड़ रुपये का माल बाहर से खरीदता है, वहाँ बिहार से केवल 62 लाख रुपये का माल खरीदता है। इसी तरह बोकारो जहाँ 90 करोड़ रुपये का माल बाहर से खरीदता है, वहाँ बिहार से केवल 7 करोड़ का माल खरीदता है। एच.ई.सी., राँची जहाँ 41 करोड़ रुपये का माल खरीदता है और वहाँ बिहार से केवल सवा तीन करोड़ रुपये का माल खरीदता है। इसके कारण इनसिलियरी इंडस्ट्रीज की हालात खराब हो गयी है। आये दिन इस बात की शिकायत आती है कि सच एण्ड सच यूनिट बंद हो गया है, इनको बाजार नहीं मिलता है। इनकी शिकायत जायज है।

हमने 1976 में एक अध्यादेश का प्रारूप बनाया था- हमारे यहाँ जो उद्योग हैं, उनके हिसाब से उनके डिजाइन और इनके क्वालिटी के हिसाब से चीजें बना दें और हमारी चीजों को पहले खरीदना चाहिए, बाहर से उन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, बिहार की बनी हुई चीजें पहले खरीदी जानी चाहिए। लेकिन इसी बीच हमारी सरकार नहीं रही और ये तीन साल तक सरकार में रहे परन्तु, इनके द्वारा फौलो -ऑप एक्शन नहीं लिया गया अतएव हम इसपर फौलोऑप एक्शन लेना चाहते हैं। हम भारत सरकार के सहमति से कानून बनाना चाहते हैं जिससे कि बड़े-बड़े राज्यों से जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जो विकसित हो चुके हैं उनके उद्योगों के समानो को न खरीदकर हमारे यहाँ जो चीजें बनती हैं, उसे खरीदा जाए। हमने बी.सी.सी.एल. के मैंनेजिंग डायरेक्टर और सी.सी.एल. के चेयरमैनसे कहा है कि आप की जो जरूरत है, टोकरी की, कुदाल की, मिट्टी काटने के लिये ये सारी चीजें हम बना सकते हैं, हमारे मजदूर बनाते हैं। इसे न खरीदकर आप कलकत्ता से खरीद करते है, पूना से खरीदतें हैं हमारे प्रदेश से ही उन्हें खरीदा जा सकता है। हम एक कानून बनाकर ऐसे सारे उद्योगो के

लिये व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। हमने टिस्को, टेल्को और टिनप्लेट के लिये आदित्यपुर में ऐसे उद्योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारे इनसिलियरी इंडस्ट्रीज का विकास हो। इसके अलावे सीमेंट का कारखाना भी खोलना चाहते हैं। कुमारधुबी के लिये हमने विधेयक पास करवाया है। कुमारधुबी के बारे में हमने प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा है। इलाहाबाद बैंक के रुपये के भुगतान के बारे में भी हमने प्रधानमंत्री को कहा है। अगर ये उद्योग हमारे यहाँ नहीं खुल पायेंगे तो हम इलाहाबाद बैंक का पैसा कहाँ से देंगे? उसको हम 7 करोड़ रुपये कहाँ से वापस करेंगे? फिर भी हमने उसको साढ़े चार करोड़ रुपये देने का कमिटमेंट किया है। अगर हमको केन्द्र से रुपये मिल जाएगा तो हम सबसे पहले इलाहाबाद बैंक को देंगे। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री से हमे इसके लिये स्वीकृति मिलेगी।

हमने बेतिया के कुमारबाग में एक पेपर कारखाना खोलने की बात थी। हमने अपने पदाधिकारियों से राय ली थी उस समय तो उन्होंने कहा था कि चूँकि वहाँ रेल लाइन नहीं है इसलिये वहाँ पर अभी पेपर का कारखाना खोलना उपयुक्त नहीं होगी, तो हम उस कारखाने को मुज़फ्फरपुर ले गए। लेकिन मैं वहाँ भी पेपर का कारखाना खोलना चाहता हूँ। हमारी कोशिश है कि 80 करोड़ के लागत से एक कारखाना बिहार में कायम करें। आशा है इस सदन की मदद से भारत सरकार से इसके लिये हमें अनुमति मिल जाएगी। बिहार में उद्योग को बढ़ाने के लिये भारत सरकार से अनुमति मिलेगी। मैंने सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. से भी कहा है कि वे सूबें में धनबाद, हजारीबाग और राँची में हमारे लिये अपनी ओर से कारखाना बैठावें।

इसके अलावे हमने 30 करोड़ की लागत पर एक प्लांट बैठाने की बात सरकार से की है उसको हम करना चाहते हैं। लेकिन एक शिकायत हमारे केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में और इसके बारे में आये दिन बराबर चर्चा होती भी है। केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में 500 रु. तनख्वाह वाली नौकरी के बारे मे बात हमने उनसे की थी। दस साल पहले 500 रु तनख्वाह वाली नौकरी का आज तनख्वाह 1,500 रु होना चाहिए। आज भी 500 रु की नौकरी लोकल नौकरी मानी जाती है। बी.सी.सी.एल. सी.सी.एल. और बोकारो के लिये 1,200 रुपये पाने वाले की परिभाषा लोकल की जाए। ऐसी बात हमने उनसे की है। ऐसे लोगों का नाम लोकल इम्पलाएमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो और वे बिहारवासी हो। बाहर के लोग भी बिहार में आते हैं और जो नौकरी में हैं लेकिन छोटी-छोटी नौकरियों के लिये भी अपना नाम रजिस्टर्ड करा लेते हैं जिससे हरिजन, आदिवासियों को वह कोटा नहीं मिलता है। हमारी कोशिश यह भी है कि इन सारे कारखानों के पदों पर लोकल लोगों के लिये ही रजिस्टर्ड कराया जाए। लालमटिया और कोयलकारी के लिये हमने ऐसा ही कराया है। किसी बाहरी लोगों का नाम वहाँ रजिस्टर्ड नहीं होने देंगे ताकि वहाँ के लोगों को पूरी मदद की जा सके।

कोयला के लिये ज़मीन जो ली जाएगी, उसके लिये उचित मुआवजा का प्रबंध होगा। इंडस्ट्रीयल लूजर कनसेप्ट को ही स्वीकार किया जाए, हमारी कोशिश रही है। सी.सी.एल. और लालमटिया में वैसे लोगों को नौकरी दी जाएगी जो लोकल होंगे। एक बात उठी थी कि बिहार के लोग प्रशिक्षित नहीं है। हमने इसके बारे में भारत सरकार से निवेदन किया है कि धुर्वा और लालमटिया में एक-एक इंडस्ट्रीयल इंस्टीच्यूट खोला जाए ताकि स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर स्किल्ड पदों पर भी उनको नौकरी दिलवायी जा सके।

कोयलकारो के लिये हमने भारत सरकार से 30 हजार रुपये ज़मीन के लिये मुआवजा स्वीकृत कराया है। उच्चतम मुआवजा दिलाने का फैसला करवाया है। डिस्पलेस्ड परसन्स के लिये नौकरी रिजर्ब करवायी है, 75 प्रतिशत श्रेणी तीन में ऐसे लोगों की नौकरी देने के लिये रिजर्ब करवाया है। ये सारे रिजर्वेशन छोटे-छोटे काम के लिये लोकल लोगों के लिये सुरक्षित रखा जाएगा। यह काम हमारी सरकार करना चाहती है। 78 करोड़ रु. लागत का स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट हमने बनाया है। विस्थापित होनेवाले जो है उनके बारे में बार-बार चर्चा होती है। हमने कहा है कि सभी की बातें सुनी जाएँगी। सिंचाई योजना को हम तत्परता से लागू करना चाहते हैं और हमने कहा है कि छठी योजना में इसको मंजूर किया है। छोटानागपुर और संथाल परगना में जहाँ 4-5 प्रतिशत इरीगेटेड लैंड है उसको हम इस छठी योजना में लागू करना चाहते हैं। 40 प्रतिशत भूमि में सिंचाई हो सकेगी। इतने बड़े-बड़े काम हम करना चाहते हैं।

माइनोरटिज फांइनेंसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना पर चर्चा

जिस तरह से पिछड़ी जातियों के लिये, आर्थिक कमजोर वर्ग एवं दूसरी जातियों के कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता देने के लिये संस्थाएँ हैं, उसी तरह से मुसलमानों में, अल्प संख्यकों में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लोग हैं, बहुत गरीब हैं, उनके लिये भी हमारी सरकार ने उनको सहायता देने का फैसला लिया है। जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिये फाइननसिंग कॉरपोरेशन है, उसी तरह से माइनोरेटिज की मदद के लिये माइनोरेटिज फाइनेनसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना पाँच करोड़ की पूँजी से करने का फैसला लिया गया है जिससे इस वर्ग के लोगों का रोजी-रोटी मिल सके। नगरपालिका क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिये, दूकान खोलने के लिये पिछले साल हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लोगों को रिजर्वेशन के आधार पर देने का निर्णय लिया था। नगरपालिकाओं द्वारा जो फ्लैट बनेंगे, जो दूकानें बनेंगी, वे लोगों को रिजर्वेशन के आधार पर दी जायेंगी। वही फैसला इस साल भी हमने किया है कि हाऊसिंग बोर्ड की ओर से जो कॉलोनी बनेंगी, उनमें गरीब तबके के लोगों को रिजर्वेशन के आधार पर

मकान मिलें। नेशनल लाइफ में हम उन्हें मदद देना चाहते हैं, बराबर का हिस्सा देना चाहते हैं। देश की मजबूती के लिये, इन्टेग्रेशन के लिये यह बहुत जरूरी है।

श्रीमती इंदिरा जी के राज में अल्प संख्यक सुरक्षित हैं। कठिनाइयाँ तो हैं, हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी जो डेमोक्रेट सोसलिस्ट हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि यदि जनतंत्र को जिन्दा रखने चाहते हैं तो श्रीमति इंदिरा गाँधी का हाथ मजबूत करें। श्रीमति इंदिरा गाँधी एक ऐसी नेता हैं, जिन्होंने देश को एकता में आबद्ध किया है, इसलिये हम सबको उनका साथ देना चाहिए।

कोषागारों से अवैध निकासी

(बिहार विधान सभा-8 जुलाई, 1993)

बिहार के कोषागारों से राजनीतिज्ञ, ठेकेदार और अफसर के तालमेल से रुपये निकाले जा रहे हैं। यह गंभीर मामला है। बजट पर ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो ये बात कह रहे हैं, वह कोई मायने नहीं रखता है।

लेखा अनुदान के दिन जितनी बातें मैंनें कहीं थी, उस पर आपने कहा था कि आगामी सत्र के पहले जवाब दे देंगे। आपने तीन महीने के भीतर कोई जवाब जनता को नहीं दिया। आपको इस सत्र से पहले जवाब दे देना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया। आपके बजट भाषण में फिजूल बातों को सुनने से क्या मिलेगा, आपको फिजूल बातें करने के लिए बहुत सी जगह है। आप वही पर अपनी बातों को कहियेगा। सदन में फिजूल बातों के लिए समय नहीं है।

आपके बयान में था कि 1200 करोड़ रुपये की निकासी हुई। अब आप स्थिति बतलाइए कि 1200 करोड़ रुपये लूट लिया गया या इसकी हकीकत क्या है.....

मैंने अब तक केवल संदेह पर कहा था लेकिन आपने अपने बात से अधिकृत कर दिया कि 1200 करोड़ रुपये निकाल लिया गया। यह और गंभीर हो गया। आपने 12 तारीख को बैठक बुलायी और आपके वक्तव्य से यह भी स्पष्ट है कि 1200 करोड़ रुपये निकालने की स्वीकृति किसने दी, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके खिलाफ कर्रवाई होनी चाहिए। बिहार के पचास ट्रेजरी का दो साल का हिसाब-किताब नहीं मिल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं, यह सारी बात आप बतलायें.....

सवाल यह है कि आपके रोक लगने के बाद रुपये निकला। नबार्ड को गया, एल.आई.सी. को गया, वह जायज गया, इसमें गड़बड़ नहीं है। सवाल यह है कि आपके वक्तव्य से, आपके आदेश के बावजूद वित्त विभाग के रोक के आदेश के बावजूद कोषागार से पैसे की निकासी हुई और 1200 करोड़ रुपये की निकासी हुई। नबार्ड और एल.आई.सी. का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आपने रोक लगाया, वित्त विभाग ने रोक लगाया तो फिर 1200 करोड़ रुपये किसने निकाला। यह कौन-सा रुपये है और वह रुपये कहाँ गया।

मेरा यह कहना है कि आपके रोक के आदेश के बाद निकला। इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेवार है। इस राज्य में दो सरकार है या एक सरकार। आपके आदेश के बाद किसको अधिकार है? किसने पैसा की निकासी की?

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सदन की मर्यादा का सवाल है। बिहार के लोगों की मर्यादा का सवाल है कि इस राज्य में दो सरकार है कि एक सरकार। जब लालू सरकार ने हुक्म किया और पैसे की निकासी पर रोक लगाया तो किसने निकासी किया। वह कहाँ गया और कहाँ खर्च हुआ, पूरा विवरण हमको दीजिए। आपका पूरा हिसाब लेंगे। यह गंभीर सवाल है, इसका जवाब दीजिए।

आपका विवरण हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप पूरा विवरण कल सदन में पेश कीजिए और पूरी जानकारी दीजिए। 1200 करोड़ के घपला का सवाल है इसलिए पूरी जानकारी दीजिए। सदन की पूरी कमिटी बनाइये, जाँच कमिटी बनाइये। दोनों सदन की कमिटी बनाइये ताकि सारे घपले की जाँच हो। जनता दल पूरा पैसा खा गया है।

हरितक्रांति और उद्योगीकरण

(बिहार विधान परिषद्- 4 दिसम्बर, 1970)

किसानों के जिम्में सभी प्रकार के कृषि ऋण, भूमि सुधार ऋण, प्राकृतिक प्रकोप ऋण जो हैं, वे यदि 31 मार्च 1971 तक चुका दिये जायें तो उस पर उस समय तक का सभी सूद माफ रहेगा। राज्य की वर्तमान परिस्थिति में विशेषकर राज्य के कृषि क्षेत्र में जहाँ पर आज हरित क्रांति लाने की बात की जा रही है उसका अपना महत्व है। मैं समझता हूँ कि राज्य में हरित क्रांति लाने के लिए सरकार की नीति में जो मूल परिवर्त्तन होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। सिर्फ भाषण से ही हरित क्रांति हो नहीं सकती है। जबतक कृषि योजना के प्रारूप में योजना के पुनः स्थापन में सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्त्तन नहीं होता तब तक यह क्रांति सम्भव नहीं प्रतीत होती है।

जिस प्रकार किसी मुल्क में जब औद्योगिक क्रांति होती है और उस क्रांति को कामयाब करने के लिए जिस प्रकार के साधन एकत्र किये जाते हैं, जिस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है और जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाता है उसी प्रकार का मौलिक परिवर्त्तन, कृषि सम्बन्धी दृष्टिकोण आज इस राज्य के लिए आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज इस बात की आवश्यकता है कि किसी विशेष प्रयोजन और कार्य के लिए सरकार द्वारा कई ओर से जो रुपये दिया जाता है उस पर कुछ विशेष समय के अन्दर सूद नहीं लिया जाना चाहिए, ताकि इससे कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार करने की दिशा में किसानों को प्रोत्साहन मिल सके।

अभी इस राज्य की जो वित्तीय परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यह बात सरकार की ओर से कही जाती है कि मौजूदा परिस्थिति में सूद माफ करना या सूद नहीं लिया जाना सम्भव नहीं है। अगर हम दूसरे पक्ष की ओर ध्यान दें तो हम देखेंगे, अक्सर सूद की रकम बढ़ते रहने के कारण किसानो को सरकारी ऋण की अदायगी में कठिनाई होती है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी खास समय तक ऋण की अदायगी, सूद की माफी दी जाए तो वह ऋण की अदायगी में सहायक हो सकता है।

मैं समझता हूँ कि सरकार का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए और सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार अगर अपनी ऋण वसूली की नीति में परिवर्त्तन करे तो उससे सूद की

अदायगी में विशेष सहायता मिलेगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बात को सदन और सरकार के सामने रखा है कि ऋण की अदायगी की दिशा में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक खास समय तक के लिए सूद की छूट सरकार द्वारा घोषित कर दी जानी चाहिए।

अपने को क्रांतिकारी कहनेवाली सरकार 1967 में बनी थी। लेकिन, वह भी इसमें असपफ़ल रही और नहीं कर सकी। मेरा कहना है कि कृषि के स्वामित्व पर भूमि सीमा निर्धारण शीघ्र से शीघ्र किया जाए। दूसरी बात यह है कि वर्तमान निबंध में जो व्यवस्था की गयी है उसके अन्तर्गत भूमि के स्वामित्व के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि इसकी व्यवस्था की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि भू-स्वामित्व सीमा-निर्धारण के बाद जितनी ज़मीन मिले वह भूमिहीनों में बाँटी जाए। केवल बाँटी ही नहीं जाए, बल्कि यह भी शर्त रखी जाए कि उसपर भूमिहीनों की को-आपरेटिव सोसाइटी बनेगी।

खेती की वित्तीय समिति की बात उठती है। औद्योगिक विकास के लिए अनेक समितियां और संगठन बने हैं। लेकिन कृषि के लिए कृषि को-ऑपरेटिव या सरकार के द्वारा ही मदद की परिपाटी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक है कि नयी एजेंसीज बनायी जाएँ। इसलिए आवश्यक है कि राज्य में वित्तीय निगम की स्थापना की जाए जो प्रत्यक्ष रूप से किसानों में ऋण बाँटने का काम शुरू करे। सहकारी समितियां हों, लेकिन सहकारी नीति में जो कठिनाई आ गयी है, उन्हें ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि अलग से भी वित्त के लिए संगठन बनाना चाहिए और उसके जिम्मे किसानों को ऋण देने की जवाबदेही समझी जाए।

औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयुक्त परिवर्त्तन की आवश्यकता है। अब तक उद्योगों के लिए बिहार सरकार ने अपनी कोई औद्योगिक नीति नहीं बनायी है। इसके लिए विशिष्ट अध्ययन करवाया गया है। समय-समय पर जाँच पड़ताल भी करवायी गयी है, लेकिन अभीतक सरकार की कोई वैज्ञानिक औद्योगिक नीति नहीं है। उसके अभाव में सरकार का कार्यक्रम कैसे लागू होगा और उससे कैसे लाभ मिलेगा, यह अनिश्चित है। इसलिए आवश्यक है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो लागू होनेवाली है, उसके पूर्व ही उद्योगों के लिए सुव्यवस्थित नीति बना ली जाए। उसका उद्देश्य और आधार भी स्पष्ट होगा।

हम जानते हैं और मानते हैं कि हमारा राज्य ग्रामीण मूलक राज्य है, वही इसके जीवन का आधार है। इसे उठाने के लिए आवश्यक है कि हर गाँव, प्रखंड और जिले में उद्योगीकरण करने की व्यवस्था करें और ऐसा लगे कि सचमुच हम ग्रामीण जनता में आमूल परिवर्त्तन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्त्तन करना चाहते हैं। विभिन्न आयोगों ने इसके लिए अनुशंसाएँ की हैं। लेकिन उन अनुशंसाओं को मूर्त्त रूप नहीं दिया गया। इसलिए औद्योगिक नीति में यह बात स्पष्ट हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में

उद्योगीकरण के लिए आप क्या करना चाहते हैं और यह उद्योगीकरण कैसे करेंगे। साथ ही विकेन्द्रीकरण भी हो। केवल यही पर्याप्त नहीं है कि राज्य में बहुत से उद्योग खोल दिये जाएँ, बल्कि यह भी आवश्यक है कि किनके जिम्मे ये उद्योग जाते हैं और किस माध्यम के उद्योग से सामान बनते हैं। दूसरी बात यह है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ये उद्योग ऐसे हों जिन पर बहुत सारे लोगों का नियंत्रण और स्वामित्व हो। लेकिन साथ ही आवश्यक है कि ये राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किये जाएँ।

दक्षिण बिहार में उद्योगीकरण की स्थापना होती है, लेकिन उत्तर बिहार बराबर से उपेक्षित होता आ रहा है। दक्षिण बिहार में उद्योगीकरण हो, लेकिन उत्तर बिहार बराबर से उपेक्षित होता आ रहा है। दक्षिण बिहार में औद्यागीकरण हो, लेकिन उत्तर बिहार में पोटेनशियल का अध्ययन करना आवश्यक है। बिहार सरकार को केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि उत्तर बिहार में उद्योगीकरण हो, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में जो विभिन्नताएँ हैं उन्हें पाटा जाए। सरकार का जो एप्रोच है उसमें परिवर्त्तन होना चाहिए। सरकार की एक निर्दिष्ट दिशा होनी चाहिए। अभी स्पष्ट नहीं होता है कि सरकार के दिमाग में इसका क्या चित्र है। सरकार के सामने बात उठायी जाती है, लेकिन किस पैमाने पर किया जाए यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। सभी को जानकारी मिलनी चाहिए कि सरकार किस दिशा की ओर ले जाना चाहती है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। समाजवाद की बात उठायी जाती है और साथ ही आर्थिक विषमता समाप्त करने की बात कही जाती है, परन्तु यह केन्द्रीय स्तर पर ही होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य स्तर पर भी बात होनी चहिए।

रोजगार की समस्या

(बिहार विधान परिषद्-14 मार्च, 1970)

आज राष्ट्र के समक्ष बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। उसमें भी पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या और गंभीर है। पढ़े-लिखे लोगों का रोजगार का प्रावधान हो। किस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार की क्या क्षमता है? व्यक्तिगत क्या क्षमता है? इन बातों पर एक वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध हो। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ऐसे अहम सवाल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वह प्राथमिकता नहीं दी गई।

आपको आश्चर्य होगा कि पिछले दो-तीन योजनाओं में इस बात की चर्चा होती थी कि कितनी बेरोजगारी तथा बेरोजगारी की सख्या कब तक बढ़ने वाली है। योजना काल में कितने लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में सरकार इस मामले पर चुप है। इसका कारण यह है कि योजना कमीशन भारत सरकार के सामने सही आँकड़ा नहीं रखती है। दूसरी बात यह हो सकती है कि योजना कमीशन इस मामले में सक्षम नहीं है। इसलिए वह सही आँकड़ा नहीं रख सकती है कि बेरोजगारी की कितनी मात्र बढ़ी है।

आपको आश्चर्य होगा कि यह विकासशील मुल्क तथा विकासशील देश जहाँ आगे बढ़ने जा रहा है, समाजवाद की स्थापना की ओर अग्रसर हो रहा है, वहाँ पर यह एक अहम सवाल है कि बेरोजगारों को हम समुचित प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इसकी चर्चा की है, उसने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया है कि सरकार के पास यंत्र नहीं है कि वे सर्वे कराके सही आँकड़ा प्रस्तुत कर सके।

राष्ट्र में बेरोजगारों के सबंध में दो पहलू हैं- एक देहाती क्षेत्र में अन्डर एम्प्लाइमेंट और अनएम्प्लाईमेंट और दूसरा पढ़े-लिखे रोजगार। दोनों के बीच बेरोजगारों की समस्या बढ़ी है। योजना आयोग के समक्ष यह समस्या रहनी चाहिए, लेकिन उस आयोग ने इस बात में असंतोष व्यक्त किया है। जिस प्रकार से 15 वर्षो में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, वह संतोषप्रद नहीं है। इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं होनवाला है। आर्थिक विकास की प्रगति और शिक्षा का प्रसार दोनो में भिन्नता नहीं है। इस बात से

स्पष्ट है कि जहाँ 1947 और 1951 के बीच में विश्वविद्यालयों की संख्या 28 थी वहाँ अब विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 60 से लेकर 65 है। उसी तरह से इंजिनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या पहले जहाँ 39 थी वहाँ अब बढ़कर 133 हो गई है। पहले इन कॉलेजों से 1300 इंजिनियर निकलते थे वहाँ अब 25 हजार इंजिनियर निकल रहे है। इससे साबित होता है कि शिक्षा के प्रसार और आर्थिक विकास में कोई समानता नहीं है। यह समस्या और बढ़ती जायेगी, इसलिए ऐसी स्थिति का मुकाबला किया जाना चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए विशेष कर पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एक स्वायत्त संस्था स्थापित करे। यह स्वायत्त संस्था बेरोजगारी की समस्या का सही ढंग से अध्ययन करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में या व्यक्तिगत क्षेत्र में किस अनुपात में लोगों को रोजगार दिया जा सके, इसकी जवाबदेही इस निगम पर दी जाए। जिन संस्थाओं में भरती करना है, रोजगार देना है, वहाँ निगम के माध्यम से रिक्रूटमेंट करना है। सरकार कहती है कि इम्प्लाइमेंट एक्सचेंज के माध्यम से हम लोगों को काम देते हैं। लेकिन इम्प्लाईमेंट एक्सचेंज अपने काम में पूर्णतः सफल नहीं हो पाते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इम्प्लाईमेंट एक्सचेंज प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। आज हमारे देश में अधिकतर लोग देहात के रहने वाले हैं। आज लोग पढ़-लिख कर देहात में रहते हैं। वहाँ पर उन्हें सभी बातें मालूम नहीं होती हैं। इसलिए वे लोग एम्प्लाईमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। दूसरा कारण यह है कि इम्प्लाइमेंट एक्सचेंज में सर्विस देने की कोई गारंटी नहीं रहती है। इसलिए जो वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था के अन्तर्गत रोजगार देने से समस्या हल नहीं हो सकती है।

जितने प्रतिष्ठान हैं, चाहे सरकारी प्रतिष्ठान हों, व्यक्तिगत, औद्योगिक प्रतिष्ठान हों, उसमें कितने बे-रोजगारों को रोजगार दिलाया जाता है, इस बात की सही जानकारी नहीं होती है। इसकी पूरी जानकारी रहनी चाहिए, जानकारी नहीं रहने से फ्रस्ट्रेशन होता है, इससे हतोत्साह होता है। इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए बे-रोजगारी की समस्या का समाधान तभी हो सकता है, जब स्पेशलाईज्ड एजेंसी, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तरह से नहीं स्टेटुटरी बोर्ड के जरिये हो जो अपने आप में स्वायत्त हो। उसको पूर्ण अधिकार हो ताकि समस्त राज्य का संरक्षण कर सके-चाहे शहरी क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो, तमाम औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करने से ही बेरोजगारी का समाधान हो सकता है। उनको अधिकार हो कि जितने प्रतिष्ठान हों, सरकारी प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत प्रतिष्ठान या सरकारी दफ्रतर हों, वहाँ के कागज-पत्रों की जाँचकर सही आँकड़े ले सकें। उसे यह भी अधिकार हो कि जहाँ भी जगह हो वहाँ उस तरह के आदमी यदि मिलें, तो उन्हें एम्प्लाईमेंट दे सके।

आजादी के बाद शिक्षा में प्रगति तेजी से हुई है। लेकिन सही दिशा में हुई या नहीं, इसका ज्ञान सरकार

को नहीं है। आये दिन भाषण होता है और विशेष कमिटी द्वारा कहा जाता है कि शिक्षा की जो व्यवस्था आज है, वह दोषपूर्ण है, रोजगारी नहीं है। आज देश में शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की शिक्षा रोजगारमूलक हो। प्रशिक्षित होकर जो लोग निकलें वे सही दिशा में, सही काम पर लगें।

अपने मुल्क में टेक्नीशियन बड़े पैमाने पर बे-रोजगार हो रहे हैं। लेबर कमीशन ने चर्चा की है कि कुछ राज्यों में टेक्नीकल आदमी नहीं मिलते हैं। यह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि टेक्नीशियन नहीं मिलते हैं। एक राज्य में और दूसरे राज्य में हजारों की तादाद में बेरोजगार हैं। इसके लिए एक बैलेंस होना चाहिए। यह देखना चाहिए कि मूल्क के सभी हिस्सों में एक समानता हो।

स्टैटुटरी बॉडी जो बने उसे यह अधिकार हो कि विभिन्न राज्यों से वह सम्पर्क स्थापित कर सके। वह देखे कि किस प्रकार के लोगों को कहाँ पर रोजगार देने की सम्भावना है और किस प्रकार उसके अनुसार लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। बिहार की प्रशिक्षण की नीति क्या हो इस दिशा में निर्देश देने का भी निगम को अधिकार हो। वह विभिन्न राज्यों का स्टडी करे ताकि जहाँ कहीं भी एम्प्लाइमेंट करना हो वहाँ ट्रेंड लोगों को भेज सके। यह काम ऑल इंडिया बेसिस पर उठाना चाहिए।

योजना आयोग ने जो कार्रवाई की है_ चौथी योजना की जो रूप रेखा है, उसको देखकर तकलीफ होती है। इसलिए मैं राज्य सरकार पर दबाव देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस सबंध में ऑल इंडिया लेवल पर लीडरशीप प्रदान करे ताकि बेरोजगारी का समाधान किया जा सके।

1953-54 में बिहार सरकार ने एक एम्प्लाइमेंट कमिटी की नियुक्ति की थी। उस कमिटी ने एक प्रतिवेदन दिया था। हमारे राज्य में जो पुराने अर्थशास्त्री प्रो. गोरख नाथ सिंह की अध्यक्षता में यह कमिटी बनायी गयी थी और बहुत ही सर्वांगीण दृष्टि से उस कमिटी ने अपना प्रतिवेदन दिया था। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने उस कमिटी की अनुशंसाओं को किसी भी रूप में तामील करने का प्रयास नहीं किया है। उसमें यह बताया गया है कि किन-किन कारणों से बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है और किस तरह से सरकार को आदेश देना चाहिए, किस तरह से सरकार को इनलोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे राज्य के श्रम विभाग ने उन रिपोर्टो को दबा डाला है। लगता है कि उस रिपोर्ट की यहाँ कोई उपयोगिता नहीं है। सरकार ने यह भी नहीं बताया कि किन-किन कठिनाइयों के कारण इस रिपोर्ट की कार्यान्विति नहीं हो रही है। इसलिए यह बहुत गंभीर समस्या है जिस पर समुचित विचार होना चाहिए।

बेराजगारी की संख्या बढ़ रही है, यह जनतंत्र के लिए एक चुनौती है। आज हम प्रशासन में चर्चा करते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर घटता जा रहा है। इसका कारण सरकार की कमजोरी है केवल यही सही कारण

नहीं है। समाज के एक बहुत बड़ा वर्ग में आज घोर असंतोष है। उसका विश्वास डोल रहा है, उसकी आस्था घटती जा रही है। आप जब अनएम्प्लइमेंट के रजिस्टर के फिगर को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें 90 प्रतिशत लोग 20 से 35 एज ग्रुप के हैं। जहाँ के लोग 10 लाख की संख्या में जो 20 से 35 वर्ष के हों, वे हतोत्साहित हों, फ्रस्ट्रेटेड हों, उस समाज की व्यवस्था आप समुचित रूप से नहीं चला सकते हैं। वे जब चाहेंगे शासन-व्यवस्था को तोड़-मरोड़ डालेंगे। कहा जाता है कि सरकार बेरोजगारी की समस्या पर विचार कर रही है। बहुत सीरियसली, लेकिन क्या विचार कर रही है? आये दिन ऐसा सुनने में आता है कि बेरोजगार-इंजीनियर को ठेकेदार आदि में प्राथमिकता दी जायेगी, जो नवयुवक अनएम्प्लाएड हैं, उनको रोजगार दिया जायेगा। यह तभी हो सकता है जब इसे एक स्पेशलाइज्ड ऐजेंसी के जरिये एक विशिष्ट पदाधिकारी के जरिये यह काम कराया जाएगा। उनको ठेकेदार देने में प्राथमिकता दी जायेगी, जो नवयुवक अनएम्प्लाएड हैं, उनको रोजगार दिया जायेगा। सरकार की नीति होती है, उसी नीति से कार्य को सम्पन्न किया जाता है। सरकार को चाहिए कि इस काम को एक विशेष संस्था के जिम्मे सुपुर्द कर दे। यह संस्था इस काम को कारगर बना सके इसके लिये यह एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करेगा। हमारी समस्या बहुत गंभीर है।

20 सूत्री कार्यक्रम

(बिहार विधान सभा -29 जुलाई, 1975)

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने देश की प्रगति के लिए एक आर्थिक कार्यक्रम देश के समक्ष रखा है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से भारत की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाएँ पूरी होगी और हमारी अर्थव्यवस्था का समाजवादी रूपांतरण होगा। कृषि और उद्योग दोनो ही क्षेत्रे में उत्पादन बढ़ेगा। उपभोक्ताओं के जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध होंगे। यह कार्यक्रम चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, अनुसूचित संग्रह तथा तस्करी रोकने में समर्थ होगा। शहरी क्षेत्र में सम्पत्ति का समाजीकरण होगा। गाँव के रहनेवाले गरीब लोगों के कर्ज में माफी मिल सकेगी। हरिजन और आदिवासियों के लिए सुविधायें और प्रशस्त होगी।

जिस आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा प्रधान मंत्री जी ने की है उसके पीछे दो-तीन मुख्य लक्ष्य है कि देश में समाजवादी व्यवस्था और समानता को हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है, उसमें तीव्रता आये। दूसरा यह कि समाजवादी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में जो बाधायें आती रही हैं, उन्हें दूर किया जा सके। साथ ही आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को अति तीव्र गति प्रदान करने के लिए आवश्यक पूर्ण भूमिकाए स्थापित की जाए। निश्चित रूप से इन उद्देश्यों पर जब हम विचार करें और कार्यक्रमों को देखे तो निश्चित रूप से यह विश्वास होता है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में इन 20 सूत्री कार्यक्रमों का अत्यन्त महत्व है।

एक विशेष परिस्थिति राष्ट्र में आयी जो हमारे देश में विध्वंसकारी शक्तियाँ व्यवस्थित व्यवस्था को तोड़ने की साजिश कर रही थीं, प्रति-क्रियावादी शक्तियाँ, चाहे वे उग्र दक्षिणपंथी हो या उग्र वामपंथी हों, इन दोनो के साथ ताल-मेल से ऐसी परिस्थितियाँ बनने जा रही थी जिससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो और इस व्यवस्था के अन्तर्गत जो आर्थिक विकास कार्यक्रम हम लागू करना चाहते हैं, उसके सामने बाधाएँ उपस्थित हो।

1969 के बाद इस देश में एक नया वातावरण सृजित हुआ। 1971 और 1972 के आम चुनाव में सम्पूर्ण राष्ट्र ने श्रीमती गाँधी के कार्यक्रमों का समर्थन किया और जो शक्तियाँ एकत्रित हुई थी आज

एलाएँश के नाम से इन शक्तियों को काफी जोर का धक्का लगा। लेकिन राष्ट्रीय अर्न्तराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के कारण पिछले तीन वर्षो में अपने देश में मुद्रास्फीति काफी जोर रहा और लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ी, विशेष कर मध्यम वर्ग और हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी कठिनाइयाँ बढ़ी हैं साथ ही हरिजन आदिवासी और दूसरे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। इन आर्थिक कठिनाइयों का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा इन तत्वों द्वारा की जाने लगी और उसी की आड़ में सम्पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करने की चेष्टा की गयी । अपने देश में पिछले डेढ़ साल में जो जो क्षति हुई, यह हम सब जानते हैं। सरकार ने काफी दृढ़तापूर्वक और सभी लोगों के समर्थन और सहयोग से नौजवाना, विद्यार्थियों और आम गरीब लोगों के सहयोग से उनके नापाक इरादे चकनाचूर हुए। बिहार से ही शुरू करके ये इसे अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाहते थे। यह बात और-और स्पष्ट होने लगी कि इसके पीछे केवल बिहार विधान-सभा के विघटन का प्रश्न ही नहीं है बल्कि इसके पीछे सम्पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने का है और श्रीमती इंदिरा गाँधी के द्वारा चलाये गए आर्थिक कार्यक्रम को कमजोर करने का है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने का है। यह बात धीरे-धीरे स्पष्ट होती गयी और जिस वर्ग ने प्रारंभ से उनका समर्थन दिया था, उस वर्ग के लोगों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया क्योंकि उन्हें भी इस बात का अहसास हुआ कि इन छोटी मोटी बातों के पीछे कोई दूसरा रहस्य है, हमारी समस्याएँ उसके पीछे नहीं है, बल्कि वे सम्पूर्ण राष्ट्र को, निश्चित रूप से मौलिक व्यवस्था पर प्रहार करना चाहते हैं। श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा चलाये गए आर्थिक कार्यक्रमों को तोड़ना चाहते हैं, हमारी खुशहाली जिससे होनेवाली है, इसको बंद करना चाहते हैं।

बिहार का आंदोलन असफल हुआ और उनका मनोबल भी टूट गया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ तो अखिल भारतीय स्तर पर साजिश होने लगी, षड्यंत्र होने लगा। वे बातें सामने आती गयीं कि वे क्या चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार ने जो सरकार आज जनता के समर्थन से बनी है, वह सरकार इसे बर्दास्त नहीं कर सकी कि देश में मुट्ठी भर लोग सम्पूर्ण राष्ट्र के लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करें या आर्थिक कार्यक्रम को दृढ़तापूर्वक चलाने में बाधा उपस्थित करे तो ऐसी हालत में सरकार का यह मौलिक कर्त्तव्य था, कानूनी हक था कि वह इस परिस्थिति से देश को बचाये । लोकतांत्रिक व्यवस्था, समाजवादी समाज, और धर्मनिरपेक्षता हमारी मौलिक नीति है। उसके सामने जो बाधाएँ आ रही है उन बाधाओं से उसे मुक्त किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में सरकार को आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी है जिसका सम्पूर्ण राष्ट्र ने समर्थन देकर अभिव्यक्त की है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा का बिहार की जनता ने प्रचुर मात्र में समर्थन दिया है, सम्पूर्ण राष्ट्र इनके पीछे है। श्रीमती इंदिरा गाँधी के इस घोषणा के बाद उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए हमें बहुत दृढ़ता के साथ काम करना होगा।

यह जो व्यवस्था की गयी है, यह संवैधानिक व्यवस्था है हमारा संविधान ऐसा है कि उनमें खास विशेषता है कि जब कोई संकट संवैधानिक व्यवस्था में आये तो उनके निदान की व्यवस्था भी इस संविधान में ही की गयी है। संविधान के निर्माताओं ने इसके निमार्ण के समय काफी दूर दृष्टि रखते हुए इस बात को देखा कि हम जो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, इसमें ऐसा प्रावधान रहे कि आंतरिक विध्वंसकारी शक्तियाँ, बाहरी शक्तियों का मुकाबला संविधान कर सके और यह व्यवस्था संविधान के अन्दर की गयी है। यह स्पष्ट है कि जो आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गयी है, वह पूर्णतया संवैधानिक है।

यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। आपकी जो चिन्ता है और राष्ट्र की चिन्ता है कि जल्द-से-जल्द सामान्य स्थिति राष्ट्र में आये जिससे हम आर्थिक विकास का कार्यक्रम सुचारु रूप से कार्यान्वित कर सके और बाहरी जो शक्ति है वह भी इस बात को महसूस करे। इस संविधान को हमलोगों ने काफी कुर्बानियां करके हासिल किया है, यह काफी लोगों के सहयोग से बनाया गया है, जिसे आम जनता ने भी स्वीकार किया। प्रत्येक चुनावों में लोगों ने अपना समर्थन इस व्यवस्था में दिया कि यह व्यवस्था निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से कारगर हो। इसलिए आशा है कि विरोधी दल महसूस करे जिससे राष्ट्र के कामों में रचनात्मक ढंग से, क्रियात्मक ढंग से देश से देश निमार्ण में हिस्सा ले। विध्वंस के मारफत जन -समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते हैं तथा देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए जिस दिन राज्य या राष्ट्र के विरोधी दल में यह भावना आ जाए और उन्हें विश्वास हो जाए तो निश्चित रूप से हम प्रगति कर सकते हैं और धीरे-धीरे सामान्य स्थिति अपने राष्ट्र में आ सकती है।

20 सूत्री कार्यक्रम का विशेष महत्व है। इस तरह के सभी कार्यक्रम नये नहीं हैं, कुछ नये हैं कुछ पुराने हैं। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में इन कार्यक्रमों की घोषणा की थी, कार्यान्वयन में कुछ कमजोरियाँ रही और विशेषकर उनको 1971-72 के चुनाव के बाद विरोधी दलों के चलते कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ हुई। अब इस बात की आवश्यकता है कि इन कार्यक्रमों को दृढ़ता के साथ कैसे किया जाए। 1971-72 के चुनाव में यह स्पष्ट हुई थी कि समाज के कमजोर वर्गो के लोगों को पिछड़े एवं दबे हुये लोगों की तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को पूर्ण समर्थन देने का प्रावधान श्रीमती इंदिरा गाँधी के कार्यक्रमों में था। इसलिए समाज में कांग्रेस दल का पूरा कर्त्तव्य है कि जिस आधार पर हमें जन समर्थन मिला था उसीके आधार पर इसकी कार्यान्विति में दृढ़ता के साथ लागू किया करें।

इन कार्यक्रमों का हम विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि इन कार्यक्रमों में प्राथमिकता भूमि सुधार के कार्यक्रम में दी गयी है और उद्देश्य यही है कि समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कठोर से कठोर कदम उठाये। बिहार राज्य के भूमि

सुधार के कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा है लेकिन इसमें अपेक्षित प्रगति हम नहीं कर पाये हैं। इसके अनेक कारण रहे हैं लेकिन अब हमलोगों ने निश्चित रूप से निर्णय किया है। जो हमारे हदबंदी कानून हैं उसका अब कार्यान्वयन पूर्ण रूप से हो और प्रधान मंत्री ने निर्णय लिया है कि दिसम्बर तक इसका कार्यान्वयन पूर्ण रूप से करेंगे। आपको जानकारी होगी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भी हमलोगों ने निर्णय लिया था कि 50 हजार एकड़ जून तक इस कानून के अन्दर प्राप्त करेंगे और बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे। दो ढाई महीने में जो प्रगति रही, वह संतोषप्रद रही। हम 50 हजार एकड़ ज़मीन तो प्राप्त नहीं कर सके लेकिन 20 हजार एकड़ से कुछ अधिक ज़मीन प्राप्त किया। इसी कानूनी प्रावधान की वजह से विभिन्न स्तरों पर हमें समय देते रहना पड़ा। हमलोगों ने महसूस किया कि जो प्रावधान है वह उपयुक्त नहीं है जिसे समुचित बनाया जाए। इस सम्बंध में उपयुक्त संशोधन हमने किया है और राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा है। स्वेच्छा से जिनको ज़मीन देनी चाहिए और कुछ लोगों ने ज़मीन दी भी। राज्य में इसका वितरण किया जाए, इसके लिए कानून लागू होने वाला है। हमलोगों ने विधि वेत्ता से भी राय ली है और उन्होंने सुझाव दिया है कि कोई स्वेच्छा से ज़मीन देता है उसे ले ले। और उन्होंने इस पर भी राय दी है कि इसे हम वितरण कर सकते हैं उनकी राय से हमने संशोधन किया है कि हम ज़मीन वितरण कर सकते हैं या सरकार अपने कार्य के लिए, उद्योग के लिए व्यवहार में ला सकती है।

इसके साथ ही एक और संशोधन भी किया है कि जो लोग इस कानून के अर्न्तगत कोर्ट में जाते हैं और वहाँ डिले होता है जिसके लिए हमने कार्रवाई कर दी है। हमलोगों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि अगर 9 शिड्यूल में इसके लिए कोई इंतजाम हो जाता है तो दिसम्बर में इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं लेकिन इसके लिए हमे जन समर्थन चाहिए, जन सहयोग चाहिए, ताकि वितरण ठीक से हो सके। हमारे राजस्व मंत्री श्री रामजयपाल सिंह यादव ने जगह-जगह दौरा किया है। भिन्न-भिन्न जगहो में सूची बन रही है लेकिन ठीक से इसका वितरण हो जिसके लिए जन सहयोग चाहिए। जिनको विश्वास हो चाहे कांग्रेस के लोग हो या विरोधी पक्ष के लोग हो, उनका समर्थन और सहयोग हमारे साथ होना चाहिए ताकि भूमि का वितरण ठीक ढंग से किया जा सके।

दूसरा पक्ष है हमारे प्रीविलेज्ड परसन्स का। वासगीत ज़मीन देने की बात बहुत दिनो से चल रही है। लेकिन इसमें भी काफी समय लगा है। अभी तक हमलोग 6 लाख लोगों को पर्चा दे सके हैं और साढ़े आठ लाख लोगों को पर्चा देना है। इसके सम्बन्ध में लक्ष्य यह है कि दिसम्बर तक इस कार्यक्रम को पूरा कर देंगे और हमने जिन्हें पर्चा दिया है, ज़मीन दी है अगर उन्हें ज़मीन से बेदखल किया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जगह हिदायते दी गयी हैं कि एक भी आदमी अपने आप किसी अधिकारी के पास पहुँच जाए जिसे हमने ज़मीन दी उसे बेदखल किया जा रहा है तो

इस सबंध में सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस तरह हमारा पर्चा बाँटने का कार्यक्रम है।

दूसरा पक्ष हमारे आदिवासी भाई के सम्बन्ध में है कि जिनकी ज़मीन ले ली गयी है, उन्हें ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। सरकारी ज़मीन का वितरण भी हम उनके बीच करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को भी हमने अपनाया है। संक्षेप में मैं बतलाना चाहता हूँ कि 20 हजार एकड़ ज़मीन आदिवासियों के बीच महीने के अन्दर दी गयी है विशेषकर संथाल परगना में। इसकी प्रगति अच्छी रही है और छोटानागपुर में भी यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को और तेज करना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त हमने बटाईदारी के सम्बन्ध में भी काम किया है। राज्य के सभी जिलों में यह काम चल रहा है। मधुबनी में 17 हजार बटाईदारों की ज़मीन काफी दिनों से पेडिंग है। मैंने इस सबंध में निर्णय लिया है कि जो बटाईदारी के केसेज हैं उसको देखने के लिए अलग से मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए। मधुबनी में अलग से मजिस्ट्रेट रखे गए हैं और बटाईदारी के मामले जो काफी दिनों से लम्बित रही है उसका जिम्मा उन्हें दे दिया गया है। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आगामी दिसम्बर महीने में इन लम्बित मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा।

20 सूत्री कार्यक्रम में छोटे-बड़े किसानों के सम्बन्ध में कर्ज माफी का प्रश्न है। बिहार में भी यह कानून बना है। चूँकि इनके अन्तर्गत उप-नियम, नियम बनने वाला था, वह नहीं बना था और यह नियम अब बन चुका है और 15 जुलाई से यह कानून लागू हो गया है। इसी प्रकार बन्धक या मोर्टगेज वाला कानून है, जिसके जरिये 7 साल बाद ज़मीन वाले को अधिकार अपने आप मिल जाएगा। यह कानून बन चुका था, लेकिन लागू न हो सका था चूँकि नियम नहीं बना था। अब नियम बन चुका है और स्वभाविक रूप से कानून लागू हो गया है। लेकिन इन दोनो कानूनो के अन्दर व्यावहारिक लाभ कितने लोगों को मिला, ऐक्चूअल लाभ क्या हुआ, इसके बारे में 31 दिसम्बर, 1975 तक सर्वेक्षण करा लिया जाएगा कि कितने लोगों को इससे लाभ हुआ।

फिर उसी तरह से दूसरा बन्धक ज़मीनवाला मामला है। इससे कितने लोगों को लाभ हुआ उसकी समीक्षा की जाए। लेकिन प्रश्न है कि उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या करें। कर्ज माफी महत्वपूर्ण नहीं है। हम कर क्या सकत हैं, उसके लिए केन्द्रीय सरकार से हमलोगों ने विचार किया था और हमारे यहाँ भी एक समिति बनी थी, प्रदेश कांग्रेस कमिटी की तरफ से और सरकार के तरफ से। उन्होंने यह अनुशंसा की थी कि इसके लिए वैकल्पिक संस्था बने। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी राय दी है कि वे दूसरी व्यवस्था करने के पक्ष में नहीं है।

अभी मुख्यमंत्री के सम्मेलन में दिल्ली में हमने यह बात रखी थी कि जो कार्यक्रम है उसको लागू करने में व्यावहारिक कठिनाई है। हमारे गाँव के लोग गरीब हैं, किसान गरीब हैं, उनके स्तर को कैसे ऊँचा

कर सकेंगे। विचार-विमर्श के बाद आपने देखा ही होगा कि सुब्रह्मनियम साहब ने घोषणा कि थी कि 50 देहाती क्षेत्रों के लिए एक बैंक की स्थापना करने जा रहे हैं। हमने माँग की थी कि हमारे राज्य की आबादी को देखते हुए बिहार राज्य में ऐसी 6 बैंको की स्थापना की जाए। ग्रामीण बैंको में जो सहकारी समितियां हैं उन समितियों की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक लाएबिलिटी है, उनको देखते हुए उनको भी बैंक का स्वरूप दिया जाए। जहाँ बैंक भायबुल नहीं है वहाँ दूसरे बैंक खोले जाए। इसका हम प्रावधान कर रहे हैं कि 51 प्रतिशत पूँजी इस तरह के बैंक से आये और 49 प्रतिशत पूँजी जो स्थानीय लोग हैं या समितियाँ हैं इनकी तरफ से दी जाए। इसके लिए निश्चित रूप से व्यवस्था की जा रही है कि किसानो को और गरीब लोगों को वित्तीय सहायता दी जाए।

इसके अतिरिक्त हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि उत्पादन बढ़ाना। निश्चित रूप से हमारा समाजवाद कार्यक्रम बढ़े, सामाजिक न्याय हो, विषमता मिटे, गरीबी मिटे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादन बढ़ाना, सभी औद्योगिक क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए स्पष्ट निदेश और कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार की ओर से दिया जा रहा है। उन कार्यक्रमों को हम दृढ़ता के साथ लागू करना चाहते हैं।

अपने राज्य में जो भी खेती की स्थिति रही है उसे सब जानते हैं। अपना राज्य घाटे का राज्य रहा है और अभी भी घाटे का राज्य है। इसलिए हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं और इसकी आवश्यकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारी सिंचाई की जो क्षमता है, विद्युत् की जो क्षमता है उसे बढ़ाया जाए। अभी हाल में सिंचाई मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें दो-तीन महत्वपूर्ण अनुशंसायें की गयी है। हमारे यहाँ सिंचाई योजना के सबंध में अभी तक जो कार्यक्रम का रूप रहा है वह त्रुटिपूर्ण रहा है। काफी लम्बे अर्से की सिंचाई योजना हम लेते रहे हैं। इनके लिए समय सीमा की अनुशंसा है और इसकी जरूरत भी है। जरूरत इस बात की है कि 5-10 साल की योजना को हम स्वीकृत करें। हमारे यहाँ कोसी योजना, गंडक योजना काफी लम्बे समय से चल रही है और उनमें काफी राशि भी गयी है और उसके बाद भी उससे अभी कोई उपयोगिता नहीं मिली है।

हम आगे ऐसा नहीं करेंगे कि किसी योजना में 10 करोड़, 15 करोड़ रुपये लगा दे और उसने कोई लाभ नहीं मिले। यह निर्णय अत्यन्त ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय के क्रम में हमने यह निर्णय भी लिया है कि प्रथम सिंचाई योजना में जो सिंचाई सम्बन्धी कार्यक्रम निर्धारित किया है उस सम्बन्ध में परिवर्त्तन किये जायें। जो पुरानी योजनायें हैं पहले हम उन्हें पूरा करें चूँकि उन योजनाओं पर काफी पैसा हम खर्च कर चुके हैं। दूसरी बात हम सिर्फ उन्हीं योजनाओं को लेंगे जिन्हें हम निश्चित समय-सीमा में पूरा करेंगे। जो पैसा हम लगाये उससे हमें लाभ मिल सके, ऐसा प्रबंध करना है। इसके लिए विभाग को

हमने हिदायत कर दिया है कि वे केवल इन्हीं योजनाओं को स्वीकृत करे जिन्हें वे पाँचवीं योजना में पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि 14 करोड़ की योजना बने और पाँचवीं योजना में उस पर 5 करोड़ खर्च हो और फिर छठी योजना में 6 करोड़ रुपये खर्च हो। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यह भी एक महत्वूपर्ण निर्णय है क्योंकि गंडक योजना में हमने काफी पैसा खर्च व्यय किया है और अभी भी उस पर 105 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसके लिए हमने पाँचवीं योजना में 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। फिर भी पाँचवीं योजना में यह पूरा नहीं होनेवाला है। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि इस योजना के अन्तर्गत जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है फिल्ड चैनेल्स हैं उनको बनाने का काम गंडक एरिया डेवलपमेंट औथोरिटी द्वारा हो।

हाल में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन के महानिदेशक हमारे यहाँ आये थे और दिल्ली में भी इन्होंने अपनी राय जाहिर की थी कि बिहार की अवहेलना होती रही है। यह हमारी शिकायत रही है हम एकोनॉमिक भायबुल स्कीम नहीं देते रहे। पिछले 2-3 वर्षो में एकोनामिक भायबुजल स्कीम बनी। ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि पाँचवीं योजना को पूरा करने के लिये पूरी राशि दे दी जाए। गंडक योजना को शीघ्र पूरा करने के सबंध में जैसा कि हमने पहले बतलाया डिस्ट्रीब्यूटरी एवं फिल्ड चैनेल्स का काम गंडक एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी को देने का निर्णय लिया गया है, ऐसा होने में ऑथोरिटी वित्तीय संस्थान से पैसा दिलाने की व्यवस्था करेंगे। इन सारी चीजो के पूरा हो जाने पर निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसी तरह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है लिफ्ट इरीगेशन स्कीम का। यह स्कीम विशेषकर गंगा से लिया जाएगा। लिफ्ट इरीगेशन की योजना जो हमारे पास आयी है वह केवल चौसा के लिए है। इसके अलावे सिद्धेश्वर स्थान, बटेश्वर स्थान और रोहतास वगैरह की योजना के लिए 11 करोड़ की लागत आयेगी। यह योजना प्रारंभिक रूप में पाँचवीं योजना में सम्मिलित की गई है लेकिन इस योजना पर हम पूर्ण धन राशि नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने उनके सामने इस चीज को रखा है। उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजे जायेंगे जिसपर की कार्रवाई कर सकें। इसके साथ ही एक ट्यूब वेल का कार्यक्रम बिहार में है जिसको हमलोग करना चाहते हैं। बिहार में साढ़े तीन हजार ट्यूब-वेल लगाये गए जिसमें से सतरह सौ ट्यूबवेल नहीं चल रहा है। बहुत से अर्द्ध निर्मित हैं और करीब 1040 में नाली बनना बाकी है और बिजली देना बाकी है। हमने यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि दिसम्बर तक इसको निश्चित पूरा कर देना है। लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार पैसा नहीं ले पायी है, इसके लिए वित्तीय संस्थान से पैसा चाहिए और इसे पूरा करने के लिए पैसा लेने जा रहे हैं। यह योजना 13 करोड़ रुपये की है जिसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है। इसके अतिरिक्त 15 सौ नये राजकीय नलकूप लगाने का निर्णय लिया गया है। मार्च 76 तक साढ़े सात

सौ नलकूप लगायेंगे। इसके लिए वित्तीय संस्थान से पैसा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। हाल में 33 करोड़ रुपये की एक और योजना स्वीकृत हुई है और इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंको से पैसा मिलने वाला है इससे हमें सुविधा होगी।

जो किसान कमर्शियल बैंक से एग्रीकल्चरल परपस से लोन लेते हैं तो उन्हें स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से किसानो को को-आपरेटिव बैंक से एग्रीकल्चरल परपस के लिये लोन लेने में स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है और जैसा कि तलवार कमिटी बनी थी तो उसने भी अनुशंसा की थी, स्टाम्प ड्यूटी फ्री होनी चाहिए, जैसा कि अन्य राज्यों ने किया है। लेकिन यहाँ यह नहीं हुआ, हम तत्काल इसे लागू करने जा रहे हैं कि कमर्शियल बैंक से किसान ऋण ले एग्रीकल्चरल परपस के लिये तो उन्हें स्टाम्प डूयूटि नहीं नहीं लगेगी। छोटानागपुर और संथाल परगना के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उद्वह सिंचाई निगम की स्थापना की गई है, चूँकि वहाँ सिंचाई की समस्या रही है। वहाँ पर बड़ी योजना में काफी समय लगेगा और कितने दिनों तक यह योजना पूरी होगी, इसके लिये पेशेन्स चाहिए फिर भी हमलोग इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे।

लघु सिंचाई के लिये विभाग की ओर से 312 योजनायें तैयार है जिसपर अन्वेषण हो चूका है और इसपर करीब 19 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दिया है उनसे निवेदन किया है कि इसकी प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि विभाग से प्राथमिकता दी जाए।

राजभाषा उर्दू

(बिहार विधान परिषद्-19 दिसम्बर, 1980)

मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है कि सामान्यतया सभी राजनीतिक दल के लोगों ने इस सदन में इस विधेयक का समर्थन किया है। उर्दू इस देश की सबसे पुरानी और परम्परागत भाषा रही है। हमारे देश में उर्दू साहित्यिकों ने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एवं देश की आजादी के समय में काफी सेवा की है, जो निश्चित रूप से गौरव का विषय है। ऐसे साहित्यिकों के योगदान से सचमुच हम सबों को काफी प्रसन्नता होती है, गौरव होता है।

इस विधेयक के द्वारा हमने उर्दू को कुछ दिया नहीं है। बल्कि उर्दू का जो अपना हक था और जो उसे मिलना चाहिए था, उसको वापस करने का एक छोटा-सा विनम्र प्रयास किया है। उर्दू को जैसा कि हमने सदन को बताया कि इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही है, यह हमारी एक कौमी भाषा रही है। उर्दू के साथ कोई धर्म, कोई वर्ग जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे देश में अनेक ऐसे साहित्यिक हुए हैं जिन्होंने एक दूसरे की भावना का आदर करते हुए एक दूसरे की भाषा में धर्मग्रन्थ आदि की रचनाएँ की हैं। हमारे देश में हिन्दी के बहुत से ऐसे साहित्यिक हुए हैं जिन्होंने उर्दू में रचनाएँ की हैं और इसी प्रकार उर्दू के भी विद्वान्, जैसे रहीम, रसखान एवं जाएसी हुए हैं जिन्होंने हिन्दू धर्म के साहित्य की भी रचनाएँ की हैं और इस प्रकार इन साहित्यकों ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में एक दूसरे को जोड़ने का भरपूर प्रयास किया है और इससे हर भारतीय को गौरव होता है और होना भी चाहिए।

जो किसी वर्ग और जाति से इसके बंधन की बातें करते हैं उससे निश्चित रूप से भारतीय और भारतीयता की भावना की समृद्धि नहीं हो सकती है। इसी भावना को समृद्ध करने के लिये हमने उसको केवल एक छोटा-सा सम्मान देने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। भारत में भाषा का विवाद पिछले कई अवसरों पर उपस्थित हुआ है और यह प्रश्न काफी पहले से बना रहा है परन्तु लोग इसे करने से हिचकते रहे हैं चूँकि भाषा का प्रश्न कुछ ऐसा होता है जिसपर जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं हो सकता है। यह मसला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका आधारभूत सिद्धांत ही है धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता एवं दूरदर्शिता की रक्षा करना। यह मामला काफी पूर्व से चला आ रहा था और भारतीय

राष्ट्रीय कांग्रेस में भी यह मामला विचार के लिये प्रस्तुत था लेकिन अभी तक औपचारिक ढंग से मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया था। कांग्रेस की यह मंशा रही थी कि इसे लागू किया जाए। हमने इसे लागू कर इसका समाधान निकाल दिया है।

उर्दू के बारे में हमारी क्या नीयत है, हम इसके लिये क्या करना चाहते हैं? यह पहले से ही स्पष्ट था। यह नहीं कहा जा सकता कि बिहार सरकार ने ही इसे किया है। बल्कि यह फैसला हमारी प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में ही उद्धृत है। उक्त घोषणा पत्र की केवल दो पंक्तियों को मैं पढ़ देना चाहता हूँ। जैसा कि कांग्रेस द्वारा पहले घोषणा की जा चुकी है कि उर्दू को कुछ राज्यों, खास-खास क्षेत्रों के सरकारी राजकाज की भाषा के रूप में व्यवहार के लिये दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी जायेगी। साथ-ही-साथ क्षेत्र की भाषाओं के समन्वित विकास एवं उसकी रक्षा के लिये भी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और इसी पंक्ति को लेकर पिछली लोक सभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दो तिहाई बहुमत प्राप्त किया था। इस प्रकार चुनाव के समय जनता से हमने जो वायदे किये थे, और जनता ने उसकी पुष्टि भी की थी, उसी का हमने निर्माण किया है, उसी को हमने पूरा किया है जो हमारी पुस्तिका में दर्ज है। इसी को हम पूरा करना चाहते हैं। हम उसी के अनुरूप वचनबद्ध हैं।

किसी भाषा से उर्दू का टकराव नहीं है और न होता ही है। किसी भी भाषा का दूसरी किसी भाषा से टकराव होता भी नहीं है। जब किसी भाषा का किसी भाषा से टकराव होता है तो वह दूषित मनोभावना से प्रेरित होने या किये जाने की वजह से ही होता है। उसे राजनीतिक स्वरूप दिये जाने के कारण ही होता है। सभी भाषाओं की अपनी मर्यादा एवं परम्परा होती है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने उर्दू को भी दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है। चूँकि हमने हिन्दी का स्थान बरकरार रखा है। हमने यह किया है कि हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू भाषा-भाषी के लिये व्यवस्था की जायेगी। हिन्दी की अपनी मर्यादा रही है और हिन्दी को हमने जो स्थान दिया है एवं जो स्थान दिया गया है उसे बरकरार रखा गया है।

हमें अफसोस होता है जब इस प्रदेश में कुछ लोग इस महत्वपूर्ण प्रश्न को समझे वगैर विरोध करने लगते हैं। इसी संदर्भ में मैं पटने के ही एक हिन्दी दैनिक, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा का हवाला देता हूँ कि उसने अपने संपादकीय में जो कुछ लिखा है उसे पढ़ने से मेरा माथा शर्म से झुक जाता है।

महोदय, सहयोग करना अलग बात है। यह बात सही है कि सभी बातों को सही रूप में रखा जाए। प्रेस की आजादी है और उसे अधिकार है। लेकिन प्रेस को इतनी छूट नहीं होनी चाहिए कि वह तथ्यों को खंडित करें और उसकी पृष्ठभूमि को बदल दे ओर लोगों को गुमराह करें।

इस प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा का स्थान देने का यह मतलब नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को लाजमी रूप से उर्दू पढ़ना पड़ेगा। उर्दू उनके लिए है जो उर्दू पढ़ते हैं। इसलिये यह विवाद का विषय बन

ही नहीं सकता। अंग्रेजी, हिन्दी या अन्य किसी भी भाषा पर इस विधेयक के पास हो जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसप्रकार सरकार की जो मंशा है वह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। केवल उर्दू भाषा-भाषियों के हित के लिये उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले कहा किसी भी भाषा के साथ इसका टकराव हो ही नहीं सकता है। किसी को भी यह अनिवार्य रूप से न पढ़ना है और न इसका अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है। किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, न सरकारी नौकरी में, न विद्यालय में, न महाविद्यालय में। यह ऐच्छिक विषय के रूप में जिस तरह से बाँग्ला, मैथिली आदि पढ़ाई जाती है उसी रूप में इसका स्थान बना रहेगा। इसलिए इसका विरोध करना निश्चित रूप से अराष्ट्रीय है और देश विरोधी है। इस देश की कौमी एकता को नष्ट करने के लिए जन मानस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रावधान से कोई फर्क या अन्तर किसी दूसरी भाषा पर नहीं होने वाला है। मुझे बहुत परेशानी होती है जब कि आपको कुछ प्राप्त है और उसके साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति को भी कुछ हासिल हो जाता है तो इसमें किसी की क्या आपत्ति हो सकती है। जब किसी से छीनकर किसी को देने की बात करते तो यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन जब किसी से कुछ छीन नहीं रहे हैं और किसी दूसरे को थोड़ा जो कि वह उसका अधिकार है देना चाहते हैं तो इसपर विवाद हो यह उचित नहीं है।

बहुत पहले इस देश में, इस प्रदेश में उर्दू राज्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी। लेकिन ऐतिहासिक क्रम में वह बात बहुत पीछे छूट गयी। लेकिन उसकी सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं। आज हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, राज्य की भाषा है, कोई दूसरी भाषा हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको हमारे भविष्य के लिए निर्धारित कर दिया कि हिन्दी इस देश की राष्ट्र भाषा होगी, फिर इसमें विवाद कहाँ है। हर लोकल भाषा को विकसित करने, आगे आने के लिए पूर्ण सरकारी सहायता और सहयोग होगा। लेकिन हर भाषा को हम राज्य भाषा बनाकर ही सेवा नहीं कर सकते हैं। उर्दू सम्पूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा है और इस देश की ऐतिहासिक भाषा है। दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का अपना स्थान है लेकिन वह उर्दू का स्थान नहीं ले सकी है। इसके साथ ही उर्दू ने कभी किसी भी भाषा का विरोध नहीं किया है। उर्दू ने दूसरी भाषा को आगे लाने में अपना समर्थन दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जमायते इस्लामी ने अपने अनेक प्रस्तावों में एक प्रस्ताव मैथिली को संविधान की अष्टम अनुसूची में जोड़ने के लिए भी स्वीकृत किया था। यह उसका एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसलिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसका समर्थन करना चाहिए, विरोध का तो कोई औचित्य ही नहीं हो सकता है। यह उसका हक है और उसको मिलना चाहिए। उर्दू के साथ किसी दूसरी भाषा का टकराव होने की बात उठनी नहीं चाहिए।

जब हमारी नयी सरकार बनी तो उसके बाद हमने इस प्रदेश के सभी स्थान के विकास के लिये एक योजना बनाई। इस प्रदेश की विभिन्न भाषाओं पर व्यय करने के लिये 30 लाख रुपये देने का फैसला किया। संस्कृत पर 4 लाख रुपये, अरबी तथा फारसी पर 4 लाख रुपये, राज्य भाषा पर्षद पर 3 लाख रुपये, हिन्दी के विकास के लिये 10 लाख रुपये, उर्दू एकेडेमी के लिये 20-30 लाख रुपये, मैथिली एकेडेम के लिये 1 लाख रुपये, भोजपुरी एकेडेमी पर 1 लाख रुपये। इसके साथ-साथ तीन नये संस्थान स्थापित करने का इस साल फैसला लिया है- जनजाति संस्थान, मगही संस्थान और जिसे एक-एक लाख का अनुदान हम देने जा रहे हैं।

आदिवासी-संथाली भाषा जो है, उसे आर्थिक रूप से विकसित करना होगा। उस क्षेत्र की जो लोकभाषा है उसको विकसित करने के लिये विशेष संस्थान बनाने का हमने फैसला किया जो इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार उदारतापूर्वक सभी भाषाओं को विकसित करना चाहती है।

मैथिली वाले उर्दू का विरोध करते हैं तो वे, मैं समझता हूँ, मैथिली की सेवा नहीं करना चाहते हैं या और भी दूसरी भाषा वाले लोग किसी भाषा का विरोध करते हैं तो वे अपनी भाषा की सेवा नहीं करना चाहते हैं। वे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होंगे। सम्प्रति राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इस तरह की कोशिश की जा रही है। यदि उर्दू के विरोध में मैथिली भाषा-भाषी आंदोलन का समर्थन करते हैं, या एक भाषा वाले दूसरी भाषा का विरोध करते हैं, किसी भाषा को विकसित करने में रुकावट डालते हैं, या उर्दू भाषा के विरोध में सहयोग देते हैं, तो वे अपनी भाषा की सेवा नहीं कर सकते हैं। उर्दू भाषा को किसी भाषा से टकराव नहीं हैं। अगर मैथिली भाषा वाले उर्दू का विरोध करते हैं तो वे मैथिली भाषा के दुश्मन है। उसी तरह अगर हिन्दी वाले लोग उर्दू का विरोध करते हैं तो वे हिन्दी की सेवा नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो दक्षिणी हिन्दुस्तान में जो हिन्दी को लेकर विवाद का विषय बना हुआ है, वह और भी तीव्र हो जा सकता है। मैं भी हिन्दी का पक्षधर हूँ। अगर हिन्दी के प्रचारक उर्दू का विरोध हिन्दुस्तान में करते हैं तो निश्चित रूप से देश के दूसरे हिस्से में हिन्दी विवाद का विषय बन जायेगी। हमारे राज्य में सरकारी कार्यालयों में सभी काम हिन्दी में ही होते हैं, जितनी बैठकें होती हैं, राष्ट्रीय मंच होते हैं वहाँ हिन्दी का ही प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में अभी भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है लेकिन बिहार में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग होता है। अगर कट्टर पंथी हिन्दी जानने वाले हिन्दी की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें उर्दू या दूसरी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए।

हिन्दी वाले हिन्दी के नाम को लेकर उर्दू का विरोध नहीं करें, यही मेरा उनसे निवेदन है। हमने उर्दू के प्रयोग के लिए स्पष्ट निर्देश दिया है। राज भाषा कोई ऐसा काम नहीं है कि हमने फैसला लिया और वह फैसला लागू हो जाए। यह काम इतना कठिन है कि इसके लिए काफी तैयारी करनी होगी। पिछले दिनों

हमने घोषणा की थीकि जबतक गैर-सरकारी स्तर पर, बड़े पैमाने स्तर पर प्रसार की कोशिश नहीं होगी तथा सरकार के साथ सहयोग नहीं होगा तब तक यह काम नहीं होगा। हमने उर्दू सम्मेलन में भी कहा कि इसके लिए गैर-सरकारी स्तर पर सहयोग करना होगा। हमने इसके विकास के लिए 50 हजार रु. का अलग से अनुदान देने का फैसला किया है। जो इसके विकास के लिए तैयारी करेंगे। हम इसके विकास के लिए राजभाषा विभाग में अलग से इकाई कायम करने जा रहे हैं उसमें अलग पदाधिकारी एवं दूसरे लोग होंगे जो इसके कार्य की समीक्षा करेंगे। इसके विकास के लिए हम विभाग के साथ, संस्थान के एकेडेमी के साथ तथा विश्वविद्यालय के इसके अध्यक्षों और विशेषज्ञों के साथ बैठक और गोष्ठी करेंगे और उनसे विचार-विमर्श करेंगे कि कैसे इस क्रम में इस भाषा को प्रयोग में ला सकते हैं इसलिये हम इस भाषा के प्रयोग के लिए एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित करना चाहते हैं। इसके लागू करने में जो कोई जल्दीबाजी की बात करते हैं उनकी मंशा ठीक नहीं है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जो यह कहते हैं कि इसे आज ही लागू कर दिया जाए वे उर्दू के दुश्मन है तथा वे ऐसे तत्व के हाथ खेल रहे हैं जो उर्दू विरोधी हैं।

भाषा को लागू करने में जल्दीबाजी करके हम कोई कठिनाई पैदा नहीं करना चाहते हैं। हिन्दी पुरानी भाषा होते हुये व्यावहारिक भाषा होते हुये भी इसे लागू करने में कठिनाई हुई जैसा कि हमने मूल एक्ट उद्धरण पढ़कर सुनाया। 1950 में विधानसभा तथा लोक सभा ने महसूस किया कि ऐक्ट बनाकर हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनायी जाए। 1957 में फिर संशोधन किया गया क्योंकि सात साल बीतने के बाद भी ऐसा नहीं किया जा सका उसके तीन साल बाद से संशोधन करके उसमें 10 साल का समय दे दिया गया कि विभिन्न विभाग के लिए विभिन्न काम के लिए विभिन्न तारीख होगी। यह काम सरकार के लिए इतना आसान नहीं है कि मेरे नोटिफिकेशन कर देने से शुरू हो जाए। हमारे मूल अधिनियम पर ही हमारी सरकार ने स्वीकार किया था और वहाँ लिखा था कि सरकार सूचनार्थ तिथि नीयत करेगी। कहाँ पर कैसे इसका प्रयोग हो वह सरकार देखना चाहती है।

सरकार की नीयत राजनीति प्रेरित नहीं है । वोट के समय में राजनीति की बात की जा सकती है लेकिन 10 जून, 1980 के बाद कोई चुनाव होने वाला नहीं है इसलिये यह फैसला कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। कोई भी सरकार बनती है तो वह पहले वादा करती है और उसी अनुसार काम करती है। हमसे कोई डेलिगेट नहीं मिला, न कोई स्मार पत्र दिया गया था कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए। हमने जब यह फैसला लिया था तो हमारी मंत्रिपरिषद् को मालूम नहीं था हमने उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने के लिए सोचा है। हम एक एक मंत्रीपरिषद् के सामने इसे लाये थे।

यह कमिटमेंट बिहार की जनता के प्रति और उर्दू भाषियों के प्रति की गयी और कांग्रेस के मनीफेस्टो में

भी यह बात कही गयी जिसको हम आज पूरा करना चाहते है। इस प्रदेश में पीछे की जो हुकूमत थी उसका श्री कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। मैं श्री कर्पूरी ठाकुर की मंशा और धर्म निरपेक्षता पर शंका नहीं करता हूँ। लेकिन वे ऐसे जमात में बैठे थे जिसमें श्री कैलाशपति मिश्र आदि लोग थे और वहाँ इनको संकीर्णता ने घेर लिया और 26 अप्रैल 1977 को हमने जो फैसला किया कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलेगा। लेकिन इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। इसके बारे में काम आगे नहीं बढ़ाया और उल्टे मंत्रिपरिषद् में यह संलेख प्रतिस्थापित किया गया कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कभी नहीं मिलना चाहिए। मुझे आश्चर्य लगता है कि इनलोगों ने बिहार में उर्दू के नाम पर तूती मचायी, उर्दू के नाम पर जिन्होंने खूब शोर मचाया उनके मंत्रिपरिषद् में संलेख प्रतिस्थापित हुआ कि उर्दू को राजभाषा का दर्जा नहीं मिलेगा।

हिन्दी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है और बिहार में उर्दू को कभी भी राजभाषा का दर्जा नहीं मिलेगा, ऐसा इनलोगों ने कहा था। पिछले तीन साल में इनलोगों ने उर्दू के विकास के लिये कुछ नहीं किया।

केवल उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने से उर्दू विकसित नहीं हो सकती है। इसके लिये तैयारी करने की जरूरत है। हमने उर्दू को इफेक्टिव करने के लिये 1976 में अनुदान ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। लेकिन दुःख की बात है कि पिछली हूकूमत ने फिर अनुदान 10 लाख से ढाई लाख कर दिया। इसी तरह हमने उर्दू के लिये 50 हजार की मंजूरी की तो इनकी सरकार ने भुगतान बंद कर दिया। हमने फैसला किया था कि हर प्राथमिक विद्यालय में एक उर्दू शिक्षक की बहाली की जायेगी, जहाँ 35-40 प्रतिशत उर्दू भाषी हों। चूँकि जबतक उर्दू शिक्षक पढ़ानेवाले नहीं होंगे तकतक गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। हमने यह फैसला किया है कि जहाँ 150 आबादी उर्दू भाषा भाषियो की होगी वहाँ एक उर्दू शिक्षक बहाल करेंगे। हमने 76 में दो हजार शिक्षकों की बहाली का प्रावधान किया था जिसको इनलोगों की हुकूमत ने बंद कर दिया। जबतक प्राथमिक स्कूल में एक उर्दू शिक्षक नहीं होंगे तबतक इस राज्य में उर्दू का विकास नहीं होगा आपने इस काम के लिये 3 साल एलान किया लेकिन एक भी बहाली नहीं की लेकिन हम मार्च तक इसे पूरा करने जा रहे हैं। इस प्रदेश में 100 मदरसा है और हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि 4 सौ मदरसा और होगा तो हमने चार सौ मदरसा की और स्वीकृति की और उसमें एक लाख बच्चे पढ़ते हैं।

मदरसे के शिक्षक

मदरसे के शिक्षकों का भी हम सरकारी शिक्षकों के वेतनमान और महँगाई भत्ते शत-प्रतिशत देंगे। मदरसे में अभी दो करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। उर्दू भाषा को हम तब राजभाषा बनायेंगे जब इसका प्रचार-प्रसार हो जाएगा। जबतक प्रचार-प्रसार नहीं होगा, यह फैसला हमारा कोरे कागज पर रह

जाएगा। हम इस प्रदेश में पूरी तैयारी करके तब इस भाषा को प्रयोग में धीरे-धीरे लायेंगे। हम हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा काम बहुत जल्दी, फिर जल्दी, फिर जल्दी- जल्दी से जल्दी करेंगे। हम विभाग बना रहे हैं राजभाषा विभाग में उर्दू का। फिर संगठन देखना है कि उर्दू भाषियों का संगठन हो। उनके संगठन की तैयारी करनी है। जबतक सरकार की ओर से तैयार नहीं होती हैं, यह नहीं हो सकेगा। पहले नियुक्तियाँ होंगी, लोग इसमें होंगे, तब होगा। मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे मुट्ठी-भर नौजवानों से सावधान रहेंगे, उनके बहकावे में न आयें, वे अलोकतंत्री हैं, फिरकापरस्ती हैं, देशद्रोही हैं।

इस राज्य और इस देश अखंडता और राष्ट्रीयता एकता को मजबूत करने के लिये निश्चित रूप में हमने यह फैसला किया है। इससे राज्य की जनता को ताकत और बल मिलेगा। उर्दू की लिपि में ही उर्दू रहेगी।

मीरि उर्दू

(बिहार विधान सभा-16 दिसम्बर, 1980)

आज सदन के सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक उपस्थापित है, जो काफी वर्षो से चर्चा का विषय था, उर्दू के बारे में राष्ट्र के स्तर पर विभिन्न सम्मेलनों, विभिन्न गोष्ठियों में यह बात उठायी जाती रही कि उर्दू के बारे में एक स्पष्ट नीति निर्धारण हो। यह बात सही है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में एक मान्यता प्राप्त भाषा है, भारत की भाषा है। यह भारत में पनपी और विकसित हुई है। इस देश की सांस्कृतिक जीवन, साहित्य जीवन, साहित्य के जीवन में उर्दू की एक बड़ी भूमिका और योगदान है। इस देश के बहुत से जन-समुदाय को उद्धेलित करती रही है कि आखिर इस भाषा के अस्तित्व का कोई अंतिम फैसला होगा या नहीं होगा। हमें यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि श्रीमती इंदिरा गाँधी की रहनुमाई के कांग्रेस ने इस साल लोक सभा चुनाव के समय जो चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया गया, उसमें सबसे पहले उर्दू के बारे में एक फैसला लिया गया एवं राष्ट्र को आश्वस्त किया गया।

जैसा कि पहले कांग्रेस द्वारा घोषणा की जा चुकी है कि उर्दू को कुछ राज्यों में, कुछ खास-खास क्षेत्रों में सरकारी कामकाज को व्यवहार के लिये भाषा के रूप में मान्यता दी जायेगी। सभी स्तरों पर उर्दू पढ़ाई की व्यवस्था करायी जायेगी, हमारी पार्टी इस भाषा के संरक्षण हेतु कार्य करती रहेगी। इसलिये हमारी पार्टी की निर्धारित नीति है, यह कार्यक्रम जिसे हमने स्वीकार किया था और इसी आधार पर 30 जून को विधान सभा सत्र के उद्घाटन पर महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में इस बात की चर्चा की थी। उन्होंले कहा था कि उर्दू को हम राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देंगे। यह बात सारे प्रदेश में जनमत का विषय रहा है। 10 जून को जब हमारी समिति की पहली बैठक हुई तो उस बैठक में मंत्रीपरिषद् ने फैसला किया। इस संदर्भ में 26 अप्रैल 1977 को उस समय के कांग्रेस मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया था कि इस प्रदेश के कुछ हिस्सों में उर्दू को दूसरी भाषा की मान्यता दी जाए।

हम बतला रहे हैं कि उर्दू को दूसरी राजभाषा की मान्यता विवेक से कनभिक्शन से, लॉजिक से, यर्थाथ से औचित्य से दी गई है किसी राजनीतिक भावना से नहीं। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री राजकुमार महासेठ बोल रहे थे। कि 1985 से पहले चुनाव की संभावना नहीं है। चुनाव के बाद जो हमारी हुकुमत

बनी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बगैर किसी पोलिटिकल दबाव के यह फैसला किया। सरकार इसे नहीं भी कर सकती थी। चूँकि चुनाव के कारण करना था जो चुनाव अभी बहुत दूर हैं हमने यह फैसला किया, इस तरह का निर्णय लिया।

चुनाव हारे या जीते, किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव जीतना, हारना कोई महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय होता है पोलिटिकल कमिटमेंट ऑफ सर्टेन आइडियालॉजी एण्ड प्रिसिंपुल। कुछ सिद्धांतो की प्रतिबद्धता पोलिटिकल पार्टी के जीवन-मरण का सवाल होता है। चुनाव जीतना हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। 1977 में हम हार गए, क्या हुआ? हमारी पूरी पार्टी 1977 के चुनाव में हार गयी। हम विचलित नहीं हुए अपने कार्यक्रम से। श्रीमती इंदिरा गाँधी और उनके समर्थक सारे देश में तकलीफ और परेशानी सहते रहे, लेकिन उनको कार्यक्रमों से हिला नहीं सका, हमारे कार्यक्रमों में कोई ढिलाई नहीं हुई है। इसलिए की देश में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कमिटमेंट किया है।

समर्थन की भावना से सेवा हम करेंगे। हम जीते या हारें, लेकिन देश की सेवा से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। देश की सेवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निरंतर करती रहेगी। चुनाव जीतना हमारे लिए सवाल नहीं है, सवाल सह है कि हमको क्या करना चाहिए। जो हमारे वायदे हैं, उन वादों को पूरा करना चाहिए।

इस कार्यक्रम को वफादार सिपाही की हैसियत से, स्वयं सेवक की हैसियत से दिये गए कार्यक्रमों को कांग्रेस द्वारा दिये गए वायदों को पुरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक सेवा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस की ओर से इस देश को दिए गए आश्वासनों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए सीधा सवाल है कि दूसरी राजभाषा का स्थान मिलना चाहिए। कुछ ओर से उर्दू को साम्प्रदायिक स्वरूप देने की बात बताते हैं और राजकुमार पूर्वे ने ठीक ही कहा है कि उर्दू हमारी भाषा है। इस देश की भाषा है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में संस्कृति और साहित्य में कबीर, खुसरू, जाएसी, रहमान, रहीम आदि ने हिन्दू-मुसलमान दोनों ने उर्दू भाषा की सेवा की है। इस देश के मुसलमान कवियों ने हिन्दू-संस्कृति, हिन्दू धर्म का जो चित्र प्रस्तुत किया है। कोई भी हिन्दू साहित्यकार इन बातों को नकार नहीं सकता है। इसके माने ये है कि साहित्य हम सबों का है। इस देश के पूरे 65 करोड़ लोगों की यह भाषा है और इस देश की 65 करोड़ जनता की सेवा उर्दू ने की है। इसलिए संकीर्णता की सीमाओं से इस बात को देखना भी गलत है। इस देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता की रक्षा के लिए इसकों मजबूत करने के लिए यह बहुत आवश्यक हे कि उर्दू की जो मर्यादा है और जो सम्मान है, यह मर्यादा और सम्मान इसे मिलनी चाहिए।

पीछे हमारी जो कमियाँ रही है इसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आज हमने यह महसूस किया, बगैर

किसी आन्दोलन के, बगैर किसी दबाव से, बगैर किसी पोलिटिकल पार्टी के कहने पर, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में इसे सम्मिलित किया और बिहार सरकार ने अपनी पहली बैठक में ही इसे स्वीकार किया। किसी कार्यक्रम के प्रति हम किसी के कहने से कुछ नहीं करते हैं। अभी सदन में ऐतिहासिक विधेयक पेश है, मुझे विश्वास है कि एक साथ बिना बहस वह विधेयक सदन से स्वीकृत हो जाएगा।

मैंने यह भी सोचा था कि श्री राजकुमार पूर्वे समर्थन देंगे और मुझे खुशी होगी। पूर्वे जी की पार्टी ने जिस स्पिरिट से हमे साथ दिया है पूर्वे जी से समर्थन देंगे लेकिन इसकी मंशा साफ नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनके बगल में श्री शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, श्री जर्नादन तिवारी और इंदर सिंह नामधारी बैठे हुए हैं। यह ऐसी शर्त रखना चाहते हैं जिससे कि न तो नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इसलिये से ऐसा सोचते हैं कि ऐसी शर्त लगाओ ताकि उर्दू द्वितीय भाषा का रूप न ले सके। पता नहीं कैसे कहूँ कि उर्दू एकाएक सारे प्रदेश में लागू हो जाएगी।

आजादी के 100 साल पहले से इस देश और प्रान्त में उर्दू को दर्जा मिला हुआ था और कोर्ट और दफ्तर की यह भाषा थी। इसका महत्व धीरे-धीरे घटता गया। महात्मा गाँधी ने हिन्दुस्तानी भाषा के प्रयोग करने के लिये कहा था, वह हिन्दी हो सकती थी और उर्दू, लेकिन संयोग से हिन्दी को राज्य की भाषा का दर्जा मिला।

मैं हिन्दी का सम्मान करता हूँ। मर्यादा की नजर से देखता हूँ। 1950 में हिन्दी को इस देश की भाषा बनाया गया। उसके बाद यह सवाल उठा कि इसे कैसे लागू किया जाए। इसमें प्रॉविजन हुआ कि 7 साल का समय लगेगा। फिर इसकी अवधि बढ़ाकर 10 साल की गई। जबकि उस समय हिन्दी का काफी प्रचार हो गया था। उसी तरह उर्दू को भी करना चाहते हैं। इसमें कुछ समय लगेगा और यह भी एक दिन राजभाषा का रूप ग्रहण करेगा। हिन्दी को राजभाषा बनाने के संबंध में जो नियम है, अधिनियम है और समय-समय सरकार ने निर्धारित किया था, इसी तरह से उर्दू के लिए भी सरकार निर्धारित करेगी, व्यवस्था करेगी।

सरकार की मंशा इसमें बिल्कुल साफ है। हम किसी दूसरे की नीयत से किसी दूसरे प्रलोभन से तथा किसी दूसरे के दबाव से यह विधेयक हमने नहीं लाया है। हम अपने कमिटमेंट के अनुसार और अपने विवेक से वह करके दिखलाया है कि हम इसको निश्चित रूप से कार्यान्वित करना चाहते हैं। जिन लोगों के लिये हम करना चाहते हैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, लेकिन इसमें समय चाहिए। पिछले दिन एक उर्दू के सम्मेलन के तत्वावधान में इकट्ठे हुये थे। वहीं हमने इस बात को स्पष्ट किया कि यह प्रशंसा की बात है। हम उर्दू भाषा-भाषी के लिये उर्दू का स्थान हम दे रहे हैं। यह काफी कठिन और

बड़ा काम है। चूँकि हमने अध्यादेश जारी किया है, इसको विधेयक बनायेंगे और विधेयक बनाकर इसे सही माने में कार्यान्वयन करने की आशा करते हैं। इस संदर्भ में सारे प्रदेश में माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसे लागू कैसे करना है, इसके बारे में तैयारी करना है। इसके लिए बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो निःस्वार्थ भाव से सेवा के लिये अपने को समर्पित करे, तभी हम उर्दू भाषा को सही माने में लागू कर सकते हैं, जो हमारी मंशा है।

यह विधेयक ऐसा है जिसमें विरोध कहीं नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि हमे इस सदन में, विधान सभा में मौका मिला है, सौभाग्य मिला है कि भाषा के निदान में बहुत सहयोग उपयोग करे। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सारे देश के प्रदेश में यह निर्वाहन होगा। हम हिन्दी भाषा-भाषियों से कहना चाहते हैं कि हिन्दी भाषा में कहीं समस्या है। हिन्दी साहित्य सम्मेलनों में कोई संघर्ष की बात नहीं है दूसरी किसी भाषा का विरोध करके हम भाषा विकास नहीं कर सकते हैं। एक भाषा दूसरी भाषा का पूरक है। उर्दू के मामले में क्या झगड़ा है, कोई संशय नहीं है। उर्दू संविधान की स्वीकृत भाषा है, देश के सारे प्रदेश में बोली जानेवाली भाषा है। इसका ऐतिहासिक परम्परा है जिसका वर्णन हमने किया है।

हमने निरंतर मैथिली-भाषा का समर्थन किया है कि मैथिली भाषा को संविधान की सूची में सम्मिलित किया जाए, इसलिए एक भाषा के सहयोग से किसी दूसरी भाषा का विकास किया जा सकता है। मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा सभी भाषा का सम्मान करता हूँ।

मैं सभी भाषाओं को उठाना चाहता हूँ। सभी भाषाओं का विकास हो, इसके लिए हम उन्हें अवसर देंगे। मौका देंगे जनता में भाषा का विवाद नहीं है। राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर, विद्यार्थी परिषद्, आर एस एस एवं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश की जनता जागरूक है, समझदार है वह कभी भी विद्यार्थी परिषद् आर एस एस और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आते हैं।

उर्दू भाषा को मर्यादित कीजिए। संविधान के प्रस्तावना में स्वीकृत बातों को लेकर ही हमने इसे किया है उसमें दिया हुआ है धर्म-निरपेक्षता। इसलिये हमने कह दिया कि हमे संविधान के प्रति प्रतिबद्धता है, उर्दू की मान्यता से हम धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप सभी सदस्यों को इसे समर्थन देना चाहिए। श्री राजकुमार पूर्वे जी शायद हमारे विचार से सहमत न हैं लेकिन जो उन्होंने बाहर कहा कि उर्दू भाषा के चलते देश का बँटवारा किया। इससे घिनौनी बात, मानविक संकीर्णता की बात मेरे विचार से दूसरी नहीं हो सकती है, जिसको देश की बंटवारे की परिस्थिति मालूम नहीं है वे उसको विवाद बनाकर वास्तविक राजनीति का स्वरूप जनता के बीच नहीं पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कहा था कि देश में कुछ ऐसे तत्व

हैं जैसे विद्यार्थी परिषद्, आर एस एस, और भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे देश की अखंडता को, उसके कार्य को खंडित करना चाहते हैं। इसलिए सदन के माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे संकीर्णता से ऊपर उठे और इस विधेयक को एक मत से स्वीकृत करें

मुझे इस बात से खुशी है कि सदन में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। यह इस बात का सबूत है कि कितना उचित और माकुल फैसला वर्तमान सरकार ने लिया है। लेकिन मुझे परेशानी हुई जब लोकदल के माननीय सदस्य शंका व्यक्त कर रहे थे। वैसे 1967 में इनको भी मौका मिला था, वे भी सरकार के थे। फिर भी हम इस बात को मान लेते हैं कि इनको यह करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन लोकदल और जनता पार्टी आज यह नहीं कह सकती है कि इनको यह करने का मौका नहीं मिला। अगर लोकदल की यह नीति थी, अगर लोक दल का यह कार्यक्रम था तो जैसा कि हमने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि 1977 के अप्रैल 25 के फैसले का कार्यान्वयन क्यों नहीं किया गया अगर उस समय सरकार नहीं कर रही थी, तो आज जो लोक दल के सदस्य यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अलग से इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं किया कि उर्दू को जो स्थान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जिसमें ईमानदारी ही नहीं होती है उनके मन में यह शंका सामान्य होती है। चूँकि आपका दिल साफ नहीं है इसलिए दूसरा जो करता है आपको नहीं लगता कि यह होगा। आपको अपने मन में ईमानदारी नहीं है इसलिए दूसरे की ईमानदारी पर आपको शक है।

कांग्रेस पार्टी जो कहती है और फैसला करती है, उसको करने की क्षमता है, सामर्थ्य है और फैसला करती है। जो शंका व्यक्त की गयी है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है वह निर्मूल है। वैसे राजभाषा का इस्तेमाल और प्रयोग इतना आसान नहीं है बिना किसी तैयारी के आदेश जारी कर दें और उससे हो जाएगा। हिन्दी के बारे में पहले आपको कहा कि ओरिजनल एक्ट,1950 मे निर्धारित हुआ जिसमें संशोधन होकर तीन साल बढ़ाया गया। व्यवहारिक कठिनाई को हम कहते हैं, इसलिए मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि उर्दू सम्बन्धी जो फैसला हम ले रहे हैं, उसका कार्यान्वयन हो इसके लिये एक माहौल और वातावरण तैयार करे इसके लिए पूर्व की जो तैयारियां हैं, जो कार्यक्रम है, राज्य की तरफ से मैं इसे करना चाहता हूँ। पिछले दिनों उर्दू के सम्मेलनों में इस बात की घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर सरकारी सहयोग मिलना चाहिए और मैंने यह भी कहा था कि उर्दू भाषा-भाषी को लेकर इस कार्य को, राजभाषा सम्बन्धी कार्य को सम्पन्न कराने का सरकार विशेष सहयोग देने की घोषणा की थी।

किसी संस्था के साथ जो उर्दू की सेवा कर रही हो उसमें व्यावधान उत्पन्न किया जाए, वह स्वाभाविक

नहीं है। यही कारण से हमने दो अनुदान देने की घोषणा की थी, वह जरूर हो गया। जब मैंने विधान सभा में इस बिन्दु को उठाया, तब जाकर स्वीकृत अनुदान का भुगतान हुआ। 1976 में हमने फैसला लिया - उर्दू एकेडमी की स्थापना की गयी। मैंने यह भी महसूस किया कि उर्दू साहित्य को जानने वाले लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं और उनका शोध संरक्षित नहीं हो पाया है। उनकी सहायता के लिये ढाई लाख रुपये देने का निर्णय किया था। मैंने यह भी महसूस किया था कि यह रकम बहुत कम है क्योंकि इनकी व्यवस्था पर डेढ़ लाख रुपये खर्च होता है और 50-75 हजार दूसरे मदों में खर्च होगा। इसलिए 1976 में हमने ढाई लाख से बढ़ाकर दस लाख का अनुदान कर दिया, लेकिन जब नयी हुकूमत श्री कर्पूरी ठाकुर की बनी तो उनकी सोच नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने जो दस लाख रुपये स्वीकृत किया था उसको बाद में अस्वीकृत कर दिया गया और जब सभी लोगों ने विधानसभा के बाहर और भीतर इस बात के लिये कहा तब जाकर दस लाख रुपये रिलीज हुआ। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी मंशा यह है कि उर्दू को राजभाषा का स्तर दिया जाए, बल्कि हमारे दिल में है। हमारे दिल में उर्दू की सेवा करने की लगन है। उर्दू एकेडेमी इफेक्टिवली इस भाषा की सेवा कर सके इसलिए ढाई लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये का अनुदान दिया गया। मैने ही उस अनुदान को बढ़ाने का फैसला लिया और उसी तरह उर्दू भाषा को जितने पढ़ने वाले हैं वे मदरसा में रहते हैं और एक हजार मदरसा इस राज्य मे स्वीकृत है और चार हजार मदरसा स्वीकृति की प्रक्रिया में लम्बित है। मदरसा की पढ़ाई पचास साल पहले शुरू हुई थी, चूँकि इस प्रदेश में उर्दू भाषा-भाषी की आबादी जो है वह काफी गरीब है, वे अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ने के लिये नहीं भेज सकते थे और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मदरसा में पढ़ने वालो को जो डिग्रिया मिलती थी उसकी मान्यता नहीं थी और उसके आधार पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती थी। काफी दिनों से लोग इस बात को उठा रहे थे, लेकिन किसी ने इस बात को महसूस नहीं किया था कि मदरसा की डिग्री को मान्यता दी जाए। मैंने इसके लिये एक समिति बनायी और समिति से विस्तृत विचार क बाद अपनी अनुशंसा दी और मैंने उसको स्वीकार किया और मदरसा में पढ़ने वालो को जो डिग्री मिलती थी,सर्टिफिकेट मिलता था, मैट्रिक,बीए, और एमए के समकक्ष का मैंने उसका दर्जा दिया और कार्मिक विभाग से पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसे स्वीकृत करा दिया और जब मदरसा में पढ़ने वाले लोगों को भी वह स्थान दिलाया जो दूसरे लोगों को है।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ उर्दू शिक्षक के बारे में । मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह बहुत दुःखद बात है कि 1976 में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने फैसला लिया था कि जहाँ 35 से 40 विद्यार्थी हों, वहाँ पर उर्दू शिक्षक और दूसरे भाषा-भाषी के लिये भी शिक्षकों की बहाली की जाए। कोई भी गारजियन अपने बच्चों को अनिश्चितता के वातावरण में इस स्कूलों में दाखिल नहीं करा

सकता है। इसलिए हमने परिभाषा को बदल दिया। जिन क्षेत्रों में उर्दू भाषा-भाषी की संख्या 250 होगी, वहाँ बच्चों की संख्या हो या नहीं एक शिक्षक की बहाली की जाए। 1976 में ही उर्दू शिक्षकों की बहाली की गयी, लेकिन इसमें क्या पोलिटिक्स था कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद 1977,1978 और 1979 में नियुक्ति नहीं हुई। मैंने इस कार्यक्रम में तेजी लाने का फैसला लिया है और मार्च 81 तक दो हजार शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। मैंने इन बातां की चर्चा इसलिए की कि आप इस बैकग्राउंड में देखे कि हमारी मंशा क्या है? ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते हैं कि केवल उर्दू भाषा को मर्यादा देना नहीं चाहते हैं बल्कि इस पृष्ठभूमि में कार्यक्रम करना चाहते हैं। इसीतरह यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उर्दू भाषा का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। इसलिये यह कहना है कि आज मैं कह दूं और कल से चालू हो जाए यह संभव नहीं है।

मैं आप से कहना चाहता हूँ कि हिन्दी की सारी रूपरेखा तैयार थी जबकि नियम पारित 1957 में किया गया था। उसमें तिथि नहीं बतायी गयी थी। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार सूचना द्वारा निश्चित करेगी- उर्दू के बारे में भी बताया जायेगा। किन-किन कार्यो में कहाँ क्या किया जायेगा, इसके लिए सरकार तय करेगी। जिनको उर्दू के बारे में प्रेम हो, वे ऐसी बातें नहीं करे। ऐसी बातें कहकर आप जो समर्थन देते हैं उसको स्वयं आप डिफीट करते हैं।

मैं समय निर्धारित करूँगा कि किन-किन कार्यो को कैसे किया जाए। उर्दू के जो दुश्मन साबित हुए, उर्दू को छोड़ते गए, उनको बोलने का हक नहीं है। चाहे लोकसभा हो, जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उर्दू प्रेमी को खा गए हैं। वैसे असली नक्शे इस प्रदेश की जनता के सामने साफ है। जो बातें आप नहीं जानते हैं उसे मैं साफ करना चाहता हूँ।

उर्दू भाषा को लेकर साम्प्रदायिकता को फैलाने की कुचेष्टा कुछ लोगों को है। इस प्रदेश के सारे लोगों के माध्यम से उर्दू भाषा-भाषी लोगों को मदद मिलेगी। ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिये हमारी पार्टी, हमारी सरकार, एक-एक कार्यकर्त्ता सहयोग करेंगे।

इस प्रदेश में पिछले 6 महीने में जो साम्प्रदायिक सद्भावना रही है उसका श्रेय हमको, आपको है। इस प्रदेश के सभी लोगों की है, सभी पार्टियों के लोगों ने जो कुछ किया है उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भावना मजबूत रही है। हमने इस प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है जिससे साम्प्रदायिक भावना को मजबूत बना रखा है। मैंने राष्ट्रीय एकता परिषद् में कहा था कि बिहार वासियों ने दूसरे प्रदेशों में अनेक घटनायें घटने के बाद भी अपने प्रदेश में साम्प्रदायिक ताकत कायम रखा है और इस प्रदेश के समाज सेवियों ने इस प्रदेश में तनावमुक्त माहौल बनाने की कोशिश की जिसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ। हमने इस प्रदेश में माहौल बनाया है और

उर्दू को द्वितीय राजभाषा का रूप देकर इस माहौल को और मजबूत किया है। इस प्रदेश में हमारे कुछ नौजवान साथियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि हमारे नौजवान साथी सारी बातों से अवगत नहीं होंगे, उन नौजवानों से मेरा आग्रह होगा कि ऐसी बातों में पड़कर प्रदेश को गुमराह नहीं करें। इस प्रदेश की जनता ने फैसला ले लिया है कि साम्प्रदायिक दंगा इस प्रदेश में कहीं नहीं होने देंगे।

अभी मैथिली भाषा-भाषी छात्रों ने आंदोलन किया है, वे पटना के विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र-परिषद् के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रदर्शनकारियों को बटोरकर आंदोलन करने की कोशिश जा रही है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और कहते हैं कि मैथिली भाषा-भाषी उर्दू का समर्थन करते हैं। चूँकि मैं मैथिली भाषा-भाषी क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मैथिली भाषा-भाषी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हमारे प्रति मैथिली भाषा-भाषी का नारा बताकर द्वेष की भावना फैलाने की कोशिश की जा रही है। जब मैथिली भाषा-भाषी ने आयोग की भाषा बनाने की माँग की थी, तब उर्दू भाषा-भाषी ने मैथिली का समर्थन किया था और दरभंगा महाराज ने मैथिली को मिथिला विश्वविद्यालय में रखने की माँग की थी और वे इसका प्रचार कर रहे थे और इसका कोई समर्थन नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त की उर्दू भाषा-भाषियों ने मैथिली का समर्थन किया था। जो फैसला हमने लिया है उससे कोई डिगा नहीं सकता है और हमारा यह फैसला कांग्रेस का फैसला है। हमें आश्चर्य होता है कि इन्होंने क्या सोच रखा है, चूँकि मैं मैथिली भाषा-भाषी क्षेत्र से आता हूँ इसलिए इस तरह की बातें करके हमे बदनाम करना चाहते हैं। चूँकि हमने काफी समझदारी से जनता के हित में, बिहार की जनता के हित में फैसला दिया है, जिस पर हम सदन की ओर से भी हमें काफी समर्थन मिला है। हम कुछ थोड़े से लोगों की बात नहीं करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे इसे साम्प्रदायिक दिशा देने की कोशिश नहीं करें।

मैथिली की सेवा जो करना चाहते हैं, वे उर्दू की भर्त्सना करके नहीं कर सकते। मैथिली भाषा का अपना अलग स्थान है और उर्दू का अपना अलग स्थान है, इसलिए मैं कहूँगा कि जो हमें यह देखकर कि मैं चूँकि मैथिली भाषा क्षेत्र से आता हूँ कुछ आंदोलन कर मैथिली को भी हटाना चाहते हैं। मैं बड़े खुलासा शब्दों में कह सकता हूँ कि हमने फैसला लिया कि सभी भाषाओं का विकास हो। इसके लिए हमने 1980-81 के लिए 30 लाख रुपये का अलग से प्रावधान किया है और सदन को मैं बतला देना चाहता हूँ कि हमने संस्कृत के लिये 4 लाख रुपये का प्रावधान किया है, राजभाषा परिषद् को दो लाख रुपये दिया है और हिन्दी विकास के लिये 10 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। उसी तरह उर्दू अकादमी को ढाई लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इसी तरह अन्य संस्थानों को भी हमने देने का अपना मंत्रिपरिषद् में निर्णय लिया है। फिर छोटानागपुर,संथाल परगना के आदिवासियों के क्षेत्र की भाषाओं को विकसित करने के लिये भी हम संस्थान खोलने जा रहे हैं। साथ ही मगही भाषा-भाषी

लोगों को भी सूचना देता हूँ कि उनके विकास के लिए भी हमने फैसला लिया है। इस तरह आप देश की किसी भाषा को लेकर खण्डित करने की कोशिश न करें। इस बात का सबूत होता है कि हम न केवल उर्दू की ही, बल्कि सारी भाषाओं को विकसित करना चाहते हैं। उर्दू का तो एक अलग स्थान है और संविधान में इसकी मान्यता मिली हुई है। हम उर्दू की सेवा करना चाहते हैं जो राष्ट्रीय जीवन के लिये जरूरी है।

उर्दू भारतीय भाषाओं में तिरोहित है और बहुतेरे साहित्यक छाप इस भाषा के अन्दर है जो उर्दू भाषा की देन कही जा सकती है। विश्वविद्यालयों में किस तरह से इसकी पढ़ाई करे आदि पहलू पर हम अलग से राय लेंगे और इसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। राजभाषा विभाग की जो जिम्मेदारी कल तक केवल हिन्दी का विकास करना था, अब उर्दू को सरकार राजभाषा विभाग में उर्दू के लिये अलग से इकाई स्थापित करने जा रही है, जिससे उर्दू को विकसित करने के लिए अवसर मिल सके और उर्दू को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर सके। राजभाषा विभाग के उर्दू के लिए दूसरा खण्ड होगा जिससे कार्य चलेगा।

सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह सवाल हमारा कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। किसी राजनीतिक उद्देश्य से इसको हमने नहीं किया है और न राजनीतिक उद्देश्य से इस अध्यादेश को बनाया है और इस विधेयक को उपस्थापित किया है। एक टोटल कमिटमेंट हमारी पार्टी की है उर्दू भाषा के प्रति और दूसरी भाषा के प्रति जिसका समादर करने की दृष्टि से छोटी सी सेवा करने का प्रयास किया है। इसलिये आशा है कि सदन एक मत से इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करेगा।

प्रेस के संबंध में भूल-सुधार

(बिहार विधान परिषद्– 27 जुलाई, 1983)

पिछले साल विधान सभा में 31 जुलाई को यह विधेयक स्वीकृत हुआ था और उस समय 1 अगस्त को इस सदन से भी इसकी स्वीकृति मिली थी। दुर्भाग्य से हमारी जो मंशा थी, और जो हमारा उद्देश्य था, उस सम्बन्ध में जो माकूल वातावरण बनना चाहिए था या लोगों में जिस रूप में इस विधेयक के सम्बन्ध में विश्वास जागृत होना चाहिए था वह हो नहीं सका। हमने उस दिन भी निवेदन किया था कि यह विधेयक बिहार में ही उपस्थापित नहीं हो रहा है, बीस वर्षो से यह स्टेच्यूट में था उड़ीसा और तमिलनाडु में और दूसरी माकूल बात जिसका असर हमारे मन पर था कि सितम्बर 1981 में तमिलनाडु ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था। राष्ट्रपति की सहमति से जिसके तहत उस नियम के अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती बनाये गए थे। उसके बाद फरवरी, 1982 में तमिलनाडु विधान सभा में अधिनियम पारित हुआ था और उस अधिनियम पर राष्ट्रपति की सहमति भी हुयी थी। सम्पूर्ण देश में 20 साल में विरोध न भी हुआ हो । बीस साल की बात लोग भूल भी गए हों लेकिन 1982 के सितम्बर महीने में राष्ट्रपति की सहमति हुई और उस अधिनियम का स्वरूप भी दिया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया देश के पैमाने पर नहीं हुई और देश के पैमाने पर यह अननोटिस्ड रहा, इसका हमारे मन पर यह असर पड़ा कि इस विधेयक के पीछे नेशनल सैंक्शन है, चूँकि कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ। दूसरी बात जिसका असर हमारे मन पर था कि 1977 के अगस्त महीने में उस समय की तत्कालीन जनता पार्टी की हुकूमत में आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. के थे हू-ब-हू यह संशोधन राज्य सभा के द्वारा पारित कराया गया था। श्री धनिक लाल जी ने यह पेश किया था और उस समय के गृह राज्य मंत्री श्री पाटिल जी ने इस विधेयक को स्वीकृत कराया था।

केवल तमिलनाडु सरकार ही नहीं, केवल उड़ीसा ही नहीं, बल्कि उस की जनता सरकार ने भी इस विधेयक को पास कराया था तो उस समय प्रेस वालों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुयी थी। राज्य सभा में जब इसपर बहस चल रही थी और जब यह स्वीकृत हुआ था तब हमने वहाँ के डिबेट को देखा था। इस प्रकार उस समय ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन राज्य सभा में हुआ था। इसलिए हमारे मन पर यह असर था कि सम्भवतः देश के सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि इस प्रकार की पाबंदी हो , इस प्रकार

का कानून बनना चाहिए और पीली पत्रकारिता को रोकना चाहिए। इसी पीली पत्रकारिता को रोकने के लिये, प्रेस को थोड़ा बहुत नियंत्रित करने के लिये या डिसिप्लीन करने के लिये ऐसा किया। इसके अलावे हमारे मन पर इस बात का असर था कि 1963 में गौहाटी में अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन में एक अपना कोड ऑफ कन्डक्ट एडौप्ट किया था जिसकी चर्चा हमने उस दिन भी की थी जिस दिन हम विधान सभा और विधान परिषद् में इस बिल को पास करा रहे थे। फिर 1968 में एडिटर्स कंफरेन्स ने उन सब कोड ऑफ कंडक्ट को पुनः स्वीकृति प्रदान की थी और उन लोगों ने आत्म संयम और आत्म नियंत्रण की बात अपने आप कही थी।

दुर्भाग्य से उस सम्पादक सम्मेलन के कोड ऑफ कन्डक्ट सेल्फ डिसिप्लीन की बातें अंगीकार नहीं की जा सकी या स्वीकार नहीं की जा सकीं। जिस रूप में आत्म नियंत्रण, प्रेस पर होना चाहिए और जैसा महसूस किया था कि कानून से नहीं बल्कि हम अपने आप समाज के प्रति जिम्मेवार हैं और समाज का नुकसान नहीं हो, सेकुलरिज्म का नुकसान नहीं हो, किसी के चरित्र का हनन नहीं हो, बेबुनियाद अफवाह अखबारों के सम्पादकों के द्वारा नहीं फैलायी जाएँ इस प्रकार हमें अपने आप की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सम्पुष्टि के बगैर, वेरिफिकेशन के बगैर हमको समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं करना चाहिए और जो बात जनहित में है उसी को छापा जाए, तभी यह पत्रकारिता स्वतंत्र पत्रकारिता कही जायेगी, तभी उसका सही माने होगा। समाज की जो अपेक्षायें हैं उनको पूरा किया जाए। यों तो जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट था वह काफी बड़ा और काफी व्यापक था। वह अगर सारे देश में लागू हुआ होता तो वह परिस्थिति नहीं बन सकती थी कि कोई सोचें कि इसको कानून का शक्ल भी देना है। इसके अलावे मेरे मन पर इस बात का भी असर था कि और वह यह था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को जो अधिकार दिया गया है वह काफी निरामिष, भेजिटेरियन है। चूँकि यह बात सही है कि उनमें मामला क्वासी-जुडीशियल स्ट्रक्चर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का है। इसलिये आपत्तिजनक समाचार अगर छापे जाएँ, आपत्ति से आपत्ति जनक बातें हो जाएँ तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सिवाय सेन्सर और वार्निंग देने का और कोई अधिकार नहीं है। अगर यह जान बूझ कर कुछ करना चाहें तो वह नहीं कर सकता है।

इन सारी बातों की पृष्ठभूमि में, इन्हीं सब बातों के चलते हमने इस विधेयक को विधान-सभा से पास कराया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात हुयी कि ये सारी मंशायें जन-मानस में जा नहीं पायीं, पत्रकारिता जगत् के लोगों ने भी हमारे इन्टेंशन, हमारे उद्देश्य को उस अनुरूप स्वीकार नहीं किया। उनके मन पर एक असर हुआ कि हम प्रेस फ्रीडम को रोकना चाहते हैं, उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, हमारी मंशा करप्शन गर्वनमेंट लैप्सेस को छुपाने की है, गवर्नमेंट की जो कमजोरियाँ हैं, अगर उन बातों को वे छापेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इन सारी बातों का असर उनके मन पर हुआ। हालाँकि

उस विधेयक में स्पष्ट प्रावधान था कि पब्लिक इंटेरेस्ट में जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं या पब्लिक सबस्टेंस हैं उनके खिलाफ मामला छपता है तो उसके लिये वह इस कानून के दायरे में नहीं लाया जायेगा। इसके बावजूद हम उनको बता नहीं सके कि विधेयक में प्रोविजन भी ला सकते हैं कि पब्लिक इंटेरेस्ट में पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में कोई कमजोरी या भ्रष्टाचार के बारे में लिखते भी हैं तो वह इस कानून के दायरे में नहीं आयेगा लेकिन सम्भवतः हमारी बातें पीछे पड़ गयीं और पिछले कई महीनों तक वह विवाद का विषय बना रहा। कोई भी इस बात को पसन्द नहीं करता कि पीली पत्रकारिता को बढ़ावा मिले और भद्दी किताबें लिखी जाएँ। जिला स्तर के या प्रदेश स्तर की जो पत्र-पत्रिकायें हैं, वे यदि इस तरह की बातें छापते हैं, तो लोगों की नाराजगी का ध्यान करके तत्कालीन कानून में कोई प्रावधान नहीं था जिसका उनके खिलाफ उपयोग किया जा सके।

नेशनल प्रेस से मेरी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अपनी मर्यादा बना रखी है। हमारी शिकायतें छोटे अखबारों से हैं जो चरित्र हनन करते हैं। मैंने इस सदन में और उस सदन में भी चर्चा की थी कि पूर्णिया के एक स्थानीय अखबार ने छापा था कि रफीक आलम और किदवई रंगा बिल्ला हैं। यदि इस तरह की घटिया किस्म की बात छापने में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हम नहीं करते, तो उससे अराजकता ही बढ़ेगी। साम्प्रदायिक दंगे के समय जिस तरह की बातें छपती हैं या बिहार शरीफ के दंगे के बारे में जिस तरह की बातें छपीं, वे सारे देश में एक नकारात्मक माहौल-सा बन गयीं। इसके लिये न किसी की सहमति है और न ही प्रेस वाले ही इसका समर्थन करते हैं।

इसके बावजूद जो माहौल सारे देश में बना उसमें हमने सोचा कि इसपर पुनर्विचार करना चाहिए और जब सारे देश में आंदोलन शिथिल पड़ गया और वातावरण शांत हो गया तो हमने घोषणा की कि इस प्रेस विधेयक को मृत-प्राय समझा जाना चाहिए। भारत सरकार ने कहा कि इसमें कुछ संशोधनों के साथ विधेयक को पास किया जाए तो हमने प्रेस कांफ्रेस में घोषणा की कि भारत सरकार से आने के बाद संशोधन के साथ इस विधेयक को पास नहीं करेंगे और इस तरह से यह विधेयक मृतप्राय हो जायेगा। इसीलिए भारत सरकार के पास बहुत सारे एसेट्स के लिए पड़े रहते हैं। ये बातें बहुत पीछे पड़ जाती है। इसलिए मैंने बहुत विश्वास के साथ उस सदन में कहा था कि दुबारा हम इस विधेयक को विधान-मण्डल के समक्ष नहीं लायेंगे। इसके बारे में मैंने अपने ऐडवोकेट-जेनरल और लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली थी कि संविधान के तहत ऐसा कोई प्रावधान है कि इस स्टेज पर इस विधेयक को वापस लिया जा सकता है या नहीं जब कि वह विधान-मण्डल से स्वीकृत हो चुका हो और सहमति हेतु राज्यपाल के पास भेजा जा चुका हो और राज्यपाल महोदय ने उसे राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेज दिया हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति या असहमति दे सकते हैं इसमें कुछ संशोधन के साथ इसे पुनः वापस कर सकते हैं। उनके सजेशन के बाद विधान-मण्डल को छह महीने का समय

दिया जाता है कि सरकार इस अवधि में उनके सजेशन के अनुसार संशोधित रूप में उक्त विधेयक को पुनः पेश करे। लेकिन राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से वह विधेयक कब वापस लौटेगा, इसके संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि उनके यहाँ से इतने दिनों के अन्दर वह वापस आ जायेगा या कितने दिनों में उनके एसेंट के साथ वापस लौटेगा।

मैंने इस सम्बन्ध में लीगल राय ली तो मुझे यह कहा गया कि इस सूबे में ऐसा कोई प्रिसिडेंट नहीं है कि इस स्टेज में कोई भी बिल वापस लिया गया हो जबकि वह राष्ट्रपति महोदय के पास उनके एसेंट के लिए लंबित हो। ऐसा कोई भी प्रिसिडेंट हमारे सामने नहीं था कि विधान मण्डल से पारित होकर जब कोई विधेयक राज्यपाल की सहमति हेतु भेजा गया हो अथवा राष्ट्रपति के एसेंट के लिए जब राष्ट्रपति महोदय को किसी बिल को भेजा दिया गया हो तो उस स्थिति में उक्त बिल को वापस लिया गया हो। ऐसा कोई भी पूर्वादाहरण हमारे सामने नहीं है।

प्रिसिडेंट, पूर्वोदाहरण या कन्वेंशन बनाने से ही बनता है, कोई अपने आप नहीं बन जाता है। आज के युग में जो डेवलपमेंट हमारे डेमोक्रेसी में हो रहा है, या हमलोग जो परम्परा या कन्वेंशन बना रहे हैं, हमे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो बातें पहले नहीं हुई हैं, वे अब नहीं होंगी और हम कोई नया काम नहीं करेंगे। आप यह जानते हैं कि विधान-मण्डल कानून बनाने के मामले में सार्वभौम है। जब कोई विधेयक विधान-मण्डल द्वारा पारित होता है तो उसे राज्यपाल महोदय के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है या यदि आवश्यक समझें तो राज्यपाल उसे एसेंट हेतु राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति या असहमति अथवा सजेशन के साथ उसे वापस कर देते हैं। किन्तु, संविधान में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसी स्थिति में कोई विधेयक वापस लिया जा सकता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति महोदय के एसेंट के लिए चला गया तो विधान मंडल उसके सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है।

मैंने यह सोचा कि बिहार में क्यों नहीं सबसे पहले यह पूर्वोदाहरण बनाया जाए। आप यह जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में जनमत का सबसे बड़ा महत्व रहता है। सरकार और विधान-मण्डल तो जनता की आशाओं का प्रतीक और आइना के समान है। यदि जनता की राय बने, और हम जनता को जाने-अनजाने किसी बात से संतुष्ट नहीं करा पायें तो हमें उन बातों को वापस ले लेना चाहिए और ऐसा कन्वेंशन डेमोक्रेसी में हमें बनाना चाहिए। आम लोगों की भावना के साथ सरकार और विधान मण्डल को डेमोक्रेसी में चलना चाहिए। अपने सारे देश और प्रदेश में इस विधेयक के विपरीत माहौल बना और लोगों के मन में यह आशंका बनी कि इससे प्रेस के फ्रीडम पर आघात पहुँचेगा। संविधान में प्रेस

को व्यापक रूप से स्वतंत्रता दी गयी है। यदि जनता को प्रेस की स्वतंत्रता में कोई रुकावट या नियंत्रण की आशंका इस विधेयक से हो या देश के लोगों के मन में सरकार इस विधेयक का दुरुपयोग करेगी या सरकार अब प्रेस को फ्रिली ऑपरेट नहीं करने देगी, यदि लोगों के मन में वह धारणा बन गयी हो और चाहे वह कितना भी गलत हो, तो भी सरकार को उस धारणा को दूर कर देना चाहिए।

हम यह महसूस करते हैं कि अपने डेमोक्रेसी की यह बहुत बड़ी विशेषता है और इसके कारण डेमोक्रेसी मजबूत होती जा रही है और डेमोक्रेसी की जड़ नीचे पाताल में जा रही है और कोई भी इस डेमोक्रेसी की जड़ को हिला नहीं सकता है क्योंकि इस देश में स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक ओपिनियन रि-एक्ट करती है। और अपनी विचार-धाराओं के साथ, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, यहाँ आते हैं और अपनी भावनायें व्यक्त करते हैं वह पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। पिछले दिनों में यह हम और आपने सब महसूस किया है कि यह डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी सफलता है। संविधान में प्रेस को अलग अस्तित्व नहीं दिया गया है लेकिन व्यावहारिक जीवन में प्रेस को स्ट्रांग पावर ऑफ दी पब्लिक ओपिनियन स्वीकार किया गया है और उस पब्लिक ओपिनियन की सुरक्षा देने कर दायित्व इन पर है। इसलिये यह प्रेस्टीज इनकी हैं। इसलिए अगर प्रेस में यह भावना हो जाए कि एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ढंग से नहीं हो सकती है तो यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है और इस डेमोक्रसी को बहुत कुर्बानी देकर पाया है। इसलिए अगर यह भावना बन जाए कि डेमोक्रेसी अनियंत्रित हो सकती है या डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है और फ्री बिल ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकती है, अगर यह भ्रम बन जाए तो हमें रिसपोंस करना चाहिए और हम समझते हैं हमको पब्लिक ओपिनियन का विरोध नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार के लिए यह जरूरी भी है कि वो जनमत के साथ चले।

हम अपने लिये यह शोभा की बात मानते हैं कि हमें यह अवसर मिला और प्रेस के बारे में जो शंका की बात उठी थी उसको एक नया प्रीसीडेन्स बनाकर समाप्त करना चाहिए। इसलिए हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमको काफी प्रसन्नता है कि सारे देश में इस विषय पर काफी वाद-विवाद हुए हैं और बहुत सारे मंचों पर वाद-विवाद हुए हैं और बहुत सारी जगहों में भी हुए हैं और जो प्रेस के अपने संघ है, आई.एफ.डब्ल्यू.जे. है ए.आई.ए.आई.सी. है या प्रेस गिल्ड है, इन सब लोगों ने काफी विस्तारपूर्वक इस पर विचार किया था। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देश में बड़े पैमाने पर सभी लोगों ने विचार किया और सबों ने यह स्वीकार किया है कि किसी न किसी फौर्म में प्रेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। इन्होंने आपस में भी यह राय बना ली और बहुत से लोगों ने फौर्मली प्रस्ताव आपस में स्वीकृत कराया कि हमें अपने आपको यह करना चाहिए। नेशनल कनसर्न है कि सस्ते और येलो जर्नलिज्म बढ़ रहा है। इन बातो पर चेयरमैन ऑफ दी प्रेस

काउंसिल ने ध्यान आकृष्ट किया था। कि किसी न किसी फोर्म में उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की बात स्वीकार की थी। अब बात उठती है कि कोड ऑफ कंडक्ट किस आधार पर होना चाहिए। जो मामले प्रेस काउंसिल के सामने रखे गए हैं और प्रेस काउंसिल का समय-समय पर नो ऑब्जर्वेशन हुआ है और प्रेस काउंसिल के जो जजमेंट हुए हैं उसी के आधार पर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा सकता है। इसलिए हमें इस बात से खुशी है कि इस विधेयक के माध्यम से कम-से-कम कनसेन्स देश के पैमाने पर पैदा किया गया और जो रिसपोंसिबुल बॉडीज हैं और प्रोफेसनल बॉडीज हैं उन्होंने आपस में डिबेट किया।

इम्प्रेसन यह बन गया कि यह प्रेस के फ्रीडम के करटेलमेंट के लिए है या डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिये है जो मंशा थी वह सही कन्टेक्स्ट में, सही बैकग्राउंड में नहीं देखी गयी, समझी नहीं गयी या फिर एकाकी में सोलुशन में या एक तरफ की बात लाने से जो धारणा बन सकती है उनमें आप सब की आलोचना अर्थात् सही कही जा सकती है। उस पर हमारा कोई दूसरा विचार नहीं है। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, नम्रता के साथ कि इस प्रेस विधेयक को बाज़ाब्ता वापस लेकर एक नया प्रिसीडेन्स हम अपने बिहार के लेजीस्लेचर में पैदा कर रहे हैं। हम बिहार के प्रेस से और देश के प्रेसों से निवेदन करना चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पेक्टेबिलिटी की बात होनी चाहिए और उनको सेल्फ रिस्टेªन्ट की बात होनी चाहिए। और इस विधेयक के वापस होने के बाद आस्था और विश्वास प्रेस को दे रहे हैं। हमारे मन में जो शंकायें थीं आज उन सब को दूर करके हम पूरी की पूरी स्वतंत्रता और पूरा का पूरा विश्वास दे रहे है। हम मानते हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस निरंतर फ्रीडम ऑफ प्रेस की प्ली कर रही है। मजबूती के साथ यह बात कहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भी बार-बार इस बात को स्पष्ट किया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस में किसी प्रकार की रुकावट के हम पक्षधर नहीं हैं। हालाँकि अपने आप सेल्फ रिस्ट्रेन्ट की बातें उनको करनी चाहिए। इसलिये हम अपनी पार्टी के कमिटमेंट को हम फिर से दुहराना चाहते हैं । हम फ्रीडम ऑफ प्रेस के पक्षधर हैं और किसी भी कीमत पर प्रेस की आजादी को कोई आघात नहीं पहुँचे। उनके संरक्षण, सुरक्षा समाज के एक्सप्रेशन के एक मीडियम होने की हैसियत से यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि जो हमारी अपेक्षायें हैं कि एक गुड इंटेरेस्ट में, पब्लिक इंटेरेस्ट में प्रेस फ्रीडम का उपयोग करना चाहिए। इस अधिकार का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसका यह माने नहीं है कि अगर कोई सच्ची घटना होती है तो उसको कभी दबाना चाहिए। लेकिन अतिरंजित करके या अपनी तरफ से दो बातें लगा करके उन बातों को लगाकर के जिससे समाज पर उसका कुप्रभाव पड़ जाए नहीं करना चाहिए । कम्युनल टेन्सन के जमाने में जैसा होता है। उस समय खासकर सेल्फ रेस्ट्रेंट की जरूरत पड़ती है। डिसिप्लीन की बहुत जरूरत हो जाती है। जब कभी कास्ट रायट बड़े पैमाने पर हो जाए। जब कभी कम्युनल रायट बड़ पैमाने पर हो

जाए। जिस वाकये का असर सारे देश के पैमाने पर हो सकता है उस समय में थोड़ा बहुत संयम अपने आप पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा रिश्ता प्रेस के साथ बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छा रहा है। उसकी मिसाल यह है कि 1975-76 इमरजेंसी के जमाने में जब सारे देश में सेन्सरशिप लगा हुआ था। इस सूबे में प्रेस सेन्सरशीप नहीं लगाया गया। प्रेस के लोगों को हमारे यहाँ परेशानी नहीं हुई। हमारे यहाँ एक भी कमप्लेन कमीशन के सामने नहीं गया था। उस जमाने में बहुत सारी बातें इस मुल्क में हुई थीं। उस जमाने में बिहार सूबे की एक घटना भी प्रतिवेदित नहीं हुई थी। इसलिये हम संबंध/रिश्ता प्रेस से वही पुराना पुनर्जीवित करके रखना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अपने प्रदेश की प्रतिभा के बारे में, इमेज के बारे में हम सब को कन्सर्न फील करना चाहिए। हमने विधान-सभा में इस बात को बहुत भावनात्मक ढंग से कहा था और फिर इस सदन में भी जब बजट पर बोलने के लिये जाएँगे हम फिर उन बातों को फिर रखने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रदेश की प्रतिभा को धूमिल करने की चेष्टा की जाती है। सारे राज्य को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।

जाने-अनजाने हमलोगों की ओर से, प्रेस की ओर से ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि बिहार की प्रतिभा दूसरे के सामने घटे। ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि लोकल पेट्रोटिज्म की बात हम करते हैं। लेकिन बिहार सूबा इस देश का हिस्सा है और बराबरी का हिस्सा है। और इस सूबे को किसी कारण से देश में पीछे रह जाना पड़ा है इसका एक ऐतिहासिक कारण है। जो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। यह जरूर है कि हम दूसरे सूबों से पीछे पड़ गए हैं, हम उसको आगे लाने की कोशिश में हैं, सबकी मदद से । इन कामों में हमें बिहार के प्रेस की मदद चाहिए। नेशनल प्रेस की मदद भी चाहते हैं जिससे बिहार आगे बढ़ सके और बिहार के मार्फत देश की ऊँचाई हो सके। बिहार भौगोलिक रूप से और आबादी के हिसाब से भी देश में बहुत महत्तवपूर्ण पायदान पर है। बिहार जबतक पिछड़ा रहेगा, देश पिछड़ा रहेगा। बिहार को उठाने में सबका हिस्सा चाहिए। यह सहयोग विधान-मंडल के सदस्यों के साथ-साथ प्रेस की भी मदद चाहते हैं कि बिहार को उजागर करने में सबकी मदद होनी चाहिए।

हम एक उदाहरण पेश करेंगे कि दोनों सदनों ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया था राष्ट्रपति के यहाँ जो आरक्षित था सहमति के लिये इस अवस्था में हमने उसको वापस लेकर एक परिपाटी भी बनाई और लोकतंत्र की रक्षा भी की। पब्लिक ओपिनियन का हमने रेस्पेक्ट किया है।

मद्य-निषेध

(बिहार विधान सभा – 4 जुलाई, 1980)

अभिभाषण में जो दो मुख्य बिन्दु आये हैं, मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूँ। पहला बिन्दु है नशाबंदी के सम्बन्ध में और दूसरा है रैपसीड कांड और अहमद आयोग।

जिस तरह से माननीय विरोधी दल के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने फैसला किया उसपर सदन में विचार करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई हो, उनको सारी परम्पराओं को, सारी मान्यता और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को एक साथ छोड़कर निर्णय करने का अधिकार नहीं हो सकता है। सदस्यों को मद्य-निषेध पर मेरा कोई उससे विरोध नहीं है। केन्द्र की हुकूमत ने उस समय फैसला किया। नशाबंदी कमिटी बनायी गयी और और उसने फैसला किया, बैठक करके और मुख्यमंत्री को संकेत दिया गया कि चार चरणों में, चार स्टेज में नशाबंदी कार्यक्रम को लागू किया जाए, यह भी ठीक है। लेकिन जो फैसला हुआ, उनको राज्य की हुकूमत को करना हे उसपर आपके मंत्रिमंडल को फैसला करना है इसका प्रभाव क्या होगा? उसमें सूबे के अर्थ-व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, सूबे के प्रशासन के संचालन पर क्या असर पड़ेगा? उत्पाद मंत्री ने एक नोट तैयार किया, उसपर विचार-विमर्श के लिए विभाग में भेजा गया, उसके बाद वित्त-विभाग में भेजा गया। वित्त विभाग ने कहा कि इसे मंत्रि परिषद् के विचार के लिये रखा जाए और मंत्रिमंडल के 13 सदस्यों की समिति बने, जिसमें गैर-सरकारी और सरकारी सदस्य सूबे के लिये यह कहा विजीबूल है, इसको लागू करने से यहाँ के अर्थ पर क्या असर पड़ेगा। वित्त-विभाग सिर्फ इसी बिन्दु पर सहमत था कि इस मंत्रिपरिषद् में उत्तफ़ बिन्दू पर विचार किया जाए। यह भी निर्णय हुआ कि पहले चरण में 1 अप्रैल 1978 से लागू किया जाए, तो ठीक था इसपर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात की चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि श्री कर्पूरी ठाकुर के जो उस समय मुख्य सचिव थे, अप्पू साहब, उन्होंने भी इस सम्बन्ध में एक नोट दिया था। चूँकि यह काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे सदन के समक्ष पढ़ देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कोई महत्वपूर्ण फैसला करे और पूर्व मुख्य सचिव कोई नोट दे, यह बहुत ही महत्व का विषय हो जाता है। मुख्य सचिव के नोट पर मुख्यमंत्री ने विचार नहीं किया। उस नोट के अंश को हम सदन के सामने पढ़कर सुना देना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री की इच्छानुसार अगले चार वर्षो में पूरे राज्य में मद्य-निषेध लागू करने से सम्बन्धित संलेख मंत्रिपरिषद् की अगली बैठक की कार्यावली में सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को अमल में लाने पर राजस्व में प्रतिवर्ष लगभग 33 करोड़ रुपये की क्षति होगी, इसके अतिरिक्त मद्य-निषेध लागू करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों पर भी प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ रुपये का खर्च बैठेगा। अब इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने का समय तो प्राप्त नहीं रहा, क्योंकि ऐसा लगता है कि केन्द्र तथा राज्य ने शासन-दल में मद्य-निषेध लागू करने का निर्णय ले लिया है। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण समुचित विचारार्थ सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर देना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

संविधान की धारा 47 में प्रतिपादित (डाइरेक्टिव प्रिसिंपुल ऑफ स्टेट पॉलिसी)मात्र यही कहता है कि सरकार ऐसे नशीली पेय पदार्थों तथा औषधियों पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। यह आपत्ति चौथे अध्याय में सम्मिलित अन्य धाराओं में उल्लिखित कुछ अन्य निदेशक सिद्धांत के समकक्ष है। वास्तव में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से धारा 41 में निहित काम करने का अधिकार धारा 47 में निहित फ्मद्य निषेधय् से अधिक महत्व का है।

जैसा कि मुख्यमंत्री अवगत हैं काम करने के अधिकार को सही दिशा में लाने में अभी बहुत कम कार्य किया जा सका है। इसलिए इसको उच्चतर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। सरकार की नीति सम्बन्धी निर्देशक सिद्धांत सिर्फ उस दिशा का संकेत देते हैं जिस ओर सरकार की नीति उन्मुख होना चाहिए। वे नीति सम्बन्धी ऐसे आदेशात्मक निर्देश नहीं है जिन्हें तुरंत अमल मे लाना अनिवार्य है। अतः धारा 47 यह नहीं कहता कि राज्य सरकार के लिए अविलम्ब मद्य-निषेध लागू करने के अलावा और कोई चारा नहीं है।

मद्य-निषेध लागू करने में सरकार को प्रतिवर्ष 33 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त मद्य-निषेध को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक संगठन पर भी प्रतिवर्ष तीन करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं बैठेगा और यह क्षति सालो-साल बढ़ती जायेगी। पूरे देश के लिए क्षति की राशि एक हजार करोड़ रुपये तक शायद बर्दाश्त नहीं कर पायेगी। इसके अलावे करीब दस लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जाएँगे। निःसंदेह ऐसा सीनीकल विचार कर सकते हैं कि इसमें से बहुत से व्यक्ति अवैध रुप से शराब चुराकर तथा चोरी छिपे इसका व्यापार कर रोजी पा सकते हैं।

अबतक अनुभव यही बतलाता है कि मद्य-निषेध को अमल में लाना अत्यन्त ही दुरह कार्य है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का इस सम्बन्ध में बहुत कटु अनुभव रहा है।

भारत के कुछ राज्यों में भी बहुत दुःखद स्थिति का सामना करना पड़ा है। भारत में मद्य-निषेध कुटीर

उद्योग बन जायेगा। अनेकों प्रकार के हानिकारक पदार्थों के अवैध रुप से बनाये जाने की सम्भावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके परिणाम स्वरूप लोगों के शारीरिक एवं नैतिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जायेगा।

मैं मानता हूँ कि ब्युरोक्रेट का नोट प्रशासन में कोई बाधक नहीं होगा। लेकिन जो फैसला केन्द्रीय सरकार ने किया और आपको निदेश दिया कि 4 स्टेट में इसको लागू किया जाए तो आपकी मंत्रिपरिषद् ने क्या फैसला लिया है।

मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् ने क्या फैसला किया कि इसको चार चरणों में लागू किया। चूँकि श्री कर्पूरी ठाकुर विरोधी दल के नेता हैं, उस हैसियत से नहीं। एक मित्र की हैसियत से पूछना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से, बिहार की जनता की ओर से सवाल करना चाहता हूँ कि जब भारत सरकार ने इसके प्रैक्टिकल पहलुओं की जाँच कर उसपर विचार कर निर्णय लिया कि इनकों चार चरण में लागू किया जाए, तो फिर आपने एक ही रात में 1979 को मंत्रिपरिषद् के बिना संलेख दिये, अपने विभाग को कंफीडेंस में लिए और बिना सारी पहलुओं की समीक्षा किये इसको लागू कर दिया।

अभी जो बातें उठने वाली थी, उसे बर्दास्त करने की क्षमता माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी में नहीं थी इसलिये वे सदन से बाहर चले गए। माननीय सदस्य श्री पूर्वे जी ने जो बातें उठाई हैं उसका जबाव मैं दे रहा हूँ। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया चार चरणों में लागू करो। लेकिन दूसरा फैसला लेने के पहले फाईल पर नोट नहीं लिखियेगा कि इस परिस्थिति में यह फैसला लेना पड़ा। एकाएक रातों रात फैसला लेकर लागू करेंगे। आज बिहार के जनता के प्रतिनिधि हैं और बिहार की जनता को नहीं बतायेंगे कि क्या फैसला ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं।

जैसा कि मैंने कहा कि बगैर संचिका को देखे हुये बिना उत्पाद विभाग से विमर्श किये हुये, बिना वित्त विभाग से विमर्श किये हुये, जैसा कि संचिका का देखने से मालूम होता है, उन्होंने फैसला ले लिया, बिना सेन्ट्रल एक्साइज कमिटी से सहमति लिये हुये स्थानीय उत्पाद मंत्री ने मंत्रिमंडल में सवाल को रखा और मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दे दी। हम यहाँ बिहार की जनता की हिफाजत के लिये बैठे हैं। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बिना किसी तरह की सूझबूझ किये फैसला लिया और बिहार की इतनी बड़ी आर्थिक क्षति कर दी।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तत्कालीन सरकार ने यह कहा कि जितने भी घाटा होते हैं हमलोग बियर करेंगे। प्रोहिबेसन से पाँच साल में जो घाटा होनेवाला था उसके लिये जनता दलों की सरकार ने आश्वासन दिया था कि 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार देगी और राज्य सरकार को 50 प्रतिशत एडिशनल

रिर्सोसेज से पैदा करना होगा। लेकिन राज्य सरकार ने एक पैसा भी मोबिलाइज नहीं किया और केवल साइकोलाजिकल बात उठाकर पूरे स्टेट की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी-कभी कठिन निर्णय लेना पड़ता है, लोगों के हित में, समाज के हित में, रेवेन्यू में जो घाटा होगा उसका एक पैसा भी वह राज्य को नहीं देंगे। इसलिये हम राज्य के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि 100 करोड़ रुपये का घाटा जो इस मद के कारण होता उसके चलते बिहार की हालत ऐसी नहीं है कि इस घाटे को वह बर्दास्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, उड़ीसा में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। इस घाटे के कारण बिहार की जो क्षति होगी और इसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते हैं। मद्य-निषेध लागू करके हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, बिहार में एक-एक घर में देखे कि कौन-कौन हैं। हमारा प्रशासन ऐसा नहीं है कि इसकी जाँच की जाए कि कौन इसका उल्लंघन कर रहा है और उसे सजा दी जाए। इसलिये मद्य-निषेध द्वारा सूबे का रेवेन्यू का डायरेक्ट नुकसान होता है। भारत सरकार की स्पष्ट राय है कि अगर स्टेट सरकार इसको चला सकती है तो इसके लॉस को वह पूरा करे। यह खुशी की बात है। भारत सरकार ने स्टेट सरकार पर इसकी पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी है। इसलिए बिहार की जनता के हित में हमें इसको रिभाइज करना होगा।

लेकिन यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी को यह भ्रम न रहे कि हमारी कांग्रेस सरकार ने जो फैसला किया था कि 1 अप्रैल 1976 से छोटानागपुर और संथाल परगना में एक भी शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे। यह कायम रहेगा। हमने प्रथम चरण में जो यह फैसला किया है, उसमें रिलेक्सेशन नहीं करने जा रहे हैं। हर दल और सरकार का अपना-अपना फैसला होता है। जनता पार्टी की सरकार ने टोटल प्रोहिबिशन का फैसला कर लिया। हमारी कांग्रेस सरकार ने श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में प्रथम चरण में 1 अप्रैल 1976 से छोटानागपुर और संथाल परगना में एक भी दुकान नहीं खोलने का जो फैसला लिया है उसमें रिलेक्सेशन नहीं होगा। लोगों में कनसेंसस लाना होगा। सभी काम सरकार द्वारा कानून बना देने से नहीं होता है। केवल कानून बना देने से समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है।

संतुलित मंत्रिमंडल

हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे दल के एक वरीय सदस्य दारोगा बाबू ने असेम्बली को फोरम चुना है। अपनी बातें कहने के लिये। हम उनका समादर करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल बातें उठायी है, उससे मुझे तकलीफ है क्योंकि हम कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं। राजनीतिक कठिनाइयों से गुजरे हैं और जिन लोगों ने विशेष कर हमारे दल के सदस्यों ने निरंतर 5 साल तक इंदिरा गाँधी के

नेतृत्व में संघर्ष किया है, जोखिमें उठायी हैं, तकलीफें सही हैं, यातनाएँ सही है, उस समय भविष्य संदिग्ध मालूम पड़ता था, भयानक मालूम पड़ता था, ऐसे हमारे साथी हैं, नौजवान साथी है, हमारे विद्यार्थी साथी हैं, किसान मजदूर हैं। उन तमाम लोगों की कोशिशों से, कुर्बानी से आज कांग्रेस इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में दिल्ली में आयी हैं और बिहार में भी सत्ता में आयी है। ऐसे कठिन समय से जो पार्टी गुजर कर आयी हो उसमें हममे से वैसे किसी एक व्यक्ति को हक नहीं हो सकता है कि वह इस पार्टी की गरिमा, प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करे। क्योंकि हम काफी कठिन दौर से गुजरने वाले हैं, जो इन्होंने बातें उठायी है उसके सम्बन्ध मे मैं कहना चाहता हूँ कि मामला दल के कोरम में लाया जा सकता था। मैं इस बात की चर्चा करके बताऊँ कि हममें से कोई साथी यह सोंचे कि कल हमारा भविष्य क्या होनेवाला है और घबराहट में हम हट जाए और फिर देखें कि हमारा नक्शा बनने वाला है तो फिर वापस आये तो सम्मान आदर पाने का हकदार नहीं हो सकता है। ऐसे कठिन दौर से गुजरने वाली पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश किसी साथी द्वारा नहीं होनी चाहिए। मंत्रिमंडल के गठन के बारे में उन्होंने चर्चा की, उसके बारे में आपके सामने में, अध्यक्ष जी चर्चा कर देना उचित समझता हूँ। जिस तरह से हमारा मंत्रिमंडल बना है, बिहार में आजतक ऐसा मंत्रिमंडल नहीं बना है। इस बात का हमें फक्र है। मैं दारोगा बाबू के मंत्रिमंडल की चर्चा करना चाहता हूँ कि उस समय कितने पिछड़ी जाति के लोग थे, भोला पासवान शास्त्री के मंत्रिमंडल में कितने पिछड़ी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों को, आदिवासियों को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हमारे मंत्रिमंडल में दिया गया है। दूसरी बात हमने पिछड़ी जातियों में ऐसे लोगों को उठाने की कोशिश की है जिनकी आबादी सूबे में सबसे अधिक है लेकिन उनकी राजनीतिक आवाज नहीं है, उनकी तादाद सरकारी नौकरियों में नहीं है चूँकि पिछड़ी जाति के नाम पर दूसरे लोगों ने ऐसे तमाम लोगों का शोषण किया है, ऐसे लोगों को दबाया है। जिनको कभी मौका नहीं मिला उसको ऊपर उठाने की हमने कोशिश की है। आज हमारे मंत्रिमंडल में ऐसे कई सदस्य बैठे हुए हैं। अल्प संख्यक समुदाय के तीन आदमी हमारे मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। 1962 से अब तक किसी मंत्रिमंडल में इतनी संख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कभी नहीं हुआ। जो हमारे सदस्य मंत्रिमंडल में लिये गए हैं। वे स्वतंत्रता सेनानी है चाहे वे हमारे लहटन चौधरी जी हो, रमेश झा जी हो या राजेन्द्र प्रताप सिंह जी हो या दूसरे साथी हो या नवयुवक जिनको मौका नहीं मिला राज्य सेवा करने का और जिन्होंने पिछले तीन साल तक इंदिरा कांग्रेस की तंगी और तबाही के समय जनता पार्टी के आक्रमण के समय मजबूती से कांग्रेस को जिन्दा रखने में मदद की है ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व किया है। हमारे दल में एक एक से अच्छे लोग हैं, वरीय लोग हैं, त्यागी लोग हैं लेकिन इनका समावेश मंत्रिमंडल में नहीं हो सकता है, फिर भी हमने अपने मंत्रिमंडल को संतुलित रखने की कोशिश की है और आगे भी संतुलित किया जा सकता

है। हन्ड्रेड परसेंट संतुलित मंत्रिमंडल की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। दूसरी बात पोर्टफोलियो की चर्चा की है। मैं इस बात की भी चर्चा अपने भाषण में करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्री दारोगा प्रसाद राय ने अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री की हैसियत से मैंने बहुत सा विभाग अपने पास रख लिया है लेकिन अपनी बात भूल जाते हैं जो आज की बात हुयी है वह ताजी मालूम होती है। 1 मार्च 1970 में जब दारोगा बाबू मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अपने जिम्मे जिन-जिन विभागों को रखा था उसका नाम है- मंत्रिमंडल सचिवालय, आरक्षी विभाग (राजनीति)आरक्षी (विशेष) विभाग, राजनीति (सामान्य) विभाग, सूचना, पर्यटन तथा परिवहन, नियुक्ति, वित्त, श्रम एवं नियोजन विभाग, उत्पाद विभाग, वाणिज्य कर विभाग। ये सारा विभाग उस समय दारोगा बाबू के जिम्मे था। अगर लेटेस्ट अभी लिया जाए तो उसकी भी चर्चा कर देना चाहता हूँ। ताकि आपकी याद ताजा हो जाए। श्री रामसुन्दर दास मंत्रिमंडल के समय उनके जिम्मे मंत्रिमंडल, कार्मिक, सामान्य, प्रशासन सुधार, राजभाषा, नगर विकास, आवास विभाग शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, शिक्षा, वित्त, लघु सिंचाई, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं पुनर्वास विभाग था।

मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने कुशलतापूर्वक कार्य करने का संकल्प लिया है। आज जो सामाजिक परिस्थिति और तनाव का वातावरण है उसका मुकाबला करना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि बिहार की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में एक-एक समस्या को सुलझाने के लिये विधान सभा, विधान परिषद्, संसद् सदस्य की बातों को सुने और उनके पत्रों का उत्तर दें। ज्यादा से ज्यादा समय विधायकों और सांसद सदस्यों से मिलने में लगाये। यह सारी कोशिश हमारी होगी। एक बात की चर्चा मैं करू कि श्री दारोगा प्रसाद राय हमारे पार्टी के वरीय सदस्य हैं। हमने सोंचा कि पहले दिन यह सम्मान दारोगा बाबू को देना चाहिए। यह फैसला हमारा था। मेरे रेकोमेन्डेशन पर राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति की थी। हमारे मन में उनके प्रति आदर निरंतर रहा है। हमने सोचा कि कोई सम्मान उनको दे सकता है तो हमारे दल में दिया जा सकता है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सारी चुनौतियों का मुकाबला हमको और आपको मिलकर करना है, सारे विधान-सभा सदस्यों को करना है और इसमें सहयोग और समर्थन होना चाहिए। चूँकि श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री राजकुमार पूर्वे और श्री इन्दर सिंह नामधारी ने भी रैपसीड कांड और अहमद आयोग की चर्चा की है मैं भी इस सम्बन्ध में चर्चा कर देना चाहता हूँ। श्री कर्पूरी ठाकुर जो बड़े चतुर हैं। पिछली सरकार में विधान सभा में घोषणा हुई। श्री टेकरीवाल ने विधान सभा में और श्री मुनेश्वर नाथ सिंह ने विधान परिषद् में घोषणा की कि रैपसीड कांड की जाँच करायी जायेगी। श्रीमती कृष्णा शाही का प्रश्न भी इसी प्रसंग में उठ रहा था और बाद में फैसला हुआ, आश्वासन दिया गया कि जाँच करेंगे। विधान परिषद् में ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह ने जोर दिया कि इस कमीशन कटर्स एवं

रेफेरेंस बढ़ा दिया जाए और इसकी जाँच की जाए। लेकिन उस समय ये लेकर आजतक कमीशन गठित नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसके पीछे क्या बात थी। माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से जस्टिस चौधरी की सेवाएँ 30 अक्टूबर 1976 को प्राप्त हुई। परन्तु नियमित जज की सेवाओं के उपयोग के लिये गृह मंत्रालय की स्वीकृति अपेक्षित थी, जिसके लिये लिखा गया। परन्तु राज्य सरकार को वह सहमति तबतक नहीं मिल सकी जबतक श्री चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से नहीं हटाया गया। इसप्रकार एक ओर श्री कर्पूरी ठाकुर आयोग का स्वागत करते हैं तथा जाँच को पास करते हैं और दूसरी ओर उनकी पार्टी को केन्द्र स्थित सरकार न्यायाधीश को नियुक्ति में सहमति देने से भाग रही थी। इस तथ्यों से कोई संदेह नहीं रहेगा कि माननीय सदस्य श्री कर्पूरी ठाकुर के कथन में कितनी सच्चाई है। हमने क्या किया? हमने सोचा यह जरूर कि जब कमीशन गठित नहीं हो सका, नोटिफिकेशन नहीं हो सका तब यह फैसला नोटिफिकेशन का हम करे या नहीं। हमारी पार्टी की नीति है कि हम इन विवादों में नहीं पड़े। राजनीतिक बदला नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कमीशन का गठन कर श्री कर्पूरी ठाकुर और श्री महावीर प्रसाद को परेशान और तंग नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि रैपसीड कांड ऐसा कांड है, जिसके जाँच की कोई गुंजाइश नहीं है। यह स्थापित है, एस्टेब्लिश्ड है। इस संचिका में श्री महावीर प्रसाद और श्री कर्पूरी ठाकुर से सम्बन्धित नोट है, जिससे पता चलेगा कि करोड़ो रुपयों का घोटाला किया गया है। जाँच की बात होती है जब मामला गोल-मटोल होता है। आपके इजाजत से संचिका की कुछ पंक्तियाँ पढ़ देना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। कमीशन ने अपनी रिर्पोट में लिखा है व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने यह निदेश दिया है कि मामले का शीघ्र निष्पादन किया जाए।

क्रीमी लेयर

(राज्यसभा-17 अगस्त, 1994)

मैं एक अत्यंत ही संवेदनशील और लोक महत्व के विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और वह है उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जो 16 नवम्बर, 1992 को हुआ था। मंडल आयोग की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के संबंध में भारत सरकार ने 10 सितम्बर, 1993 को एक अधिसूचना जारी कर दी, जो आदेश उनको उच्चतम न्यायालय की ओर से दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने 16 नवम्बर के फैसले में केन्द्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि इस निर्णय के 6 महीने के भीतर सभी राज्य सरकारें जहाँ आरक्षण पहले से लागू है या जहाँ आरक्षण अब से लागू होगा, वे पिछड़े वर्गों को विभक्त करें, मलाईदार परत, क्रीमीलेयर में, पिछड़े वर्ग और अत्यन्त पिछड़े वर्ग में। इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया था । भारत सरकार ने क्रीमीलेयर के निर्धारण के लिए एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति भी बनायी थी। उस समिति ने अपनी अनुशंसा दी और उस अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने 10 सितम्बर को अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकारों को भी 6 महीने के भीतर अर्थात् 16 मई, 1993 तक पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण, क्रीमीलेयर, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में करना चाहिए था।

विभिन्न राज्य सरकारों ने समय-सीमा के भीतर इस वर्गीकरण को पूरा नहीं किया। अभी हाल में बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय और भारत सरकार का जो निर्णय 10 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना में घोषित है, उसके विरुद्ध उन्होंने पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण, क्रीमीलेयर किया है। महोदया, यह बड़ा हास्यास्पद है। उच्चतम न्यायालय की जो दृष्टि है या बाबा साहब अम्बेदकर ने 30 नवम्बर 1948 को जब संविधान सभा में धारा-10 पर बहस हो रही थी- उस बहस के दौरान कहा था कि, इन विशेष वर्गों को आरक्षण देने के यह मायने नहीं है कि केवल जाति ही उनका आधार होगा। पिछड़ी जातियों में जो जातियां हैं या उन जातियों में जो लोग उन्नत हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, सरकारी सेवाओं में आ गए हैं उन लोगों के लिए यह नहीं है बल्कि जो पिछड़े वर्गों में अछूता तबका है और जो अनुच्छेद 16 के उपभाग 4 में कहा गया है।

"…not adequately represented in the services under the State."

यही मूल मापदण्ड था। उसी को परिभाषित करते हुए डॉ- अम्बेदकर ने भी कहा था कि पिछड़ी जातियों में जो लोग ऊपर चले आये, वे सामान्य कोटि में चले जायें और पिछड़े वर्गों की वे जातियां और उन जातियों के वे लोग जो मुख्य धारा में नहीं आ सके हैं, उन्हीं के लिए आरक्षण किया जाये। इसी उद्देश्य से जब भारत सरकार ने 25 सितम्बर 1991 को अधिसूचना जारी की थी, उसमें वी-पी-सिंह सरकार की 10 अगस्त की अधिसूचना को परिमार्जित किया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि 27 प्रतिशत आरक्षण हम पिछड़े वर्गों के लिए देंगे, लेकिन हम प्राथमिकता देंगे उनमें से गरीब पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को।

उसे ही परिभाषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की आरक्षण की सीमा से, आरक्षण की योग्यता से क्रीमीलेयर को अलग कर दिया जाये। दूसरा यह है कि पिछड़ी जातियों को और दो भागों में बाँटा जाए-पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इन 27 प्रतिशत का वितरण उनकी आबादी के हिसाब से करें तभी सामाजिक न्याय हो सकेगा । संविधान निर्माताओं ने जिस उद्देश्य से यह प्रावधान किया था उसकी पूर्त्ति हो सकेगी।

हमें अफसोस होता है कि भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को संभवतः सही स्पिरिट में आँका नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनके 25 सितम्बर 1991 की मान्यता (वेलिडिटी) तभी है जब वे इसे परिभाषित कर दें कि पिछड़े वर्गों में वे प्राथमिकता किन्हें दें- अत्यंत पिछड़ों को या गरीब पिछड़ों को। भारत सरकार ने अभी तक इसे परिभाषित नहीं किया है। भारत सरकार ने केवल क्रीमीलेयर को परिभाषित किया है। लेकिन, जो दूसरी बात कही थी उच्चतम न्यायालय ने- गरीब, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े उसकी भी परिभाषा होनी चाहिए।

मंडल आयोग में एक एल-आर- नायक सदस्य थे। उन्होंने अपनी विभूति टिप्पणी में बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा है-

मध्यवर्गीय पिछड़ा वर्ग उस पिछड़े वर्ग पर हावी बना हुआ है, जो अत्यंत पिछड़ा एवं गरीब है। इस गरीब एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की दशा हरिजन, आदिवासी एवं अन्य दलितों जैसी बना दी गयी है। मध्य वर्गीय पिछड़ा वर्ग के लोगों का यह समूह जिनका राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव निरंतर बढ़ता गया है और वे गरीब एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को दबाकर रखना चाहते हैं।

इसीलिए नायक ने यह अनुशंसा की थी कि 27 प्रतिशत आरक्षण को इन वर्गों में बाँटा जाये और 15 प्रतिशत को अत्यंत पिछड़ों और गरीब पिछड़ों के लिए तथा 12 प्रतिशत मध्य वर्गीय पिछड़ों को दिया जाये। उनकी टिप्पणी बिल्कुल स्पष्ट थी। सम्भवतः उसी दृष्टि से, उसी पृष्ठभूमि में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इन बातों का उल्लेख करते हुये कहा है कि भारत सरकार के 25 सितम्बर 1991 के

संलेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि-

"Clause (i) of the office Memorandum dated September 25, 1991 requires.. to uphold its validity..to be read, interpreted and understood as intending a distinction between backward and most backward classes on the basis of degrees of social backwardness and a rational and equitable distribution of the benefits of the reservations amongst them. To be valid, the said clause will have to be read, understood and implemented accordingly."

यह स्पष्ट आदेश है भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय की तरफ से। किन्तु, कल्याण मंत्रालय ने इसे विलक्षणता से देखा नहीं है। सरकार ने 10 सितम्बर 1993 को जो अधिसूचना जारी की है, उसमें इन वर्गों को संरक्षण देने की बात नहीं कही गयी है। सरकार को भी 6 महीने के भीतर परिभाषित कर देना था क्रीमीलेयर, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा में। चूँकि, भारत सरकार ने इसे अभी तक परिभाषित नहीं किया है। अतः हम निवेदन करना चाहेंगे कि भारत सरकार इसे परिभाषित करे।

दूसरा, क्रीमीलेयर की जो परिभाषा अभी बिहार सरकार ने की है, उसमें भारत सरकार की स्पिरिट, मंडल आयोग की अनुशंसाओं की स्पिरिट और उच्चतम न्यायालय के आदेश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है। उन्होंने क्रीमीलेयर को इन रूप में परिभाषित किया है, जिसकी आमदनी 10 लाख से ज्यादा हो और जिसकी सम्पत्ति 20 लाख से ज्यादा हो और ऐसे प्रथम श्रेणी के ऑफिसर जिनकी पत्नी भी ग्रेजुएट हो, वही क्रीमीलेयर में आयेगा। मंडल आयोग के मापदंड से, डा- अम्बेदकर के मापदंड से, उच्चतम न्यायालय के मापदंड से वो कभी पिछड़ा नहीं हो सकता है जिसकी आमदनी दस लाख है और जिसके पास सम्पत्ति बीस लाख की है। दूसरी शर्त प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी पर लगायी है। अगर उनकी बीबी भी ग्रेजुएट हो तो वे पिछड़ी श्रेणी में नहीं माने जा सकते हैं। इसका असर क्या पड़ेगा कि कोई भी प्रथम वर्ग का ऑफिसर किसी ग्रेजुएट महिला से शादी नहीं करना चाहेगा या कोई भी मां-बाप अपनी बेटी को ग्रेजुएट नहीं करना चाहेगा। अगर वह ग्रेजुएट हो जायेगी तो आरक्षण से उसके बेटे-बेटियां वंचित हो जायेंगी। ऐसा प्रतिगामी निर्णय बिहार सरकार ने लिया है और सारे आरक्षण के उद्देश्य को उन्होंने प्रतिगामी कर दिया है और वह केवल इसलिये किया है कि मध्यवर्गीय पिछड़े वर्गों में जो सुखी-सम्पन्न हैं, जिनका वर्चस्व राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है, उनके समर्थन से वे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए बिहार सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के आदेश के विरुद्ध फैसला लिया है भारत सरकार इसे गंभीरता से ले। हम निवेदन करना चाहेंगे कि क्रीमीलेयर, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को आप एक राष्ट्रीय मापदंड बनाकर सभी

राज्यों को दीजिये। पहले तो भिन्न-भिन्न राज्यों को अलग-अलग अनुशंसा देने का हक दीजिये, फिर आप अपने यहाँ से परिभाषित करिये, तभी जो इन आरक्षण का स्पिरिट है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो इन विवाद का हल निकाला गया कल्याण मंत्री की जो इस बारे में भूमिका रही वह पूरी हो पायेगी अन्यथा, बिहार पिछड़े राज्य के पैमाने पर पीछे चला जायेगा। बिहार सरकार ने जो क्रीमीलेयर की परिभाषा की है उसे तत्काल उच्चतम न्यायालय की पृष्ठभूमि में रद्द कराने के लिये हमारे कल्याण मंत्री जी पहल करें।

दल-बदल नियम पर चर्चा

(बिहार विधान सभा-22 नवम्बर, 1990)

यह बहुत ही संवैधानिक मामला है। 52वाँ संविधान संशोधन पास होने के बाद जो नियम स्वीकृत किये गए, इस नियम के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि 52वाँ संविधान कानून लागू होगा। लोकसभा ने वह नियम बनाया था उसी के आधार पर यह नियम बनाया और नियम को सदन के पटल पर रखा गया, फिर उसी आधार पर नियम लागू है।

नियम के अन्तर्गत जिस किसी सदस्य के ऊपर उस अधिनियम के अन्तर्गत कोई मामला चलेगा उनसे पहले पूछा जाएगा पूरी तरह से उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद ही किसी की अयोग्यता साबित होगी। उस अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने के संबंध में दूसरा मुद्दा भी बनता है। उस अधिनियम को लागू करने के बाद प्रक्रियाएँ हैं स्वतंत्र होने की, अन-अटैच होने की, ग्रुप बनाने की। चूँकि 52वाँ संशोधन कानून के पहले संविधान में किसी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता नहीं थी। संविधान को पूरा देखा जाए। किसी राजनीतिक पार्टी की न मान्यता न चर्चाएँ हैं और न उसकी कार्यवाहियों से सदन का कोई संबंध है, इन सब की कोई चर्चाएँ हैं।

कौल एण्ड शकधर में विस्तृत रूप में व्याख्या की गयी है, अन-अटैच्ड मेम्बर के बारे में, दल से संबंध विच्छेद करने के बारे में, लेकिन यह उस समय की है जब 52वाँ संविधान संशोधन स्वीकृत नहीं हुआ था। लेकिन जब से स्वाभाविक रूप में राज्य में पार्टी की मान्यता दी गयी हैं, सचिवालय में सदस्यों की सूची दल के आधार पर मेन्टेन की जाती है और हर दल के नेता से, सचेतक के माध्यम से समय-समय पर उस सूची को पुनर्जीवित कराना पड़ता है कि ये माननीय सदस्य है। समाचार पत्रों को मैंने देखा कि पहले जो अध्यक्ष के ओर से वक्तव्य दिया गया था कि श्री एस.आर.बोम्मई के पत्र के आधार पर यहाँ के सदस्यों को असंबद्ध घोषित किया था तो क्या वह भारतीय संविधान के अन्तर्गत कोई राजनीतिक पार्टी के कार्रवाई की मान्यता नहीं दी गयी है कि सदन से बाहर वे क्या कर रहे हैं माननीय उसकी कोई सूचना यह सदन ग्रहण करना नहीं चाहता है।

52वाँ संविधान में यह स्पष्ट है कि चहारदीवारी यानी सदन के भीतर, सदन के बाहर कमरे में कोई क्या

कर रहा है, वह विषयवस्तु अध्यक्ष और सदन का नहीं बनता है। चूँकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है चहारदीवारी के बाहर आचरण करने के लिए। यहाँ स्वेच्छा से सदन का परित्याग करेगा या अपने दल व्हिप का उल्लंघन करेगा तभी वह इसके प्रॉविजन उल्लंघन करता है। इसलिये आपने जो किया है वह किस आधार पर किया है इसको स्पष्ट करना चाहिए। जब आपको एक बार किसी को असम्बद्ध कर दिया तो फिर उसको आप कैसे दल के साथ जोड़ सकते हैं अगर पहला नहीं तो दूसरी बार उसके लिए वह डिफेक्शन लॉ एफेक्ट करता है वे माननीय सदस्य अयोग्य साबित हो जाएँगे। अगर संविधान लागू है तो दोनों आदमी अयोग्य साबित होंगे ही। इसलिए यह जो स्थिति बन गयी है, उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं।

राजद के विश्वास मत के प्रस्ताव पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने जो विश्वास का प्रस्ताव उपस्थापित किया है पूरे सदन की ओर से, माननीय सदस्यों के विवेक के आधार पर उसका विरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री ने जो हालात पैदा की है, जो परिस्थिति पैदा की है, उसके संदर्भ में उन्हें विश्वास का मत मिलना नहीं चाहिए। पहले भी मैंने कहा था, यह पूर्ण रूप से राजनीति से, गुटबंदी से प्रेरित प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया गया है। कोई वैधानिक, कोई सैद्धांतिक प्रस्ताव इस सदन के सामने नहीं है। मैंने आपत्ति कि की राज्यपाल के समक्ष कोई ऐसी हालात नहीं हुई थी जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री को विश्वास का प्रस्ताव पेश करना चाहिए। मैंने यह निवेदन किया था राज्यपाल जी से कि लोकसभा में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, विश्वास का प्रस्ताव हुआ है वह राष्ट्रपति और वहाँ के राज्यपाल के आदेश पर हुआ है। बिहार के राज्यपाल का ऐसा कोई आदेश नहीं था, ये केवल राजनीतिक खेल खेलना चाहते हैं। ये जनता दल के विभाजन को कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहते है। आप कुछ क्षण तो रोक सकते हैं, लेकिन जहाँ सैद्धांतिक मतभेद हो जाता है वहाँ बनावटी ढंग से एकता बनाकर नहीं रखा जा सकता है। जनता दल का राष्ट्रीय विभाजन हुआ है। उसी आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में जनता दल का विभाजन हो रहा है। आज नहीं तो कल बिहार में भी यह विभाजन होनेवाला है, आप की सरकार रहने वाली नहीं है। भले ही सदन में विश्वास मत प्राप्त करने में आज आप सफल हो जाएँ, लेकिन चन्द दिनो बाद ही आपको असलियत मालूम पड़ेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल का विभाजन किस परिस्थिति में हुआ? विभाजन नीतियों के आधार पर, विचारों के टकराव के आधार पर हुआ। मैं ध्यानपूर्वक मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, वे धर्मनिरेपक्षता, सामाजिक न्याय की बात कह रहे थे और जनता दल के विभाजन का कानून बता रहे है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लिया, सामाजिक न्याय का पक्ष लिया, जिसकी कीमत चुकानी पड़ी है।

यह भ्रम, गलतफहमी राज्य में फैलायी जा रही है। 11 तारीख तक श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाते रहे। यहाँ पर श्री लालू प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से शासन चलाते रहे। लोकसभा के चुनाव के दिनों में, विधान सभा के चुनाव के दिनों में सीटों का बँटवारा भारतीय जनता पार्टी के साथ किया गया और घोषणा हुई थी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम सरकार नहीं बनायेंगे, लेकिन उनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की मदद से। पिछले 11 महीने के भीतर जो मूल समस्या थी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का, उसके समाधान के बारे में क्या प्रभावकारी कदम उठाया गया? 8 महीनों का समर्थन विश्वनाथ प्रताप सिंह की ने सरकार विश्व हिन्दू परिषद् और बी.जे.पी. से लिया था, उसके बाद क्या हुआ? पिछले आठ महीने में क्या हुआ बिहार में? श्री लालू प्रसाद, मुख्यमंत्री की तरफ से 29 सितम्बर 1989 को हुये समझौते का बार-बार जिक्र हुआ अखबारों के विज्ञापन के पृष्ठ में छपता रहा जो समझौता हुआ था विश्व हिन्दू परिषद् के साथ रामजन्म भूमि मन्दिर के शिलान्यास के संबंध में। बिहार की जनता जरूर जानना चाहेगी कि पिछले 11 महीनों के अन्तर्गत विश्व हिन्दू परिषद् सही नहीं था तो इस समझौते को अखबार में क्यों छपवाया जा रहा था। उस विज्ञापन के सहारे क्यों प्रचार किया जा रहा था, जब वह मान्य नहीं था। बिहार सरकार लाखो-लाख रुपये उस समझौते के प्रचार में विज्ञापन पर क्यों खर्च किया? यहाँ पर यह सवाल खड़ा हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो समझौता हुआ,आप आठ महीने तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की? दूसरी बात कि उस पर अमल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई?

श्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ जो उनकी बातचीत होती रही, उसके संबंध में या फिर जब विश्व हिन्दू परिषद् ने, श्री आडवाणी ने मन्दिर के कारसेवा के लिए 30 अक्टूबर 1990 निर्धारित कर दिया, उनकी तरफ से घोषणा कर दी गयी कि सोमनाथ से रथ यात्र शुरू करेंगे, फिर भी आप श्री आडवाणी की दुहाई देते रहे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरफ से एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव से यह बार-बार कहा जा रहा था कि कोर्ट के फैसले के अन्तर्गत यथा स्थिति बनाये रखेंगे। एक तरफ श्री आडवाणी कहते रहे कि कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हम वहाँ पर कार सेवा शुरू करेंगे, मन्दिर का निमार्ण करेंगे, इस तरह की काम करने की इजाजत किसने दी? सोमनाथ से रथयात्र प्रारंभ हुई। रथयात्र धनबाद से यहाँ पर शुरू हुई और रथयात्र समस्तीपुर भी पहुँचेगी, ऐसी घोषणा की गयी थी। रथयात्र प्रारंभ करने की इजाजत दी? मै कहना चाहता हूँ कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह श्री आडवाणी जी के समझौते को चलाते रहे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बी.जे.पी. के साथ चल रहे थे। लोकसभा में श्री आडवाणी ने अपने भाषण के दौर में क्या कहा था? वहाँ पर मस्जिद नहीं है, उस समय लोकसभा मे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उपस्थित थे लेकिन उनसे यह इन्कार नहीं किया जा सका। बी.जे.पी. के

साथ आपका सिक्रेट मेल था। इस देश की जनता को आपको यह स्पष्ट कहना होगा कि बी.जे.पी. के साथ आपका क्या समझौता हुआ था? श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एकाएक सेकुलर हो गए, धर्मनिरपेक्ष हो गए। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बी.जे.पी. के साथ शासन करते रहे। प्रारंभ में बी.जे.पी. आपके दृष्टि में साम्प्रदायिक पार्टी नहीं थी लेकिन वामपंथी पार्टी ने कहा कि श्री आडवाणी को गिरफ्तार नहीं किया गया, रथ यात्र नहीं रोकी गयी, तो हमलोग समर्थन नहीं करेंगे। तब आपने श्री आडवाणी जी को गिरफ्तार किया। वामपंथी दल के नेता श्री हर किशन सिंह सुरजीत के लेख को मैंने पढ़ा, उसमे स्पष्ट रूप से कहा गया कि श्री आडवाणी के रथ यात्र को नहीं रोका गया, कार सेवा नहीं रोका गया, तो वामपंथी दल अपना समर्थन वापस ले लेगी। इसलिए आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसके अधीन रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद सरकार के अधीन चला गया, लेकिन फिर उस ऑर्डिनेंस को बाद मे आपने वापस ले लिया। इस आर्डिनेंस के जरिये कोर्ट में जो मामला था, समाप्त हो जाता। सारी संपत्ति सरकार के अधीन चली गयी, कोई टाईटिल सूट नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लिया। आप बी.जे.पी. के साथ शासन चलाते रहे।

सवाल इस बात का है कि श्री वी.पी.सिंह 11 महीने तक जिस गद्दी से खेलते रहे उससे श्री मुलायम सिंह यादव ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जिस परिस्थिति के कारण जनता दल का विभाजन हुआ है वह इन राजनीतिक कारणों से हुआ है। सेकुलरिज्म के साथ मजाक करने की कोशिश की गयी, सैद्धांतिक आधार ठीक नहीं था इसके कारण जनता दल में विभाजन हुआ और एक ऐसी परिस्थिति देश की बनी तो श्री वी.पी. सिंह को हटाने के लिए भूमिका बनानी पड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की अखंडता और एकता के लिए और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए यह फैसला लिया कि हम भी चन्द्रशेखर को समर्थन करेंगे। देश की एकता अखंडता और धर्म निरपेक्षता की रक्षा के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वह चुकायेंगे।

श्री लालू प्रसाद यादव को याद करना चाहिए कि जब राष्ट्रीय एकता की सब कमिटी की बैठक दिल्ली में थी और समर्थन का प्रस्ताव निकल रहा था अगर उस समय श्री वी.पी.सिंह की नीयत ठीक रहती तो आज ऐसी हालत नहीं होती लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं होने के कारण ऐसी बात हुई। उस बैठक में लालकृष्ण आडवाणी भी थे। उसमें समझौता का प्रस्ताव जो निकला था उससे सारे देश को मालूम कराना था लेकिन श्री वी.पी.सिंह उस सहमति के प्रस्ताव पर नहीं आये। इस तरह जानबूझकर विवाद को खड़ा किया गया और विवाद की आड़ में ऐसा करना ठीक नहीं था। ऐसे असैद्धांतिक तथा असंवैधानिक मामले के साथ काम करने से ही हमारे देश की यह हालत हुई। जो हालात देश में बनी है उसमें जनता दल को विकल्प नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया कि इस तरह लोकसभा का चुनाव देशहित में ठीक नहीं होगा। चुनाव पर अरबो-अरब रुपये खर्च होगा। इसी कारण से कांग्रेस

संगठन ने ऐसा निर्णय लिया। लेकिन, आज जो हालात इस प्रदेश की बनी है उसके बारे में गहन चिन्ता करने की आवश्यकता है। आज उन आँकड़ों को रखना चाहता हूँ जिससे पता चलेगा कि बिहार एक असाधारण स्थिति से गुजर रहा है, विधि-व्यवस्था इस प्रकार से बिगड़ गई है कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। जो सरकारी दस्तावेज और सरकारी आँकड़े है उसका थोड़ा सा जिक्र हम आपके सामने कर देना चाहते है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में जो प्रावधान है उसे यहाँ की सरकार लागू करने में बिल्कुल अक्षम हो रही है, विफल हो रही है। इस तरह लालू प्रसाद की सरकार को समर्थन नहीं देना चाहिए। यहाँ की स्थिति बिल्कुल खराब हो गयी है। जो हालात हमारी इस राज्य की हुई है, उसको आप देखेंगे तो पायेंगे कि लगभग साढ़े तीन हजार लोगों का कत्ल हो गया है और इनके शासन में आने के बाद मार्च, 90 में 350 अप्रैल, मई में 554, जून में 367, जुलाई में 367, अगस्त में 387, और सितम्बर माह में 387 कत्ल हुये हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि विभिन्न अपराधों में वृद्धि हुई है। 1990 में इसी तरह से संज्ञेय अपराध में 1989 की तुलना में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हत्या में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लूट में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चोरी में 8.5 प्रतिशत, राहजनी में 2.8 प्रतिशत तथा अपहरण के 1700 मामले हुए हैं। जिसमें हजारों, करोड़ो रुपये की फिरौती की माँग की गयी है। अपराधों के नियंत्रण के मामले में लालू प्रसाद जी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इस तरह 1990 के हर महीनें में विधि व्यवस्था चौपट होती गयी है। इसलिए हमने जो आरोप लगाया है वह सही है।

आरक्षण एवं मंडल आयोग के समर्थन पर वाद-विवाद

आरक्षण के सवाल पर कहना चाहता हूँ कि राँची में एक महीने तक साम्प्रदायिक दंगा चलता रहा, गिरिडीह और धनबाद में भी चलता रहा तथा पटना में भी चलता रहा। भागलपुर में मुसलमान मारे गए, हिन्दू मारे गए और उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी। इन साम्प्रदायिक दंगों के बारे में लालू प्रसाद की सरकार ने कहा था, फैसला किया था कि साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जिम्मेदारी एस.पी. और डी.एम. पर होगी और जहाँ भी इस तरह के दंगे होंगे तो उनपर सख्त कार्रवाई की जायेगी। लेकिन इनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने अपने फैसले को अमल में नहीं किया।

भागलपुर में पुनर्वास की योजना 10 करोड़ 47 लाख की बनी थी और उसी योजना के कार्यान्वयन में पूरे 7 महीनों का समय लग गया है। इतनी राशि देने के बाद साढ़े पाँच करोड़ रुपये की स्कीम वहाँ के जिला कलक्टर ने सरकार के पास भेजा, लेकिन वह स्कीम अभी तक मंजूर नहीं हुई है। इसलिये स्थिति जो उन लोगों की थी वही अभी भी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है। जो चालीस हजार परिवार विस्थापित हुये थे, उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। जिन लोगों की

ज़मीन हड़पी गयी थी, सम्प्रदायिक दंगे के इलाके में उन लोगों की ज़मीन वापस नहीं हुई है। इसलिए केवल ये कहना कि बिहार के अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाहते हैं, साम्प्रदायिकता को रोकना चाहते हैं सही नहीं है, क्योंकि जो काम पिछले दिनों हुये हैं उससे इन भावनाओं की सम्पूष्टि नहीं हो सकी, सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में यहाँ और सदन के बाहर जो चर्चाएँ हुई उसके अनुरूप आपको काम करना चाहिए। पटना सिटी में जो दंगे हुये, उसे सरकारी आँकड़े में बताया गया की 10 लोगों की जानें गई है, लेकिन वहाँ पर 25 लोग मारे गए हैं। 80 लाख रुपये की सम्पत्ति की बरबादी हुई है। 8 मस्जिदें बरबाद हुई है, लेकिन अभी तक उनकी मरम्मत कराने की बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भागलपुर मे 4 मजारों को हिन्दुओं ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर हनुमान जी और गणेश जी की मूर्त्ति रख दी गई है और आपका प्रशासन इन्हें खाली नहीं करा रहा हैं। वहाँ दंगे हुए थे, 8 महीने का समय बीत गया और आप उन चार मजारो को खाली नहीं करा सके। इसलिए आपके चर्चा और आपके ऐलान से जो कुछ हो रहा है, इन मामलो में वे निरर्थक है, बेकार है, इसका कोई सार्थक रूप नहीं दिखता है।

आज जो हालात इस प्रदेश में बने है, आरक्षण के मामले को लेकर और बड़े जोर से लालू जी इसकी चर्चा करते हैं, रेडियों पर इनका बयान, अखबारों में बयान और टी.वी. पर बयान देते हैं कि यह सब जगन्नाथ मिश्र ही कर रहे है। जगन्नाथ मिश्र बहुत आरक्षण के विरोधी है, इनके वक्तव्य से जितना सम्भव हो सकता था, दूर्भावना से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित, वैसा वक्तव्य वे समय-समय पर देते रहे। लेकिन आपको मालूम होगा और हमारे जो पुराने साथी हैं, उन्हें भी मालूम होगा कि जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन की अनुशंसा लागू करने का फैसला किया था। उस समय भी मैं विरोधी दल का नेता था। कर्पूरी जी ने जो ऐलान किया था उसका मैंने तहे दिल से स्वागत किया था और समर्थन किया था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण के हम पक्षधर हैं या आरक्षण के विरोधी हैं, इस संबंध में हम बिहार सरकार का चार सर्कुलर लेते आये हैं और वह मैं लालू जी को दूंगा। यह सर्कुलर 2 दिसम्बर, 1980 के हैं। एक बात और जो काफी महत्वपूर्ण है कि, कर्पूरी जी ने जो आरक्षण दिया और इन्होंने जो गलत घोषणा किया है और गलत फैसला कैबिनेट का लिया है, उस चिट्ठी को मैं ले आया हूँ कि जो मेरिट में आयेंगे उनकी गिनती आरक्षण कोटा में नहीं होगा, वह फैसला इनका नहीं है, यह आज का फैसला नहीं है, हम सभी सर्कुलर लेते आये है। सरकारी सेवा में सभी संस्थाओं में नियुक्ति के लिये टेस्ट में एक साथ योग्यता के आधार पर चयन किये गए पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद आरक्षित पदों पर आरक्षण के अनुसार नियुक्ति की जाए। यह हमारी अधिसूचना 5 जून, 1981 की है जो कर्पूरी ठाकुर की अनुशंसा कार्यान्वयन में मेरिट वालों की भी

गिनती आरक्षण कोटा में हो रही थी। इस निर्णय को हमने संशोधन किया इसलिये हमारी प्रतिबद्धता आरक्षण के मामले में रही है। 24 दिसम्बर का एक संकल्प है, उसी संकल्प में ऐसा निर्णय लिया गया था, यह आपका नहीं है। जो कर्पूरी जी ने फैसला किया था, कार्यान्वयन के संबंध में, उसका एक पाराग्राफ मैं पढ़ना चाहता हूँ। सरकार द्वारा सरकारी निकायों, सरकारी प्रतिष्ठानों की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वांछित प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण में प्रावधान कई दशकों से लागू है। समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अलावा विशेष एजेंसी से और हरिजन आदिवासी आयुक्त से जो संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, इसकी समीक्षा की जाती रही है। इन समीक्षा के फलस्वरूप नौकरियों में इनके प्रतिनिधित्व संबधी जो बातें उभर कर सामने आईं हैं, ये उत्साहवर्द्धक नहीं है। इसलिये वस्तुतः आरक्षण लागू होने के बावजूद सरकारी या सरकारी संस्थाओं की नौकरियों में हरिजन आदिवासी का निर्धारित प्रतिशत पूरा नहीं हो पाया है। इसी के दूसरे पाराग्राफ में है कि आरक्षण नीति के कारगर कार्यान्वयन मानिटेरिंग विभागों में, संबंध एजेंसियों में वांछित समन्वय और कार्यक्रम के प्रति उदासीनता, शिथिलता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को तत्काल अनुशासित करने, कार्यान्वयन के क्रम में उनकी कठिनाई को तत्परता-पूर्वक अविलम्ब निराकरण हेतु, आवश्यक निर्णय लेने हेतु, आवश्यक मार्ग-दर्शन हेतु, हर विभाग में विधायकों की एक कमिटी बनायी जायेगी, इसके साथ उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो हरिजन-आदिवासी का पुराना कोटा है, उसके लिये विशेष कार्रवाई की जायेगी। पिछड़ी जाति या दूसरे जातियों के लिये आरक्षण का जो कोटा है, उसको जो पदाधिकारी पूरा नहीं करते है, उनकी जिम्मेदारी मानी जायेगी और तत्काल उन्हें निलम्बित किया जायेगा और सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जायेगी। इतना सख्त प्रावधान उस जमाने में किया गया था। इसलिये आरक्षण के विवाद को अनावश्यक तूल देने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मंडल कमीशन का सवाल है, मुख्यमंत्री जी यह बात जान लीजिये कि देश में पहला राज्य बिहार था, जहाँ अप्रैल 1983 में हमारे मंत्रिपरिषद् ने फैसला लिया था कि केन्द्र सरकार मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के संबंध में कार्रवाई करेगी और यह हमारी मंत्रिपरिषद् का ही फैसला था। इसलिये इसमें कोई मतभेद नहीं है।

एक बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि किसी विषय पर जैसी सोच आपकी होगी, वही सोच दूसरे की नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति के सोच में अन्तर होता है। आपकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है और इस मामले को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक उसूल सैद्धांतिक या आरक्षण का सवाल है, कांग्रेस पार्टी इसके लिये प्रतिबद्ध रही है। कांग्रेस पार्टी ने दूसरे राज्यों में इसे लागू किया। कर्नाटक में आन्ध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में जो 15 प्रतिशत आरक्षण था, वह कांग्रेस शासन में ही किया गया था। जहाँ तक मंडल आयोग की अनुशंसा का सवाल है, किस बात पर विरोध है।

कांग्रेस पार्टी ने 30 अगस्त के अपनी कार्यकारिणी के प्रस्ताव में तथा 14 सितम्बर के अपनी कार्यकारिणी के प्रस्ताव में मंडल कमिशन का विरोध नहीं किया। इतनी बात जरूर कही कि मंडल आयोग की अनुशंसा को टोटलिटी में नहीं लेना चाहिए, रेकमेन्डेशन को आपने पढ़ा होगा, उसमें केवल एक रेकमेंडेशन है जिसमें नौकरी देने का प्रावधान है, उसीको चुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यह स्पष्ट राय रही कि श्री वी.पी.सिंह की सरकार की मंशा मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू कराकर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करना नहीं है, इससे केवल राजनीतिक तूफान पैदा करना चाहते हैं। एक जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं।

अगर उनकी मंशा ईमानदारी की थी तो टोटल रिकमेंडेशन्स को स्वीकार करने से किसने रोका? यह बात सही है कि देवी लाल जी की 9 तारीख को जो रैली होने वाली थी, देवीलाल को बर्खास्त किया गया था, जल्दी-जल्दी में कोई समीक्षा नहीं हुई थी, सेक्रेटरी लेवल की कमिटी बनी हुई थी, देवीलाल की अध्यक्षता में कमिटी बनी थी, उन कमिटीयों की कोई रिकमेंडेशन्स नहीं आया था सरकार के सामने । उनके साथियों की राय थी कि इसे स्वीकार कर लेने से देवी लाल की रैली विपफ़ल हो जायेगा, इसको बहुत जल्दी में कर लिया जाए।

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राजनीति से प्रेरित है रिकोमेन्डेशन। ये रिकोमेन्डेशन शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को सामाजिक रूप से न्याय देने वाला नहीं है, इससे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलने वाला नहीं है,वित्तीय मदद नहीं दी जाती है तकनीकी संस्थान में आरक्षण नहीं दी जाती है, केवल सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत का आरक्षण देने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी ने कही, कांग्रेस को कोई अपना आधार नहीं था, उसी मंडल कमीशन में एक श्री एल.पी.नायक, शिड्यूल कास्ट के मेम्बर थे, उन्होंने 'नोट ऑफ डिसेंट' दिया। कांग्रेस ने भी उनके 'नोट ऑफ डिसेंट' पर विचार किया। उन्होंने लिखा कि कमीशन के सामने सारे मामले पेश किये, लेकिन हमारे 'नोट ऑफ डिसेंट' पर विचार नहीं किया गया। श्री नायक ने कहा है कि पिछड़ी जाति के लोग दो तरह के हैं। एक इंटरमिडियेट बैकवर्ड क्लास और दूसरा डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास। वे 'नोट ऑफ डिसेंट' में कहते है मंडल कमीशन के जो इंटग्रल पार्ट हैं, उस पार्ट में नायक ने कहा है कि इंटरमिडियेट बैकवर्ड क्लास जो है इस देश में, वे डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास पर हावी है। डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग है, उनकी अवस्था हरिजन एवं आदिवासी से अच्छी नहीं है और इनका (इंटरमिडियेट कलास) राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक दबाव भी रहा है जिसके कारण डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास के लोग तंग और तबाह होते रहे हैं, और आज भी डिप्रेस्ड बैकवार्ड क्लास पर ज्यादती जारी है। उन्होंने (श्री नायक) 'नोट ऑफ डिसेंट' में कहा है कि 27 प्रतिशत में 15 प्रतिशत डिप्रेस्ड क्लास को आरक्षण देना चाहिए। कांग्रेस ने भी सही कहा है कि जिस तरह से एल.पी.नायक ने लम्बे वर्ग की चर्चा की है

मंडल कमीशन की अनुसूची को आपने देखा होगा, हर राज्य के बारे में लिस्ट दिया है, जिसकी मंडल कमीशन ने स्वयं मंजूरी दी है, पंजीकृत की है। मंडल कमीशन ने एक लम्बा दस्तावेज बनाया है। सभी राज्यों के बारे में, इस पर मंडल कमीशन को सोचना चाहिए था? श्री एल.पी.नायक के नोट ऑफ डिसेंट पर गौर नहीं करना चाहिए था? सरसरी तौर पर वगैर रिकोमेंडेशन में कोई आर्गूमेंट दिये हुये डिप्रेस्ड बैकवार्ड क्लास के हितों को गौन कर दिया गया। इसलिये कांग्रेस ने कहा है कि यदि हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो के लोगों को मदद करना चाहते हैं तो, इतनी बड़ी सूची जो बनी हुई है डिप्रेस्ड बैकवार्ड क्लास कि उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो, इंटरमीडियेट बैकवार्ड क्लास द्वारा डिप्रेस्ड बैकवार्ड क्लास को उठाने का मौका नहीं मिलेगा। डिप्रेस्ड बैकवार्ड क्लास डिप्रेस्ड ही बने रहेंगे, उनको उठाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिये कांग्रेस ने कहा है, हमने भी कहा है, कि आप इनकम का सिलिंग लगाइये। कर्पूरी ठाकुर जी का जो फॉर्मूला था, 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, इसलिये मंजूर किया गया था। कर्पूरी ठाकुर जी की विशेषता थी कि वे सर-ज़मीन के आदमी थे, समाज की बनावट थी ऐसी, इसलिये कर्पूरी जी ने कहा था कि बैकवार्ड क्लास में दो वर्ग है एक एनेक्सर-वन के लिये, इनके लिये 12 प्रतिशत जगह बनाई थी और दूसरा एनेक्सर-टू के लिये, इनके लिये 8 प्रतिशत का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर मानते थे कि समाज में जिस तबके को मौका नहीं मिला है, जिनके बच्चे को मौका नहीं मिला है, जो परिवार आर्थिक रूप से सम्पन्न हो गए हैं, घर में 3-4 सरकारी ऑफिसर बन गए हैं, बड़े-बड़े राजनेता बन गए। वे लोग आज भी इस केटेगरी का लाभ लेने लगेंगे तो नीचे वाले को लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी उनकी राय थी। इसलिये उन्होंने इन्कम सिलिंग लगाया था। बैकवार्ड जाति में जो मोस्ट डिजर्विंग लोग थे, गरीब लोग थे, उनके बच्चे को ऐसा करने से मौका मिलेगा। हम जानना चाहते थे कि इसमें क्या त्रुटि है, कांग्रेस कहती है कि आरक्षण दो लेकिन मोस्ट डिजर्विंग लोगों को दो। उनको आरक्षण मत दो जो संपन्न हो गए है जो मजबूत हो गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने सारे राज्य में एक आन्दोलन पैदा करने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी और जगन्नाथ मिश्र आरक्षण के खिलाफ है। हम समझते है कि यह हमारे विचारों के साथ घोर अन्याय है।

इसलिये हम निवेदन कर रहे थे जो समय-समय पर हमने जिक्र किया जिसके बारे में मा. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को हमने तार दिया भेजा है, जिसमे तमाम बातों का उल्लेख है। हमने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में एक नेशनल कंसेंट बननी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों पर विचार किया जाए, अल्पसंख्यक जाति पर विचार किया जाए। कांग्रेस तो इस बात को बराबर कहती आयी है कि धनी और खुशहाली जो पिछड़ी जाति में हैं उनलोगों के बीच इस आरक्षण का लाभ न चला जाए। जो डिजर्विंग लोग हैं, उन्हीं को आरक्षण

मिलनी चाहिए। आरक्षण का विरोध न तो कांग्रेस ने ही किया है और न मैंने ही कभी किया है। ऐसा ही सवाल है कि मंडल आयोग में उनको शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अनेक अनुशंसाएँ की थी तो उन अनुशंसाओं को क्यों नहीं मंजूर किया?

अगर आपमें सिनसियरिटी होती, आपकी प्रतिबद्धता होती, ईमानदारी होती, तो आप एक लाईन में कहते कि मंडल कमीशन सामाजिक-शैक्षणिक लोगों के उत्थान के लिए जो अनुशंसाएँ है, उन सभी अनुशंसाओं को हम मंजूर करते है और उन अनुशंसाओं को लागू करेंगे। आपने नहीं किया, आपने केवल राजनीति की है। जो राजनीति आपने की है, वह हम बताते हैं। आपने राजनीति की देवीलाल से लड़ने के लिये, आपने राजनीति की जातीय उन्माद तथा जातीय आधार बनाने के लिए।

यह मामला बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस की नीति स्पष्ट रही है, कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने मंडल कमीशन का स्वागत किया है। मंडल कमीशन रिर्पोट में मंडल जी ने जो फोरवर्ड में लिखा है, उसमे श्रीमति गाँधी का जिक्र किया कि इंदिरा जी ने हमें सहयोग दिया है। इंदिरा गाँधी की जो चिन्ता, व्यग्रता थी पिछड़े वर्गो के लिए बी.पी.मंडल ने अपने फोरवार्डिंग में उसको मंजूर किया है। इसलिए कांग्रेस की मंशा कभी भी डाउटफुल नहीं रही है। यह बात मानी जानी चाहिए कि ये सब सुझाव संविधान में जो 15 (4) संशोधन हुआ है, वह जवाहर लाल नेहरू जी की प्रेरणा से ही हुआ है, वह ऑरिजिनल संविधान में नहीं था, यह बात समझनी चाहिए। आर्टिकल 340 जिसमे बैकवर्ड कमीशन बनाने का प्रावधान है, उसमें कहा गया है कि बैकवर्ड सोसली क्लास को सबल बनाने के लिए राष्ट्रपति आयोग गठित करेंगे, लेकिन उसकी सिफारिश इसलिए नहीं हुआ था चूँकि, आर्टिकल 15 के तहत कोई फर्क नहीं हो सकता था। इसलिए जवाहर लाल नेहरू के सामने संवैधानिक कठिनाई हो गयी। फिर काका कालेलकर कमीशन बनाने की बात हुई थी। यह उससे पहले हुआ कि संवैधानिक रूप में सरकार अधिकृत हो। इसलिए 15 एमेंडमेंट किया गया। इसलिए कांग्रेस की नीति, प्रतिबद्धता निरंतर समाज के पिछड़े, दबे, कुचले लोगों से प्रेरित रही है। कांग्रेस ने आरक्षण के नाम पर, पिछड़ी जाति के नाम पर, कोई राजनीति करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस की प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के नाम इन सारे चीजों को इस्तेमाल करने की कोशिश में है। लेकिन यह जनता दल की सरकार ने केवल राजनीति के लिये, समाज के विभाजन के लिये, जातीय दंगा-फसाद पैदा करने के लिये यह सारा चीज किया है। इसतरह का आइसोलेशन में सिर्फ एक रिकोमेंडेशन को स्वीकार कर यह सब किया है। इसलिये बिहार के ये हालात हुये हैं। इस संबंध में मुझपर जो आरोप लगाये गए हैं वह सम्पूर्ण मिथ्या, असत्य और राजनीति से प्रेरित, दुर्भावना से प्रेरित है। वह चाहे हमारे सिर पर हो या दल के सिर पर हो। हमारी कांग्रेस की पूरी वचनबद्धता है कि मंडल कमीशन को सही ढंग से लागू किया जाए।

इन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसा को केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मंजूर किया है और उसके दूसरे मुद्दों को छोड़ दिया है। इस रिर्पोट से इन्होंने विसियेट किया है चूँकि, आपने देखा होगा कि बार-बार इनके प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि आर्मी में, सायंस एण्ड टेक्नोलॉजी में यह लागू नहीं होगा, दूसरे जगहों में लागू नहीं होगा, शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होगा, आर्थिक सहायता में यह लागू नहीं होगा। पिछड़ी जाति के लोगों को इतना मूर्ख क्यों समझते हैं। अगर शैक्षणिक स्तर पर मदद नहीं होगी, शैक्षणिक संस्थानों में नहीं जाएँगे कैसे? इसलिये कांग्रेस ने कहा है शैक्षणिक स्तर, आर्थिक मदद के स्तर पर जो मदद करने की अनुशंसा है वह जबतक उनके लिए लागू नहीं होगी तबतक उनकी कोई मदद नहीं होगी, वे मजबूत होकर हिस्सेदारी नहीं ले सकते है। लेकिन समाज के कुछ लोग जिसका मैंने जिक्र किया है, वे इंटरमिडियेट बनकर आरक्षण का पूरा लाभ अपने निहित स्वार्थ में ले लेंगे लेकिन बहुसंख्यक पिछड़ी जाति के लोग उस शैक्षणिक लाभ और आर्थिक लाभ से वंचित रह जाएँगे, उनको यह लाभ नहीं मिलेगा, उनकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में नहीं मिल पायेगी। यह कुछ लोगों द्वारा पिछड़ी जाति के नाम पर आरक्षण लेने की साजिश कही जा सकती है। इसलिये कांग्रेस कहती है कि मंडल आयोग की अनुशंसा जो सामाजिक और आर्थिक रूप में मजबूत करने की है, उसके हम पक्षधर हैं, उनको लागू किया जाना चाहिए। हमारे कांग्रेस पार्टी ने बार-बार चर्चा की है। राजीव गाँधी ने भी चर्चा की है कि पिछड़ी जातियों में जो लोग सुखी हो गए हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो गए है, उनको इससे अलग करना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिहार में विश्वविद्यालयों में, सरकारी बोर्ड, निगमों में, सहकारी संस्थाओं में पहले हरिजन आदिवासियों के लिये आरक्षण नहीं था। देश में कहीं भी शैक्षणिक संस्थानों में हरिजन आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया गया। पहलीबार 1975-76 में जब हम मुख्यमंत्री थे तो एक अध्यादेश जारी किया था जिसके द्वारा बिहार के विश्वद्यािलयों में हरिजनों के लिये, आदिवासियों के लिये, सहकारी संस्थाओं में बोर्ड निगमों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिहार में लागू होने के बाद उसी के बाद यूजीसी ने इसको लागू किया। जब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये यहाँ आर्डिनेंश हो गया और ऐक्ट बन गया तो यू.पी.सी. ने उसको मंगवाया और उसी के आधार पर गाईडलाईन्स सारे देश को दिया गया कि हरिजन आदिवासीयों के लिए विश्वद्यािलय में आरक्षण होना चाहिए, इसलिये जो समाज के दलित तबका है, कमजोर तबका है, पिछड़ा तबका है, उसके बारे में हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है।

आर्थिक योजना के सबंध में चर्चा

पिछले सत्र में मैंने यह आशंका व्यक्त किया था कि 805 करोड़ की वार्षिक योजना आप लागू नहीं कर

सकेंगे। हमने यह भी कहा था कि आपने मुख्य सचिव के माध्यम से एक इनडायरेक्ट निदेश भेजा है, विभागों में कटौती करने के लिये। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में इस बात का खण्डन कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। 1805 करोड़ की वार्षिक योजना हम चलायेंगे। हमने आंशका व्यक्त की थी कि 12 सौ करोड़ से ज्यादा आपको एडीशनल रिर्सोसेज मोबिलाईज करना है तब उन्होंने कहा था कि अभी शुरू नहीं किया गया है, करेंगे। मैंने जो आशंका व्यक्त की थी कि सरकार 1805 करोड़ की योजना नहीं चला सकेगी, वह शत प्रतिशत सही निकला। इन्होंने भी योजना आयोग के समक्ष स्वीकार किया है। योजना आयोग ने एसेसमेंट कर 1553 करोड़ कहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि किस परिस्थिति में 1805 करोड़ की योजना 1553 करोड़ की कर दी गयी?

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है हमने राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम दिया और उसमें कहा कि योजना का जो व्यय प्रतिपादित हुआ वह कम हुआ है। हमने 20 नवम्बर, 90 तक के रिर्पोट को देखने की कोशिश की है। लेकिन सदन में साढ़े सात सौ करोड़ खर्च करने की जानकारी दी जा रही है। जबकि हमारा अंदाज पहले ढाई सौ करोड़ के करीब आया है। जो पैसा खर्च नहीं हुआ, जो पैसा विमुक्त हो गया, जो एडवांस किया गया, उन पैसो को भी सचिवालय द्वारा खर्च में दिखाने की कोशिश हो रही है, मैं जानना चाहूँगा कि एक्चूअल खर्च का हिसाब दें। जो पैसा एडवांस किया गया उसे खर्च में नहीं दिखाया जाए, तब पैसा खर्च हो जायेगा तब हिसाब में आयेगा।

जो हाई पावर कमिटी है उनके हालात आज क्या है? जवाहर रोजगार योजना में जो गरीब गुरबा की योजना है उसकी भी चर्चा करना चाहता हूँ। यह 63 करोड़ की योजना है। अभी 20 नवम्बर, 90 की बात कर रहे हैं। अभी एक महीना दिसम्बर का बाकी है और तीन महीना मार्च तक का समय बाकी है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिये जो स्कीम बना है उसके लिये ये 25 करोड़ 51 लाख रुपये रिलिज कर पाये हैं 63 करोड़ के विरुद्ध में। जवाहर रोजगार योजना में 85 करोड़ 79 लाख रु. का प्रावधान है और अभी तक 33 करोड़ 51 लाख रु. 20 नवम्बर, 90 तक गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार नहीं चल रही है, सरकार का नियत्रंण नहीं है, सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, राज्य में अराजकता नहीं है, तो किस बात के लिये वार्षिक योजना मंजूर किया गया है। पिछले सत्र में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि योजना की प्रायोरिटी चेंज कर दिया गया और ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। मैं कुछ वर्षो का आँकड़ा देना चाहता हूँ। 1980-90, 1990-91 और 1991-92 का आँकड़ा देना चाहता हूँ। कृषि के लिये 6.19 प्रतिशत का प्रावधान हुआ। 1990-91 में कृषि, गाँव के जरिये, खेती के जरिये जो खर्च हुआ वह घटकर 5.90 प्रतिशत हो गया। 1991-92 में थोड़ा बढ़कर 6 प्वायंट कुछ प्रतिशत पर पहुँचा। उसी तरह से ग्रामीण विकास के मद में 1989-90 में 11-26 प्रतिशत प्लान का खर्च था। 1990-91 में घटकर 10.50 हो

गया। 1991-92 का जो प्लान है वह घटकर 9.4 प्रतिशत हो गया। इसलिये रुरल डेवलपमेंट का परसेंटेज, एग्रीकल्चर का परसेंटज का यह हाल रहा। सबसे चिन्ता की बात सिंचाई की होती है। सिंचाई के क्षेत्र में इनकी सारी कोशिशों के बावजूद 26 प्रतिशत से अधिक लैंड की सिंचाई नहीं हो रही है। सिंचाई हेतु बिजली की संकट एवं परेशानी हमारे राज्य में है। आठवीं योजना में सिंचाई और बिजली की प्रायोरिटी और टोटल इन्वेस्टमेंट घटा दिया गया है।

हमारे राज्य में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की अहम समस्या है। इसमें क्या किया गया? 89.90 में टोटल प्लान की पूँजी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिये 24.68 प्रतिशत था जो अभी घटकर 23.79 प्रतिशत कर दिया गया। क्या इससे हमारा बाढ़ नियंत्रण हो गया? क्या हमारे प्रदेश की पूरी भूमि की सिंचाई हो गयी? प्लान का परसेंटेज घटता जा रहा है। अगले साल 1991-92 के प्लान में 24.59 प्रतिशत रखा गया है। इसलिये सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण को इन्होंने प्रायोरिटी न देकर नीचे कर दिया है।

इंडस्ट्रीज मे भी बिहार काफी पीछे है। इसमें 1989-90 में 4.62 प्रतिशत था जो घटकर 4.56 प्रतिशत कर दिया है। सबसे बड़ी बात सोशल कैपिटल के लिये होता है, शिक्षा के लिये होता है, स्वास्थ्य के लिये होता है, ऐसी सेवाओं पर सरकार की प्राथमिकता घट गयी है। 1899-90 में 18.89 प्रतिशत था प्लान का, जो इस साल घटकर 1990-91 में 13.79 प्रतिशत कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने पिछले मार्च के सत्र में जुलाई-अगस्त के सत्र में बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि सारा प्रायोरिटी चेंज कर रहे है। हम गरीबों के लिये काम करने जा रहे हैं, गाँव के विकास पर खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन जो प्लान हमने सुनाया यह सरकारी दस्तावेज है, हमारा नहीं है।

एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूँ कि,साधन रिर्सोसेज जमा करना चाहिए। सबसे दुखद बात मांइससेस के बारे में हमने इस सदन में कहा था। यह मामला काफी गंभीर है। यह सारे सूबे का मामला है। 'सेस' के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया है। सात सौ करोड़ की हमारी आमदनी है। इसी से फाइनेंस चलाना है, शासन चलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हालात पैदा कर दिये हैं उस हालात से आपकी हालात और बिगड़ने वाली है। 519 करोड़ का कमिटमेंट था। 519 करोड़ अगर ये हासिल नहीं करेंगे तो 1553 करोड़ की योजना को नहीं चला सकते हैं। फल क्या होगा। 1553 करोड़ की योजना एक हजार करोड़ से नीचे चली जायेगी। क्या इस राज्य की वित्तीय अवस्था अस्त-व्यस्त नहीं है। आपने इतने दिनों में इस राज्य को विनाश के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। योजना की स्थिति आपके आँकड़े से बनी है, हमारे आंकड़ो से नहीं बनी है।

इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन पानेवाले को आपने 100 रुपये कर दिया है, पूरी प्रक्रिया बदल

दी, पूरी परिभाषा बदल दी। हमने पिछले सत्र में कहा था इसपर पुनर्विचार होना चाहिए, आपने पुनर्विचार किया है ऐसी सूचना मुझे मिली है। लेकिन आपको 183 करोड़ रुपये इसके लिये चाहिए, आपने 50 करोड़ का ही उपबंध किया है। आखिर 183 करोड़ के विरुद्ध आपने केवल 50 करोड़ का ही उपबंध किया है और हुआ क्या है कि जो सर्कुलर जून-जुलाई में चला गया, जून-जुलाई के सर्कुलर के बाद आपका पेमेंट रूक गया है। अब न तो 30 रु. मिल रहे हैं न हमारे समय के 60 रु. मिल रहे हैं और न ही आपके 100 रु. मिल रहे है। 14 लाख लोग इस प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान से वंचित है।

हमारे यहाँ सांकेतिक भत्ता बेरोजगारों को दिया जाता है। हमारी सरकार का फैसला था 100 रु. देने का। खर्च करने के लिये 50 करोड़ की आवश्यकता है, अधिक की तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन इन्होंने मंजूर किया 9 करोड़ रुपये। 50 करोड़ के विरुद्ध 9 करोड़ का आवंटन दिया गया। आप जाँच कर लीजिये कि आपके 9 माह में कहाँ-कहाँ भुगतान हुआ। आज तमाम हालात ऐसे बना दिये हैं जो चिन्ता का विषय है।

बिहार के उद्योगों के स्थिति पर चर्चा

उद्योग के मामले में हमारी हालात इन्होंने बहुत खराब कर दी है। केन्द्र से बिहार सरकार को 10 करोड़ रुपये रीलिज कराके आये थे। नालंदा, खगड़िया, औरंगाबाद, पूर्णिया और भोजपुर यह पाँच सेंटर थे। उनमें 10 करोड़ रुपये भारत सरकार को बिहार सरकार को 10 करोड़ के अलावे देना था। आप पिछले 8 माह में भारत सरकार से और यहाँ से एक पैसा नहीं ले पाये हैं। चूँकि नालांदा में जो ज़मीन अर्जित की गयी थी, खगड़िया में की गयी थी, उसका अतिक्रमण हो गया, आपने कार्रवाई नहीं की और इसलिये भारत सरकार ने रोक लगा दिया। बिहार जो इतना पिछड़ा हुआ सूबा है, जिसको भारत सरकार से सहायता मिलना चाहिए, आपकी कमजोरी, निकेम्मेपन के कारण नहीं मिल पायी। उसके अलावे अशोक पेपर मिल के बारे में, आपको जानकर तकलीफ होगी कि मंत्रिपरिषद् के निकम्मेपन की क्या हालात है? कांग्रेस शासन में अर्डिनेंस गया राष्ट्रपति के पास आसाम सरकार ने इसको टेक ओवर अपने स्तर पर कर लिया है। भारत सरकार ने 7 करोड़ रुपये आसाम को दे दिया और बिहार सरकार को अपने अधीन अधिग्रहण करना है और बिहार सरकार को भी 7 करोड़ का पैकेज मिला है लेकिन 3 माह से वह प्रस्ताव उद्योग विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय में घूम रहा है। जो काम चाहिए था वह काम भी नहीं हो रहा है। अशोक पेपर मिल का काम केवल अधिग्रहण करने का था। आसाम सरकार ने कर लिया। सात करोड़ का भुगतान हो गया। बिहार को भुगतान इसलिये नहीं हो रहा है क्योंकि इनका कार्यालय अत्यन्त ढीला है, काफी कमजार है, इसलिये हमारा काम रूका हुआ है।

कटिहार के जूट मिल के टेक ओवर करने के बारे में, उसे चलाने के बारे में इस सदन में कई बार सवाल हुए कि उसे लीज पर दिया गया था। जो रुग्ण उद्योग हमारे यहाँ पड़े हुये है, उसके बारे में चिन्ता की बात यह है कि छह हजार करोड़ रुपये की नयी इंडस्ट्रीज लगाने की पूरी स्कीम कांग्रेस शासन में बन गयी थी, लेकिन उसमें प्रगति नहीं हुई क्यों? क्या इस सरकार को समय और फुर्सत नहीं है कि सचिका बढ़ाये, विभाग का रिव्यू कर उसको लागू करें? यह सरकार तो लगी हुई है बनावटी कार्यो में। अपने व्यक्तिगत राजनीति के पीछे सारे स्टेट का सत्यनाश कर रहे हैं। हमारा छह हजार करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, वह नहीं हो पाया है, जबकि स्कीमें कांग्रेस शासन में ही बन चुकी थी।

विवरण मैं देता हूँ। टिस्को से 3250 करोड़ का उद्योग, टेल्को से 1100 करोड़ का, मोदी ग्रुप से 112 करोड़ स्पंज आयरण का, 50 करोड़ की लागत से दूसरा खंड बनाने का, ऊषा मार्टिन से 300 करोड़, श्री राम फाईवर्स के सहयोग से 440 करोड़ का उद्योग, जी.सी. बिड़ला के सहयोग से 500 करोड़ की लागत का उद्योग, सिन्हा ग्रुप से कल्याणपुर एवं जपला के आधुनिकीकरण पर 120 करोड़, सांड़े इंडस्ट्रीज की मदद से 100 करोड़ की लागत का इंडस्ट्री, आशीष इंडस्ट्रीज से 200 करोड़ का पोलिस्टर एवं फिलामेंट के उद्योग लगाने का प्रस्ताव था। इन सब प्रस्तावों का क्या हुआ? हरिनगर, मंझौलिया, रीगा, हथुआ, बगहा आदि के द्वारा 68 करोड़ का विस्तार करना था। सभी कंटीन्यूड(जारी) स्कीमें थी, आखिर उनका क्या हुआ? पिछले आठ माह में, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान इन स्कीमस् के क्या हालात हुई? यह जानना चाहेंगे। आपका परफॉरमेंस जीरो हो रहा है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं हमने पिछले सत्र में कहा था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल टैक्सेज डिपार्टमेंट से उद्योग विभाग से सेल्स टैक्स में डिफरमेंट के बारे में फैसला हो गया है, कानून बन गया है। आज आठ महीने हो गए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने कमर्शियल डिपार्टमेंट को भेजा है, इनके पास पड़ा हुआ है।

बिहार की हालात गम्भीर है। बिहार की आठ करोड़ जनता की क्या हालात है? उद्योग कैसे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, इसपर विचार नहीं किया गया तो काम नहीं चलेगा। उद्योग पूरे के पूरे विफल हो चूके हैं और राजस्व की हालात भी बद से बदतर है।

बिहार में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चर्चा

मैं अल्पसंख्यकों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। पिछली सरकार ने विधान सभा में मदरसा के शिक्षकों, अल्पसंख्यकों के शिक्षकों के भुगतान, उर्दू को द्वितीय भाषा देने, साढ़े आठ सौ उर्दू कर्मचारी को बहाल करने और अल्पसंख्यक कॉरपोरेशन को दो करोड़ की सहायता देने के लिये जो घोषणा की गयी थी, इसपर काम नहीं हो रहा है। बिहार जहाँ था, वहीं पड़ा हुआ है। क्या आप अल्पसंख्यकों को

जबानी मदद करना चाहते हैं। यह सीधा सवाल मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। 1037 मदरसा के विरुद्ध जाँच बैठा दी गयी है। उनलोगों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, आखिर क्यों? अल्पसंख्यक शिक्षकों, मदरसा शिक्षकों को महंगाई भत्ता, वेतन, आवास भत्ता नहीं मिल रहा है और अप्रैल माह से अभी तक उनकी कोई मदद नहीं मिल रही है। इसलिये यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। यह धार्मिक परस्त है।

बिहार के प्रशासन पर चर्चा

अब मैं प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमने मेमोरेंडम में कहा है और पहले भी कहा था। पिछले दिनों प्रशासनिक इफिसियेंसी, कार्य कुशलता अच्छी नहीं रही है। पिछले सालों की तुलना में 7 -8 महीने में क्षमता बिगड़ी है। इतनी प्रशासनिक क्षमता पहले कभी नहीं बिगड़ी थी। अभी असाधारण प्रशासनिक स्थिति बनी हुई है। इसका एक ही कारण कि 35 सीनियर ऑफिसर को लॉ एँड आर्डर ड्युटी में पूरे प्रदेश में लगाये गए हैं और सचिवालय का पूरा काम ठप्प है। संचिका का डिसपोजल ठप्प है। यह एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्रशासनिक स्थिति दिन-व-दिन बिगड़ती चली जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि पूर्वग्रह, जातीय विद्वेष और राजनीतिक पदस्थापन 8 महीने से लगातार जारी रहने के वजह से, इनका प्रशासन ढीला हो गया है, कमजोर हो गया है। इनके प्रशासन में पदस्थापन और प्रोन्नति का कोई मापदंड नहीं है। नियमावली में जो प्रावधान है, उसका खुलम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। इसके वजह से तीन चार महीने में ही पदाधिकारी बदल दिये जाते हैं। जो वरीय आई.ए.एस. और आई.पी.एस. ऑफिसर है, उनके साथ भेद-भाव करने की एक परिपाटी इन्होंने कायम की है। जो आई.जी. और कमिश्नर के क्षेत्र हैं, विभागीय सचिव का क्षेत्र है, उसपर मंत्रियों का हस्तक्षेप हो रहा है। उसकी वजह से प्रशासन की हालात बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गयी है और चरमरा गयी है। इसलिये बिहार प्रशासन में, सचिवालय में , प्रमंडल और जिला स्तर पर संचिकाओं का निष्पादन नहीं हो रहा है। सारे प्रदेश को जातीयता के उन्माद में ये ढकेलते चले जा रहे हैं। राजनीतिक नाराजगी पसंदगी को बढ़ाकर माहौल को विषाक्त बना दिया है।

शिक्षा के मामले में पहले पिछले दिनों बड़ी लंबी बातें हुई थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने का था कि हम यूनिवर्सिटी को ठीक करेंगे, कुलपतियों की बहाली करेंगे, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी को ठीक नहीं किया। पढ़ाई नहीं हो रही है, छह महीने से रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं, सोंचे कि क्या हालात हैं आपके छात्र-छात्रओं के? इसलिये आपने जो वित्तीय संकट दूर करने के लिये 141 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय को दिया, उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। जो कुलपति बहाल किये गए, वे मुख्यालयों में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका मुख्यालय पटना हो गया है। जिसके चलते उनका

विश्वविद्यालय पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। इसलिये आपके विश्वविद्यालयों का स्तर दिनोंदिन गिरता चला जा रहा है। इंटरमीडिएट कांउन्सिल के बारे में बातें पिछले सत्र में हुई थीं। अभी तक इंटरमीडिएट कांउन्सिल का पुनर्गठन नहीं हुआ, पिछली परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जाँच नहीं हुई। उसी तरह से मदरसा बोर्ड के बारे में पुनर्गठन की बातें पिछले सत्र में आपने की थी लेकिन, क्या आपने यह पता किया है कि ये कैसे चल रहे हैं। इसप्रकार शिक्षा के क्षेत्र में पूरी अराजकता आपने प्रदेश में कायम कर रखी है।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने विरोधी लोगों के साथ एक द्वेष भाव रखा है। हमने राष्ट्रपति शासन की माँग की थी। संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 में जो मौलिक अधिकार दिये गए है।, उसमें स्टेट पावर एक बहुत शक्ति होती है। इसका इस्तेमाल किसी की सुरक्षा के लिये होना चाहिए । हम विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है सरकार की खामियों को उजागर करना, जनता के सामने तथ्यों को उजागर करना और यह हम करेंगे। हमारी मान्यता है पूरे बिहार के मामले में, कि बिहार का प्रशासन ठीक से और संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने ऐसा राष्ट्रपति महोदय को कहा है और उन्हें मेमोरेंडम दिया है। लेकिन, उसके बाद आप कोई मेरे विरुद्ध कार्रवाई करिये, यह ठीक राजनीतिक परंपरा नहीं है। सत्ता का इस्तेमाल दुश्मनी साधने के लिये किया गया है।

आपको मालूम होगा कि 1986 में श्री बिन्देश्वरी दूबे जी ने एल.एन.मिश्रा इन्स्टीच्यूट का टेकओवर कर लिया गया। सरकार के विरुद्ध अपील की गयी। पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया। बिन्देश्वरी दूबे के स्वायत्ता अधिग्रहण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका के फैसले को आपने एक नागरिक की हैसियत से भी पालन नहीं किया और उसका अधिग्रहण कर लिया, एक ऑर्डिनेंस के जरिये। जबकि बिन्देश्वरी दूबे के स्वायत्ता अधिग्रहण और डायरेक्टर जेनरल का पद समाप्त कर देने के बाद हाईकोर्ट की फुल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फैसले को नजरअंदाज करके आपने अपना अध्यादेश निकाला। डाइरेक्टर जेनरल का पद अवैतनिक है। वह संस्थान पहले भी सरकार का था, अभी भी है। क्योंकि सरकार भारत सरकार का यह सिद्धांत है कि हायर एजुकेशन का इंस्टीच्यूट ऑटोनॉमस होना चाहिए। लेकिन, आपने डाइरेक्टर जनरल को हटाने का काम किया है। यूनिवर्सिटी के तरफ से जो ऑटोनॉमी दी हुई थी, उसे आपने छीन लिया। डाइरेक्टर जेनरल को हटाने का काम किया, जरा उसके प्रावधान को भी सुन लीजिये।

'महानिदेशक का पद समाप्त किया जाता है। किसी न्यायपालिका के निर्णय या किसी अनुसूची में किसी भी संस्था की ओर से, किसी भी व्यक्ति, किसी कागजात द्वारा दिये गए लिखित अनुबंध होते

हुए भी उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा।'

ऐसा भी भला कोई फैसला होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को आप इस तरह से नकार रहे है?

आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, हमने आपके इस कदम का स्वागत किया। लेकिन विजिलेंस विभाग में लगभग 32-34 मामले थे। उन 34 मामलों में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई, उनका मामला कोर्ट में साबित न हो पाने की वजह से सब को बेल हो गयी। लेकिन, एक-एक मामले के चार्जशीट के लिये 5-6 महीने? चार्जशीट इतने दिनों के बाद बनती है? आप जाँच करवाइये, रेड डालिये, अच्छी बात है। लेकिन, उसका फालो ऑप एक्शन होना चाहिए कि नहीं? 14 पशुपालन पदाधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज किये गए हैं। जिन 14 पदाधिकारियों के खिलाफ आपने एफ.आई.आर. दर्ज किये उनको गिरफ्तार नहीं करने का औचित्य क्या है? जिनपर आपने आरोप लगाया, उसके बाद आपको विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि पूरे मामले को एक साथ जाँच करायी जायेगी, यह तो उलझाने का काम है। जिनके खिलाफ आपने एफ.आई.आर. किया उनपर आप कार्रवाई कीजिए। इसके बाद जाँच होगी। विजिलेंस डिपार्टमेंट आपको सही रास्ते से डायवर्सन देना चाहती है, इसीलिए मेरा सुझाव है कि एफ.आई.आर. नेम्ड पदाधिकारियों पर आप कार्रवाई कीजिए। आप जाँच कह बात क्यों करते हैं। इसलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट जो सभी मामले की एक साथ जाँच करने कह बात करता है, इसपर कोई असर नहीं होगा। नवभारत टाइम्स में भी आपने समाचार के माध्यम से उजागर किया, विधायकों ने भी आपसे अपील की है। इसलिए 14 जो एफ.आई.आर. नेम्ड हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इसके अलावे भी अन्य विभागों की जो हालात है, उसके संबंध में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सिंचाई विभाग की संचिका की छाया प्रति लाया हूँ। मैं उसके कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूँ। उसमें जो प्रोसिडिंग है, कि कोनार डायवर्सन परियोजना में चैनेल बनाने का एक एक टेंडर हुआ। टेंडर कमिटी के सामने जो इंन्स्ट्रक्शन है कि विजिलेंस के रिकोमेंडेशन सर्कुलर के मुताबिक जो रद्द हो गया, उसमें भी बहुत कम करके टेंडर दिया गया है। जो कमिटी बनी उसके प्रोसेडिंग में कमिश्नर, इंजिनियर इन चीफ और दूसरे लोग भी थे, उस प्रोसिडिंग को डिपार्टमेंट पास कर इनकॉरपोरेट किया जो संचिका में स्पष्ट लिखा है। एक कम्पनी है जो करोड़ो का काम लेकर दूसरे के नाम पर बेच देती है। यह काम जो छह करोड़ का है, उसने लिखा है, वह 30 लाख में करता है। आप समझ सकते हैं कि छह करोड़ का काम है और उसमें घोटाला है, जिसपर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है।

अब मैं पथ निमार्ण विभाग के संबंध में तीन चार बातों का उल्लेख करना चाहूँगा। वहाँ कार्यपालक

अभियंताओं का स्थानान्तरण अभी किया गया है। चालीस लोगों के नाम की अनुशंसा स्थापना समिति की ओर से है, जिसमें मंत्री ने चालीस लोगों का नया नाम जोड़ दिया है और उससे संबंधित अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि चालीस लोगों में इंजिनियर, एक्जीक्यूटिव इंजिनियर, असिस्टेंड इंजिनियर का नाम है। विभाग के सभी अधिकारी स्तब्ध रह गए कि मंत्री स्तर से चालीस नाम जोड़कर अधिसूचना निकाल दी गयी है। स्थापना समिति के प्रोसीडिंग में इतनी धांधली हुई है।

इसलिये मुख्यमंत्री जी, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, उसमें दम नहीं है, ताकत नहीं है।

एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, एक भले आदमी है। 1974 के आंदोलन में वे हमसे मिलते थे। हमलोग उन्हें प्यार से देखते थे। आज जब वह मुख्यमंत्री है, तो उनको मैं स्नेह से देखता हूँ। इसलिए मैं उनपर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाने का काम नहीं करता, लेकिन वे मुझपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।

राजनीतिक राग-द्वेष

(बिहार विधान परिषद्-26 मार्च, 1970)

हमलोग आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विर्मश कर रहे हैं। हमारे भोला बाबू तथा उनके दल के लोग जिस तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं तथा सार्वजनिक जीवन में रहनेवाले लोगों की प्रतिष्ठा को घटा रहे हैं, उसमें आम जनता में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्था घटेगी और अन्ततोगत्वा जिस व्यवस्था से यह सब करने का मौका मिल रहा है वह व्यवस्था ही समाप्त कर दी जायेगी। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के लिये आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को बनाये रखे और अपने दल के सदस्यों पर नियंत्रण रखने के लिए दल के अन्तर्गत कोड ऑफ कंडक्ट (आचार-संहिता) बनाया जाए।

इस कुव्यवस्था के कारण तथा राजनीतिक दलबंदियों के कारण पब्लिक सर्विस के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे हमारी प्रतिष्ठा घटेगी। इसलिए अच्छा है कि राजनीतिक दलों को आपस में विचार-विमर्श कर इस अंकुश को दूर करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि एक दल के हाथ में शासन जाता है तो दूसरे दल वाले उनपर कीचड़ उछालते हैं। यह अच्छा काम नहीं कहा जा सकता है। किसी आदमी को राजनीतिक दल में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सभी दलों को अपनी जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। अभी हमलोगों ने देखा है कि एक दल ने राजनीतिक दृष्टिकोण से अय्यर आयोग की नियुक्ति की तो दूसरे दल ने प्रतिशोध की भावना से मुघोलकर आयोग की स्थापना की। सरकार ने बहुत ही जल्दी में काउंसिल ऐबोलिशन के प्रस्ताव को पास कर दिया लेकिन इसके अलावे करप्शन तथा अन्य कामों पर सरकार ध्यान नहीं देती है जिससे राज्य की भलाई हो सके। बिहार सरकार ने बहुत ही जल्दी में कमीशन की रिपोर्ट को एटॉर्नी जेनरल के पास भेज दिया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित है कि राज्य सरकार की क्या शक्ति है तथा केन्द्रीय सरकार की क्या शक्ति है। एटॉर्नी जेनरल के क्या फंक्शन हैं तथा एडवोकेट जेनरल के क्या फंक्शन हैं। ये सारी बातें भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं।

एडवोकेट जेनरल का काम है राज्य सरकार को विचार देने का और एटॉर्नी जेनरल का काम है केन्द्रीय

सरकार को राय देने का। लेकिन कहीं भी यह उल्लेख नहीं हैं कि एटॉर्नी जेनरल राज्य सरकार के लिये फंक्शन कर सकता है। किसी पार्टी के दबाव में आकर सरकार को काम नहीं करना चाहिए, यह प्रजातंत्र की प्रणाली नहीं है। इस तरह से सरकार नहीं चलनी चाहिए। देश के लोग प्रजातंत्र चाहते हैं। प्रजातंत्र के माध्यम से संविधान का आदर होना चाहिए। संविधान के उपबंधों का आदर होना चाहिए। अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तभी प्रजातंत्र चल सकता है। लेकिन जिस तेजी से यह सरकार काम कर रही है उससे सशपीशन बढ़ता है कि सरकार क्या करने जा रही है।

मान लीजिये छह पूर्व मंत्री दोषी हैं, उन्हें सजा दे देनी चाहिए, जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें सजा मिल जाती। लेकिन आज जो बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, उनसे इसका क्या सबंध है? मैं यह नहीं कहता कि उनको छोड़ दिया जाए। जो नेचरल कोर्स में बातें हो रही हैं, उसी ढंग की बातें होनी चाहिए न कि सारी व्यवस्था को छोड़कर किसी दल को संतुष्ट करने के लिए आप किसी एक-दो बातों को लेकर आगे बढ़ जाएँ मुझे सरकार की नीयत पर शंका है । सरकार के आदेश के बाद जो चार्जेज का विश्लेषण हुआ उनमें बहुत से चार्जेज फल्स पाये गए। यह बात साबित हो गयी कि बहुत सी बातें बेबुनियादी हैं। लेकिन एक साजिश की गयी और जिसमें कुछ तथ्य थे उन तमाम कागजातों को छुपा कर रख दिया गया। कमीशन को नहीं दिया गया। उस समय जिस सरकार की हुकुमत थी उसको देखना चाहिए था कि कमीशन के पास कागजात गए या नहीं। यह भोला बाबू का फर्ज था जिनके सुपूर्द यह काम दिया गया था, वे देखते हैं कि सेक्रेटेरियट के डिफरेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस कागजात को कमीशन के पास रखें।

मैं किसी इन्डीविजुअल सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब सरकार ने आदेश दिया कि तमाम चार्जो को स्क्रूटिनाइज किया जाए तो वैसा ही करना था। तो मैं कह रहा था कि सारी बातों को कमीशन के सामने जिस रूप में रखना चाहिए था नहीं रखा गया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऑफिसरों के खिलाफ बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि ये ऑफिसर दोषी हैं। कमीशन के सामने इन आफिसरों को हाजिर तक नहीं होने दिया और उन्हें एफिडेविट नहीं देने दिया गया और यहाँ चूँकि सदन के सामने वे कुछ अपनी सफाई नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ भी उनके खिलाफ हंगामा खड़ा किया जा रहा है। कमीशन ने अपने फाइडिंग के पार्ट तीन के पेज 10 में कहा है कि किसी भी ऑफिसर के खिलाफ जो इन्सिडेन्टल रिमार्क आ गए हैं उसके आधार पर कोई जाँच-पड़ताल किसी ऑफिसर के विरुद्ध नहीं ले सकता है और यह इन्क्वायरी का पार्ट नहीं है। फिर भी उनके विरुद्ध बहुत बड़ा हंगामा सदन में खड़ा किया जा रहा है और उनसे कैफियत तलब किया जा रहा है।

कमीशन का यह फाइडिंग है और कमीशन ने किसी ऑफिसर को मौका नहीं दिया, लेकिन जब रिपोर्ट लिखी तो ऑफिसरों के खिलाफ भी लिख दिया। अगर अय्यर के दिमाग में कोई बात नहीं थी तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कारण था कि अय्यर ने ऑफिसरों को सफाई देने के लिए एलाउ नहीं किया। उन्हें सफाई देने का मौका नहीं दिया गया।

अय्यर और मुघोलकर कमिशन की नियुक्ति जिन नीति की पृष्ठभूमि में हुई उससे प्रजातंत्र मजबूत नहीं हुआ, कमजोर हुआ। राग-द्वेष के साथ हमलोग कोई काम नहीं कर सकते है। ऐसा करेंगे तो कोई राजनीतिक दल कामयाब नहीं होगा।

शिक्षकों के लिए हो एक कल्याण कोष

(बिहार विधान परिषद्-14 मार्च, 1969)

समाज में शिक्षक वर्ग की हालत अत्यन्त ही दुःखद है। जबकि समाज के लिए इनका इतना महत्व है। समाज में सबसे जागरूक और उपयोगी वर्ग शिक्षक वर्ग होते हैं। राष्ट्रीय निर्माण के लिए जितनी भी योजनाएँ चलती हैं, उनमें उनका सक्रिय सहयोग रहता है। इसलिए उनकी सुख-सुविधाओं की ओर अधिक-से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से जितनी समितियाँ बनी हैं उन सबों ने एक साथ अनुशंसा की है कि शिक्षा का स्तर तभी ऊँचा होगा जब शिक्षा में लगे हुए लोगों की सुख-सुविधाओं का प्रबंध किया जाए। यह ठीक है कि शिक्षकों की वेतन और सुविधाओं में परिवर्त्तन हो रहा है लेकिन समाज का एक ऐसा वर्ग अछूता रह गया है जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है और वह है शिक्षकों पर आश्रित परिवार की सुरक्षा की व्ययवस्था करने का प्रश्न, क्योंकि अपनी नौकरी की प्रारम्भिक अवस्था में जब कोई शिक्षक मर जाता है अथवा अपंग हो जाता है या किसी अन्य कारण से वह शिक्षक कार्य के योग्य नहीं रह जाता है तो उसकी आमदनी बंद हो जाती है और उसके परिवार तथा उसपर आश्रित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय और भयंकर हो जाती है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ ऐसी घटना हो जाने पर उनके लिए ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक सरकार ने शिक्षको के लिए ऐसी किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की है, शिक्षकों के लिए भविष्य निधि की व्यवस्था तो है, लेकिन जो व्यवस्था है वह उपयुक्त नहीं कही जा सकती है और यह सुविधा शिक्षकों पर आश्रित परिवार को प्राप्त नहीं है। जब कोई शिक्षक दो-तीन वर्ष सेवा करने के उपरांत मर जाता है तो भविष्य निधि से उसके आश्रितों को अच्छी रकम नहीं मिलती है, जिससे वह अपने भरण-पोषण का कोई समुचित प्रबंध कर सके।

आवश्यक है कि सभी वर्गो के शिक्षकों के लिए एक कल्याण-कोष की स्थापना की जाए जिससे किसी शिक्षक की आकस्मिक तथा अल्प आयु में मृत्यु होने या किसी कठिन बीमारी के कारण स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर उन पर आश्रित परिवार को आजीवन पेंशन अथवा एक मुस्त एक अच्छी रकम देने की व्यवस्था की जाए। चाहे कोई शिक्षक सेकेण्डरी स्कूल में काम करता हो, चाहे प्राथमिक

विद्यालयो में अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए ऐसे कल्याण-कोष की व्यवस्था होनी चाहिए।

शिक्षकों को भी इस कल्याण कोष में अपना योगदान देना चाहिए और सरकार भी इसमें अपना अंशदान या अनुदान दे। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक शिक्षक अपने वेतन से प्रतिमाह कटौती करे और यह रकम स्कूलों और कॉलेजों में वेतन देते समय उनके वेतन से काट लिया जाए और फिर सरकार की ओर से भी उतनी वेतन रकम का अंशदान या अनुदान उस कोष के लिए प्रदान किया जाए। इसप्रकार इस कल्याण-कोष के लिए एक अच्छी रकम इकट्ठी हो सकती है और इससे दुर्घटनाग्रस्त शिक्षक के आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

एक दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शिक्षकों को जो पारिश्रमिक मिलता है, उसमें से दो प्रतिशत परीक्षा समिति इस कल्याण कोष के लिए काट ले तथा प्राध्यापकों को विश्वविद्यालयों से जो पारिश्रमिक परीक्षा के लिए मिलता है, उसमें से इस कल्याण कोष के लिए विश्वविद्यालय दो प्रतिशत रकम काट ले। इसप्रकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा विश्वविद्यालयों में इस कल्याण कोष के लिए एक अच्छी रकम जमा हो सकती है और इस तरह जो रकम जमा हो उतना ही अंशदान या अनुदान सरकार भी इसके लिए प्रदान करे।

कल्याण कोष के वितरण की व्यवस्था कैसे हो और इसका संचालन कैसे किया जाए

इस कोष का आवंटन विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों के लिए अलग-अलग कर दिया जाए। यदि केन्द्रीय स्तर पर इस प्रकार का कोष रखने की बात उठेगी तो इसमें बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लालफीताशाही इसके मार्ग में बहुत बाधक सिद्ध होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस कोष का विकेन्द्रीकरण स्थानीय रूप से किया जाए। विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों में इस कोष के आवंटन के लिए एक स्थानीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें शिक्षक तथा स्थानीय शासकीय निकाय के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।

पश्चिमी राष्ट्रों में इस प्रकार के कल्याण कोष की व्यवस्था है, जिसमें जन्म से मरण तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और समाज पर है। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कल्याण कोष की स्थापना की गयी है और जन्म से मरण तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और समाज पर है, इस तरह की व्यवस्था अपने देश में भी होनी चाहिए। अच्छे लोग सरकारी सेवा में चले जाते हैं जहाँ सेवा की शर्तें अच्छी हैं और अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यदि अच्छे लोग शिक्षण कार्य में नहीं आयेंगे तो शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकेगी और राष्ट्र निमार्ण में भी रुकावट आयेगी। राष्ट्र निर्माण और अनुशंसा के लिए शिक्षकों का योग्य होना आवश्यक है, इसलिए सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए

जिससे कि अच्छे से अच्छे लोग शिक्षण कार्य की ओर आकृष्ट हो सकें। शिक्षा आयोग जो डॉ. राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में गठित किया गया था उसमें भी इस प्रश्न पर विचार किया गया था और सिफारिश भी हुई है कि शिक्षण का स्तर ऊँचा उठाने के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है और यह तभी हो सकता है जब शिक्षण कार्य को आकर्षक बनाया जाए और इसके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। जब तक यह कार्य नहीं होगा शिक्षकगण प्रसन्न नहीं हो सकते हैं और जब तक वे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। इन सभी दृष्टियों से यह आवश्यक है कि शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना हो जाए।

महाविद्यालय या विद्यालय चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी का उपयोग समाज के लिए है। इसलिए समाज का पूर्ण उत्तरदायित्व है। विद्यालय महाविद्यालय की समस्या को अधिक नहीं टाला जा सकता है। इसलिए जो समस्या है उसपर सरकार विचार करे।

सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में जो भेद-भाव है उसको खत्म क्यों नहीं किया जाए। यह विचारणीय बात है। गाँवों में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने में प्रबंध समिति या प्रशासनिक निकायों की दिलचस्पी रहती है। जब महाविद्यालयों की स्थापना हो जाती है तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है और उन संस्थाओं का एक ही आधार हो जाता है कि इससे अर्जन किया जाए। ऐसी स्थिति में सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह देखे कि प्रशासनिक निकाय या प्रबंध समिति के द्वारा महाविद्यालय का संचालन ठीक से होता है या नहीं। यदि वे अपनी तरफ से धन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और वह विद्यालय या महाविद्यालय सरकारी सहायता और छात्रों के शुल्क से ही चलता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।

राज्य की ओर से जाँच हो या कोई संस्था नियुक्त की जाए, जो इस बात का अध्ययन करे कि सरकार जो सहायता देती है उससे महाविद्यालयों का संचालन होता है या उनकी आमदनी से संचालन होता है। अगर सिर्फ सरकारी सहायता से ही उनका संचालन होता है तो वैसी हालत में सरकार को उसे अपने जिम्मे में ले लेना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना राज्य का उत्तरदायित्व है। जब राज्य का उत्तरदायित्व है तो फिर राज्य का यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि उन संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले।

शिक्षकों की हड़ताल

(बिहार विधान परिषद्-4 दिसम्बर, 1970)

शिक्षकों की माँग न्यायोचित है। सभी मानते हैं कि सरकार की ओर से कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ दिखायी जाती हैं और कहा जाता है कि सम्बद्ध कॉलेज न तो हमारे नियंत्रण में बनते हैं न आते हैं। दिन -प्रतिदिन नए कॉलेज खुलते जा रहे हैं। इसलिए अगर उनमें समान वेतनक्रम लागू करते हैं तो एक समस्या हो जायेगी और वह बराबर गम्भीरतर होती जायेगी। मैं कहता हूँ कि सम्बद्ध कॉलेजों को जो पैसे दिए जाते हैं, उससे एफिलियेटेड को अलग नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय को यह अधिकार नहीं है कि वह मान्यता दे। 1962 के बाद बिहार विश्वविद्यालय कमीशन की स्थापना हुई और कॉलेजों की स्वीकृति और संबद्धता अन्तिम रूप में विश्वविद्यालय आयोग से दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं और इस आयोग के सदस्य शिक्षा सचिव हैं और जिसके सदस्य वित्त सचिव हैं। जिस संस्था के अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल हों और सदस्य ऊँचे सरकारी कर्मचारी हों, उस संस्था की ओर से जब कॉलेज को मान्यता दी जाती है तो सरकार अपने को उत्तरदायित्व से अलग नहीं कर सकती है।

आज जो समस्या उठी है, वह सरकार की वजह से है। शिक्षक की ऐसी समस्या है जिसको हम भविष्य के लिए नहीं रोक सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह एक निश्चित कार्यक्रम बतलाये कि शिक्षा की क्या नीति हो और सरकार किस रूप में कॉलेज का विकास चाहती है और किस रूप में अंगीभूत कॉलेज का विकास चाहती है। कोई कारण नहीं है कि चार-पाँच हजार शिक्षकों की उपेक्षा की जाए। सरकार कोई स्पष्ट नीति बतलाये कि कब तक वह ऐसी स्थिति में होगी कि समान वेतन महाविद्यालय पर लागू करे।

विभिन्न राज्यों में कॉलेज हैं और गैर-सरकारी कॉलेज हैं, वहाँ क्या वेतनमान है और केन्द्रीय सरकार से उनको क्या हिस्सा मिलता है, इसको सरकार देखे। क्या कारण है कि शिक्षकों को हड़ताल के 16 दिन बीत जाने पर भी उनकी क्या वास्तविक कठिनाई है, बताने में सरकार असमर्थ है? शिक्षकों की कठिनाई को दूर करने के लिए केवल 1 करोड़ 9 लाख रुपये की जरूरत है। सरकार यह बतलाने में भी

कतराती है कि वह इस रकम का प्रबंध कर सकती है या नहीं। टाल-मटोल की नीति अपनाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आज ऐसी परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री जानबूझ कर मिलने से कतराते हैं। राज्य में पाँच हजार कॉलेज शिक्षक हैं और आठ हजार गैर सरकारी कॉलेजों के शिक्षक आंदोलन में हैं और मुख्यमंत्री उनको मिलने के लिए समय नहीं देते हैं। आज इससे आठ लाख, दस लाख छात्र प्रभावित हैं। उनकी पढ़ाई बिलकुल ठप्प हो गयी है। पटना यूनिवर्सिटी की वार्षिक परीक्षा मार्च में होनेवाली थी जो अब दिसम्बर में होने जा रही है, परन्तु अब हड़ताल के कारण परीक्षा स्थगित हो गयी है। पता नहीं वह परीक्षा आगे कब होगी। इस तरह से विद्यार्थियों का समय बर्बाद हो रहा है और गार्जियन का पैसा बर्बाद हो रहा है। जहाँ पहले लड़के को साल भर की पढ़ाई पढ़नी पड़ती थी, वहाँ अब 16-18-20 महीने की पढ़ाई करनी पड़ रही है।

शिक्षा की शोचनीय स्थिति

(बिहार विधान परिषद्- 26 मार्च, 1970)

राज्य में शिक्षा की जो स्थिति है,वह अत्यन्त शोचनीय है। सरकार को इसकी स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार का ध्यान सभी समस्याओं पर जाए लेकिन शिक्षा एक ऐसी समस्या है जिसपर राज्य का भविष्य निर्भर करता है। इसपर विशेष ध्यान जाना चाहिए। विशेष कर विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा की ओर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि इसकी समस्या अत्यन्त शोचनीय है। परीक्षा में सुधार हो क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है। परीक्षाफल निकलने में विलम्ब हो रहा है। विश्वविद्यालय के उपकुलपति की अकर्मण्यता से प्रशासन में ह्रास हो रहा है।

मैं बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य हूँ। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूँ। विश्वविद्यालय के प्रशासन में काफी ह्रास हुआ है। इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कठोर कदम उठाया जाए और विश्वविद्यालय के तरीके में आमूल परिवर्त्तन किया जाए।

सरकार ने 1966 में विश्वविद्यालय की जाँच हेतु आयोग की स्थापना की थी। आयोग को रिपोर्ट दिये हुए भी चार साल हो गए। रिपोर्ट सरकार के यहाँ पड़ी हुई है। उसपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार उच्चतर अध्ययन के लिए कुछ ध्यान नहीं देती है जिसपर बिहार का भविष्य बनने वाला है। यह बहुत ही चिन्ता की बात है। बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय की भी यही हालत है। सब की हालत बहुत खराब है।

प्रशासन ही नहीं, बल्कि परीक्षा की अवस्था भी बहुत खराब है। बिहार विश्वद्यिालय के शिक्षक होने के नाते मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि बिहार विश्वविद्यालय की परीक्षा के स्तर कितने गिरे हुए हैं। परीक्षा लेने तथा परीक्षा की कॉपी जाँचने में बहुत अनियमितता तथा धांधली बरती जाती है। अगर यह व्यवस्था रही तो हमारे यहाँ से जो भी परीक्षार्थी पास करेंगे उनका कोई महत्व नहीं रह जायेगा। ये परीक्षार्थी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं हो सकेंगे। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि सारे कॉलेज अंगीभूत कॉलेज हो जाएँ। लेकिन इसकी पढ़ाई के स्तर में सुधार होना चाहिए। इसमें अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर सारे कॉलेज अंगीभूत कॉलेज हों

और उनमें पढ़ाई का उचित प्रबंध रहे। जब सरकार को अपने खजाने से वेतन देना ही पड़ता है तो क्यों नहीं सरकार सभी कॉलेजों को अंगीभूत कॉलेज बना देती है? आज जो राज्य में महाविद्यालय हैं उनकी व्यवस्था क्या है? सरकार की ओर से घोषणा की जाती है समय पर वेतन देने के लिए, लाने नहीं दिया जाता है। प्रबंध समिति में बराबर झगड़ा ही होता रहा है। सरकारी ऑफिसरों की लापरवाही तथा अकर्मण्यता के कारण अनुदान का पैसा शिक्षकों को समय पर नहीं मिल पाता है। इसलिए हो सके तो राज्य के सारे महाविद्यालयों को अंगीभूत कॉलेज बना दिया जाए।

सरकार को माध्यमिक विद्यालयों को इस तरह या उस तरह पैसा देना ही पड़ता है। आज दे या दो-तीन दिन के बाद दे। प्रबंध समिति का जिक्र किया जाता है। इस समिति के कारण विद्यालयों की स्थिति और खराब होती जा रही है। क्या यह सम्भव नहीं कि सरकार जितने गैर-सरकारी विद्यालय हैं उनको राजकीय विद्यालय के रूप में बदल दे? इस पर विचार होना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि यह हो सकता है या नहीं। अगर सरकार महाविद्यालय को अंगीभूत विद्यालय तथा गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज जो अभिभावक या नागरिक इसे बर्दास्त कर रहे हैं तो वे अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए अगर अधिक भी देना पड़ेगा तो वे खुशी से देंगे। इस पर विचार होना चाहिए कि क्या यह सम्भव है? अगर महाविद्यालयों को अंगीभूत विद्यालय तथा गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए तो कुछ विशेष व्यय पड़ेगा।

गैर सरकारी विद्यालय को जो पैसा दिया जाता है वह समय पर नहीं पहुँचता है, लेकिन जो राजकीय विद्यालय हैं या जो सीधे सरकार के प्रबंध में हैं, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन का भुगतान समय पर हो जाता है और इनकी व्यवस्था भी अच्छी है। नागरिकों के सहयोग से जो विद्यालय चलाये जाते हैं, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए लेकिन आज जो स्थिति है, प्रबंध समिति की अकर्मण्यता के कारण है। आप देखिये कि प्रबंध समिति स्थायी रूप से कितना पैसा जमा करती है। उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि शिक्षकों को दिया जाए।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत बड़ी संस्था है। इसी संस्था पर समूचे बिहार के विद्यालयों की परीक्षा आदि का भार है। इस समिति पर बड़ी-बड़ी शिकायतें हैं, जिन पर सरकार की ओर से जाँच करायी जा रही है। जाँच कराने से भी बहुत सफलता नहीं मिलने की संभावना है। अतः आवश्कता है कि परीक्षा समिति का विकेन्द्रीकरण किया जाए। यह बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में यह प्रस्ताव दिया जा सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का विकेन्द्रीकरण प्रमंडलीय परीक्षा समिति की स्थापना की जाए, जिससे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भार घटेगा।

मिथिला विश्वविद्यालय की माँग की गयी है। हमेशा इस माँग को टालने की चेष्टा की जा रही है। हमारे शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव के बारे में बतलाया कि इसकी स्थापना करने में अधिक व्यय होनेवाला है। ऐसा-ऐसा फिगर दिया जाता है कि सरकार को इस माँग पर विचार करने में मुश्किलें पैदा हो जाएँ। अभी लोक सभा में शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस सबंध में बिहार सरकार से उनकी अनुशंसा मांगी गयी है। यह अभी तक बिहार सरकार के पास पेंडिग पड़ा हुआ है करीब 1 वर्ष से। शिक्षा समिति में इसे भेजा गया था कि इसकी स्थापना की संभावनाएँ हैं या नहीं। उसने भी इसकी अनुशंसा की है और इसकी संभावना बतायी है। अतः इस पर विचार होना चाहिए। जबकि इसकी संभावना है और केन्द्रीय सरकार भी इसे करना चाहती है तो राज्य सरकार की केवल अकर्मण्यता की वजह से यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो रही है तो यह दुर्भाग्य की बात नहीं है तो और क्या है?

बेरोजगारी

शिक्षा के अलावे जो सबसे गंभीर समस्या हमारे सामने है वह है बेरोजगारी की। दुःख की बात है कि जो अनुशंसा या जो अध्ययन कार्य भी किया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 1953-54 में एक अन-एम्प्लायमेंट कमिटी बनी, उसने अपना प्रतिवेदन भी दिया, लेकिन हमें मालूम नहीं कि उस प्रतिवेदन पर सरकार ने कोई कार्रवाई भी की या नहीं। आज 1953-54 से अधिक गंभीर अवस्था उत्पन्न हो गयी है। इसलिए आज आवश्यकता है कि उस समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाए। आज जो प्रजातंत्र है, या लोकशाही है या जो हमारी शासन व्यवस्था है वह तब तक ही कायम रह सकती है जब तक जो हजारों हजार की तादाद में बेरोजगार हैं, वे इस व्यवस्था को कायम रहने का मौका देते हैं। लेकिन उनके दिमाग में जो बेचैनी है, जो अशांति है उसके कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं चल सकती है, ...नहीं चल सकती है। इसलिए यह जो समस्या है उसकी तरफ अन्यमनस्क होने की आवश्यकता नहीं है। इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि सरकार के पास इसका फिगर भी नहीं है, इसका आँकड़ा मौजूद नहीं है। कितने लोग, किस प्रकार के लोग, किस योग्यता के कितने लोग राज्य में बेरोजगार है, कहीं से कोई फिगर आता है कि यहाँ 10 हजार, यहाँ 15 हजार लोग बेरोजगार हैं। यह दुःख की बात है कि राज्य जन-कल्याणकारी राज्य है, जिस राज्य का उद्देश्य हो कि जनता का कल्याण करे। उस राज्य के पास अप-टू-डेट फिगर भी न हो किस क्षेत्र में किस योग्यता के कितने लोग बेरोजगार हैं और उनके लिए क्या व्ययवस्था की जा सकती है।

लोकशाही में शासन जिनके हाथ में आता है, वे लोग समझते हैं कि हमें क्या, कुछ वर्ष रहने के बाद चले जाना है, जो नौकरशाही के लोग हैं वे समझते हैं कि 30 दिन आकर हाजिरी बना देना है और

अपनी नौकरी 58 वर्ष या 60 वर्ष में समाप्त कर घर चला जाना है तो इस मनोवृत्ति से जिस राज्य के लोग काम कर रहे हैं क्या उस राज्य का कल्याण होगा, वह आगे बढ़ेगा, यह संभव नहीं है। इसलिए भविष्य को मैं निराशाजनक समझता हूँ।

नक्सलवाद

जो नक्सलवादी लोग हैं उनकी चर्चा होती है, ठीक है कि वे हिंसात्मक कार्य करते हैं, लेकिन जो समाज में बेचैनी है, जो अशांति है, उसे हल करने की व्यवस्था लोकशाही के ढंग से नहीं कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हिंसा का रूप सामने आयेगा। इनकी गतिविधियों को आप मात्र लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल उठाकर नहीं रोक सकते हैं। आप इन्हें तभी रोक सकते हैं जब इनमें ऐसी भावना पैदा कर दें कि उनकी समस्याओं से आप अवगत हैं और उनके समाधान के लिए नये ढंग से कदम उठाना चाहते हैं। आप यदि समाज में शांति व्यवस्था रखना चाहते हैं तो आप लोगों में ऐसा विश्वास पैदा कीजिये कि आप उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं से अवगत हैं और उनपर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसलिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि इस समस्या के निदान के लिये एक समिति बनावे जो प्रत्येक क्षेत्र में कितने लोग बेरोजगार हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह का काम करना चाहते हैं, इसका अलग-अलग खाका तैयार किया जाना चाहिए जो सरकार के सामने रखा जाए और सरकार का एक विभाग हो जो इस पर विचार करे और लोगों की बेरोजगारी दूर करने का उपाय करे।

नौकरी में उपेक्षा

बिहार में बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ बिहार के रहने वालों के साथ क्या व्यवस्था की जाती है? नौकरियों में उन्हें क्या प्रतिशत दिया जाता है? इसे जब हम देखते हैं तो भयानक लगता है, हमें लगता है कि बिहारियों की इन प्रतिष्ठानों में उपेक्षा की जाती हैं। यह बड़ी ही हतोत्साहपूर्ण स्थिति है और ऐसा लगता है कि बिहार में जो उद्योग चल रहे हैं उनमें बिहारियों को कम अनुपात में नौकरियाँ दी जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बिहार की ज़मीन पर जो लोग बसते हैं उनलोगों का बिहार के उद्योगों में चाहें वे केन्द्रीय कंट्रौल के उद्योग हों चाहे किसी और के कंट्रोल के हों उन सब उद्योगों में इस सरकार की ओर से हर जगह एक लायजन अफसर रखा जाए जो इस प्रश्न को देखे और यह देखे कि बिहार के लोगों को उचित स्थान मिलता है या नहीं और बिहारियों के साथ उचित व्यवहार किया जाता है या नहीं। मैं भेद-भाव को नहीं मानता। लेकिन यह बात जरूर है कि बिहार राज्य के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। जब दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों को हक नहीं मिलता है तो कम-से-कम अपने राज्य में तो उनको अपना हक मिलना चाहिए।

यहाँ के रहनेवाले सारी मुसीबतों को सहते हैं और आशा रखते हैं कि यह सरकार उनकी समस्याओं

को खत्म करेगी। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि अपनी नीति में, अपनी कार्रवाई में मूल संशोधन करके लोगों की आशा को पूरा करे।

राज्य का हक

राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से जितना हिस्सा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। दूसरे राज्यों के लोग अपनी नाराजगी दिखलाकर, चीख-चिल्लाकर केन्द्रीय सरकार से ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा लेते हैं लेकिन हमारी राज्य सरकार ऐसा नहीं करती जिसके कारण यहाँ के आर्थिक कार्यो की पूर्त्ति नहीं हो पाती। इसलिए सरकार को यह विचार करना चाहिए कि किस महकमे में कितना हिस्सा केन्द्र से मिला और कितना मिल सकता है। चुप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। नयी सरकार की जवाबदही यह होनी चाहिए कि जाँच करे कि किस महकमे में कितना साधन मिलना चाहिए, कितना नहीं मिला। जितना नहीं मिला उसके लिये दबाव डालकर केन्द्र से साधन हासिल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि राज्य की समस्या का समाधान इफेक्टिव ढंग से हो।

विश्वविद्यालयों में सुधार

(बिहार विधान परिषद्-9 दिसम्बर, 1976)

विधेयक देखने में बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन सभी धाराओं और उप-खंडों के हम संशोधन प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। संशोधन का दायरा बहुत सीमित है और इसीलिए हम चाहते हैं, जो संशोधन लाए हैं, उसपर सीमित दायरे में हम अपने को केन्द्रित रखें।

विश्वविद्यालय अधिनियम के कार्यान्वयन के क्रम में जो त्रुटियाँ सामने आयी हैं उन त्रुटियों के निराकरण के लिए इसमे प्रावधान है। बिहार विश्वविद्यालय को हम तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त कर सकते हैं। यह है 1917 का विश्वविद्यालय अधिनियम (पप)1952 का पटना विश्वविद्यालय और बिहार विद्यालय अधिनियम, (पपप) 1960 का पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसके अन्तर्गत राँची, भागलपुर और मुज़फ्फरपुर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। फिर अगले वर्ष 1961-62 में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

काफी दिनों तक हमलोगों ने 1961-62 का अधिनियम कार्यान्वित किया। जो स्थिति 1972 के बाद हमारे सामने आई तो उस समय सरकार ने भी यह महसूस किया कि अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अध्यादेश भी प्रख्यापित हुए। इस सम्बन्ध में जो विभिन्न आयोग गठित हुए उन्होंने भी संशोधन की सिफारिश की। पहले की सरकार ने यह महसूस किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम,1960 का ठीक से कार्यान्वयन नहीं हुआ है। 4-5 सालों के अन्दर गठित जाँच आयोगों के टर्म ऑफ रेफेरेन्स को भी देखेंगे तो उसमें भी विश्वविद्यालय की त्रुटियाँ सामने आयी हैं। सभी ने विशेषज्ञों की राय को मान लिया है, लेकिन उनकी जाँच पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाद में जब्बार हुसैन की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी इन बातों को देखने के लिए कि विश्वविद्यालय में क्या सुधार होना चाहिए, क्या -क्या संशोधन होना चहिए। आज से 15-16 साल पहले की सभी सरकारों ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय समिति में संशोधन हो। उसके लिए एक अध्यादेश भी प्रख्यापित हुआ था।

आज पहले की सभी समितियों की अनुशंसा को हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ

कि हो सकता है कि इसमें कुछ प्रावधान के सम्बन्ध में सुधार नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि एक आदमी जो सोचता है, हर आदमी वही सोचे। माननीय सदस्य श्री मंडलजी, पूर्वेजी आदि ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है। लेकिन हमारे प्रजातंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि जो बहुमत की राय है वही पारित होती है। विरोधी दल के लोगों की भी बातों को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। हम यह देखते हैं कि उनका संशोधन राज्य की जनता के हित में है तो हम उसका समावेश भी इसमें करते हैं। कल विरोधी दल के संशोधन हमें सही लगे तो हमने उसे तत्काल मान लिया। इसलिये हम आज तक जो त्रुटियाँ हुई हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं।

वे सारी बातें जो मंडलजी ने उठायी हैं, हमको लगा कि वे उन दिनों की बात करते हैं जिन दिनों सम्भवतः उनकी पार्टी सरकार की भागीदार रही होगी। लेकिन पिछले 15 महीने से जो नियुक्तियाँ हुई हैं, क्या वे सारी बिहार की जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की संख्या के सामने नगण्य नहीं हैं? पाँच यूनिवर्सिटी में क्या पिछड़े वर्ग के कुलपति हैं? पहले मगध यूनिवर्सिटी में पिछड़े वर्ग के वाइस चांसलर बनाये गए हैं। फिर प्रो-वाइस-चांसलर की बहालियाँ हुई। उसी को आप देखें कि क्या कोई बात निर्मूल है? उन बातों के तथ्य के आधार पर रखने की कृपा की जाए। मैं यह कह रहा हूँ कि अभी जो बातें की गयी है विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों के द्वारा वे भी किसी-न-किसी रूप में सरकार के पक्ष में रहे हैं। जो इसमें प्रावधान है वह विश्वविद्यालय की सारी रूप-रेखा को बदलने के लिये ही है। विश्वविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति हम शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट से उसी अनुपात में दे देंगे, जैसा कि सरकारी सेवा में हो। इन संबंध में मुझसे बहुत सारे शिक्षक मिलने आये कि इससे विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर जायेगा। शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट की लोग सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, वे विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो सकते हैं? आपने एक क्वालिफिकेशन निर्धारित कर रखा है। अगर कोई हाई सकेण्ड क्लास एम.ए. है और वह शिड्यूल्ड ट्राइब्स है तो वे शिक्षक क्यों नहीं होंगे? जरूर होंगे। अगर कोई दूसरा फर्स्ट क्लास एम.ए. है और वे शिड्यूल्ड ट्राइब उससे नीचे हैं तो हम उनको शिक्षक बनायेंगे और बनाकर आगे का वातावरण अच्छा करना चाहते हैं।

विश्वविद्यालय में एक समुचित सुधार लाने की कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता की बात की जा रही है, यह ठीक है। वे विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। लेकिन स्वायत्तता की एक सीमा होती है। स्वायत्त विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को उठाने और विश्वविद्यालय के प्रशासन को आगे करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षक के स्तर पर पड़ता है। सरकार को निर्णय करना होता है। हमने सोचा कि जो सीमा है उस सीमा के अन्तर्गत वे स्टैच्यूट्स बनायें। लेकिन उन मूल बातों को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। ये जो बातें पिछले वर्षो में हुयी हैं, परीक्षा में अनियमितता की वजह से, पक्षपात की वजह से, इन सभी बातों

में रुकावट आयी है। लेकिन हम से पहले पंजाब सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिये यह किया है, बाद में बिहार में सेन कमिटी की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यान्व्यन किया गया है। उसी तरह विश्वविद्यालय आयोग की ओर से जो सिफारिशें भेजी गयी हैं उन्हें भी इसी दृष्टि में रखा गया है और अच्छे उपबंधों को दिया गया है। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि बहुत जल्दी में यह किया जा रहा है। काफी देर करके और विचार-विमर्श करके किया गया है। पिछले वर्ष 1975 में भी काफी विस्तार से इसपर अपने दल में लगातार 5-6 दिनों तक विचार किया था। जो शासक दल होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अधिक-से-अधिक लोगों को कैसे एसोसियेट करे। लेकिन, शिक्षक संघ के लोगों और कन्सलटेटिव कमिटी के सामने यह बात रखकर और दूसरे लोगों से भी भागलपुर, राँची या यहाँ भी जब मिलने का मौका मिला सबकी राय ली। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि वे हमारी राय से अलग भी राय रखते रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इसकी चर्चा नहीं की है। चर्चा का यह मायने भी नहीं होता कि सारी बातें ली जाएँ। जहाँ भी मौका मिला शिक्षकों की बैठकों में भी गया और उनसे कहा कि इस प्रकार का कठोर कदम हम उठाने जा रहे हैं कहा गया है कि यह हम शिक्षकों के हितों के विरोध में कर रहे हैं। मैंने कहा कि हो सकता है कि आप के हित में कठोर हो जाए, लेकिन राज्य के हित में निश्चित रूप से हितकर है। इससे विश्वविद्यालय में भेस्टेड इंटरेस्ट पर रोक डाली जा रही है। जो राजनीति से अलग हैं, भेस्टेड इंटरेस्ट जिनका नहीं है, उन साधारण शिक्षकों पर इसका असर नहीं पड़नेवाला है। राजनीतिक लोगों के संपर्क में जो शिक्षक नहीं हैं उनकी ओर से इसका स्वागत हुआ है लेकिन, जिन शिक्षकों ने पोलिटिकल इंटेरेस्ट लेना शुरू किया और जिन्होंने बाद में पोलिटिकल एलायेन्स शुरू किया, जिन्होंने राष्ट्र के हितों के विपरीत काम प्रारंभ किया, जिन्होंने राष्ट्रीय मान्यताओं के विपरीत किया, उनके विरुद्ध यह कठोर कदम है। एक 400 से 900 का स्केल मिला या दूसरे को मैक्सिमम 1600 मिला, उसे नहीं देखकर इनलोगों ने एक वातावरण बनाने की कोशिश की विद्यार्थियों और जनता के बीच में भ्रम उत्पन्न हो और उनके निहित स्वार्थ की पूर्त्ति हो। क्या ऐसे में विश्वविद्यालयों को छोड़ देते? हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से इसका प्रवेश छोटे दायरे से प्रारंभ हुआ और एक गिरोह, संगठन बनता गया जो राष्ट्रीय नीति, संगठन और मौलिक मान्यताओं के विपरीत काम करता है।

विद्यार्थी निरीह होते हैं, उनके सामने जो शिक्षक की तरफ से कहा जाता है वे उनकी ओर आकर्षित होते हैं। धर्म के नाम पर, जातीयता के नाम पर और छोटी-छोटी बातों के नाम पर आंदोलन करने की छूट उनको नहीं दी जा सकती है। इसका कुप्रभाव हमारे बच्चों पर और शिक्षण संस्थाओं पर पड़ता है। शिक्षकों को किताब पढ़ने, शोध करने और उनकी जो कठिनाईयां हैं उन्हें दूर करने में वित्तीय कठिनाई के बावजूद हम उनको ऊँचा वेतनमान दे रहे हैं। ऐसे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, उन्होंने

अपने यहाँ उच्च वेतन नहीं दिया है। वित्तीय कठिनाई के बावजूद हमने सोचा कि युनिवर्सिटी को सभी तरह की सुविधाएँ दी जाएँ। जब हम बिहार की 6 करोड़ जनता को देखते हैं तो उनकी आकांक्षाओं की पूर्त्ति के लिये निर्णय देना है और वहाँ का वातावरण बनाने के लिये हमें उसने उनपर कुछ पाबंदी लगायी है। पिछले आंदोलन में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। यह सही है कि हम उनको छूट देने जा रहे हैं। हमने सोचा कि जो विद्यार्थी गुमराह हो गए हैं उनका सारा जीवन नष्ट नहीं हो जाए। इसलिये हमने उनके पढ़ने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री की हैसियत से हमने सोचा कि ऐसे निरीह विद्यार्थी का जीवन समाप्त नहीं करें। उनको हम पढ़ने की छूट देते हैं। उसी तरह से जिन शिक्षकों ने हिंसा में भाग नहीं लिया है, जेल जाने की वजह से ससपेण्ड हो गए हैं तो हम उनके सस्पेंशन वापस लिये हैं, ऐसा मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जो हिंसा की बात सोचेंगे और उसमें भाग लेंगे, मनन करेंगे और वाद-विवाद में भाग लेंगे ऐसे शिक्षकों को हम शिक्षक के रूप में नहीं रहने देंगे। शिक्षकों को कु-प्रचार और राष्ट्र विरोधी काम करने के लिये नहीं रहने गे। आप विरोध कीजिये, हम उसका सामना करेंगे, लेकिन आप को निरीह विद्यार्थियों के बीच में नहीं रहने देंगे। ये दो बातें नहीं हो सकती हैं। जो शिक्षक सस्पेंड हैं और उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है उनका विचार यही है तो फिर हमारी सहानुभूति उनके साथ नहीं हो सकती है। विचार बदलिये, राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमती गाँधी जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती हैं उसमें सहयोग कीजिये और उसमें हिस्सा लीजिये। विरोधी दल के दोनों को उसमें विरोध करने का क्या तर्क हो सकता है? हमारी निधि बढ़ी है।

आज हमारे देश में मुद्रास्फीति नियंत्रण में है जिसके चलते देश में निश्चित रूप से बचत हुई है। पहले जहाँ हमारी बचत 13.1 प्रतिशत थी वहाँ 14.8 प्रतिशत हुई है। पिछले वर्ष में जहाँ हमारा इनवेस्टमेंट 5 प्रतिशत था वहाँ आज 16.5 प्रतिशत हुआ। अभी जो सुधार हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ था। यह बात न मैं कह रहा हूँ और न श्रीमती इंदिरा गाँधी ही कह रही हैं, बल्कि ये बातें विश्व की अन्य संस्थाएँ कह रही हैं। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने देश के लिए जो कुछ किया उसकी आप समीक्षा कीजिये कि हमारे देश ने प्रगति की या नहीं, विकास किया है या नहीं। पहले हमारी विकास दर जो 0.2 थी वह अब 5.5 प्रतिशत हो गयी है। जिन कार्यक्रमों और नीतियों के कारण देश की प्रगति हुई, उसका विरोध क्यों? श्रीमती इंदिरा गाँधी ने ठीक ही कहा है कि आपातकाल की घोषणा के कारण जो फॅसाद करने वाले थे या जो समाज को गुमराह करने वाले हैं वे अभी दब जरूर गए हैं लेकिन वे निर्मूल नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। इस तरह के लोगों को कभी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की छूट नहीं दी जा सकती है। हम कह रहे हैं कि हम इसे बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं। एक-एक आदमी की बात हम सुनते हैं और यदि उनका सुझाव समुचित रहा तो उनका समावेश भी करते हैं। काफी दिनों के ये अध्यादेश बढ़ते रहे हैं। ये अध्यादेश आज से नहीं 1965-66 से चले आ रहे हैं।

पिछली सभी सरकारों के अध्यादेश जमा होते गए। उनकी समस्या को हम घटाना चाहते हैं। पिछले सत्र में भी मैंने 10 अध्यादेशों को ऐक्ट के रूप में बनाया है। मैंने निर्णय लिया है कि शिक्षा सम्बन्धी सारे अध्यादेशों को ऐक्ट में परिवर्तित किया जाए। हम चाहते हैं हमारे जो लाइब्लीटिज हैं उनकों समाप्त कर केन्द्रीय सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति निर्धारित की गयी है उसमें सहयोग दिया जाए और उसके अनुसार काम किया जाए।

विगत राज्य सरकारों ने जितनी सारी कार्रवाइयाँ की हैं मेरी सरकार उन सभी को नियमित कर उन अध्यादेशों को समाप्त करना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों, विशेषकर संयुक्त प्रवर समिति और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्तावों के प्रस्तावकों से अनुरोध करूँगा कि वे अपने प्रस्तावों को वापस ले लें और इस विधेयक को स्वीकृत करें। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जिन तथ्यों को सदन के सामने रखा है, उनका प्रावधान इस विधेयक में करने को सरकार भरसक प्रयास करेगी।

विश्वविद्यालयों में आरक्षण

(बिहार विधान परिषद्-13 दिसम्बर, 1976)

यूँ तो इस विधेयक को देखने से ऐसा लगता होगा कि हम यह कोई सम्पूर्ण नया विधेयक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जो संशोधन समय-समय पर विश्वविद्यालय अधिनियम में किये गए हैं, उन्हीं संशोधनों को मूल अधिनियम में समावेश करने के लिये यह सम्पूर्ण अधिनियम आपके सामने आज पेश किया गया है। तीन-चार मुख्य बिन्दु हैं संशोधन के मैं उन्हीं की चर्चा करना चाहूँगा।

विश्वविद्यालय के कार्यो को नियंत्रित करने या वित्तीय संकट जो समय-समय पर होता रहा और वित्तीय प्रबंधन पर सरकार का अब तक कोई नियंत्रण नहीं रहा। यही प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय के बजट पर सरकार की स्वीकृति हो। जो पैसा हम स्टेचुटरी ग्रांट के रूप में उनको देते हैं पर विकास कार्य के लिये, वह उसी रूप में व्यय हो। इसीलिये यह विश्वविद्यालय को अपने वार्षिक बजट की स्वीकृति सरकार से लेने की बात है। दूसरी बात है कि प्रो वाइस-चांसलर का पद अध्यादेश से सृजित किया गया। और जो ट्रेजरर का पद बहुत दिनों से चला आ रहा था, उसे हटा दिया गया है।

वित्त समिति का कार्य अब प्रो-वाइस चांसलर को दिया जा रहा है। सीनेट और सिंडिकेट की बनावट पर भी कुछ संशोधन का प्रस्ताव पेश है और वह इस रूप में है कि राष्ट्रीय आम चुनाव जो इसके प्रतिनिधि के लिये चला आ रहा था उस निर्वाचन को बंद कर दिया गया है। समाज में शिक्षकों के स्तर का प्रभाव पड़ रहा था, अतः शैक्षणिक दृष्टिकोण से यह समझा गया कि इस निर्वाचन को बंद किया जाए, और इसके लिये दूसरी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ-ही-साथ सीनेट के साइज को भी छोटा किया गया है। इस तरह पूर्ण सीनेट में जो पहले इसके सदस्यों की संख्या थी, उसे अब कम कर दिया गया है। इसके साथ-ही-साथ, शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संशोधन का प्रस्ताव आया है। वह इस रूप में है कि आयोग ने जो वेतनमान दिया और उसके पालन के क्रम में जो अनुशंसायें हैं उनको परिवर्त्तित करके यह उपस्थापित किया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय है कि जो सूची बनती है उसी सूची से आयोग अनुशंसा करे यह बंधन उस पर रहेगा। इसके अलावे शिक्षकों के लिये कोड ऑफ कन्डक्ट निर्धारित कर रहे हैं। आये दिन इनके स्तर के बारे में बड़ी चर्चा होती है। जब हमने इनकी

सभी माँगों को मान लिया तो समाज के प्रति भी इनका कर्त्तव्य होना चाहिए और इनके कार्य से समाज को लाभ होना चाहिए। पूर्णतया शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो उपयोगी है वही इनकी आचार संहिता में प्रस्तावित है।

विधान सभा एवं परिषद् के सदस्य भी शिक्षक हैं, उन पर यह पाबंदी अध्यादेश द्वारा लगायी गयी कि उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी और कोई राजनीतिक कार्य या आंदोलन जिसका कु-प्रभाव शिक्षा के स्तर पर पड़े, सार्वजनिक जीवन पर पड़े, सार्वजनिक वातावरण पर पड़े, इसे नहीं करने की व्यवस्था करायी जा रही है। साथ-ही-साथ कोई आर्थिक लाभ का दूसरा कार्य वे करें इस संबंध में कुलपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए, अनुमति चाहिए।

अभी हाल में 1972 में जब सीनेट, सिंडिकेट विघटित किया गया था उस समय भी श्री जब्बार हुसैन की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी थी, पीछे की अनुशंसायें और आदेश, दूसरे राज्यों में नियमों में जो संशोधन हुये हैं जो नये विचार आये हैं उन सबों का समावेश करते हुये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे देखने में बहुत अधिक क्लौजेज की सख्या लगती है, लेकिन सभी नये नहीं हैं। जिन बिन्दुओं की चर्चा मैंने की है उन्हीं बिन्दुओं पर संशोधन प्रस्तावित है और जो मूल अधिनियम था वह इसमें रख दिया गया है।

ऐसा लगता है कि सम्भवतः 6 वर्षो मे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं जो उसके प्रतिफल हुए हैं और पिछले वर्षो में जो हो रही थीं, उसे सही रूप में नहीं आँका जा सकता है। मैंने आरंभ में ही कहा है कि यह विधेयक नवीन नहीं है, कुछ मुख्य धाराओं में संशोधन प्रस्तावित हैं।

1972 से विश्वविद्यालय अध्यादेश से संचालित होता रहा है। यह प्रसन्नता की बात, अच्छी बात नहीं है कि विश्वविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण संस्था अध्यादेशों से चले। इसलिए सरकार को जरूर चाहिए कि जल्द से जल्द विधेयक बनाकर तैयार करे। जहाँ तक प्रवर समिति में भेजने का या अन्य बातें हैं, यह प्रश्न उस समय उठना चाहिए या उठाया जा सकता है जब सारी बातों को इसमें नये रूप से लाया गया हो और इस विधेयक में नयी व्यवस्थायें प्रस्तुत कर रहे हों। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले कई वर्षो से इसका अच्छा अनुभव है और सदस्यों का जो बुरा अनुभव इसका है, उसको भी मैं इंकार नहीं करता हूँ। सरकार के हित में समाज के हित में यह उचित समझा गया। पिछले वर्षो का जो अनुभव है वह अच्छा है और जो त्रुटियाँ कुछ हैं उनको दूर करने के लिए संशोधन प्रस्तावित है। अतः जल्दीबाजी में इसे पास नहीं करें, यह उचित नहीं मालूम पड़ता है। अध्यादेश सत्र होने के बाद प्रख्यापित होते रहे हैं।

जो प्रावधान यहाँ हम कर रहे हैं या जो शंकायें हैं वे ठीक नहीं हैं- जैसे शिक्षकों की गिरफ्तारी की बात

है, यह नहीं है कि कभी भी उन्हें पूर्ण वेतन नहीं मिलेगा, ज्योंही वे दोषमुक्त हो जाएँगे, उन्हें पूर्ण वेतन मिलने लगेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रावधान क्यों किया गया? सच्चाई से हम अलग नहीं कर सकते हैं, विधान मंडल का काम क्या है? विधेयक क्यों बना है? संविधान ने इनकों शक्तियाँ क्यों दी हैं? समाज परिवर्तनशील है,उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अतः इस नई परिस्थितियों को देखकर विधेयकों का निर्माण करना पड़ता है।

अभी आप देख रहे हैं कि संविधान में भी समाज के नये परिवर्तन को देखते हुए संशोधन किया गया है। यह पाया गया कि पहले की कुछ धारायें जो संविधान में थीं वे समाज में आर्थिक विकास के लिये साधक थीं, अतः उन्हें हटाने के लिए संशोधन लाना पड़ा। उसी तरह के विश्वविद्यालय प्रशासन में कुछ बातों का अनुभव कर रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए यह संशोधन लाया गया है। हो सकता है लोगों को यह अग्रिम लगता हो, ऐसी धारणा हो कि इससे विश्वविद्यालय प्रशासन में कुछ कुप्रभाव पड़ेगा। हमने कुछ तथ्यों के आधार पर, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार के सामने उस समय सभी समितियों की सिफारिशें, अनुशंसाएँ थीं। 1964 में जो जाँच आयोग बना था उसकी अधिसूचना यहाँ थी, इन सब पर विचार करने के बाद ही ऐसा किया गया है और सरकार ने जिम्मेदारी ली है और जो 10-12 वर्षो से इसमें खामियाँ रही हैं उनकों दूर करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसलिये जहाँ इस बात के लिये हम प्रशंसा और धन्यवाद चाहते हैं, वहाँ आप हम पर तोहमत लगाते हैं कि जो बातें हो रही थीं, वे बंद हो रही हैं। चाहे 1967 की संविद की सरकार रही हो या उसके बाद शोषित दल की सरकार, या कांग्रस की सरकार और उसके बाद की अन्य सरकारें रही हों, आज तक जो भी सरकारें आयीं उन सभी की राय में यह बात आयी कि विश्वविद्यालय का प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है। हमारे राजकुमार पूर्वेजी भी संविद की सरकार के साथ थे, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उन्होने भी विश्वविद्यालय के प्रशासन में, परिवर्तन लाने के लिये, सुधार लाने के लिये अध्यादेश प्रख्यपित किया था। उस का विश्वविद्यालय क्षेत्र में बहुत विरोध हुआ था। बहुत सारी बातें लायी गयी थीं । 1967 में जो प्रावधान है अध्यादेश का और उसी सरकार ने क्या किया था? सरकार ने प्रावधान किया था कि शिक्षकों का स्थानान्तरण हो सकता है। उस समय भी बहुत से वरिष्ठ शिक्षकों के स्थानान्तरण हुये हैं। ऐसी बात नहीं है कि एकाएक हम ऐसा कर रहे हैं। उस समय की सरकार ने भी सोचा कि समाज के हित में, जनताके हित में ऐसा होना चाहिए तो कर रहे हैं। शंका है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह प्रत्येक तीन-चार वर्ष में शिक्षकों का स्थानान्तरण होगा, ऐसी बात नहीं है। इधर 6 -8 महीनों में कहाँ कोई स्थानान्तरण हुआ है? सरकार से पूर्णतः यह अधिकार अलग कर दिया गया है और कुलाधिपति को उनके पद की मर्यादा को देखते हुये यह अधिकार दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन की दृष्टि से वे चाहें तो स्थानान्तरण करें। इसलिये स्थानान्तरण करने का जो

प्रावधान है वह विश्वविद्यालय के हित में है और इसमें कोई अनैतिक बातें होती हों ऐसा हम अनुभव नहीं कर रहे हैं।

हम एक्ट में कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं। यह अधिकार हम कुलाधिपति को दे रहे हैं कि वे निर्णय करें कि उनकी मशीनरी क्या होगी, किस आधार पर करेंगे इसका निर्णय करें, चूँकि विश्वविद्यालय के प्रावधान में हमने उनका एक अलग दयित्व रखा है और इसीलिये वह कर रहे हैं। साथ-ही-साथ जो हमारी आचार संहिता का प्रावधान हुआ है वह बहुत सोच-समझकर प्रावधान हुआ है। एक-एक प्रावधान को पढ़ें कि राजनीति करना चाहते हैं तो कोई पांबदी नहीं है। आइये, छुट्टी लेकर इस काम में लग जाइये, लेकिन यह बात नहीं हो सकती कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य बनकर विश्वविद्यालय के कैम्पस में आंदोलन करें- इससे क्या अनुशासन रहेगा और क्या विश्वविद्यालय में पढ़ाई चल सकेगी? तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। पिछले 25-26 वर्षो के हमारे क्या अनुभव रहे हैं जिसके चलते आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी और संविधान में भी संशोधन करना पड़ा? इस बात की दुहाई देना कि पीछे सारी बातें होती थीं इसलिये होनी चाहिए तो यह छूट नहीं दी जा सकती है। कभी समय दिया गया, लेकिन अब राष्ट्रीय हित के लिये पाबंदी लानी होगी, नियंत्रण करना होगा अगर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दस-पाँच आदमियों के हाथ में यह शक्ति नहीं दी जा सकती कि जैसे चाहें विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित करते रहें। हमारे अधिकांश शिक्षक अनुशासित शिक्षक हैं डिस्टरवेंस करनेवाले, बुरा काम करने वाले तो 10-5 ही होते हैं। आंदोलन के क्रम में आपने देखा कि कैसे थोड़े से लोगों ने सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर जनहित के साथ मखौल करने की कोशिश की, ऐसा आंदोलन चलाने की कोशिश की कि ऐसा लगा कि सरकार की सारी मान्यताएँ टूटनेवाली हैं।

क्या ऐसे लोगों को इस तरह से पूरी छूट देकर देशहित के साथ खिलवाड़ करने की छूट दी जा सकती थी? श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कठोर निर्णय लिया और राष्ट्रहित में निर्णय लिया। उसका जो प्रतिफल हुआ वह आज हमारे सामने है। हमारी आर्थिक प्रगति है, वित्तीय अनुशासन है, उत्पादन बढ़ा है। इन सारी बातों की समीक्षा करने से बात स्पष्ट होती है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये राष्ट्रहित में हो रही हैं, जनता के सामने ये बातें जानी चाहिए। आप को सोचना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं हमारे हित में क्यों आवश्यक है।

कुछ लोगों का कहना है कि प्रजातंत्र व्यवस्था को हम कमजोर कर रहे हैं। लेकिन हम प्रजातंत्र व्यवस्था को अधिक मजबूत और व्यापक कर रहे हैं। आप देखें कि वर्षो से स्टूडेंट्स यूनियन की माँगें पड़ी हुई थीं। किसी ने स्वीकार किया उनकी माँगों को? आज हमने उनकी माँग को स्वीकार ही नहीं

किया, बल्कि उसके अनुकूल अनुशंसा भी की कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का एक संघ होगा, जो उसका संचालन करेगा। इसके अतिरिक्त हम विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व सीनेट में दे रहे हैं, उनका हिस्सा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावे हम और क्या कर रहे हैं वह हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में हम स्टाफ काउंसिल दे रहे हैं। पहले क्या था? शिक्षकों और विद्यार्थियों में कोई तालमेल नहीं था। विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय प्रशासन में एक हिस्सा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में सारे प्रावधान इस अधिनियम में हैं। यह समस्या कई वर्षों से हमारे सामने है। इस सम्बन्ध में हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं उसका अच्छा प्रभाव होने वाला है और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है इसको आपको देखना चाहिए।

ओर्डिनेन्स से जो बॉडीज बनता है उसमें अपने-आप में स्थायित्व नहीं होता है और हम यह नहीं चाहते हैं कि आज तीन माह या 6 माह के लिये यूनिवर्सिटी बॉडीज बने ओर फिर उसका जीवन लैप्स हो जाए। हम इस क्रम को चलाना नहीं चाहते हैं। इसलिये हमने मई 1975 में यह निर्णय लिया कि यूनिवर्सिटी बॉडीज का संगठन करेंगे। इस संबंध में बहुत सी बातें हमारे सामने आयीं। लेकिन मूल बात हमारे सामने थी कि और्डिनेन्स से यूनिवर्सिटी बॉडीज का संचालन हो, और्डिनेन्स से सीनेट बने यह सम्भव नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि अधिनियम बनायें और वाइस-चांसलर, प्रो वाइस चांसलर अच्छे वातावरण में अच्छे ढंग से काम करें। सीनियर-जूनियर का सवाल नहीं उठना चाहिए। हमने किसी को बाध्य नहीं किया। हमने किसी को जूनियर के अन्दर काम नहीं कराया। मुज़फ्फरपुर की बात कही गयी। आपने स्वयं स्वीकार किया। लेकिन ये सब बातें उठायी गयी थीं कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। ये सारी बातें तो स्वेच्छा से होती है। यदि आपको मंजूर है तो हमको क्या एतराज है? इसलिए हम कह रहे थे कि जो प्रावधान है उससे हम उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और विश्वविद्यालय के प्रशासन में नयी व्यवस्था लाना चाहते हैं। नयी आशाओं के साथ हमारी आशायें यह है कि आपके जो पीछे नहीं हुई हैं उन बातों को हम साकार करना चाहते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति को रिजर्वेशन

शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात है वह हम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में करने जा रहे हैं। इसमें इस तरह का प्रावधान है कि गरीब लड़कों को भी प्रवेश मिले जहाँ आज तक नहीं मिलता था। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे समाज का ढाँचा नहीं बदल सकता है। हमने आज तक किसी को रोका नहीं था कि इनलोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाए, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। सरकार की मंशा है कि ट्राइबल और हरिजनों को भी यहाँ आने का मौका मिले। इसलिए इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया है। नामांकन के लिए हमलोगों ने

निर्धारित किया है कि ट्राइबल और हरिजनों को प्राथमिकता मिले ऐसी जगहों में जहाँ पहले नहीं मिलती थी। अभी जो सामाजिक ढाँचा है उसे बदलना है, इसलिए हमलोगों ने ऐसा निर्णय लिया है।

समाज की प्रगति के लिए इसे जल्दी पास करना है। हम नहीं चाहते हैं कि ऑर्डिनेन्स पर ऑर्डिनेन्स बनाते रहें। हमसे शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी मिले। मैंने उनसे बातें कीं। हमारा दिमाग खुला हुआ है। जो त्रुटि है उसे दूर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इसलिए हम 36 संशोधनों को लाये हैं। जो भी अनुशंसा की जाती है उसे एक-एक कर कार्यान्वित करेंगे। जो भी त्रुटि होगी उसे हम दूर करेंगे।

छोटानागपुर और संथाल परगना की समस्याएँ

(बिहार विधान सभा-19 दिसम्बर, 1980)

हमने 10 दिसम्बर, 1980 को भी सचिवालय में इन क्षेत्रों के सभी विद्यालयों और सांसदों की एक बैठक बुलायी थी। चूँकि हमारी व्यग्रता और चिन्ता है कि कैसे किया जाए। हमारे माननीय सदस्य जो उस क्षेत्र के हैं और उस क्षेत्र के बाहर हैं हमलोगों ने जो भावना व्यक्त की है वह भावना ऐसी है जिसपर तत्काल सभी लोगों की गहराई से विचार करके और संथाल परगना की कुछ विशेष समस्याएँ हैं जिसपर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। जो परिस्थिति बन रही है वहाँ उसके समाधान के लिये एक हल्का रास्ता निकाला जाए। हमारे सामने जो बातें रखी गई है उसे हमने तत्काल स्वीकार किया है और करने की कोशिश की है।

हम इस बात को मानते हैं कि हमारी योजनाओं का जिस तरह से कार्यान्व्यन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। बहुत सी स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में भी काफी व्यवधान होता है। उस क्षेत्र में सिंचाई योजनाएँ स्वीकृत की जायेगी वे केवल छोटानागपुर और संथाल परगना के लिये ही होगी।योजनाएँ पूरी करायी जाएगी जो पहले से चल रही है। पिछली बार योजनाओं में इस क्षेत्र की विनियोग इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, इसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज हम छठी योजना बना रहे हैं तो सरकार ने अपनी समझ के अनुसार जो तैयारी, जो योजनाएँ उस क्षेत्र के लिये बनायी है, उसमें से केवल कुछ बिन्दुओं की चर्चा कर देना चाहता हूँ।

यह साल जो बीत रहा है राज्य में सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिय जो रखा गया है इसमें से छोटानागपुर और संथाल परगना में सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिये 44 करोड़ 10 लाख रुपये रखा गया है। यानि सिंचाई पर पूरे बजट का 40 प्रतिशत हम खर्च करेंगे।

लेकिन इसमें एक बड़ी कठिनाई मेरे सामने है जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सिंचाई के मद के रुपये को खर्च करने का लेखा-जोखा जो हमने किया है उससे सही पता चलता है कि इस राशि में से 10 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उतनी बड़ी राशि जो हम छोटानागपुर और संथाल परगना में सिंचाई मद में खर्च करना चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा। उसका

कारण यह है कि अभी सारे राज्य में सिंचाई योजनाओं के लिये भू-अर्जन की जो प्रक्रिया है तथा नियम में प्रावधान है, इसके चलते भू-अर्जन में व्यापक प्रावधान रहा है। राँची, सिंहभूम और संथाल परगना में सिंचाई योजना के लिये भू-अर्जन करने में बड़ी ही कठिनाई पैदा हो रही है जिससे लगता है कि रुपये खर्च न हो सकेगा।

हमने अभी हाल में इस पर बढ़ी गहराई से विचार किया कि क्या इसके लिये रास्ता हो सकता है। अभी हम जिनकी ज़मीन इस कार्य के लिये लेते हैं, उन्हें हमें जितना कमपेंसेशन देना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उन्हें उतना मुआवजा नहीं देना चाहती है। इसमें कानूनी अड़चन है। अभी जो हमारा लैंड ऐक्वीजीशन एक्ट है उसके अन्दर परिपाटी और प्रावधान है कि विगत तीन वर्षो में स्थानीय बिक्री की दर मालूम कर उसी दर से मुआवजा दिया जाए यानि तीन साल के बिक्रीनामा दस्तावेज को देखकर उसी दर से मुआवजा दिया जाए। इसके चलते सरकार जितना चाहती है या जनता जितना चाहती उतना नहीं मिल पाता है। इससे भू-अर्जन में बड़ी कठिनाई होती है। इन क्षेत्रों में ज़मीन की बिक्री बहुत कम होती है और होती भी है तो सस्ते दाम पर इसलिये जनता जितना चाहती है मुआवजा उतना नहीं मिल पाता है। हम इसके लिये अलग से रास्ता निकालने के लिये गहराई से विचार कर रहे हैं।

इस मामले में हमने जो तत्काल फैसला लिया है जो अगले सप्ताह ही मंत्रिपरिषद् की बैठक में पास होनेवाला है वह प्रावधान सिर्फ छोटानागपुर और संथाल परगना के लिये रहेगा, राज्य के दूसरे हिस्से के लिये यह प्रावधान मान्य नहीं होगा। छोटानागपुर और संथाल परगना की विशेष समस्या है। जो ज़मीन हम लेंगे प्रत्येक परिवार को अलग से 450 रुपये देना चाहते हैं। कम्पेंसेशन की कीमत जो होगी वह तो मिलेगी ही, इसके अलावा 500 रुपये तक अनुदान देना चाहते हैं, स्वीकृत करना चाहते हैं। फिर इनके अलावे जिनको 500-2000 तक कम्पेंसेशन मिलता है उनको 500 रुपये के अलावे तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी इसमें करना चाहते हैं। दूसरी बात प्रत्येक परिवार को जिनकी ज़मीन हम लेंगे, जो डिस्प्लेस्ड होंगे, अभी तक यह प्रावधान नहीं था, हमने नया प्रावधान किया है मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखने जा रहे हैं। उनको 25 डिसमिल ज़मीन साग-सब्जियों के लिये देंगे।

हम लैंण्ड एक्यूजिशन संगठन है को संगठित करना चाहते हैं। अभी काफी कठिनाई हो रही है, जो कम्पेंशेसन हम देना चाहते हैं, घोषणा करते हैं, उसको देने मे काफी समय लगता है और एक्यूजिशन की काफी लम्बी प्रक्रिया है, जिसके कारण काफी समय लगता है। इसके पैटर्न को काफी सुदृढ़ करना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द कम्पेंशेसन मिल सके। जिन लोगों की जगह ली जायेगी उनसे पुनः निर्माण के साथ मिनिमम विद्युत् प्रोग्राम के अन्तर्गत नागरिक सुविधा के

अन्तर्गत खेल-कूद, अस्पताल, शिक्षा आदि की भी सुविधा देना चाहते हैं। इन इलाकों में सिंचाई की जो योजनाएँ ली गयी पहले उनको अंगीकार , स्वीकार कर लिये गए लेकिन योजना का अंश नहीं रहा है। आगे से जो भी योजना इस इलाके में स्वीकृत करते हैं, स्वर्णरेखा की बड़ी योजना पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार, इन तीनों प्रदेशों की सरकार की सहमति से बनायी गयी। इस योजना में पुनर्निर्माण की पूरी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इसके साथ-ही-साथ पुनर्निवास जहाँ करेंगे वहाँ पर 500 आदमी होंगे। इनकी समस्याओं के प्रति हम जागरूक है, उनकी समस्याओं को महसूस करते हैं। योजना का हमने प्रारूप बनाया है, सिंचाई के मद में 10 सौ 15 करोड़ का टोटल प्रावधान किया गया है। इसमें 394 करोड़ संथाल परगना एवं छोटानागपुर के लिये रखा गया है। यह आय टोटल का 39 प्रतिशत है। इस तरह आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई हालत में है उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। छठी योजना का प्रारूप हमने योजना आयोग के सामने उपस्थापित किया जिस पर 23 तारीख को विचार करने जा रहे हैं। इस पर विमर्श होगा योजना आयोग के सामने। 7 सौ 81 करोड़ रुपये का ट्राइब्स सब-प्लान वैसी जगह के लिये रहा जहाँ प्रतिशत या उससे अधिक आदिवासी रहते हैं, वैसी जगह के लिये अलग से आईडेन्टिफाय किया है, इनको अलग से देना चाहते हैं। 1981-82 के लिये हमने जो एनुअल प्लान सबमिट किया है, जिसकी स्वीकृति के लिये जा रहे हैं। 687 करोड़ रुपये की योजना हमने प्रस्तुत की है, योजना आयोग के सामने। इसमें 128 करोड़ 12 लाख 65 हजार रुपये की योजना ट्राइबल सब-प्लान की है।

हम योजना का विस्तार अभी कर रहे हैं। प्रोप्रोरसनली जो चौथी एवं पाँचवीं योजना में कमी रही है, उसको हायर प्रोपोरसन में विस्तार करके कमी को पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ट्राइबल पोपुलेशन 13 प्रतिशत है, राज्य का जो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन का प्रस्ताव है वह है 19 प्रतिशत। इसलिए चूँकि हमारा पिछड़ापन है हमारे पास जो साधन है, वे सीमित हैं। आर्थिक तौर पर हमारे यहाँ साधन की कमी है, वे सीमित हैं। इसलिये पूरा का पूरा असंतुलन को हम तत्काल दूर नहीं कर सकते हैं लेकिन जो असंतुलन है, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली के बारे में बतला देना चाहता हूँ। बिजली के बारे में हम इस इलाके में क्या कर रहे हैं? राज्य में जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही है, उसमें हमेशा उस इलाके के लिए कमी रही है। इसलिए हमने योजना बनाकर छठी पंचवर्षीय योजना में और जो इस साल का 1980-85 की योजना है, 1865 गाँवों को बिजली देने कि योजना है, इसमें 800 गाँवों का प्रावधान छोटानागपुर और संथाल परगना के लिये है। 180-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में सारे प्रदेश के लिए साढ़े बारह हजार गाँवों का विद्युतीकरण करने की योजना है जिनमें से साढ़े पाँच हजार गाँव छोटानागपुर और संथाल परगना के हैं। जो पीछे कमियाँ रही है उसे पूरा करने की कोशिश हमने की है जिससे आगे कमी न रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात

इस इलाके के लिए है वह रोजगार के बारे में है। खासकर सिंचाई विभाग में अभी हाल ही में मैंने कुछ आदेश भिजवाये हैं। अभी दो आदेश हमने दिए हैं। एक शिकायत होती है कि छोटे-छोटे ठेकेदार वहाँ के स्थानीय न होकर बाहर के लोग जाते हैं। इस पर हमने पूरा प्रतिशत रोक लगाने का आदेश दिया है।

शिकायत कीजियेगा तब इसकी जाँच करेंगे। पहले यह आदेश नहीं था हाल ही में गया है। अभी हमने आदेश भेजा है। अगर शिकायत होगी तो उसकी जाँच करेंगे। दूसरा सिंचाई विभाग में नियुक्ति में फीस ग्रेड के लिये हमने 100 प्रतिशत लोकल रिजर्वेशन कर दिया है, सेंट परसेंट चौथी श्रेणी में नौकरी उस इलाके के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए और तीसरी श्रेणी की नौकरी में 50 प्रतिशत उस इलाके के लोगों के लिए हमने सुरक्षित करने का फैसला किया है। सारे प्रदेश के लिए यह ख़बर आपने समाचार पत्रों में देखा होगा। हमने समस्त प्रदेश में नौकरी में अनियमितता, भेदभाव, पक्षपात हटाने के लिये काम किया है।

नियुक्ति में बहुत पैरवी होती है, बहुत अधिक होती है, अनियमितता होती है लेकिन जो पुरानी नियुक्ति की प्रणाली है, इस प्रणाली में भी सभी बातें होंगी ही। इसलिए हमने इसमें सुधार करने का फैसला किया। यह फैसला हमारा 1976 में भी था लेकिन 1976 का फैसला हमारे सरकार के जाने के बाद लागू कड़ाई के साथ नहीं किया गया। अभी अखबारों में आपने देखा होगा यह प्रावधान किया है कि मेरिट और योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, जो आरक्षण श्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने किया है, उसे हमारी पार्टी ने स्वीकार किया है,उस समय हम विरोधी पक्ष में थे, लेकिन आज हमारी हुकूमत ने उसे स्वीकृत किया है और उस पर अमल करने के लिये हमने कदम उठाया है। हमने सभी विभागों में जो आरक्षण हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के लिए है, उसे लागू करने के लिए हरिजन, आदिवासी एवं पिछड़ी जातियों की एक कमिटी बनाने का निर्णय लिया है। हर तीन महीने में इस समिति की बैठक जो पूरी की पूरी विधायकों की कमिटी है, होगी और समीक्षा करेगी कि जो नियुक्ति पीछे के महीने में हुई है, उसमें आरक्षण का जो प्रावधान है उसका पूरा का पूरा कार्यान्वयन होता है या नहीं। हमने यह भी प्रावधान किया है कि जहाँ कहीं भी जिस किसी पदाधिकारी को सूचना मिलती हो और प्रारंभिक जाँच करने के बाद अगर सत्यता पायी गयी तो उसे तत्काल निलंबित कर दिया जाए। हमने यह भी कहा है कि वैसे लोगों को सरकारी नौकरी से हटाने के लिए विभागीय कार्रवाई की जायेगी, बर्खास्त करने की कार्रवाई की जायेगी। इसलिए नियुक्ति करने का जो फैसला हमने लिया है, उसे आप लोगों ने समाचार पत्रों में उसे देखा होगा। हमने अन्य लोगों से भी कहा है कि अनियमितता और भेदभाव से काम न करे। अनियमितता और भेद-भाव को हटाने के लिए हमने फैसला लिया है और यह सेंट परसेंट लागू की जाए, यह कोई जरूरी नहीं है लेकिन हमने जो प्रावधान किया है उसका अगर कोई ऑफिसर पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा तो हमने प्रमंडल आयुक्त से

कहा है कि इसको देखे और जिस तरह से हमने आरक्षण किया है अगर इसमें अनियमितता होती है, किसी को पक्षपात करके नौकरी दी जाती है तो उस ऑफिसर पर सख्त कार्रवाई होगी और वो अनियमित रूप से जिसको नौकरी देगा उसे नौकरी से हटा दिया जायेगा और उसका पैसा उस ऑफिसर से वसूल किया जायेगा। इसमें नौजवानों के मन में विश्वास पैदा होना चाहिए। हम न्यायपूर्वक और निर्धारित प्रक्रिया कायम करना चाहते है। अगर कहीं कोई पक्षपात होता है तो उसकी सूचना सरकार को दे। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अच्छे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और दूसरे लोगों को जो अयोग्य रहते हैं, नौकरी मिल जाती है। अगर इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी तो उस पर हम कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई करेंगे। हाल ही में दुमका के पी.एच.डी. के इंजीनियर ने बहाली में अनियमितता की तो हमने उन सबकी नियुक्ति रद्द कर दी। हमको जब कभी भी इस तरह की शिकायत मिलेगी तो हम उसे दूर कर देंगे।

हमने छोटानागपुर और आदिवासी की सुविधा में ज़मीन रखने वाले आदिवसियों के लिये हमने नन-इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है और इससे आदिवासी को काफी रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से 75 प्रतिशत सुविधा हम हरिजनों को भी देने जा रहे हैं। अगर इनको 5-10 एकड़ तक ज़मीन है तो इरिगेशन की छूट देने जा रहे हैं।

हमने शिक्षा के बारे में भी फैसला लिया है कि छोटानागपुर के लिये जो छात्रवृत्ति की योजना बनायी थी, उसको लागू करने जा रहे हैं। ढाई एकड़ ज़मीन रखने वाले हरिजन और आदिवासी के जो बच्चे पढ़ने के लिये स्कूल जाएँगे उनको हम 15रू मासिक छात्रवृत्ति देंगे। इसमें 9 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। आदिवासियों की छात्रवृत्ति पर जो खर्च होता था उसे हम दूना करने जा रहे हैं अर्थात 50 हजार के जगह 1 लाख 92 हजार रुपये छात्रवृत्ति देंगे। पहले मेरिट से आनेवाले 30 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते थे, उसे हम बढ़ाकर अब 60 हजार कर दिया है। हरिजन और आदिवासी बच्चों को ठीक से छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इस पर भी मेरा ध्यान गया है। जब वे पढ़कर निकल जाते हैं उस समय तक भी पैसा नहीं पहुँच पाता है। इसलिए एक-एक आदमी को उनका पैसा मिल जाए इसके लिये हमने नियमित भुगतान कराने हेतु प्रक्रिया चलायी है। हरिजन, आदिवासी और किसी भी जाति के लिये यह प्रक्रिया चलायी गयी है, ताकि समय पर नियमित रूप से उसका भुगतान किया जा सके। इसका मायने है कि जो सुविधा हम दे रहे हैं, वह सुविधा वास्तव में मिलनी चाहिए। वयस्क शिक्षा सारे प्रदेश में 1978-79 में 12 प्रखंडों में ही स्वीकार किया था। विशेष रूप से सारे संथाल परगना और छोटानागपुर में 62 एडिशनल क्षेत्रों में लागू करने का फैसला हमने किया है। 62 ब्लॉक तो सारे प्रदेश में लाया गया है, जिसको हमने इस साल सारे छोटानागपुर और संथाल परगना के लिये ही लागू किया है। इस पर 7 करोड़ खर्च बैठेगा और इस साल के लिये एक करोड़ रुपये बैठेगा।

जो ग्रामीण सड़क सारे प्रदेश में बनाने की बात की उसके लिए साढ़े पाँच करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जिसमें छोटानागपुर और संथाल परगना भी शामिल है। लेकिन हमने इस साढ़े पाँच करोड़ के अलावे दो करोड़ विशेष रूप से संथाल परगना और छोटानागपुर के लिये दिया है। दो सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनायी जाती है उसमें प्राथमिकता देने का प्रावधान मैंने किया है। इसका मायने है कि जो कार्यक्रम इस संबंध में चलाया जा रहा है उसको काफी तेजी से मैं करना चाहता हूँ।

दो तीन महत्वपूर्ण बातें और हैं जो मैं कह देना चाहता हूँ। जंगल इलाकों में ठेकेदार प्रथा को समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ ठेकेदार प्रथा से क्या हुआ इस संबंध में इस इलाके के लोग ही जानते हैं। ठेकेदार लोग वहाँ के लोगों का शोषण करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे इसमें हैं जो उनका अलगाव करने की भावना से काम करते हैं। ऐसे लोगों में आर.एस.एस. और जनसंघ के लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वे ऐसी ही बातें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन हमने फैसला लिया है कि जंगल इलाकों में ठेकेदार प्रथा नहीं रखे, ठेकेदार प्रथा को जंगल इलाकों से पूर्णतया समाप्त करने का फैसला किया है और फैसला को लागू करने की व्यवस्था मैं बना रहा हूँ। उसी तरह से व्यापारियों ने भी आदिवासियों का शोषण किया है। इन पदार्थों जैसे महुआ, कुसुम आदि में वे लोग उनका शोषण करते हैं। वन विकास निगम को यह दिया गया था लेकिन कर्पूरी ठाकुर के शासन में इस व्यापार को उनके हाथ में सौंप दिया था जिससे काफी शोषण उनका हुआ। 35 पैसा प्रति किलोग्राम मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी और अब 50 पैसा प्रति किलोग्राम मजदूरी उनको मिलने लगी है। लेकिन इसको निजी क्षेत्र में काफी दिया गया है और शोषण शुरू हो गया था। अब सरकार अपने हाथ में लेकर इसको चलाना चाहती है। एक फैसला और हमने किया है और वह यह है कि सिंहभूम जिले में आदिवासी लोग आंदोलन चला रहे हैं कि उनके खानदान, बाप-दादे की जो ज़मीन थी जिनके संबंध में उन्हें कागजी सबूत होगा तो उनकी ज़मीन का मुआवजा देने का फैसला किया है। आंदोलन उन्होंने इस संबंध मे किया था तो मैंने गंभीरता से विचार किया था। यह फैसला लिया था। उसी तरह से जो ज़मीन उनकी छिनी गयी है चाहे वे आदिवासी हो या अन्य। उनके बारे में 1959 में जो कानून बना था, उसके मातहत ज़मीन वापस करने का काम चल रहा था।

इस काम में पुनः तेजी लाने का हमने फैसला किया है। जो लोग शिकायत करेंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सुओ मोटो हमारे मैजिस्ट्रेट राँची में जाएँगे, लोगों की शिकायत सुनेंगे, उनकी शिकायतों को दर्ज करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हमने संथाल परगना के डी.डी.सी. को आदेश दिया है और प्रयोग के रूप में वे गाँव-गाँव घूम-घूमकर शिकायत ले रहे हैं और आजादी के पहले जिन लोगों की ज़मीन ली गयी थी, हालाँकि वहाँ की ज़मीन का, वहाँ के लोगों का कानूनी हक है लेकिन तो भी मालगुजारी नहीं देते थे, इसी वजह से उनकी ज़मीन ले ली गयी थी, उनकी ज़मीन वापस करायी गयी।

इस तरह हम उनकी ज़मीन को वापस करना चाहते है। हमने संकल्प लिया है कि पहाड़ी इलाके में जंगली इलाके मे जो पिछड़े लोगों की आबादी है, उनके लिये तेजी से कार्यक्रम चलाये जायें। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि इन कार्यक्रम में आप हमारा सहयोग कीजिये। श्री छज्जूराम महतो से कहूँगा कि संथाल परगना और छोटानागपुर को बनाने के लिये किसी भी पार्टी के माननीय सदस्य हो, वे हमारा सहयोग करें, उनके सृजन के काम में उनके विकास के काम में वृद्धि लाने के लिये। जो लोग सृजन के काम में बाधा पहुँचाना चाहते हैं, अशांति पैदा करना चाहते हैं, हिंसा पैदा करने के लिये उतारू हैं, ये लोग यदि आगे आयेंगे तो आदिवासियों की सेवा नहीं हो सकती है। ये लोग उनको बरगलाने का काम कर सकते हैं। उनके द्वारा विकास का काम नहीं किया जा सकता है। हम उनके सामाजिक ढाँचे में हर तरह से परिवर्तन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं। इसलिये मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वहाँ के रहने वाले हैं वे बहुत सीधे-साधे होते हैं। इनमें शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, ऐसे लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, राजनीतिक हथकंडा उनको नहीं बनाना चाहिए।

दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी नहीं जाना चाहते थे। हमने उनके लिये एक कार्यक्रम बनाया है और इसे भारत सरकार के सम्मुख स्वीकृति के लिये भेजा है, जिसमें यह प्रावधान है कि जो 52 हजार सभी प्रकार के पदाधिकारी यहाँ पर पदस्थापित हैं, ऐसे लोगों में हम अभिरूचि पैदा कर रहे हैं। उनमें दिलचस्पी ला रहे हैं, 6 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत पर 1981 से 1985 तक विशेष भत्ता देना चाहते हैं।

आज उत्तर भारत के लोग दूर दराज दक्षिण बिहार में नहीं जाना चाहते हैं। पैरवी के बल पर वे नहीं जाते हैं। परिणाम है कि उन इलाकों में बहुत से अस्पताल बिना डाक्टर के है। यहाँ से डाक्टर जाते है लेकिन वे जिला मुख्यालय में ही रह जाते हैं, अपने स्थान पर नहीं जाते। इसलिये उनसे प्रेरणा लाने के लिये 6 करोड़ 21 लाख की लागत पर इन्सेंटिव देने की योजना भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि क्षेत्रिय विकास उनका हो, सामाजिक भेद-भाव घटे। इसके लिये भी हम प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय बहाली में, पदस्थापन में हम भेद-भाव नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति या दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार वास्तविक रूप में देना चाहती है। गैर-बराबरी को हम मिटाना चाहते हैं, सबको सामाजिक जीवन देना चाहते हैं और उनके साथ न्याय करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जो उनको तोड़ने की बात करते हैं। उनको कमजोर करने की बात करते हैं, लेकिन वैसे व्यक्तियों से मैं कह देना चाहता हूँ कि बिहार का एक-एक आदमी उनके प्रति वफादार है, ईमानदार है और ईमानदारी से उनकी सेवा करना चाहता है। यह हम मानते हैं कि पीछे कुछ कमियाँ हुई है, तो मैं उन कमियों को पूरा करना चाहता हूँ।

छोटानागपुर और संथाल परगना की समस्याएँ विशेष प्रकार की समस्याएँ हैं, उनको गहराई में जाकर राजनीतिक सीमा से बाहर जाकर विचार करना होगा और जो हमारा कार्यक्रम है, उसमें सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने से ही छोटानागपुर और संथाल परगना का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

नलकूप बेकार रहने से कृषि कार्य में हानि

(बिहार विधान परिषद्- जून, 1974)

बिहार राज्य में नलकूप का इतिहास सिंचाई विभाग के अधीन 1939-40 से प्रारंभ होता है। इसका श्रीगणेश पहले डिहरी-सासाराम तिलौथू क्षेत्र में किया गया और 1951-52 के पूर्व कुल 180 नलकूप समय-समय पर गाड़े गए। राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 1956-57 तक कुल 948 नलकूप गाड़े गए। 1963-64 में उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उत्पादन क्षेत्र में 128 नलकूप लगाने की योजना कृषि विभाग में स्वीकृत की गयी। सिंचाई विभाग के नलकूपों का तकनीकी नियंत्रण कृषि (लघु सिंचाई) विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। 1 अप्रैल 1970 से नलकूप का प्रशासनिक नियंत्रण भी कृषि (लघु सिंचाई) के अधीन चला आया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में कुल 1,161 नलकूप गाड़े जा चुके थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के पूर्व 762 नये नलकूप लगाये गए। इस तरह सितम्बर 1972 तक राज्य में कुल 1,929 राजकीय नलकूप लगाये गए। 1966-67 के भीषण अकाल से यह सबक लिया गया कि सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए राज्य में अधिक-से-अधिक सरकारी एवं निजी नलकूप लगाये जाये। 1972 -73 की खरीफ की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य में आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागू किया गया। उस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले के लगाये गए 762 अपूर्ण नलकूपों को पूरा करने तथा नये नलकूपों के निर्माण के लिए 8.58 लाख रुपयों की धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कृषि विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता(यांत्रिकी) के अधीन एक नलकूप संगठन कायम किया गया और कार्यभार के आधार पर अंचल, प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या में भी वृद्धि की गयी।

इस 1972 तक की अवधि में राज्य में कुल 1929 नलकूप लगाये गए वहाँ 1972 अक्टूबर के बाद अब तक संगठित राजकीय नलकूप संगठन द्वारा 1119 तथा बिहार जल विकास निगम के तत्वावधान में 82 में कुल 1201 नलकूपों का छिद्रण कार्य सम्पन्न किया गया।

चूँकि राज्य की योजना की वित्तीय अधिसीमा के अन्तर्गत सिंचाई के लिए सीमित राशि ही उपलब्ध होती रही है, अतः सांस्थिक वित्त की सहायता से बड़े पैमाने पर राजकीय नलकूपों के कार्यक्रम की

कार्यान्विति के लिए बिहार जल विकास निगम की स्थापना अगस्त 1973 में की गई। उस क्रम में 1,500 नए राजकीय नलकूप लगाने के लिए एक परियोजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजी गई। किन्तु यह 1973-74 में पारित नहीं हो सकी और इसलिए तदर्थ कोई धनराशि बैंक से उपलब्ध नहीं हो सकी। इस बीच सरकारी बजट में उपलब्ध 156 लाख रुपये के उपबंध से पुराने नलकूपों से यथा योग्य सिंचाई की जाती रही। चालू वित्तीय वर्ष में भी अबतक बैंकों से नलकूपों के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकी है। हाल ही में कृषि पुनर्वित्त निगम को भी जो सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रतिनिधि है, 1500 नए नलकूपों की परियोजना की एक प्रति दी गयी है। ऋण उपलब्ध कराने के पूर्व बैंकों को हर दृष्टिकोण से परियोजना की जाँच पड़ताल करनी पड़ती है और तकनीकी, आर्थिक, प्रशासकीय आदि सारे पहलुओं से वाणिज्यिक जँचने पर ऋण की स्वीकृति दी जाती है। फिर सरकार से इस बात की गारंटी चाहिए कि पनवट आदि के रूप में निगम को क्या राजस्व और क्या अनुदान मिलेगा ताकि कोई घाटा नहीं हो और ऋण की किस्तों की अदायगी समय पर हो। इस क्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा कृषि पुनर्वित्त निगम से जो इच्छाएँ आयीं है, इनका निराकरण किया जा रहा है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही नए नलकूपों के लिए यथायोग्य सांस्थिक वित्त की व्यवस्था हो जायेगी।

इस बीच 1,753 अधूरे पड़े नलकूपों के कामों को पूरा करने के लिए अलग से 13.48 करोड़ रुपये की लागत की एक और परियोजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कृषि पुनर्वित्त निगम(एग्रीकल्चर री-फाइनेंस कॉर्पोरेशन) को भेजी गई है और उस पर उनसे मिली इच्छाओं का समाधान किया जा रहा है। शुरूआत मे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से इस तरह की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासकीय आदि विभिन्न इच्छाएँ स्वाभाविक हैं। उम्मीद की जाती है कि इन इच्छाओं के समाधान के बाद जब एक बार सांस्थिक वित्त मिलना शुरू हो जायेगा तो आगे इस तरह की परियोजनाओं के पारित होने में इतना समय नहीं लगेगा। फिलहाल अधूरे 1753 नलकूपों में से चालू कार्यकारी मौसम में 669 नलकूपों की बाकी नालियाँ बनाने और 80 निष्फल पड़े पुराने नलकूपों के फिर से चलने के लिए 378 लाख रुपये के अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की गयी है। उसमें से 2 करोड़ रुपये निगम को मई के अन्त में मिल चुके हैं जिससे काम चालू हो गया है और आशा की जाती है कि शेष धनराशि के समय पर मिलने से लक्ष्य की पूर्त्ति हो जायेगी ताकि अगली खरीफ फसलों के लिए उनसे भरपूर सिंचाई हो सके। बाकी 649 अधूरे राजकीय नलकूपों के कामों को पूरा करने के लिए 570 लाख रुपये चाहिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कृषि पुनर्वित्त निगम को भेजी गयी 13.48 करोड़ रुपयों की परियोजना में शामिल है। इन नलकूपों की नालियों के पक्कीकरण के लिए लगभग 39 हजार टन सीमेंट की जरूरत होगी। इसकी व्यवस्था सीमेंट कंट्रोलर के माध्यम से करायी जायेगी।

गत 16 मई को भेजी गई समीक्षा के दौरान देखा गया कि 322 राजकीय नलकूपों का बिजलीकरण करना बाकी है। तदर्थ बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को राज्य सरकार से 35 लाख रुपयों के अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध की गयी और उस आधार पर उन नलकूपों का बिजलीकरण हो गया है और बाकी 248 में बिजलीकरण का काम अगले महीने के अन्त तक करवा देने का आश्वासन बिजली बोर्ड से मिला है। जिन नलकूपों के लिए पक्की नालियाँ नहीं बन पायी हैं, उनके कमान क्षेत्रों में भी पहले से खरीद कर रखे हुए 2000 फीट लम्बे अल्यूमिनियम पाईप के 135 सेटों और कच्ची नालियों से अधिक से अधिक सिंचाई की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है।

इन नलकूपों के लिए जितना ऋण भारत सरकार से मिला था, सबका उपयोग कर दिया गया। भारत सरकार से अब रुपये मिलना बंद हो गया है। सरकार की ओर से अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था की गयी है। 2 करोड़ रुपये निगम को मिल चुके हैं। विद्युत् बोर्ड को 35 लाख रुपये के अतिरिक्त धनराशि दी गयी है। उम्मीद है कि शीघ्र ही उन नलकूपों को चालू करा दिया जायेगा।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र : एक संघर्षशील योद्धा

डॉ. भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में 1960 में जीवन आरंभ करके अन्ततः अर्थशास्त्र के विश्वविद्यालय आचार्य पद पर आसीन हुए। उनकी स्कूली शिक्षा बलुआ बाजार माध्यमिक विद्यालय, सुपौल बिहार से हुई। उन्होंनेबी.ए. (ऑनर्स), टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर से किया और फिर एम.ए. (अर्थशास्त्र) एल.एस. कॉलेज, मुज़फ्फरपुर से किया। उसके बाद उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से पीएच.डी (पब्लिक फिनान्स) की उपाधि प्राप्त की। वे बिहार के हितों के लिए संघर्ष करनेवाले नेता के रूप में ख्यातिप्राप्त हैं। बिनोवा भावे द्वारा चलाये गये भूदान आन्दोलन में उन्होंने 1953 से 1960 ई. तक सक्रियता से भागीदारी की और अपनी अधिकांश ज़मीन भूमिहीनों में बाँट दी। भूमिहीनों को बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में वे सदा तत्पर रहे।

1953 ई. में बलुआ बाजार सुपौल जिला से माध्यमिक परीक्षा देने के बाद उन्होंने सिंहभूम जिला के चाण्डिल में सर्वसेवा संघ के वार्षिक आयोजन में आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से भूदान-आन्दोलन में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश किया। भागलपुर के टी.एन.बी. कॉलेज में छात्र सर्वोदय परिषद् का गठन किया जिसके वार्षिक सम्मेलन को प्रतिवर्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्बोधित करते रहे। वहीं उनके सर्वोदयी जीवन की शुरुआत हुई। भूदान आन्दोलन के क्रम में पूरे राज्य में बिनोवा भावे की पद-यात्रा में वे साथ रहे। संत विनोबा भावे के भ्रमण के क्रम में उन्होंने अपने परिवार से हजार एकड़ ज़मीन भूदान आन्दोलन को दान में दिलवायी। भूमि हदबंदी कानून के अन्तर्गत अपनी अधिशेष भूमि बिहार राज्य सरकार को सौंप दी।

इनके परिवार का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास है। इनके पिता पण्डित रविनन्दन मिश्र समस्त कोशी क्षेत्र के वरद पुत्र थे। उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवार में जन्म एवं पालन-पोषण होने के बावजूद उन्हें सामन्ती प्रवृत्ति छू तक नहीं सकी थी। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सहज, सरल एवं निर्मल था। पं. रविनन्दन मिश्रजी के उच्चादर्शों और समाजसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धताऔर स्वतंत्रता आंदोलन की राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत संस्कारों के फलस्वरूप ही उनके परिवार को राष्ट्रीयता की प्रेरणा मिली।

पं. रविनन्दन बाबू के भ्रातृ पुत्र पं. राजेन्द्र मिश्र, महात्मा गाँधी के आह्वान पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की अपनी पढ़ाई को तिलांजलि देकर 1920 में राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़े। यह वह समय था जब

महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा था। राजा बाबू सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। पं. रविनन्दन बाबू की राष्ट्र भक्ति और राजा बाबू की राजनीतिक सक्रियता के प्रभाव में बलुआ तथा बसानपट्टी के मिश्र परिवार के अनेक लोग स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। राजा बाबू और ललित बाबू को कई बार जेल जाना पड़ा। पूरे परिवार को पुलिसिया दमनात्मक कार्रवाई का सहन करना पड़ा। देश में इनका ऐसा परिवार है जिसके ग्यारह सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में जेल की और दमन की अन्य यातनाएँ झेलीं।

उनका ही ऐसा परिवार है जिसे सौभाग्य प्राप्त है कि 1926 से लगातार अब तक परिवार का कोई न कोई सदस्य बिहार विधान मंडल और भारतीय संसद् के सदस्य बने रहे हैं। दो सदस्य केन्द्र सरकार में मंत्री, एक मुख्यमंत्री और तीन राज्य सरकार में मंत्री बने। इनके परिवार के पं. राजेन्द्र मिश्र और डॉ. मिश्र बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के दो-दो बार अध्यक्ष बने।

वे 1966 से बिहार विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सिनेट में कई बार सदस्य निर्वाचित हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट एवं जे.एन.यू. के कोर्ट में भी दो बार सदस्य चुने गये। 1968 में पहलीबार मुज़फ्फरपुर, चम्पारण एवं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1969 में राष्ट्रपति के ऐतिहासिक चुनाव में ललित बाबू के सक्रिय कार्यकर्त्ता के रूप में बिहार में महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1972, 1977, 1980, 1985 और 1990 में मधुबनी जिला के झंझारपुर से बिहार विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। 1972 में पहली बार श्री केदार पाण्डेय की सरकार में मंत्री बने। श्री अब्दुल गफ़ूर के मंत्रिमंडल में भी मंत्री नियुक्त हुए। 8 अप्रैल, 1975 को बिहार के पहलीबार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और 30 अप्रैल, 1977 तक उस पद पर बने रहे। 8 जून, 1980 को दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए जिस पद पर वे 13 अगस्त, 1983 तक बने रहे। तीसरी बार वे 6 दिसम्बर, 1989 को मुख्यमंत्री नियुक्त हुए जिस पर वे 10 मार्च, 1990 तक बने रहे।

मार्च, 1989 में वे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। दुबारा वे अप्रैल, 1992 में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1978 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के साथ कांग्रेस के विभाजन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। 1978 में बिहार विधान सभा में पहलीबार प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। दूसरीबार मार्च, 1990 में बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। 1988 के अप्रैल में राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। दूसरी बार अप्रैल, 1994 में वे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

10 जून, 1995 को वे श्री पी.वी. नरसिंह राव मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री नियुक्त हुए और जनवरी, 1996 में उन्हें कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया। उस पद पर वे 16 मई, 1996 तक बने रहे।

ग्रामीण विकास मंत्रीके रूप में उन्होंने त्रिसूत्री परिवार कल्याण योजना प्रारंभ की जिसके अंतर्गत बृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के प्रमुख की मृत्यु पर 10 हजार अनुकम्पा अनुदान और गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार के लिए दो बच्चों के लिए 500-500 रू0 का अनुदान सम्मिलित था। उन्होंने बिहार के सभी 727 प्रखंडों को सुनिज्चित रोजगार योजना में सम्मिलित किया तथा बिहार को प्रतिवर्ष 3 लाख इन्दिरा आवास की स्वीकृति दी। केन्द्रीय कृषि मंत्री के रूप में बिहार के जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं 16 कृषि सम्बंधी विषयों पर शोध-प्रतिष्ठानों की स्वीकृति करायी।

उर्दू भाषा को द्वितीय राज भाषा का दर्जा देने के लिए लखनऊ की मीर-एकेडमी द्वारा 'मीर-ए-उर्दू'की उपाधि दी गई। उर्दू तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए की गई सेवाओं को देखते हुए देश के अनेक राज्यों में अवस्थित अनेक संस्थाओं ने भी अलग-अलग उपाधियाँ दीं। दिल्ली में हुए विश्व उर्दू सम्मेलन में उन्हें 'मोहसिने उर्दू' की उपाधि दी गई।

डॉ. मिश्र 1982 ई. में प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में मॉस्को दौरे पर गये। मार्च 1996 में इजिप्ट के काहिरा में में एफ्रो-एशियन रुरल रिकन्स्ट्रक्शन ऑरगेनाइजेशन के 12वें महाधिवेशन में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

उनके कार्यकाल में बिहार की कारागारों में विचाराधीन कैदियों की स्थिति का अध्ययन कराया गया और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई।

गरीबी-रेखा से नीचे बसर करनेवालों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा चलाये गये शोध एवं विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की।

उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एवं केन्द्रीय मंत्री के रूप में बिहार राज्य और देश के लिए मानवाधिकार सुरक्षित और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाज के सभी वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर दलितों, पिछड़ों, महिला, बच्चों, सभी श्रेणी के किसानों के कल्याणार्थ कार्यक्रम लागू किया।स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनेक कार्य शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ता कल्याण कोष, रिक्शा चालक, रिक्शा स्वामित्व एवं अन्य कल्याण कार्य, कमजोर वर्ग के लिए विधिक सहायता अधिनियम लाया गया। 45000 चौकीदार-दफ़ादार को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रथम बार प्रशासनिक तंत्र का गठन किया गया।बिहार में प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गगत अनेक उद्योगों की स्थापना की गई।पहली बार अत्यंत पिछड़ी जाति की 1976 में पहचान एवं उन्हें विशेष सुविधा देना भी डॉ. मिश्र के दिशानिर्देश पर ही हुआ। अत्यंत पिछड़ी जाति के छात्रों को दलित छात्रों की तरह सुविधा, जिला बोर्ड

एवं जिला परिषद में अत्यंत पिछड़े एवं दलित का मनोयन भी उन्हीं के समय में हुआ। 1976 में विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में देश में पहली बार आदिवासी एवं दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। उनके कार्यकाल में 14 नवम्बर, 1980 को सम्पूर्ण राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई।औद्योगिक मजदूरों के कल्याण सम्बन्धा कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर चलाया गया। पहली बार श्रम नीति निर्धारित कर 23 लाख बूढ़ों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 3 लाख पढ़े लिखे युवकों को बेरोजगारी भत्ता, 80 हजार रिक्शा चालक को रिक्शा का स्वामित्व सुनिश्चित हुआ।

डॉ. मिश्र के कुशल नेतृत्व में 2.50 लाख एकड़ ज़मीन अर्जित की गयी और भूमि सुधार के अधिनियम में अनेक संशोधान किये गये।भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को ज़मीन देने, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षा एवं कल्याण की अनेक योजनाओं के साथ-साथ औद्यौगिक एवं आर्थिक विकास की संभावनाओं को गतिशील बनाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कराकर बिहार राज्य में सामाजिक न्याय एवं गरीबी उन्मूलन की सम्भावनाएँ बनाई गयीं। उससे भारत के संविधान के अन्तर्गत प्राप्त 'मानवाधिकार' और मूल अधिकार आम लोगों को उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए। सहकारिता आन्दोलन से दलितों एवं आदिवासियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इन्हें सहकारिता का सदस्य बनाने के लिए 10 रुपये हिस्सा-पूँजी सरकार की ओर से दी जाने लगी और सभी स्तरों की प्रबंध समितियों में इन समूहों के लिए स्थान आरक्षित किये गये।

सभी श्रेणी के किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दिया गया। इसके फलस्वरूप 1982-83 में 2.50 लाख निजी नलकूप बैठाए गए। 4000 से अधिक राजकीय नलकूप लगाये गये। सभी श्रेणी के किसानों का बकाया सिंचाई-शुल्क माफ कर दिया गया और सिंचाई शुल्क स्थायी रूप से माफ कर दिया गया। 10 एकड़ तक जोतदार किसानों के लिए बिजली-शुल्क माफ कर दिया गया था। कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कानून को सख्ती से लागू करने की जिला एवं प्रखंड के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई। बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अधिकृति नीति अधिनियम के अनुरूप राज्य में 11 लाख परिवारों को पर्चा उपलब्ध कराया गया। बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अधिकृत अधिनियमों के अंतर्गत आवासी भूमि से विहीन परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक समयबद्ध तरीके से 3 डिसमिल आवास की भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान हुआ।

डॉक्टर साहब के नेतृत्व में 54000 प्राथमिक विद्यालयों एवं 3000 माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, 235 महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण, 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण एवं 39 संस्कृत महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण, मदरसा के शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों की

भाँति वेतन एवं सुविधा 1600 संस्कृत विद्यालयों एवं 1100 मदरसा को वित्त सहित मान्यता दी गई। 3776 संस्कृत विद्यालयों की स्वीकृति दी गई। 2995 मदरसों को मान्यता दी गई। मदरसा एवं संस्कृत बोर्ड की स्थापना की गई। अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतन, भत्ता स्वीकृत किया गया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा के साथ 1000 उर्दू अनुवादक की नियुक्ति, उर्दू टाइपराइटर की व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, उर्दू विकास निदेशालय, उर्दू एकेडेमी को एक करोड़ का अनुदान 10 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना आदि उनके नेतृत्व की कुछ अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ रहीं। उनके समय में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रीडर एवं प्राफेसर की समयबद्ध प्रोन्नति का प्रावधान कर 8 हजार से अधिक शिक्षकों की समयबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित की गयी। पहली बार आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण आयुक्त की नियुक्ति के साथ प्रत्येक विभाग में आरक्षण समिति का गठन भी हुआ।

डॉ. मिश्र के कार्यकाल में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का यू.जी.सी. की स्वीकृति के लिए अपेक्षित 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। उनके शासनकाल में ही भवन एवं ज़मीन के अभाव की पूर्त्ति 1976 ई. में दरभंगा राज की भूमि एवं भवन का अधिग्रहण विशेष व्यवस्था के आधार पर किया गया जिसके फलस्वरूप दरभंगा राज के अखबारों का कोपभाजन बनना पड़ा। संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान सहित प्रोफेसर एवं रीडर का प्रावधान किया गया। मदरसा की डिग्री को अन्य विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की डिग्री के समकक्ष बनाकर सरकारी सेवा के लिए उसे मान्य बनाया गया। कमजोर एवं गरीब लोगों, विधवा एवं बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कानून बना। अधिवक्ताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना और अधिवक्ता पुस्तकालयों के लिए विशेष अनुदान। पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना। विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यू.जी.सी. वेतनमान एवं सरकारी कर्मचारी के लिए केन्द्रीय वेतन लागू करने संबंधा नीति निर्धारण। प्रत्येक जिला में एक उद्योग की स्थापना की स्वीकृति और 37 औद्योगिक प्रांगण की स्वीकृति के साथ-साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की स्थापना के साथ प्रेरणादायक औद्योगिक नीति। अनेक निगम, बोर्ड और अनेक सार्वजनिक कंपनियों का गठन महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा सकता है।

सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्ग की स्थिति एवं सरकारी सेवाओं में संख्या की जाँच के लिए मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में 1971 में एक आयोग का गठन हुआ था जिसका प्रतिवेदन डॉ. मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में दिनांक 26 दिसम्बर, 1976 को प्रस्तुत हुआ उसे कार्यान्वित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए मंत्रिपरिषद् में संलेख उपस्थापित करने का निर्णय हुआ। 18 जनवरी, 1977

को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू होने के कारण आरक्षण लागू नहीं किया जा सका। नेता प्रतिपक्ष के रुप में डॉ. मिश्र ने कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति का खुलकर समर्थन किया। राज्य में चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन को समाप्त करने एवं इस पर सर्वानुमति बनाने हेतु सर्वदलीय बैठक में डॉ. मिश्र के (आरक्षण का) समर्थन से सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनी। बैठक में दिये गये सुझावों के परिप्रेक्ष्य में ही श्री ठाकुर ने आरक्षण नीति बनाई एवं इसकी अधिसूचना 10 नवम्बर, 1978 को जारी की। आरक्षण लागू करने के कारण ही श्री ठाकुर को जनता पार्टी ने बहुमत से मुख्यमंत्री से हटाया। उस समय डॉ. मिश्र ने विपक्ष के नेता के रूप में श्री ठाकुर का समर्थन किया था। 1980 में डॉ. मिश्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद आरक्षण नीति में संशोधन हुआ जिसमें प्रावधान हुआ कि जो पिछड़े लड़के योग्यता के अधिमान में आयेंगे उनकी गणना आरक्षित कोटे में नहीं होगी। मेधा से आये छात्रों को आरक्षित कोटा से अलग करने से पिछड़ा की संख्या सेवा में बढ़ गई। आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉ. मिश्र की सरकार ने पहलीबार आरक्षण आयुक्त का पद-सृजन करते हुए यह प्रावधान किया कि सभी विभाग में आरक्षण लागू हो।

डॉ. मिश्र के मुख्यमंत्रित्वकाल में ही अत्यन्त पिछड़ी जातियों में मदन प्रसाद सिंह (मल्लाह) योगेश प्रसाद योगेश (नोनिया) एवं जगदीश मंडल (केवट) को मंत्रिपरिषद में लिया गया। श्री महेन्द्र सहनी, श्री जगमल चौधारी, युगेश्वर प्रसाद निषाद एवं रामकरण पाल ऐसे अत्यंत पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को विभिन्न बोर्ड-कॉरपोरेशन का अध्यक्ष-उपाधयक्ष मनोनीत किया गया। प्रेम नारायण गढवाल, योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया एवं अन्य कई व्यक्तियों को, जो पिछड़े वर्ग अतयंत अत्यंत पिछड़ी जाति से आते थे, को विधान परिषद् में सदस्य मनोनीत किया गया। डॉ. मिश्र के शासनकाल में पिछड़े वर्गों से डॉ. के.के. मंडल, डॉ. महावीर प्रसाद यादव, डॉ. ए.एस. यादव, डॉ. एच.एन. यादव, डॉ. परमेश्वर दयाल, डॉ. डी.एस. नाग(दलित) डॉ. ए.के. धान, डॉ. इन्दुधान (आदिवासी) जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित एवं आदिवासी समूह से कुलपति नियुक्त किये गये। उसी तरह डॉ. एम.क्यू. तोहिद, डॉ. फहीम अहमद एवं डॉ. एम.ए. गिलानी जैसे व्यक्ति अल्पसंख्यक समूह से कुलपति नियुक्त किये गये। डॉ. कुमार विमल एवं डॉ. एच.एन. यादव, श्री हसन जैसे अन्य पिछड़े वर्ग और मुसलमान के प्रतिनिधियों को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अल्पसंख्यक, दलित एवं आदिवासी वर्गों से लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या भी बढ़ायी गई। विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग, विद्यालय सेवा आयोग जैसी संस्थाओं में इन वर्गों को निरंतर प्रतिनिधित्व दिया गया।

डॉ. मिश्र की सरकार के द्वारा 1980-81 के बजट में प्रावधान हुआ कि पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के छात्रों, दलित एवं आदिवासी छात्रों को मिल रही, छात्रवृत्ति की संख्या 2-5 लाख से बढ़कर

5 लाख और धान 4-5 करोड़ से 13-5 करोड़ की गयी। महादलित में मुशहर जाति के बच्चों की प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक छात्र को 30 रुपये प्रतिमाह भत्ते के भुगतान के लिए 9 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया। डॉ. मिश्र की सरकार ने 1981-82 के बजट में यह प्रावधान किया था कि अत्यंत पिछड़ी जाति के छात्रों को वही सुविधा मिलेगी जो दलित छात्रों को उपलब्ध है। 1976 में बिहार के आदिवासी बाहुल्य 111 प्रखंडों में जनजाति उप योजना चालू की गयी। 1980-81 में बिहार में दलितों (अनुसूचित जाति) के लिए अंगीभूत योजना प्रारंभ हुई जिसके अंतर्गत कुल योजना उद्व्यय का 24 प्रतिशत जनजाति उपयोजना एवं अंगीभूत योजना के लिए कर्णांकित करने का प्रावधान हुआ। दलित एवं आदिवासी छात्रों के लिए प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय के साथ-साथ प्रत्येक प्रखण्ड में कम से कम 4 माध्यमिक विद्यालय और उसमें लड़की के लिए एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। उसी क्रम में 1982 में एक सौ पचास प्रोजेक्ट हाई स्कूल भी स्थापित गये, जिनमें अनेक बालिका उच्च विद्यालय भी सम्मिलित किये गये थे। बालिकाओं की शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था।

डॉ. मिश्र ने 1994 में ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में यह आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कराने के लिए पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर दो मुख्य वर्गों में अलग-अलग विभाजित किया जाए और उनका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि लगभग समान स्तर का लाभ उस प्रकार के संबंधित वर्ग की सभी जातियों को समान रूप से प्राप्त हो सके और संबंधित वर्गों की प्रभावशाली जातियों से इन जातियों के लोग प्रतिस्पर्धा से बच सकें और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त करना संभव हो। आरक्षित 27 प्रतिशत का लाभ यह वर्गीकरण कर उनकी आबादी के अनुपात में दिया जाए।

बिहार के औद्योगीकरण के लिए केन्द्र सरकार से विशेष सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी सरकार ने बिहार से कोयला एवं अन्य खनिज से प्राप्त हो रही रॉयल्टी को मूल्य आधारित करने की माँग की। बिहार की खनिज संपदा में भारत सरकार से मूल्य की तुलना में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद् में उन्होंने सवाल उठाया था कि पंचवर्षीय योजना में निवेश एवं योजना सहायता भी बहुत कम है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय से 61 प्रतिशतकी कमी है। इसे पाटने के लिए आंतरिक संसाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से खनिज की रॉयल्टी का मूल्य निर्धारण किया जाना उचित है। भारत सरकार सहमत नहीं हुई। खनिज स्वामित्व अधिनियम के तहत सेस लगाने का अधिकार राज्य सरकार का है। अबतक रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत ही सेस लगाया जा रहा था जिससे बिहार को 25-30 करोड़ की ही आय हुआ करती थी। बिहार की आर्थिक संपन्नता के लिए 1981 में खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर ही सेस लगाने का अधिनियम पारित किया गया जिसके कारण

बिहार की आमदनी बढ़कर 30 करोड़ से 500-600 करोड़ होने लगी। आज झारखंड सरकार को इस फ़ार्मूला से हजार करोड़ की आमदनी हो रही है। किन्तु अपने प्रदेश के हित में लिए गए फ़ैसले के कारण केन्द्र सरकार को उनके प्रति नाराजगी उत्पन्न हो गयी। बिहार के हित में उन्होंने दूसरा निर्णय यह लिया कि बिहार के आनुजंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी बिहार के बड़े उद्योगों द्वारा की जाय, जिसका लाभ छोटे उद्योगों को मिल सकेगा। उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर यह प्रावधान करने का निज्चय किया कि अगर बिहार के आनुजंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद बड़े उद्योग नहीं करेंगे तो राज्य सरकार इन उद्योगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी। प्रान्त-हित में तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव उन्होंने भारत सरकार को यह दिया था कि बिहार के औद्योगिक उत्पाद जो अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं, उन उत्पादों से बिहार को 'ट्रांसफर ऑफ स्टाक' के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। केन्द्र सरकार से यह माँग की गई कि राज्य सरकार को कनसाइनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाय। चौथी बात थी कि माल भाड़ा समानीकरण के कारण बिहार बड़े उद्योगों से वंचित रहा है, क्योंकि बिहार की खनिज संपदा का मूल्य जो बिहार में रहा वही बिहार से बाहर मुम्बई, चेन्नई इत्यादि में भी रहता था। सामान्यतः बड़े उद्योग घराने बिहार में उद्योग स्थापित करने के बजाय बिहार से बाहर उद्योग स्थापित करते रहे। इन चारों मुद्दों को उठाये जाने के कारण केन्द्र सरकार की नाराजगी उनके प्रति बढ़ती गई और कांग्रेस के भीतर इनके विरुद्ध के गुट सूबे के हित की अनदेखी कर कांग्रेस आलाकमान के समक्ष यह मुद्दा उठाते रहे कि वे केन्द्र के विरुद्ध हैं और टकराहट उत्पन्न कर रहे हैं। केन्द्रीय नेतृत्व की नाराजगी का यह प्रमुख मुद्दा बनता गया।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र को बिहार की प्रगतिशील शैक्षिक अधःसंरचना के निर्माण का श्रेय जाता है। कई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से की-

ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना
ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय, मुज़फ्फरपुर
ललित नारायण मिश्र तिरहुत महाविद्यालय, मुज़फ्फरपुर और
बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना।

वे ललित नारायण मिश्र मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा की स्थापना के भी प्रेरणास्तम्भ रहे। उन्होंने छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, आरा में वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, हजारीबाग में संत बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, सहरसा (अब मधेपुरा) एवं पटना में मौलाना मजहरुल हक अरबी पर्सियन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम पारित कराया। लोक भाषा साहित्य के संवर्धन के उद्देश्य से मैथिली, उर्दू, भोजपुरी, संस्कृत, मगही, बाँग्ला अकादमियों के साथ दक्षिण भारतीय भाषा

संस्थान की भी स्थापना की हैं। पटना में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान की स्थापना के साथ-साथ राज्य में 150 रेफरल अस्पताल की स्थापना करवायी।

उन्होंने ख्यातिप्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में लगभग 40 शोध-पत्र लिखे। उनके निर्देशन में 20 शोधार्थियों ने अर्थशास्त्र विषय में पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। अनेक शोधकर्ताओं का उन्होंने सक्रिय मार्गदर्शन भी किय।

वर्ष 2008 में कोशी की प्रलयकारी बाढ़ के बाद ये सक्रिय राजनीति से अलग हो गये। बाढ़ की बिभीषिका ने और प्रभावित लोगों की पीड़ा ने उनके सार्वजनिक जीवन की दिशा बदल दी। उसके बाद वे पूर्णकालिक रूप से कोशी के विस्थापितों के कल्याण-कार्य से जुड़ गए। वर्ष 2019 में अपने अंत समय तक बिहार और देश के हित के लिए अपने बेबाक अंदाज में संघर्ष करते रहे।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र द्वारा
लिखित एवं सम्पादित प्रकाशित पुस्तकें

1. सार्वजनिक वित्त
2. मनी, बैंकिंग एण्ड इंटरनेशनल ट्रेड
3. लैंड रिफार्मस इन बिहार
4. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन बिहार
5. इंडस्ट्रीयल फाइनेंसिंग इन बिहार
6. आर्थिक सिद्धांत एवं व्यावसायिक संगठन
7. ट्रेंड्स इन इंडियन फ़ेडरल फ़िनान्स
8. कॉपरेटिव बैंकिंग इन बिहार
9. दिशा संकेत
10. इंडियाज इकोनामिक डेवलपमेंट
11. फ़िनांसिंग ऑफ स्टेट प्लान्स
12. भारतीय आर्थिक विकास की नयी प्रवृत्तियाँ
13. प्लानिंग एण्ड रिजनल डेवलपमेंट इन इंडिया
14. न्यू डायमेंसन्स ऑफ फेडरल फ़िनान्स
15. बिहार की पीड़ा से जुड़िये
16. माई विजन फ़ॉर इंडियाज रुरल डेवलपमेंट
17. भारतीय संघ की वित्तीय प्रवृत्तियाँ
18. चिन्तन के आयाम
19. बिहारः विकास और संघर्ष
20. समग्र विकासः एक सोच
21. ए क्रिटिक ऑफ द इकॉनामिक्स ऑफ कीइन्स एण्ड पोस्ट कीइन्स थ्योरी
22. बिहार बढ़कर रहेगा
23. लेबर इकॉनामिक्स

"श्री जगन्नाथ मिश्र एक लोकप्रिय नेता और कुशल प्रशासक थे। वे तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। श्री मिश्र ने बिहार और भारत की राजनीति में अमूल्य योगदान दिया''

श्री राम नाथ कोविन्द
माननीय राष्ट्रपति

"डॉ. जगन्नाथ मिश्र जी की पहचान एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ एक शिक्षाविद् के रूप में भी थी''

श्री नरेन्द्र मोदी,
माननीय प्रधानमंत्री

"Thrice CM of Bihar, Union Minister & an academic, he was a progressive leader deeply concerned about the development of Bihar"

Shri Pranab Mukherjee
Former President

"Dr. Mishra always stood for the interests of the deprived and the marginalized minorities in society"

Smt. Sonia Gandhi
Congress President

डॉ. शिप्रा मिश्र एक प्रबन्धन सलाहकार हैं। कई गैर सरकारी सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। ये एक स्वतंत्र पत्रकार भी हैं।

मूल्य– 300 रुपये

ISBN 9788193457030

DJMIES

डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान
वीणाकुंज, 113/70 बी,
लालबहादुर शास्त्री नगर, पटना-800023